

खण्ड-07 सत्र-02 (भाग-02)
अंक-15

शुक्रवार 30 जुलाई, 2021
08 श्रावण, 1943 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-02 (भाग-02) में अंक 14 से अंक 15 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

राज कुमार
सचिव
RAJ KUMAR
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप-सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-02 (भाग-02) शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021/08 श्रावण, 1943 (शक) अंक-15

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नए विधान सभा सचिव को पदभार संभालने पर बधाई तथा पूर्व विधान सभा सचिव को धन्यवाद एवं नियम 54 व 55 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर व्यवस्था	10
3.	सदन में अव्यवस्था	11-16
4.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	17-73
5.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	74-142
6.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	143-373
7.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	374-393
8.	दिल्ली मॉल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन	394
9.	विपक्ष के माननीय सदस्य श्री विजेंद्र गुप्ता द्वारा अल्प सूचना पर विधेयकों के प्रस्तुतिकरण एवं पारण पर आपत्ति तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उस पर स्पष्टीकरण	395-402

10. दिल्ली मॉल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	402-418
11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	418-425
12 नियम-114 के अन्तर्गत निंदा प्रस्ताव	430-432
13 अल्पकालिक चर्चा(नियम-55)	433-499
14. नियम-107 के अन्तर्गत प्रस्ताव	500-540

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-02 (भाग-02) शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021/08 श्रावण, 1943 (शक) अंक-15

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1 श्री अजेश यादव	10 श्री गिरीश सोनी
2 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	11 श्री जय भगवान
3 श्रीमती ए. धनवती चंदीला ए	12 श्री जरनैल सिंह
4 श्री अजय दत्त	13 श्री कुलदीप कुमार
5 श्रीमती आतिशी	14 श्री मदन लाल
6 श्री अब्दुल रहमान	15 श्री नरेश बाल्यान
7 सुश्री भावना गौड़	16 श्री नरेश यादव
8 श्री बी एस जून	17 श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
9 श्री धर्मपाल लाकड़ा	18 श्री प्रलाद सिंह साहनी

19 श्री प्रवीण कुमार	34 श्री सौरभ भारद्वाज
20 श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस	35 श्री एस के बग्गा
21 श्री प्रकाश जारवाल	36 श्री सुरेंद्र कुमार
22 श्री ऋतुराज गोविंद	37 श्री विनय मिश्रा
23 श्री रघुविंदर शौकीन	38 श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
24 श्री राजेश गुप्ता	39 श्री अभय वर्मा
25 श्री राज कुमार आनंद	40 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
26 श्रीमती राजकुमारी दिल्ली	41 श्री अजय कुमार महावर
27 श्री राघव चड्ढा	42 श्री हाजी युनूस
28 श्री रोहित कुमार	43 श्री जितेन्द्र महाजन
29 श्री शरद कुमार चौहान	44 श्री मोहन सिंह बिष्ट
30 श्री संजीव झा	45 श्री ओम प्रकाश शर्मा
31 श्री सोमदत्त	46 श्री राजेश ऋषि
32 श्री शिवचरण गोयल	47 श्री विजेंद्र गुप्ता
33 श्री सोमनाथ भारती	48 श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-02 (भाग-02) शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021/08 श्रावण, 1943 (शक) अंक-15

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी, कल मैंने राष्ट्रगान पर इशू रोज किया था, मिनट्स में मेरा नाम नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष: आप वो बता दीजियेगा मुझे, मैं देख लूंगा मिनट्स।

श्री विजेंद्र गुप्ता अध्यक्ष जी, इसमें अध्यक्ष जी, हमारा इतना कहना है..

...व्यवधान...

श्री रोहित कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, एक रिक्वेस्ट करनी थी, आपसे विनती करना चाहूंगा....

माननीय अध्यक्ष: भई एक बार....

...व्यवधान...

श्री रोहित कुमार: हमारे एक साथी ओम प्रकाश जी ने जो बात कही....

माननीय अध्यक्ष: वो हो गया विषय, कल। नहीं, कल उनको मैं एक दिन के लिए....

...व्यवधान...

श्री रोहित कुमार: अध्यक्ष जी, बड़ी मुश्किल से आज यहां तक पहुंचे हैं, बाबा साहब के संविधान की वजह से।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, कल मैं उनको, ओम प्रकाश जी को एक दिन के लिए निष्कासित कर चुका हूं।

...व्यवधान...

श्री रोहित कुमार: अब फिर से सामंतवादी विचार धारा के लोग फिर से

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: महारौलिया जी, सदन को चलाने दीजिए, प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं इस पर discuss

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भैया आप मेरी बात सुन लीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये सदन ठीक से चलाना है या नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: एक विषय पर दो-दो सजाएं नहीं दी जा सकती।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: एक विषय पर दो-दो चीजें नहीं दी जा सकती।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष जी, ये प्रिविलेज में जाना चाहिए।

...व्यवधान...

श्री रोहित कुमार: ये भेदभावपूर्ण नीति आज भी सामंतवाद की विचारधारा...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: एक सेकंड भई।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: महारौलिया जी, मेरी बात....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भैया आपकी बात सुन ली मैंने।

...व्यवधान...

श्री रोहित कुमार: हमारे बुजुर्गों ने जो सहा है, हजारों साल की गुलामी करके यहां तक पहुंचे हैं।..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: महारौलिया जी।

...व्यवधान...

श्री रोहित कुमार: ये मामला प्रिविलेज में जाना चाहिए अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अब एक सेकंड।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आपने विषय....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई किसी को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, किसी को सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। अपनी सीट पर चलिए पहले। अपनी सीट पर चलिए महारौलिया जी प्लीज। प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीट पर चलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: देखिए मेरी बात सुन लीजिए महारौलिया जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: दो मिनट मैं बता रहा हूँ भई बैठ जाइये न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये प्लीज। एक विषय पर दो सजाएं नहीं दी जा सकती। एक बार सजा दे चुका हूँ, एक बात। दूसरी बात फिर भी आपको कुछ....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी दो मिनट महारौलिया जी। फिर भी आपको....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अरे भैया सुन लीजिए बात को। अगर आपको ये लगता है कि अभी इसमें कुछ और होना चाहिए, मुझे लिखकर दे दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हां, लिखकर दे दीजिए। धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई अभी नहीं प्लीज। मैंने बार-बार कहा है मुझे starred question पूरे करने हैं....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे starred question पूरे करने दीजिए पहले।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आपको, starred question से क्यों भागता है विपक्ष?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, starred question से क्यों भागता है विपक्ष?

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: मेरी बात तो सुन लीजिए अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: मुझे समझ नहीं आता।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: विपक्ष का गला दबा दोगे अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: क्या गला दबा दिया है? गला तो सदन का दब चुका है। गला तो इस सदन का पूरा दबा चुके हैं।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष जी, एक मिनट आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत अपनी एक....

माननीय अध्यक्ष: मैं दे रहा हूं, अभी रूलिंग दे रहा हूं उस पर। मैं रूलिंग दे रहा हूं उस पर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मेरे पास है, मैं रूलिंग दे रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भैया सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कार्यवाही तो शुरू होने दीजिए। कार्यवाही तो शुरू होने दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, कार्यवाही शुरू होने दीजिए। पहले शांति से कार्यवाही शुरू होने दीजिए। फिर उसके बाद कोई बात रहेगी, बताइयेगा।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

माननीय अध्यक्ष: हां, मैं दे रहा हूँ अभी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: जी, आप रूलिंग दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे ये विषय कल लेना चाहिए था, कल नहीं ले सका। आप सबको ज्ञात होगा कि श्री राजकुमार जी, दानिक्स अधिकारी ने दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को विधान सभा के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। मैं आशा करता हूँ कि ये अपने प्रशासनिक अनुभव और दक्षता के सक्रियता-पूर्वक और सजगता-पूर्वक विधान सभा सचिवालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे। कल कार्यवाही उनकी मुझे ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं उनको बधाई देता हूँ। इससे पहले मुरूगन जी विधान सभा के सचिव रहे, उन्होंने अपने गहन विधायी अनुभव और ज्ञान से दिल्ली विधान सभा सचिवालय का कार्य बखूबी सम्भाला। विधान सभा सत्रों के संचालन और सदन की विभिन्न समितियों के कार्यों में उन्होंने अनथक परिश्रम किया, उनके अनुभव का लाभ हम आगे भी लेते रहेंगे, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, मुझे श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय सदस्य, नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण और श्री सोमनाथ भारती से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं पिछले सत्रों के दौरान भी ये प्रार्थना कर चुका हूँ, स्पष्ट कर चुका हूँ कि कार्यसूची में पहले से सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार करना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। इसलिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी... काम हैं, मंत्री द्वारा जानबूझकर के इन कामों को रोकने का षडयंत्र किया जा रहा है, यही नहीं...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं, मैं dis-allow कर रहा हूँ। आप बोलेंगे, आपकी इच्छा है, मैं dis-allow

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बिल्कुल।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: Starred questions

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी,...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मेरे चेम्बर में आयें....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ऐसा है मैं....

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: कौन सा तरीका है सरकार चलाने का कि आप...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, आप LOP थे?

श्री विजेंद्र गुप्ता: जी।

माननीय अध्यक्ष: पहले और इन्हीं चीजों के कारण controversy रही। “कौन सा तरीका है सरकार चलाने का”, आप सीधा मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ये....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: तो अब क्या कहना चाह रहे हैं फिर?

श्री विजेंद्र गुप्ता: आपके चेम्बर में आकर...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कौन सा विषय लेना है, कौन सा नहीं लेना, क्या लेना है, क्या accept करना है, ये तो मेरा अधिकार है न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिये प्लीज। प्लीज बैठिये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मुझे Starred Questions लेने दीजिए। मैं कोई, मैंने सबको dis-allow किया है। मैं कोई allow नहीं करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं कोई allow नहीं करूंगा।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर आप रूलिंग तो दीजिए।...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप लिखित में दे दीजिए, समितियां कोई कार्रवाई कर सकेंगी, मैं समितियों के पास भेज दूंगा।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी अगर सदन में बात नहीं करेंगे, कहां करेंगे, ये बताइये? आप बताइये कहां करें?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ऐसा है विजेन्द्र जी....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: किसको?

श्री विजेन्द्र गुप्ता: कहां बात करें?

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। मुझे क्या बोलना है। मैंने dis-allow कर दिया....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैंने यह चीज dis-allow कर दी।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: काम रोके जा रहे हैं....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कोई काम नहीं रोके जा रहें। कोई काम नहीं रोके जा रहें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कोई काम नहीं रोके जा रहें। कहीं....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मेरे एरिये के काम रुके हुए हैं। बजट नहीं है। मेरे अपने कार्य....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ....

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मैं आपको फाइल नम्बर दे रहा हूँ...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आज बीजेपी वालों का कोई प्रदर्शन नहीं है बाहर। कल तो प्रदर्शन था इसलिए शोर मचाया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, आप मजाक में ले रहे हैं बात को।

माननीय अध्यक्ष: मजाक में नहीं ले रहा हूँ। आप लोगों को जाना था। प्रदर्शन में भाग लेना था।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आज तो सदन को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सदन को शांति से चलने दीजिए, प्लीज।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आप तो मजाक समझ रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सदन को, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं समझ रहा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, सदन को आप लोग अगर, ये बात बोलेंगे, सदन का मजाक आपने हमेशा बनाया है और बना रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप मजाक बना रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-21, जرنैल सिंह जी।...

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष जी, आप रूलिंग दीजिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप लिखित में मुझे दे दीजिए, मैं देखूंगा क्या करना है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हैं?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: लिखित में दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हां, मैं बात करूंगा, और क्या कर सकता हूं।

...व्यवधान...

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं। प्रश्न-21 ।

श्री जरनैल सिंह: अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 21 प्रस्तुत है:

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नया राशनकार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया क्या है;
- (ख) नए राशनकार्ड के लिए वांछित दस्तावेज क्या हैं;
- (ग) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से अब तक नए राशनकार्ड हेतु आवेदनों की संख्या क्या है;
- (घ) इनमें से स्वीकृत आवेदनों की संख्या; और
- (ङ) इनमें से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या व अस्वीकृति के कारण क्या हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-21 का उत्तर प्रस्तुत है:

- (क) वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार राशन कार्ड जारी होने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:

आनलाइन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र e-District पोर्टल पर किए जाते हैं।
2. e-District पोर्टल से आवेदन NFS पोर्टल पर FSO द्वारा डाउनलोड किए जाते हैं।

3. NIC द्वारा FSO एवं FSI को ID तथा पासवर्ड जारी किए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर पहले FSI जांच रिपोर्ट/सत्यापन करते हैं साथ ही अन्य सत्यापित कागजात भी पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। FSI द्वारा उस पर निर्णय (जारी करना/निरस्त करना/पुनः सत्यापन) लिया जाता है।
4. स्वीकृत प्रार्थना पत्र का कार्ड जारी किया जाता है ।
5. वर्तमान में विभाग में सभी राशन कार्ड के विभिन्न प्रकार के आवेदन e-District पोर्टल से प्राप्त किए जाते हैं। यदि किसी आवेदक को e-District पोर्टल से आनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है तो वह अपने मण्डल कार्यालय जाकर मण्डल-कर्मियों की सेवा का लाभ ले सकता है। ऐसे आवेदनों को मण्डल कार्यालय द्वारा e-District portal पर अद्यतन कर उनकी पावती दी जाती है।

(ख) नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं:-

1. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड/आधार नामांकन (ई.आई.डी) की कापी।
2. आवेदक के निवास प्रमाण पत्र की कॉपी यदि आवेदन में दिया हुआ पता, आधार कार्ड में दिए हुए पते या राशन कार्ड के पते से भिन्न है।

3. राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो।

(ग) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से अब तक नए राशनकार्ड हेतु आवेदनों की संख्या 3658 है।

(घ) वर्ष 2015 से 26/07/2021 तक स्वीकृत आवेदनों की संख्या 1927 है। इनमें 2015 से पूर्व के आवेदन तथा अपील आवेदन भी शामिल हैं।

(ङ) इसमें से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या वर्तमान में 2072 है। इनमें 2015 से पूर्व के आवेदन तथा अपील आवेदन भी शामिल हैं। अस्वीकृति के कारण निम्न प्रकार से हैं:-

1. दिए गए पते पर रहता नहीं पाया गया हो।
2. दिल्ली अन्य योजना के तहत लाभ ले रहा हो।
3. एक लाख से अधिक वार्षिक आय होना।
4. आवश्यक दस्तावेजों का जमा न करना।
5. सरकारी कर्मचारी होना।
6. 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन होना।
7. स्वयं का चार पहिया वाहन होना।
8. ए से ई श्रेणी में घर या जमीन होना।
9. भारतीय नागरिक न होना।

10. आयकर दाता होना।

11. अन्य।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंटरी।

श्री जरनैल सिंह: अध्यक्ष जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से कैपिंग लगी थी कि भई नए राशनकार्ड नहीं बन सकते, क्या वो हट गई है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: वो कैपिंग अभी भी लगी हुई है।

श्री जरनैल सिंह: अध्यक्ष जी, ए से ई श्रेणी के बीच में कारण बताया कि इनमें से, इन एड्रेसिस पर नए राशनकार्ड नहीं बन सकते। क्या ये सही है? क्योंकि ई श्रेणी में तो कई लोगों के पास आलरेडी राशनकार्ड हैं। अगर इस वजह से नये राशनकार्ड नहीं बनाये जा रहे तो बहुत सारे लोग रह जाएंगे।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: इस वजह से नहीं बनते बेसिकली अभी जो है 72,77,995 राशनकार्ड की कैपिंग है दिल्ली में, जो लगभग पूरी है। अब इसमें कोई अगर श्रेणी से बाहर होता है तो उसका आवेदन फीफो द्वारा बनाया जाता है, 'पहले आओ, पहले पाओ' की योजना के तहत।

श्री जरनैल सिंह: पर कुल मिलाकर अध्यक्ष जी बहुत दिक्कत आ रही है नए राशनकार्ड बनने में और नहीं बन पा रहे। उसका कोई समाधान निकाला जाए।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: अध्यक्ष महोदय कई बार केंद्र सरकार से अपील की है, वहां चिट्ठी लिखकर भी भेजी, हमने कहा कि हमारी कैपिंग बढ़ाई जाए लेकिन वहां से इस पर कोई विचार हुआ नहीं।

माननीय अध्यक्ष: हो गया। सप्लीमेंटरी राजेश जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं तीन सप्लीमेंटरी लूंगा, तीन। मैंने नोट किया है जिनके हाथ पहले खड़े हुए हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई अखिलेश जी, मैंने आपको allow नहीं किया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप बैठ जाइये अभी। राजेश गुप्ता जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी।

श्री राजेश गुप्ता: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जो घर-घर राशन पहुंचाना चाहती है, क्या हम घर-घर राशन पहुंचा दें तो ये जो प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व नहीं हो जाएगी क्योंकि जो 72 हजार कार्ड की ये कैपिंग बता रहे हैं और 77 हजार कार्ड बने हुए हैं, ये सर्वविदित है कि उनमें से बहुत ज्यादा फर्जी हैं। दुकानदार उनमें दुनियाभर की धांधली कर रहे हैं। तो ये मेरा सवाल है कि जो माननीय अरविंद

केजरीवाल जी स्कीम है, क्या इससे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी? धन्यवाद।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: बहुत अच्छा सवाल किया राजेश गुप्ता जी ने, लेकिन हमने लगभग पूरी स्कीम बन गई थी, दिल्ली सरकार ने बना दी थी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार लेकिन उस पर, क्योंकि दिल्ली में ये नया अमेंडमेंट एक्ट आया है तो एल. जी. साहब जो है उस पर जो है difference of opinion रखते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा, अभी फाइल वहां है।

माननीय अध्यक्ष: हो गया? मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये सत्य नहीं है कि जब राशन कार्ड बनाए गए तो उस समय सिर्फ दो लोग उसके फैमिली के हेड का या उसके मिसिज का, बाकी जो यूनिट थे अध्यक्ष जी, उनके नामों को नहीं चढ़ाया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बाकी यूनिट छोड़ दिए गए थे इनको कब तक जोड़ दिया जाएगा, टाइम बताने की कृपा करें, बस इतना आपसे निवेदन है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब कोई राशन कार्ड का आवेदन देता है अगर उसने अपनी फैमिली में दो लोगों का नाम लिखकर जमा कराया है तो उसका बना होगा। लेकिन जो नाम चढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया है वो चल रही है, वो जारी है। और फिफो के तहत दिल्ली के अंदर जो केन्द्र सरकार से हमारी कैपिंग

है वो 7277995 लोगों को ही हम एनरोल कर सकते हैं। जैसे जैसे नाम कटते जाते हैं वैसे वैसे आगे नाम जुड़ रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया है, ये जारी रहती है।

माननीय अध्यक्ष: चलिए धन्यवाद। श्री राजेश ऋषि जी, अंतिम राजेश ऋषि जी, नहीं भाई विजेन्द्र जी, अभी नहीं। आपने पहले हाथ खड़ा नहीं किया।

श्री राजेश ऋषि: अध्यक्ष जी, मैं एक बात एक पूछना चाहता हूं मंत्री जी से।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप बैठ जाइए।

श्री राजेश ऋषि: कि दो किलोवाट की जो आपने अधिक की लिमिट लगाई हुई है बहुत से लोगों का दो किलोवाट के आस पास कभी कभी आ जाता है तो उसमें वो कौंसिल कर देते हैं क्योंकि ये दिक्कत हर गरीब आदमी के साथ भी हो रही है कि दो किलोवाट से मीटर जब उसका बिल ज्यादा है या वाट ज्यादा है तो उसका बनता ही नहीं है राशन कार्ड। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि कई मकान मालिक हैं उनके कार्ड हैं।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: नहीं अगर ऐसा है अगर दो किलोवाट है किसी का और उसका अगर ज्यादा आ जाता है तो उसके बाद अपने एफएसओ के पास जा सकता है और डीजीआरओ के यहां जाकर उस कार्ड को चालू करा सकता है।

श्री राजेश ऋषि: और एक और समस्या है जी कि लोग जल्दी जल्दी अपने किराए के मकान चेंज कर लेते हैं, एड्रेस रोज चेंज हो जाते हैं उनके

कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है, दिए गए स्थान पर अगर अब वह नहीं रहता है तो उसका कार्ड कैंसिल हो जाता है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है क्योंकि वहां चक्कर काटने के बाद भी एड्रेस चेंज नहीं हो पाता है।

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री श्री इमरान हुसैन: अगर कोई व्यक्ति अपना एड्रेस चेंज करता है तो वो एफएसओ या एफएसआई को वहां जा कर बता दे, इतला दे दे और 3 महीने तक अगर वो राशन लेने नहीं जाता उसके बाद उस चीज पर कार्यवाही होती है उससे पहले नहीं होती है।

माननीय अध्यक्ष: चलिए। नहीं अब और नहीं, और नहीं इस वक्त प्लीज। नहीं 3 हो गए

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, नहीं। अखिलेश पति त्रिपाठी। मुझे 10 क्वेश्चन लेने हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई विजेन्द्र जी, मुझे परेशान मत करिए। न, मैंने मना किया है। मैं कोई नियम तो रखूंगा न, कितने लोगों को अलाऊ करूंगा। मैं 3 लोगों से ज्यादा अलाऊ नहीं कर रहा सप्लीमेंटरी में। प्लीज। नहीं अब नहीं। अखिलेश पति त्रिपाठी जी ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी प्लीज। सोमनाथ जी आगे की कार्यवाही करने दीजिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का कष्ट करें:

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पंद्रह वर्षों के दौरान एकीकृत दिल्ली नगर निगम/दिल्ली नगर निगमों को जारी निधि का विवरण क्या है;
- (ख) विगत आठ वर्षों में तीनों नगर निगमों द्वारा प्राप्त की गई निधियों का ब्यौरा और ये निधियाँ जिस मद में प्राप्त एवं खर्च की गई उनका विवरण क्या है;
- (ग) विगत पंद्रह वर्षों के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली सरकार से प्राप्त ऋण का एवं वह ऋण कब चुकाया गया, इसका विवरण दें;
- (घ) विगत पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान एकीकृत दिल्ली नगर निगम/नगर निगमों द्वारा दिल्ली सरकार को ऋण-भुगतान सहित जो राशि प्राप्त होनी है, उसका विवरण दें;
- (ङ) एकीकृत दिल्ली नगर निगम/नगर निगमों द्वारा विगत पंद्रह वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार की लंबित धनराशि का भुगतान किस प्रकार किया जा रहा है, इसका विवरण दें;
- (च) विगत पंद्रह वर्षों के दौरान एकीकृत दिल्ली नगर निगम/नगर निगमों द्वारा दिल्ली सरकार को ऋण का भुगतान किए जाने, अथवा दिल्ली सरकार द्वारा उनके ऋण को माफ किए जाने का संपूर्ण विवरण दें; और

छ) नगर निगमों द्वारा दिल्ली सरकार को आज तक की तिथि में भुगतान किए जाने वाली कुल ऋण अथवा अन्य देय राशि का विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 22 का उत्तर इस प्रकार है। पिछले 15 सालों के अंदर 2006-07 से लेकर 2020-21 तक 15 सालों के अंदर जो एमसीडी को एकीकृत एमसीडी और बाद में तीनों एमसीडी को अलग अलग करने के बाद जो निधि दी गयी है उसका डिटेल्ड इसके साथ चार्ट बना के दी गयी है पूरी की पूरी, चार्ट पढ़ना तो काफी लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है इसको एक ही क्वेश्चन होगा फिर।

(क) दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान एकीकृत एमसीडी को जारी निधियों का विवरण.

2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
2365.62	2410.58	1960.38	2357.67	2990.76	3287.47

दल्लल सरकार के शहरी वलकास वलभाग द्वारा 2012-13 से 2020-21 की अवधल के दौरान तीनों ँमसीडी को जारी नलधियों का वलवरण:-

ँमसीडी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्तरी	1685.56	1493.68	1317.29	1559.10	1691.26	1652.09	1606.47	1085.46	1071.94
पूर्वी	942.15	734.51	720.95	950.53	1117.55	991.94	1638.93	1407.69	1027.91
दक्षिणी	1233.58	1200.97	1174.21	1153.71	1365.53	1431.14	810.77	489.52	500.15

सर यह बहुत लम्बा है। कई पेज का है । मेरा अनुरोध है कल इसे पढ़ा हुआ माना जाए। मैं इसे सदन पटल पर रखता हूँ।

1. www.delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध
2. www.delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध
3. www.delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध
4. www.delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध

- (ख) 'ख' के प्रश्न का उत्तर भी टेबल में दिया गया है,²
- (ग) इसकी भी टेबल बनाकर उसके अंदर जो ऋण दिये गये हैं उसकी पूरी डिटेल् दी गयी है³
- (घ) इसके अंदर जो-जो ऋण का पेमेंट किया या जो ऋण के ऊपर जो बैलेंस है वो मोटा-मोटा बता देता हूं,⁴
- उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऊपर 3,669/- करोड़ रुपया बकाया है दिल्ली सरकार का।
 - पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ऊपर 2,407/- करोड़ रुपया बकाया है ।
 - दक्षिण दिल्ली नगर निगम के ऊपर 760/- करोड़ रुपया बकाया है।
- तीनों नगर निगम मिलाकर 6,837/- करोड़ रुपया बकाया है।
- (ड.) उपरोक्त अनुसार
- (च) उपरोक्त अनुसार
- (छ) उपरोक्त अनुसार

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, आप पुराने विधायक हैं तो एक बार पहले तो जिसका मेन क्वेश्चन है उसका सप्लीमेंटरी अधिकार है न जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: पहली बात तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने आज दिल्ली के लोगों को बताया कि दिल्ली सरकार का सारे नगर निगमों को कुछ देना नहीं है बल्कि 6 हजार करोड़ के लगभग, 6833 करोड़ रूपया उनसे लेना है। ये आज दिल्ली के लोगों को पता चला। दिल्ली के लोग हमेशा सोचते रहते थे कि क्या बात है, कितना पैसा बाकी है, क्या है। ये एमसीडी से लेना है दिल्ली सरकार को जो उधारी के रूप में दिल्ली सरकार ने दिया है और वो लेना है।

माननीय अध्यक्ष: भई क्वेश्चन पूछो न अखिलेश जी, आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: मैं पूछ रहा हूँ सर। सर पूछ रहा हूँ बताना भी जरूरी है। दिल्ली के लोगों को पता चले कि नगर निगम 6 हजार करोड़ से ज्यादा जो है दिल्ली सरकार का 6800 करोड़ रूपया दे नहीं रही है जो देना है उनको। वो पता लगना चाहिए था, ये प्रश्न जरूरी था। अध्यक्ष जी, क्या यह सत्य है कि बार बार जो नगर निगम ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार पर निगम की उधारी है जिसके बारे में मैंने वहां के आयुक्त से भी पूछने की कोशिश की थी कि सदन में बताएं कि दिल्ली सरकार को कितना देना है। तो आज ये स्पष्ट हो जाए क्योंकि दिल्ली सरकार को कुछ देना नहीं है बल्कि लेना है। तो मंत्री जी से कह रहा हूँ कि क्या यह सत्य है इस पर प्रकाश डालें।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार पर एक भी पैसा बकाया नहीं है। दिल्ली सरकार को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उत्तरी नगर निगम से 3669 करोड़ रूपया लेना

है। पूर्वी नगर निगम से 2407 करोड़ रुपये लेना है और दक्षिणी नगर निगम से 760 करोड़ रुपये लेना है। तीनों का मिला कर 6837 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने लेना है। एक चीज और बता देता हूँ दक्षिणी नगर निगम ने पिछले दो साल से अपनी इस बकाया राशि में से एक पैसा नहीं दिया सरकार को वापस। पूर्वी नगर निगम ने पिछले 4 सालों से 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में एक पैसा वापस नहीं किया। और उत्तरी नगर निगम ने पिछले 6 साल से एक भी पैसा वापस नहीं किया है 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21, 6 साल में एक भी पैसा वापस नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ जो आपने बकाया बताया ये कौन कौन से वर्ष का है और जो एमसीडी का जब ट्राईफरकेशन हुआ था उससे पहले का इसमें से कितना पैसा है ?

माननीय शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 जो हमने आंसर दिए हैं उसमें 2012-13 से लेकर 2020-21 तक का पूरा हिसाब दिया गया है टेबल के अंदर किस वर्ष में कितना नया लोन दिया गया, कितना उससे वसूली किया गया, कितना बैलेंस लोन बचा तो पूरा का पूरा चार्ट बना के दिया गया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: यादव जी? भई अखिलेश जी, ये कोई तरीका नहीं है आपको पूरा समय दिया गया, अब अन्य सदस्यों को बात करने।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: वो मंत्री जी ने जवाब दे दिया बात खत्म हो गयी। चलिए, बैठिए प्लीज।

श्री अजेश यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है एमसीडी से जो ये पैसा लेना है इस पैसे को लेने के लिए हमारी तरफ से क्या कोशिश हो रही है और इसको जल्दी से जल्दी लिया जाए और विधायकों में दिया जाए, दिल्ली के काम हम कर लेंगे इस एमसीडी से वसूली की जाए इसके बारे में मंत्री जी बताएं।

माननीय शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 साल से साउथ एमसीडी, 4 साल से ईस्ट एमसीडी और 6 साल से नार्थ एमसीडी से एक भी पैसा नहीं लिया जा सका है उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि तीनों एमसीडी हमेशा अपने कर्मचारियों की तनखाह देना बंद कर देती है जिसकी वजह से सरकार कहती है कि और थोड़े दिनों बाद ले लेंगे इनसे। तो उसको पेंडिंग किया जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि वो कर्मचारियों की तनखाहें रोक लेते हैं इसलिए उनसे वसूली नहीं कर हो पा रही है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, अंतिम प्रश्न जून साहब।

श्री बी.एस. जून: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री जी ने बताया कि तीनों एमसीडी से इतने पैसे की रिकवरी करनी है। सर 3 साल बाद हर रिकवरी टाइम बार हो जाती है अगर एक्नॉलेजमेंट न हो तो। अगर 6 साल हो गए तो सरकार क्या स्टेप्स लेगी कि उस पैसे की रिकवरी एमसीडी से की जा सके?

माननीय शहरी विकास मंत्री: देखिए, मैं इसमें सदन को बता देना चाहता हूँ कि ये पैसा हमें उनसे वापस लेने की जरूरत नहीं है, हम काट सकते हैं। जो पैसा देते हैं उसमें से काट सकते हैं। और हम हर साल पूरा हिसाब उनसे देते हैं साल के अंत में कि भई कितना पैसा आपसे लेना है। तीनों एमसीडी के account is settled अकाउंट सेटल करने में कोई इशु नहीं है। जैसा कि मैंने अभी माननीय सदस्यों को बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि ये तनख्वाहें भी नहीं देते हैं तो उस वजह से हमने कहा ऋण की वसूली हमने पोस्टपोन की है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार इसको वसूली को, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन था कि भई जो दे रखा है वापस लेना चाहिए फिर भी इन्होंने कहा कि भई क्योंकि ये तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं इसलिए डिले किया गया है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, सौरभ भारद्वाज जी, प्रश्न संख्या 23

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, माननीय सहकारिता मंत्री प्रश्न संख्या 23 का उत्तर देने का कष्ट करें?

- (क) क्या विभाग को मियाँवाली हाऊस बिल्डिंग सोसायटी में अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ख) क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति को दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली 2007 का उल्लंघन करते हुए इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी;
- (ग) क्या यह सदस्यता मूल दस्तावेजों की माँग किए बिना प्रदान की गई थी, जबकि नियमों में ऐसा नियत है;

- (घ) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों और नियमावली का पालन किए बिना इस व्यक्ति के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को 300 वर्ग गज का भूखंड आवंटित किए जाने की संस्तुति किए जाने के क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या यह भी सत्य है कि सहायक पंजीयक और अतिरिक्त पंजीयक ने इस व्यक्ति को सदस्यता दिए जाने का विरोध किया था;
- (च) सहायक पंजीयक द्वारा की गई आपत्तियों का विवरण तथा जिस प्रकार इन आपत्तियों का निराकरण किया गया, उसका विवरण दें; और
- छ) क्या यह भी सत्य है कि इस घटना के बाद सहायक पंजीयक को उसके सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था?

माननीय सहकारिता मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न 23 का उत्तर प्रस्तुत है।

(क) जी हाँ

(ख)व(ग) सदस्यता सोयायटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जाती है। दिल्ली सहकारी समिति नियमावली 2007 के प्रावधानों का पालन किए बिना सदस्यता दिए गए व्यक्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। प्रश्न के घ भाग से प्रतीत होता है कि यह प्रश्न श्री विकास धमीजा से संबंधित है। इसका विवरण प्रश्न घ भाग में विस्तार से किया गया है।

- (घ) 1. सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने 22.05.2018 को एक प्रस्ताव पेश किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा वर्ष 1966 से मेम्बरशिप नंबर 1102 के साथ 632 सदस्यों की मूल फ्रीज सूची के सदस्य थे। और इस तथ्य को माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपीसी संख्या 5580/1993, केस मुलख राज चावला v/s आरसीएस के दिनांक 30.10.1995 के आदेश के तहत आर.सी. एस द्वारा नियुक्त इलेक्शन अफसर कम चेयरपर्सन कम ओबजरवर, श्री आर.सी रिछारिया ने दिनांक 11.4.1996 को स्वीकार किया था। इस तरह स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा एक वैध रूप से नामांकित फ्रीज सूची के सदस्य थे।
2. मियांवली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी ने 22.05.2018 को मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे। और उनकी मृत्यु पर आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता 30.12.2017 को उनके असली बेटे श्री विकास धमीजा को स्थानांतरित कर दी गई थी।

एक बार मैं पढ़ दूँ। सौरभ जी मैं पढ़ दूँ उसके बाद।

माननीय अध्यक्ष: भई देखिए सौरभ जी आपको सप्लीमेंट्री पूछने का मौका मिलेगा। आप नोट कर लो प्लीज। नहीं देखो ये उनको मत डिस्टर्ब करो।

माननीय सहकारिता मंत्री: आप मूल सवाल पूछ लीजिए मैं फिर उसका सीधा जवाब देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं पढ़ने दीजिए इसको ये महत्वपूर्ण विषय है। कोई बहुत लंबा नहीं है पांच मिनट लगेंगे।

3. सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराये थे:-

- (i) सोसायटी के उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म डी (अनुसूची vii) के खंड 16 में संदर्भित) पर हलफनामा।
- (ii) सोसायटी के उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म जी में हलफनामा।
- (iii) श्री विकास धमीजा द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म सी (अनुसूची vii के खंड 13 में संदर्भित) पर हलफनामा
- (iv) गृह मंत्रालय में श्री रविंदर नाथ पीएस के आई कार्ड की प्रति के साथ श्री विकास धमीजा के फॉर्म एफ पर सत्यापन प्रमाण पत्र।
- (v) पैन कार्ड की प्रति
- (vi) आधार कार्ड
- (vii) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994.

सोसायटी ने प्रस्ताव पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन दो प्रमुख समाचार पत्रों स्टेट्समैन (अंग्रेजी) और राष्ट्रीय सहारा (हिन्दी) में प्रकाशित किया सोसायटी ने जानकारी दी की इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सदस्य श्री विकास धमीजा ने अपने पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जिनका विधिवत सत्यापन किया गया।

- (i) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर शेयर प्रमाण पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।
- (ii) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर राशन कार्ड की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।
- (iii) मियावाली जिला कोओपरेटिव द्वारा जारी भुगतान रसीद की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।
- (iv) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता के लिए आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।
- (v) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।
- (vi) 78209/-रूपये की रसीद संख्या 13229 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति
- (vii) सोसायटी के स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के व्यक्तिगत खाते की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।
- (viii) श्री विकास धमीजा के संबंध में सदस्यता रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।
- (ix) सी.वी.सी. के परिपत्र संख्या 40/11/06 की विधिवत हस्ताक्षरित

प्रति।

4. श्री विकास धमीजा के बारे में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रमाणित किया था कि मैनेजिंग कमेटी ने प्रमाणित किया था कि मैनेजिंग कमेटी ने 30.12.2017 को हुई अपनी बैठक में संबंधित अभिलेखों की जांच की है और खुद को संतुष्ट किया है कि यह सदस्य दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व पंजीकृत उप-नियमों के तहत वैध सदस्यता की आवश्यकता को पूरा करने वाले सदस्य है।
5. इस तथ्य के बावजूद कि सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने 22.05.2018 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। श्री विकास धमीजा पुत्र स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा को आरसीएस द्वारा अपनी सदस्यता को स्वीकृत करने में देरी के कारण दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपीसी संख्या 7239/2019 कि तहत रिट दायर करनी पड़ी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 09.07.2019 को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने अभी तक आवंटन के लिए याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने अभी तक आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के नाम की मंजूरी पर निर्णय नहीं लिया है। उत्तरदाताओं को उक्त देरी के कारणों का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। अगली तारीख से पहले मूल रिकार्ड उपलब्ध रखा जाएगा। जवाब, यदि कोई

हो, छह सप्ताह के भीतर दायर किया जाए। इस रिट में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुकी है कि उन्होंने श्री विकास धमीजा के मामले की सिफारिश की है।

6. इसी तरह के एक अन्य मामले में एक फ्रीज सूची सदस्य सुश्री मंजू बत्रा द्वारा डब्लूपीसी नंबर 12537/2004 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि सोसाइटी पहले ही याचिकर्ता के नाम को मंजूरी दे चुकी है और नाम उस अध्यक्ष द्वारा भेजा गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लूपीसी नंबर 5580/1993 में पारित आदेश के तहत नियुक्त किया गया था जिसका शीर्षक है मुलख राज चावला v/s रजिस्टार और एक अन्य याचिकर्ता का नाम 30 अक्टूबर 1995 के आदेश के तहत मंजूरी दे दी गयी है कि वह भी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा हमें कोई कारण नहीं दिखता कि रजिस्टार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पिछले 10 वर्षों से उसका नाम स्वीकृत न करके याचिकर्ता को परेशान क्यों कर रही हैं। इन परिस्थितियों में हम रजिस्टार सहकारी समिति पर 25000/-रु० की कास्ट लगाकर इस याचिका की अनुमति देते हैं, जो कि 15 दिनों के भीतर जिम्मेदारी तय करने के बाद इस तरह की अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिए।

7. इसी तरह के प्रतिकूल आदेशों से बचने के लिए, श्री विकास धमीजा के मामले में नियम 90 के तहत सांविधिक समिति, जिसमें सचिव (सहयोग)/अध्यक्ष, अपर आरसीएस, उपसचिव(वित्त) और उप सचिव(कानून) सदस्य थे के द्वारा दिनांक 16.04.2021 को हुई बैठक में, मियांवाली डीएचबीएस लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी की विशिष्ट सिफारिशों को उचित जांच के बाद बाद सही पाया गया और विभिन्न स्तरों पर आरसीएस कार्यालय में अधिकारियों द्वारा जांच और सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदित किया गया।
8. यह सिफारिश इसलिए की गई है कि क्योंकि यह सदस्यता दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व सोसाइटी के पंजीकृत उप नियमों के अनुसार उचित है।

ड.) सदस्यता सत्यापन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर आरसीएस कार्यालय में प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी छानबीन करते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि मांगी गई जानकारी अभिलेखों में पहले से ही उपलब्ध है, तो अगला उच्च अधिकारी हमेशा एक अलग दृष्टिकोण अपना सकता है, इस मामले में अंतिम दृष्टिकोण को नियम 90 के तहत सांविधिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(च) सहायक पंजीयक ने बस इतना कहा था कि सोसाइटी ने अनुसूचि सातवी के अनुसार उनके समक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये

हैं। सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की सिफारिश, विशेष रूप से यह तथ्य कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे, पर विधिवत विचार किया गया है और सदस्य को जारी सोसाइटी के उपलब्ध मूल अभिलेखों द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया। आपत्तियां मान्य नहीं पायी गई और नियम 90 सांविधिक समिति ने सोसाइटी की सिफारिशों को उचित माना, विशेष रूप से यह तथ्य कि मूल सदस्य एक फ्रीज सूची सदस्य था जिसकी सदस्यता उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके वास्तविक बेटे श्री विकास धमीजा के पक्ष में स्थानांतरित कर दी गयी थी और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिनांक 30.12.2017 का प्रस्ताव पारित किया गया था। सोसाइटी द्वारा सदस्यों को जारी किये गये रिकार्ड की पुष्टि की गयी और मामलों में आगे की कार्यवाही के लिए डी.डी.ए. को सिफारिश की गयी।

- छ) संबंधित सहायक रजिस्टार 25.04.2021 को होने वाले गुरुद्वारा चुनाव में दो विधान सभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अफसर के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया था और बाद में उन्हें कोविड ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। न्यायालय की अवमानना के विभिन्न मामलों लंबित होने के कारण अनुभाग /शाखा से सुचारू संचालन के लिए एक अन्य सहायक रजिस्टार को इसका प्रभार दिया गया था। आगे संबंधित सहायक रजिस्टार को सेवा विभाग के आदेश संख्या 311 दिनांक 12.07.2021 के तहत स्थानांतरित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अधिकारी सहकारिता विभाग से किसी भी आदेश की प्रतीक्षा

किए बिना कार्यमुक्त रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी पर्याप्त हो गया।

माननीय सहकारिता मंत्री: ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी की मजबूरी समझता हूँ। डिपार्टमेंट ने जो जवाब उनको दिया होगा उसको उनको यहां पर पढ़ना पड़ता है इसलिए मैं क्योंकि हाऊस का समय खराब ना हो इसलिए चाह रहा था कि मैं क्योंकि वो जवाब मैंने पढ़ लिया उनका लिखित जवाब। अध्यक्ष जी, जो मेरा मूल सवाल है वो ये है कि आपने 300 गज का एक प्लॉट एक आदमी को एलॉट कर दिया और वो प्लॉट की अलॉटमेंट जो है डीसीएस एक्ट 2003 और डीसीएस रूल 2007 के हिसाब से की जानी चाहिए मेरा सवाल सिर्फ ये था? क्या आपने उस एक्ट और रूल के हिसाब से की है या नहीं की? और उसका दूसरा सवाल ये था 'ग' में कि सदस्यता आप तभी दे सकते हैं जब आप ओरिजनल डाक्यूमेंट्स देखेंगे। मूल दस्तावेजों को देखने के बाद ही आप उसकी एलॉटमेंट कर सकते हैं। मैं आपको शैड्यूल 7 के अंदर पढ़ देता हूँ 'the Cooperative Housing Society shall put...

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी कवैश्चन क्या है इसमें।

श्री सौरभ भारद्वाज: ओरिजनल रिकार्ड्स। membership application, register of affidavits, residence proof, committee resolutions, share certificate, payment details मंत्री जी 'ग' में सवाल सिर्फ इतना है क्या

original documents इस आदमी ने दिए थे उसके बाद allotment हुई है नहीं हुई?

माननीय सहकारिता मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, इस सवाल के जवाब में जो 'ग' और 'घ' में दिया गया है इसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि पहले Assistant Registrar और Additional Registrar ने अपनी फाईल पर नोटिंग में लिया है कि उन्होंने कई बार मांगने पर original documents नहीं दिखाए, लेकिन उसके बाद दिनांक 13.01.2021 को श्री विकास धमीजा appeared before the ARCS and the following original documents related to him have been verified जिसमें उन्होंने original documents जो दिखाए उसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, share certificate issued in the name of Sh. Vikas Dhamija and Aadhar Card तो ये जो सहकारिता सचिव के माध्यम से ये ओरिजनल फाईल है इसमें फाईल पर ये दर्ज है कि 13.01.2021 को श्री विकास धमीजा ने शेयर सर्टिफिकेट सहित ओरिजनल डाक्यूमेंट दिखाए थे।

माननीय अध्यक्ष: हां जी सौरभ जी एनी अदर सप्लीमेंट्री सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: एक सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं। और मैं ये हाऊस को पूरी जिम्मेदारी से।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए राजेन्द्र जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: ये बात रखना चाहता हूं कि ये जो सदन में जानकारी दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए राजेन्द्र जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: ये गलत जानकारी दी जा रही है। मेरे पास फाईल नोटिंग मौजूद है जिसमें Assistant Registrar ने लिखा है कि ये सारे डाक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं और उसके बाद उस Assistant Registrar का ट्रांसफर भी किया गया है तो ये सारे डाक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं। मैं आपसे सिर्फ ये दर्खावस्त करूंगा कि आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में रेफर कीजिए, वहां पर हम ओरिजनल जो है और दूसरी चीज आरसीएस के मैंने बहुत मामले देखे हैं, ओरिजनल फाईल को गायब कर दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप बैठ जाइए।

श्री सौरभ भारद्वाज: मंत्री जी को कहा जाए कि ओरिजनल फाईल अपने पास रखें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बैठिए, बैठिए प्लीज। हां सौरभ जी बोलिए।

श्री सौरभ भारद्वाज: सर मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो ओरिजनल फाईल है इसकी उसको मंत्री जी के पास रखा जाए वरना कुछ दिनों में कहा जाएगा ओरिजनल फाईल खो गई है। तो ये जो झूठा जवाब सदन में दिया जाता है उसके लिए अवमानना की प्रोसीडिंग्स होती है ये contempt of House है। ये पूरे तरीके से privilege proceeding के अंदर आता है। आप इसको privilege proceedings के लिए रेफर कर दीजिए, वहां पर जो है कमेटी इसकी जांच कर लेगी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई ऐसे बिना परमीशन के खड़े हो जाएंगे, प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाज: ग्यारह नंबर पे Assistant Registrar की फाईल नोटिंग है जिसमें उन्होंने खुद लिखा है ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हैं। मैम्बर शिप नहीं दी जा सकती। ये है मेरे पास। मेरे पास फाईल की कापी है।

माननीय अध्यक्ष: हो गया। आपका हो गया। मंत्री जी कुछ कहना है इस पर।

माननीय सहकारिता मंत्री: जो सचिव सहकारिता के माध्यम से सूचना दी गई है उस सूचना में ही ओरिजनल फाईल पर ही Assistant Registrar और Additional Registrar की नोटिंग है जो सौरभ जी बोल रहे हैं लेकिन उसी फाईल में ये 13.01.2021 का जो मैंने पढ़ के सुनाया ये भी है बाकी जो माननीय अध्यक्ष डिसाईड करें।

माननीय अध्यक्ष: एनी मैम्बर। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, जो हमारे साथी ने इस सवाल के जरिए इस विभाग के अंदर जो malpractices को उजागर किया है वो कई सारे साथियों के मन में है और मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या इस विभाग ने digitization process के तहत documentation digitization शुरू किए हैं कि नहीं किए हैं चूंकि उसके बाद ही ये यहां का करप्शन बंद होगा। यहां का malpractices बंद होगा।

माननीय सहकारिता मंत्री: मैं पहले ही डिपार्टमेंट को इस बारे में निर्देश दे चुका हूं कि सारे रिकार्ड को डिजिटাইज किया जाए और दूसरा मैं पूरे सदन

को एक और सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने अभी सचिव, सहकारिता को चिट्ठी लिखी है कि आप राईटिंग में ये निर्धारित करें, आर्डर करें कि जब भी कोई ऐप्लीकेशन किसी सुपरीटेंडेंट के पास इनीशियली आती है वो उस ऐप्लीकेशन को 15 दिन के अंदर डिसाईड करेंगे, करना ही होगा। उसके बाद फाईल आती है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी 15 दिन में उस फाईल को डिसाईड करना होगा और उसके बाद फाईल आती है डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू फिर एडिशनल रजिस्ट्रार। सबको 15, 15 पंद्रह दिन, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास आती है जिनको एक महीने के अंदर उस फाईल को डिसाईड करना होगा चूंकि ये बहुत अनफोरचूनेट है कि इस डिपार्टमेंट में फाईलों का अंबार लगा है और सालों साल ग्रुप हाऊसिंग कोअपरेटिव सोसायटी के लोग और जो हमारी thrift credit सोसाइटी है।

या बैंक्स हैं सब में अम्बार हैं और सारी हमारी इतनी proceedings कोर्ट के अन्दर चल रही हैं। मुझे यह उचित लगता है और चूंकि जो सचिव हैं सहकारिता के वही रजिस्ट्रार भी हैं, मैंने उनसे पर्सनली बात की है और कल रिटर्न में भी उनको टाइम लाइन बनाने के लिए चिट्ठी भेजी है ताकि ये pendency खत्म हो और लोगों के साथ न्याय हो सके।

श्री सौरभ भारद्वाज: मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ 10066/2004 हाई कोर्ट के अन्दर एक मुकद्मा था जिसके अन्दर इसी तरीके के 136 मामले सी.बी.आई. ने दायर किए थे। इसी तरीके से फोटोकॉपिज के बेसिज पर 136 सोसाएटीज के अन्दर इस तरह से भ्रष्टाचार किया गया था और उस वक्त के रजिस्ट्रार जो दिवाकर साहब थे उनके ऊपर 66 मुकद्में सी.बी.आई. ने दर्ज किए थे।

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: उनको कई मुकद्दों में जेल हुई है।

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: ये बिल्कुल उसी तरीके का मामला है जिसमें सिर्फ फोटोकॉपी के बेसिस पर आपने तीन सौ गज जमीन एलॉट कर दी है।

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी, मुझे लगता है ये मैंने जो पढ़ा था मुझे लगा था बड़ा गंभीर विषय है। आपने मांग की है Privilege Committee के लिए। नियम के अनुसार मैं डायरेक्ट Privilege Committee को नहीं भेज सकता हूँ। मैं इसको Question Reference Committee को भेज रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, एक बार Ruling सुन लीजिए प्लीज। आप संतुष्ट हो जायेंगे। Question & Reference Committee उसकी finding करके वो Privilege Committee को रेफर करेगी फिर मैं उसको Privilege को भेज दूंगा।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता था Questions & Reference Committee सही उत्तर निकालने के लिए है और अगर हाउस में prima-facie गलत जानकारी दी गई है तो उसके लिए Privilege Committee, मैं आपको याद दिलाऊंगा। संजय सिंह जी

माननीय अध्यक्ष: मैं मान रहा हूँ Questions & Reference Committee को।

श्री सौरभ भारद्वाज: मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, संजय सिंह जी, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने भी जब सरकार ने कितने लोग ऑक्सीजन से मरे उसके

बारे में लोकसभा में जानकारी दी तो विशेषाधिकार समिति को दिया गया। मैं चाहता हूँ कि आप parallelly दोनों समितियों को देखें।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, एक सैकेन्ड। Questions & Reference Committee इसकी findings चाहें डेली मिटिंग करे इसके सारे जो भी विषय हैं सौरभ जी को वहां आमंत्रित करेगी। एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी। एक महीने की time boundation है उसके बाद Questions & Reference Committee अगर उचित समझेगी तो ये Privilege को चला जायेगा। श्री जय भगवान जी, प्रश्न संख्या-24 ।

श्री जय भगवान: अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या प्रस्तुत है:

क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन व अन्य देय राशि का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पेंशन संबंधी लाभ जारी करने में भी काफी विलंब हो रहा है;
- (ग) इस संबंध में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं; और
- (घ) कर्मचारियों की देय राशि का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 24 का उत्तर निम्न प्रकार है:-

(क) **उत्तरी दिल्ली निगम निगम:-** जी हाँ परन्तु जून, 2021 तक का वेतन दिया जा चुका है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:- जून, 2021 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। वेतन के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं है।

पूर्वी दिल्ली निगम निगम:- सफाई कर्मचारियों को अब तक (माह जून, 2021 देय जुलाई 2021) का वेतन का भुगतान कर दिया गया है। जबकि ऐरियर का भुगतान निगम ने निधि की अल्पता के कारण वर्ष 2013 से लम्बित है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम:-** जी हाँ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मई 2021 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:- पेंशन का भुगतान माह जून 2021 तक किया जा चुका है। केवल ग्रेच्यूटी और कम्प्यूटेशन का भुगतान जनवरी, 2021 से लम्बित है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम:- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम लाभांश का भुगतान माह दिसम्बर, 2020 तक कर दिया गया है व पेंशन का भुगतान मई, 2021 देय जून 2021 तक कर दिया गया है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम:-** वित्तीय संकट के कारण भुगतान करने में विलम्ब हो रहा है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:- इस समय फण्ड की कमी के दौर से गुजर रहा है। निगम में इस समय आंतरिक राजस्व में काफी

भारी गिरावट है। Grant- in Aid और Basic Assigment जंग में भी भारी कमी आयी है।

पूर्वी दिल्ली निगम निगम - ऐरियर व सेवानिवृत्त लाभांशों में विलम्ब का मुख्य कारण चौथी वित्तिय आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी नगर निगम को अनुदान न देने की वजह से व कोरोना महामारी के मद्देनजर आंतरिक आय की भारी कमी है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम:-** कर्मचारियों की देय राशि का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए व अपनी आय बढ़ाने के लिए निगम ने कई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कार्रवाही शुरू की है तथा फंड जारी कराने के लिए दिल्ली सरकार से पत्र व्यवहार व बैठकें समय-समय पर की जा रही हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम वेतन के भुगतान के लिए अपने राजस्व का उपयोग कर रहा है तथा जरूरी देनदारियों का भुगतान वेतन के भुगतान के बाद किया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम:- वर्तमान में सफाई कर्मचारियों के वेतन समय अनुसार भुगतान किया जा रहा है परन्तु ऐरियर व अन्य व्यय पर्याप्त अनुदान व आंतरिक आय में बढ़ोतरी पर आश्रित है और इसके लिए अथक प्रयास किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री।

श्री जय भगवान: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाह रहा था कि अभी जो इसमें जून का बताया गया है तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अभी तो मई का भी वेतन नहीं मिला। दूसरा मैंने एक सवाल किया था कि जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, जो अपने जीवन के तीस-चालीस साल उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो या दक्षिणी दिल्ली नगर निगम या पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दे रहा है। अपना पूरा जीवन उनको दे रहा है और रिटायरमेंट होने के बाद उसका जो पैसा है उसको सही समय पर अभी तक नहीं मिल पा रहा। कभी बीच में कहीं उसकी बेटी की शादी है तो बीच में पैसा नहीं मिल रहा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं बता दूँ कि तीनों नगर निगम ने लिखित में दिया है कि वो जून 2021 तक वेतन की पेमेंट कर चुके हैं। दूसरी बात जहां तक पेंशन का सवाल है। उत्तरी नगर निगम ने मई तक दे दी है, दक्षिणी नगर निगम ने जून तक दे दी है और पूर्वी नगर निगम ने मई तक दे दी है तो उनका ये जवाब देना कि भई हो सकता है कि जून की न मिली हो। दो नगर निगमों ने जून की पेंशन नहीं दी है, एक ने जून तक की दे दी है और मैं आपकी जानकारी में यह भी बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने अभी रिसेन्टली 293/- रुपया एडवांस भी दिया है एम.सी.डी. को इनकी पेमेंट करने के लिए कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिएगा और जैसा कि इन्होंने अपने जवाब में पहले ही बताया कि एम.सी.डी. वित्तीय संकट के दौर से लगातार गुजर रही है और उसकी वजह से वो देने में असमर्थ है।

श्री जय भगवान: अध्यक्ष जी, मान लिया कि जो एम.सी.डी. है वित्तीय संकट से गुजर रही है लेकिन उसमें उस बेचारे गरीब व्यक्ति का क्या कसूर है क्योंकि जब रिटायरमेंट हो गया उसके बाद भी उसको पैसा नहीं मिल पा रहा वो परेशान है तो कम से कम जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको तो पैसा मिलना चाहिए, जी धन्यवाद।

माननीय शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि भई जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन समय से मिलनी चाहिए और इनका जो देय बनता है वो तुरंत मिलना चाहिए बिल्कुल सहमति है और आज ही अखबारों में पढ़ा है कि उत्तरी नगर निगम पेंशन और सैलरी तो दे नहीं पा रही है परन्तु वो पचास लाख रुपया प्रति काउन्सिलर को देने जा रही है क्योंकि इलैक्शन आने वाले हैं तो उसकी वजह से दे रहे हैं। इस तरह मुझे लगता है कि भई उनकी priorities different हैं। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ priorities में इश्यू है।

माननीय अध्यक्ष: हाँ विजेंद्र जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक प्रश्न करके और ये डॉक्यूमेंट आपने ही दिया है। इसमें लिखा है कि grant-in-aid ये DCA (HQ), Commissioner, South Delhi Municipal Corporation ने ये लिखा है supplementary information pertaining to question No.24 by Sh. Jai Bhagwan. Grants-in-aid basic assignment tax and other funds from GNCTD also witnessed a deep cut resulting to further pain to Municipal Exchequer तो ये जो deep cut

है इसके बारे में बतायें। क्या ये basic grant-in-aid में basic assignment tax में और जो other funds हैं उसको GNCTD ने जो काटा है जबरजस्त ये एम.सी.डी. के लिए बहुत ही।

माननीय शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ basic tax assignment जो दिल्ली सरकार का tax collection होता है उस GNCTD collection का साढ़े आठ परसेन्ट देना होता है। कोरोना की वजह से टैक्स की कलैक्शन ही कम हुई। अगर टैक्स की कलैक्शन कम हुई तो उसी proportion में जो assignment भी proportionately कम हो गया। example के लिए मैं बताना चाहूँगा। जैसे कार खरीदने जाते हैं आप, उसके ऊपर 18 परसेन्ट जी.एस.टी. लगता है। एक 10 लाख की कार है तो उस पर 01 लाख 80 हजार रुपये लगेगा। अब 04 लाख की कार लगे तो उसी हिसाब से 18 परसेन्ट 04 लाख पर लगेगा क्योंकि दिल्ली सरकार का टैक्स जितना इकट्ठा होगा उसका साढ़े आठ परसेन्ट देना है। टैक्स अगर कम इकट्ठा हुआ है तो कम मिलेगा ज्यादा इकट्ठा होगा ज्यादा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप कुमार ।

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष जी मेरा मंत्री जी से सवाल है कि जो उन्होंने कहा कि दो सौ तिरानवे करोड़ रुपये अभी रिलीज किए हैं एम.सी.डी. को तो जिस हैड में पैसा रिलीज किया गया क्या उनके भुगतान उसी पर हो रहा है या उसको चेन्ज किया जाता है या उसके लिए कोई जांच कमेटी बनाई गई है कि उत्तरी नगर निगम ने अगर पैसा मांगा कि हमें सैलरी देनी है उसके लिए पैसा दीजिए तो उसे किसी और हैड में तो यूज नहीं कर रहे हैं मेरा ये सवाल है।

माननीय शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 293 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है वो स्पेसिफिकली सैलरीज और पेंशन के लिए दिया गया है और किसी और मद में यूज नहीं किया जा सकता उसको।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 25 संजीव झा जी।

...व्यवधान...

श्री संजीव झा: अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या 25 प्रस्तुत है:

क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण और ये कब तक लग जाएँगी;
- (ग) इन लाइटों की मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी कौन-सी है; और
- (घ) इस लाइट को लगाए जाने के लिए यदि किसी व्यक्ति को सबसिडी नहीं मिली तो वह इसके लिए किस संस्था से संपर्क करे?

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 25 का उत्तर निम्न प्रकार है:-

- (क) शहरी विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि 'मुख्यमंत्री सड़क पुर्ननिर्माण योजना' (एम.एस.पी.वाई.) के तहत अंधेरे स्थानों पर स्ट्रीट लाइट प्रदान करने के लिए एस.ओ.पी. दिनांक

26.09.2019 के अनुसार लगभग 2.1 लाख वॉल माउंटेड स्ट्रीट लाइटें पूरी दिल्ली में (अनधिकृत कॉलोनियों के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) स्थापित की जानी हैं। शहरी विकास विभाग की एस. ओ.पी. की प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक 'क')⁵

(ख) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अब तक लगाई गई स्ट्रीट लाइटों का विवरण इस प्रकार है।

	प्रस्तावित कुल स्ट्रीट लाइटें	अब तक लगाई गई स्ट्रीट लाइटें
बीआरपीएल	70000	30080
बीवाईपीएल	70000	19113
टीपीडीडीएल	70000	68121

शहरी विकास विभाग द्वारा सूचित किया है कि अब तक लगभग 45 करोड़ रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि शहरी विकास विभाग द्वारा बकाया फंड आबंटित होने के पश्चात् बाकी बची लाइटें भी लगा दी जायेंगी।

(ग) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि इन लाइटों की मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी एजेंसियां इस प्रकार हैं:-

बीआरपीएल क्षेत्र में मेंसर्स सूर्या रोशनी लिमिटेड (कॉल सेंटर नंबर 18001032839)

5. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

बीवाईपीएल क्षेत्र में मेंसर्स सी एण्ड एस इलैक्ट्रिकल्स (कॉल सेंटर नंबर 18005722730) और मेंसर्स हैलोनिक्स टेक्नोलॉजी (कॉल सेंटर नंबर 18001036564)

टीपीडीडीएल क्षेत्र में मेसर्स सूर्या रोशनी लिमिटेड (कॉल सेंटर नंबर 18001032839)

(घ) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि सब्सिडी के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली वितरण कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बीआरपीएल कस्टमर केयर नंबर 19123

बीवाईपीएल कस्टमर केयर नंबर 19122

टीपीडीडीएल कस्टमर केयर नंबर 19124

मैं आपके माध्यम से दौबारा से बता देता हूँ। दिल्ली सरकार ने दो लाख दस हजार स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई थी जो घरों की दीवारों पर लग सकती हैं और वो लाइटें आपके घर के कनेक्शन से क्योंकि खम्बा नहीं लगाना होता और उसके लिए बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। आप ही के घर से लाइट लेकर उसको लगा दिया जाता है। सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है और उसका जो बिल के अन्दर उसका जो बिल होता है आपके बिल में से उतने यूनिट कम भी कर दिए जाते हैं। पिछले लगभग डेढ़ साल से कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसकी प्रगति कम रही है। अब तक एक लाख बीस हजार के करीब लाइटें लगी हैं और बाकी बची 90,000 लाइटों को जल्द से जल्द लगवा दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री संजीव जी एक बार संजीव जी। सौरभ जी बड़े उतावले हो रहे हैं आज।

श्री संजीव झा: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि सर इन्होंने बताया कि टीपीडीडीएल 70 हजार लाइट प्रस्तावित था और 68 हजार लगा चुकी है। अब हमारे यहां बहुत सारे ऐसे dark places जब में पूछने जाता हूँ कहते हैं कि आपके यहां पर कोटा खत्म हो गया है। हमने पूछा कि ये कोटा कैसे डिसाइड होता है, उन्होंने कहा विधानसभा वाइज ये डिसाइड होता है। अब बुराड़ी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, unauthorized colony है खूब dark places हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लगभग 60 परसेन्ट ऐसे एरिया अभी भी डार्क हैं और लाइट नहीं लग पा रही है। तो ये विधानसभा वाइज अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। तो क्या मंत्री जी इसको डार्क प्लेसिज जहां जितना ज्यादा है उसके हिसाब से क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता?

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय जब ये स्कीम बनाई गई थी सभी 70 असेंबलीज को तीन-तीन हजार लाइटें इनीशियली एलोकेट की गई थी, मैं माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसको नोट कर लेता हूँ और अगर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है तो मैं चाहूंगा कि कुछ विधायक मुझे लिख कर दे दें की कितने-कितने लगाने हैं तो उसको थोड़ा स्कीम बनाना आसान रहेगी, इसको आगे बढ़ाने के लिए विचार किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अभी एक बार मेन तो पूरा हो जाने दो, नहीं अभी एक सप्लीमेंटरी ओर अलाउड है, दो पूछ सकते हैं। पूछिए संजीव जी पूछिए।

श्री संजीव झा: मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां जितने भी डार्क प्लेसिज हैं उनकी मैं पूरी डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट है वो मैं दे देता हूं और उसी अकोर्डिंग हमें मिल जाए, तो क्या डार्क प्लेस की जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा, मेरा बस इतना ही सुझाव है, क्या ये सम्भव है?

माननीय ऊर्जा मंत्री: बिल्कुल, सर मैं बता देता हूं। बिल्कुल संभव है मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी विधायकगण हैं, जितनी लाइटें लग गई हैं उसके अलावा जितनी और लगवाना चाहते हैं आप अंदाजा बता दीजिए भई अगले एक साल के अंदर हम इतनी लगवाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से स्कीम को चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, अजय महावर जी। अभी सौरभ जी इनका पहले हाथ उठा था आपसे।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से हालांकि संजीव जी ने उसमें जोड़ ही दिया है proportionate of assembly का मापदंड क्या है तो उन्होंने बताया तीन हजार लाइट हैं, पर हमारे यहां तो उसमें अभी 25 परसेंट, 30 परसेंट लाइट ही लगी है। तो हमारी असेंबली पर भी proportionate जो हो, हमने dark places की उनको point भी दे रखे हैं, तो उसको जल्दी लगवा दिया जाए और सब्सिडी के बारे में जो प्रश्न लगा है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी विधान सभा में भी जिनको सब्सिडी नहीं मिल रही है और कस्टमर केयर पर फोन करने के बाद भी उनको कोई रिस्पोंस नहीं मिलता है तो उसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, धन्यवाद।

माननीय ऊर्जा मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो जो लाइटें लगाने का है, जैसा अभी संजीव झा जी ने बोला कि कई सारे एमएलए हैं जो 3-3 हजार लगवा चुके हैं, ये तो थोड़ा pro-actively एमएलए को अपना इसमें रोल निभाना पड़ेगा कि वो जो लिस्ट बनाकर डिस्कॉम्स को देते हैं और डिस्कॉम्स वाले लगाने में देर नहीं करते हैं। हाँ पिछले डेढ़ साल से जरूर जब से ये कोरोना चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है और उससे पहले बहुत सारे एमएलए ने काफी लाइट लगवाई हैं। अब एक लाख बीस हजार लग चुकी हैं और संजीव जी ने खुद कहा है उनकी तीन हजार कम्पलीट हो गई कइयों की तीन हजार कम्पलीट हो चुकी है और जहां तक कस्टमर केयर का सवाल है अगर आपको इसमें कोई ऐसी लिस्ट है, तो आप K नम्बर देकर कि भई ये इसका क्नेक्शन नम्बर है, आप पूरी लिस्ट बनाकर मुझे भेज दीजिएगा हम बिल्कुल करा देंगे सर।

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी, नहीं भई देखिए बाद में सोच नहीं प्लीज। नहीं अब नहीं, मैंने नोट किया हुआ है तीन से ज्यादा नहीं सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी का ध्यान जो है एक छोटी सी त्रुटि हुई है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये तीनों जो डिस्कॉम्स है इन तीनों को इन्होंने 70-70 हजार लाइटें दे दी है। मगर हर डिस्कॉम के अंदर कितनी असेंबलीज आती हैं वो बराबर नहीं है, तो उस कारण हो रहा है कि जो हमारा राजधानी वाला जो डिस्कॉम है वहां पर, per असेंबली हमारा जो कोटा है वो कम आ रहा है और कुछ जगह ज्यादा आ रहा है। एक तो मंत्री जी हिसाब किताब में बहुत पक्के हैं उनकी नजर में ये बात आई नहीं होगी, तो

मैं सिर्फ उनसे जवाब और एक वादा चाहता हूँ अपने छोटे भाइयों के लिए कि भई ये आप बराबर दे दें, जो गरीब हों, अमीर हों सबको दें।

माननीय ऊर्जा मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय विधायकों को आश्वासन देना चाहता हूँ 3 हजार लाइटें आपके क्षेत्र में 3000 तक का तो कोई इशू है ही नहीं, 3 हजार आप लगवा लीजिएगा कहीं भी लगवा लीजिएगा, 3 हजार का कोई इशू नहीं है। दूसरी बात बताता हूँ, पहला पार्ट हो गया, 3 हजार लगवा दी जाएंगी, हर विधान सभा में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी को जवाब तो देने दो एक बार प्लीज।

माननीय ऊर्जा मंत्री: हर विधान सभा में 3 हजार लगाने में कोई आपत्ति नहीं है आप लगवा लीजिएगा उसके लिए जिम्मेदारी हमारी है हम लगवा देंगे। दूसरी बात आप जो ज्यादा लगवाना चाहते हैं उसमें, क्योंकि कारण क्या है कि ऐसी भी जगहें हैं कि वहां पर 3 हजार लग ही नहीं सकती। जैसे कई जगह पर है 3 हजार लगवा ही नहीं सकते हैं, अभी देखो बीवाईपीएल ने सिर्फ 19 हजार लगाई है, तो वहां पर लग ही नहीं सकती, इससे क्या होगा कि मुझे पता लग जाए, आप लिख कर दे दीजिए मुझे कि कितनी और लगवानी है, इसको दुबारा से स्कीम को re-modify करके जो भी करना होगा कर देंगे, आगे का विचार किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंद: सर मोटी-मोटी बात आ गई है मैं फिर से एक बार एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में 70 constituencies है जरूर

लेकिन 70 को आप बराबर नजर से नहीं देख सकते हैं क्योंकि कुछ डेवलप हैं, कुछ developing तो, सर मैं वही कह रहा हूँ गड्ढा और खाई के बीच में comparison नहीं किया जा सकता है, गड्ढा भरना आसान है, खाई भरने में बहुत वक्त लगता है। तो उसको जब आप देखें तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखे, किराड़ी, बुराड़ी जैसे क्षेत्र जहां पर 10 हजार लाइटें भी कम पड़ेगी वहां पर 3 हजार से काम नहीं चलेगा, बस इतनी सी बात कहना है सर।

माननीय ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं फिर से रिपिट करना चाहता हूँ कि ये 3 हजार लाइटें हमने सबको कह दिया लगवा लीजिएगा, एक्स्ट्रा का असैसमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा ताकि सरकार को स्कीम बनाना आसान रहे। ये तब बनाई गई थी जल्दी जल्दी में हमने कहा भई सबको 3-3 हजार दे देते हैं। इस स्कीम के बारे में उस टाइम भी काफी लोगों से बात की, उसमें सहमति नहीं थी बहुत सारे सदस्यों की, कहते हैं ये स्कीम अच्छी नहीं है, पर बनने के बाद सभी खुश है, बहुत ही अच्छी स्कीम है और जितनी भी चाहिए बता दीजिएगा।

माननीय अध्यक्ष: अंतिम, जनरैल जी।

श्री जनरैल सिंह: मंत्री जी ने बार-बार आश्वासन दिया है कि 3 हजार स्ट्रीट लाइट पर विधान सभा है, लास्ट वीक ये रिव्यू किया है अब हमारे यहां बीआरपीएल है पावर सप्लायर। तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास तीन विधान सभाएं लगती हैं तो 2200 से ज्यादा लाइट्स नहीं दे सकते आपको और 2200 में भी हमें पीछे से एक हजार लाइट लगाने की अभी डायरेक्शन है, तो उस पर आप देख लें मंत्री जी लाइट की रिकवायरमेंट है, पर कम्पनी कह रही है

साफ तौर पर कि एक हजार की डायरेक्शन है और आउटर लिमिट 2200 की है, 3 हजार नहीं आ रही।

ऊर्जा मंत्री: मैं अभी सदन को फिर से आश्वासन देना चाहूंगा कि 3 हजार का जो भी एक इशू आपके पास रहा है, सभी का मैं स्टैंडर्ड ऑर्डर दे दूंगा कि 3 हजार तक कोई दिक्कत ना हो।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-26 विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 26 प्रस्तुत है:

क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बिजली, केबल, टेलीफोन, इंटरनेट आदि की खुली लटकती हुई तारें न केवल खतरनाक हैं, बल्कि ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं;
- (ख) क्या इन लटकी हुई तारों और केबल के जालों को हटाने के लिए सरकार कोई कदम उठाने जा रही है;
- (ग) क्या सरकार का 'लो टेंशन' वाली बिजली की तारों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव है;
- (घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें;
- (ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;
- (च) क्या सरकार को जानकारी है कि ऊर्जा कंपनियाँ ऐसे घरों में बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर रही हैं, जो बिजली केबल्स के बहुत पास हैं;

- छ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इन कंपनियों को ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और इन घरों को राहत देने हेतु कोई निदेश जारी करने का प्रस्ताव है; और
- ज) यदि हाँ, तो उसका विवरण?

माननीय ऊर्जा मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या-26 का उत्तर निम्न प्रकार है:-

- (क) बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि प्रिवेन्टीव रखरखाव के दौरान नियमित रूप से बिजली के तारों की ड्रेसिंग की जाती है।
- (ख) बिजली की तारें जो कि मानव जीवन के लिए खतरनाक है उनको हटाने के लिए उर्जा विभाग की नीति है जिसे मंत्री परिषद द्वारा निर्णय संख्या 2604 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति की प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक-(क))⁶
- ऊर्जा विभाग में मानव जीवन के खतरनाक 11 केवी के 'बेअर कंडक्टर' को 'इसुलेटेड कंडक्टर' में बदलने की नीति विचाराधीन है।
- (ग) मंत्री परिषद निर्णय संख्या 2604 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अनुमोदित उपरोक्त नीति "लो टेंशन" वाली बिजली की तारों के संबंध में भी लागू है।

6. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

(घ) उपरोक्तानुसार

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(च) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और बिजली वितरण कम्पनियों ने सूचित किया है कि बिजली के कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मान(क) विनियम 2017 के विनियम 10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाते हैं। निरीक्षण करने पर यदि डीईआरसी(आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मान(क)विनियम 2017 के विनियम 11(2)(iv) में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो बिजली वितरण कम्पनी लोड को मंजूरी नहीं देती है। प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक-(ख)⁷

भवन और विद्युत नेटवर्क के बीच न्यूनतम दूरी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 द्वारा समय समय पर संशोधित नियम 60 व 61 में निर्दिष्ट की गयी है। प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक-(ग)⁸

(छ) बिजली वितरण कम्पनियों ने सूचित किया है कि संबंधित विद्युत विषय पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य है।

(ज) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

7. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

8. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंटरी।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा जो 'ख' में रिप्लाइ किया गया है, ऊर्जा विभाग ने मानव जीवन के लिए खतरनाक 11 केवी के बेअर कंडक्टर को इन्सुलेटिड कंडक्टर में बदलने की नीति विचाराधीन है। चूंकि 31 जुलाई, 2018 को इस नीति को कैबिनेट में अप्रूव भी कर दिया गया है, और अब ये जो विचाराधीन है इस पर आगे की कार्रवाई कब तक हो जाएगी, क्योंकि ये इन्सुलेटिड कंडक्टर लगाना बहुत आवश्यक है और जिस तरह से अनअधिकृत बस्तियों में और तमाम जगहों पर।

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन हो गया?

श्री विजेंद्र गुप्ता: मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा। दिल्ली का जिस तरह से विस्तार हुआ है उसमें इसको इन्सुलेटिड करना बहुत आवश्यक है और सरकार इसको कब तक पूर्ण रूप से लागू कर देगी और क्या इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है या किया जाएगा जिससे कि विधायक अपने विवेक से अपने क्षेत्रों में जहां इस तरह की इमरजेंसी हैं, वो कार्य कर सकें।

माननीय ऊर्जा मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बिजली के बेयर कंडक्टर्स हैं, जो नंगी तारें हैं, अभी तक उनको अंडरग्राउंड करने का ही प्रोविजन चल रहा था। तो पीछे सजेशन आया था कि सब जगह पर तारों को बदलने में क्या होता है कि अंडरग्राउंड लेना सड़क के अंदर से लेकर जाते हैं, फिर एमसीडी का एक इशू आता है कि एमसीडी वाले उसमें परमिशन नहीं देते हैं। बहुत सारे चार्जिज मांगते हैं, तो उनको इन्सुलेट करने का प्रोविजन है जो कि दिल्ली सरकार के विचाराधीन है और जिसको जल्द से जल्द अप्रोक्सिमेटली ये

अंदाजा है कि 2 महीने के अंदर उस पर डिसिजन कर लिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको इन्सुलेट किया जा सके और कोई भी एमएलए अपने एमएलए फंड से उसको करा ही सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

....व्यवधान

माननीय ऊर्जा मंत्री: नहीं अलग से भी हम कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से करा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंटरी, राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि: अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ये काम बताया गया है कि बिजली के तारों के साथ में इंटरनेट की तार, एयरटेल वालों की वायर, बहुत सारी वायरों का झंड बना हुआ है, खंबों के ऊपर जिसमें आग लगने के कारण हमारी बिजली की तारें जल जाती हैं, जो मेरे यहां 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे किसी दुकान में भी आग लगी। तो क्या इसको जल्दी से जल्दी हटाने का कोई प्रावधान है। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे यहां पर बहुत सी जगहों पर ओवरलोडिंग है, वहां ट्रांसफार्मर लगाने की जगह नहीं है। क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान लाने की तैयारी की है जिसमें एक के ऊपर एक डबल ट्रांसफार्मर लगाया जा सके ताकि वहां पर जो ओवरलोडिंग है उसको खत्म किया जा सकें, धन्यवाद।

माननीय ऊर्जा मंत्री: मैं पहले तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहूंगा कि सभी माननीय विधायक, जैसा कि पिछले दो-तीन साल के अंदर बहुत सारे विधायकों ने अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगावाने के लिए जगह चिन्हित करने में

बहुत ही प्रोएक्टिव रोल निभाया। डिस्कॉम्स के लिए जगह क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मिलती है, खासतौर से अनअथोराइज्ड कॉलोनी में, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी विधायकगण अपने जगहों का थोड़ा ध्यान कराएं। और अभी हमने एक नया प्लान बनाया है जिसमें एक सिंगल पोल, यूनिपोल के ऊपर ट्रांसफार्मर रखा जा सके। तो यूनिपोल के ऊपर ट्रांसफार्मर अगर रखा जाएगा, तो अभी बन गया है और वो सफल है। तो आप जगह देखकर बताइएगा, जगह-जगह जितने भी ट्रांसफार्मर ऐसे लगवा दिए जाएंगे। एक के ऊपर दूसरा ट्रांसफार्मर लगवाने में मुझे लगता है वो इकट्टा लोड एक जगह हो जाता है फिर तारें लम्बी हो जाती है। तो बैटर यही होगा कि आप यूनिपोल लगवा कर जितने भी जगह ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं वो बैटर रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: माननीय अध्यक्ष जी अपने संविदा के आधार पर, तो कुछ विद्युत कर्मचारी थे उनकी व्यथा थी क्योंकि आपके विभाग से संबंधित है कि मैं आपका ध्यान दिल्ली विद्युत प्रबंधन कम्पनी, बीएसईएस।

माननीय अध्यक्ष: नहीं बाजपेयी जी इस क्वेश्चन से रिलेटिड नहीं है।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: मैं तो निवेदन दे रहा हूँ सर।

माननीय अध्यक्ष: नहीं इस क्वेश्चन से रिलेटिड नहीं है।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: मैं उसी में दे रहा हूँ सर।

माननीय अध्यक्ष: इस क्वेश्चन से नहीं है।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: केवल मैं सर इतना कहना चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं बाजपेयी जी मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बाजपेयी जी का ये क्वेश्चन डिस्अलाउड किया जाता है। हाँ बताइये मोहन जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सत्य नहीं है कि अनओथराइज और रेगुलाइज कॉलोनिय के अंदर बिजली की सप्लाय एलटी सिस्टम और एचडीपीएस सिस्टम से की जाती है। यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि एचडीपीएस सिस्टम में अधिकतर केबलें बारिश के दिनों के अंदर भ्रष्ट हो जा रही हैं। क्या सरकार की कोई योजना है कि उसको एलटी सिस्टम में चेंज करें और ये कब तक हो जाएगा, ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

श्री सोमनाथ भारती: तीन क्वेश्चन हो गए।

माननीय अध्यक्ष: चलिए कोई नहीं कोई नहीं।

माननीय ऊर्जा मंत्री: अभी, सभी केबलों को चेंज करने की कोई स्कीम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: सुन लीजिएगा, मोहन जी आंसर सुन लीजिए।

F/SS

माननीय अध्यक्ष: बैठिए-बैठिए। सोमनाथ जी बैठिए प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं ये गलती है उनकी। उन्होंने सिम्पली ये कहा। उन्होंने सिम्पली ये बोला है कि तीन क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें तीन क्वेश्चन हो गए। सिम्पली ये बोला है तीन क्वेश्चन हो गए हैं। ये यूपी की धमकी दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने बंगाल देखा है जाकर। ना इन्होंने बंगाल देखा है जाकर। मैं बोल रहा हूँ, बंगाल देखा है जाकर। क्या ये तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। इतनी गुंडा गद्दी नहीं होती है। उन्होंने सिम्पली ये बोला है तीन क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने कहा सोमनाथ जी कोई बात नहीं। सिम्पली ये बोला है इन्होंने।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बाजपेयी जी आप बैठ जाइए आप बहुत हंस रहे हैं। मैं नोट कर रहा हूँ।

(सत्ता पक्ष के सदस्य वेल में आ गए)

माननीय अध्यक्ष: आप सीट पर जाकर अपनी बात रखिए। सीट पर जाकर रखिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। सीट पर जाकर बात रखिए मैं सुनूंगा। आप सीट पर जाकर अपनी बात रखिए। फिर मैं एक्शन लूंगा। आप जाइए सीट पर तो जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए-बैठिए। हाँ मैं करता हूँ, आप बैठिए तो सही। ये मांग करिए। चेयर पर जाकर मांग करिए। मैं कर रहा हूँ। अपनी चेयर पर जाकर मांग करिए। चेयर पर जाकर मांग करिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठेंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हाँ क्या कहना चाह रहे हो बिधूड़ी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई सोमनाथ जी दो मिनट बैठिए। सोमनाथ जी बैठिए, दो मिनट बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं ले रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ। आप दो मिनट का समय तो दीजिए मुझे। मैं रूलिंग दे रहा हूँ। दो मिनट। राजेश जी। नहीं इनको बोल लेने दीजिए। एक बार बोल लेने दीजिए। बोलिए-बोलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, जब भी इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर्स या इस हाउस में हमारे रूलिंग पार्टी के जो ऑनरेबल मैम्बर्स हैं जब भी उनके द्वारा कुछ भी कहा जाता है हमारे बारे में हमारी केन्द्र सरकार के बारे में, हमारे लीडरशिप के बारे में हम कभी react नहीं करते हैं। हम उनकी बात को बहुत धैर्य के साथ सुनते हैं। उनको कभी डिस्टर्ब करते नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष: भई बिधूड़ी जी मैं रोक रहा हूँ। प्लीज। एक सैकेंड। मैं रोक रहा हूँ। मैंने सुन लिया। अब ये समय ना खराब हो।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ...और हमने अपने मैम्बर्स को कहा है कि हाउस में कभी किसी भी ऑनरेबल मिनिस्टर को या हमारे जो रूलिंग पार्टी

के विधायक बोल रहे हैं डिस्टर्ब नहीं करना है, ये मेरी तरफ से, मेरी पार्टी के जो विधायक हैं उनसे आग्रह किया गया। अब ऑनरेबल हमारे जो एमएलए हैं श्री बिष्ट जी, वे सप्लिमेंटरी सवाल पूछ रहे थे ऑनरेबल मिनिस्टर से। अब इन्ट्रप्ट किसने किया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। नहीं-नहीं रुक जाइए आप। अब कोई नहीं बोलेगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: इन्ट्रप्ट किसने किया।

माननीय अध्यक्ष: अब आप बैठिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप रिकार्ड देख लेना।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अब आप बैठ जाइए। बिधूड़ी जी बैठ जाइए प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं पहले आप ये देखिए कि इन्ट्रप्ट किसने किया है।

माननीय अध्यक्ष: हाँ आप बैठिए मैं वो बता रहा हूँ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: माननीय विधायक श्री बिष्ट जी अगर सप्लिमेंटरी पूछ रहे हैं तो इन्ट्रप्ट किसने किया।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी मैं उस पर अपनी स्पष्टता दे रहा हूँ। एक सैंकड आप रिकार्डिंग चैक कर लीजिएगा बिधूड़ी जी वो पूरा बोल चुके थे। बैठ गए थे बोलने के बाद। मंत्री जी खड़े हो रहे थे उत्तर देने के लिए तब

सोमनाथ जी ने उस वक्त इन बिटवीन कहा है, बोलते हुए इन्ट्रप्ट नहीं किया है। एक सैंकेंड। बोलकर बैठ चुके थे। मंत्री को इन्ट्रप्ट किया है उन्होंने। उन्होने मंत्री को इन्ट्रप्ट किया है। इनको नहीं किया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: इनको नहीं किया। गलत मत बोलिए और उन्होंने केवल ये सिम्पली कहा तीन क्वेश्चन हो गए सर। तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है बोलना। फिर तो जैसे आप बोलते हो कि विधायकों का गला घोट दिया। लेकिन उसका ये तो नहीं उत्तर आए कि उत्तर प्रदेश देखा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं माफी मांगनी पड़ेगी। सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश देखा है। अरे हम तो दिल्ली भी देख रहे हैं। हमने बंगाल भी देखा है। पंजाब भी देख रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, ये व्यक्तिगत हमला है। नहीं, मोहन सिंह बिष्ट खेद प्रकट करें। नहीं-नहीं मोहन सिंह जी करेंगे। नहीं ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। कल को ये कहने लगें कि आपने बंगाल देखा है तो क्या कहेंगे आप। हाँ बोलिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ यदि मेरी बात से किसी को हर्ट पहुंची है तो निश्चित रूप से मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूँ। धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हो गया। हो गया। बस अब हो गया सोमनाथ जी प्लीज। अब विषय खत्म हो गया प्लीज। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अब विषय समाप्त हो गया। भई सोमनाथ जी अब नहीं चर्चा मत करिए। सदन का समय गडबड़ हो रहा है। अब हो गया विषय प्लीज। आप समझदार हैं।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सदन की गरीमा को ठेस पहुंचाई गई है आज भाजपा के लोग हर वक्त किस गरूर में रहते हैं, ये समझ में नहीं आता। आज इन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया। ये ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी एक सदन में थे खूब रो रहे थे, बिलख रहे थे कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। आज जिस प्रकार से माननीय बिष्ट जी ने सदन के अंदर उत्तर प्रदेश का हवाला देकर धमकी देने का प्रयत्न किया है, ये क्या बताना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए-बैठिए।

श्री सोमनाथ भारती: किसे बताना चाहते हैं ये।

माननीय अध्यक्ष: हो गया।

श्री सोमनाथ भारती: इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने देखिए एलओपी ने। महाजन जी आप बैठ जाइए। आग में घी मत डालिए, आपको सदन में सब मालूम है। आप बाहर जाइए। उठ कर बाहर जाइए आप। महाजन जी जाइए बाहर। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। मैं बताऊँ क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में। मैं बताऊँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। बाहर जाइए आप। आप दस मिनट के लिए बाहर जाइए। ये कोई तरीका

नहीं है भाई साहब। आप बाहर जाइए दस मिनट के लिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ दस मिनट के लिए बाहर जाइए। आप तुरन्त दस मिनट के लिए बाहर चले जाइए। मैंने शांत किया है। आपके एलओपी ने शांत किया है। आप आग में घी डाल रहे हो। बैठ जाइए आप। सोमनाथ जी बैठ जाइए। सोमनाथ जी बैठ जाइए प्लीज। बैठिए। बैठिए। अरे भाई बैठ जाइए प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये एलओपी से पूछ लीजिए क्या हुआ है। एलओपी ने कहा है ना।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए ओम प्रकाश जी, बैठ जाइए मैं आग्रह कर रहा हूँ। अगर इन पर आपका कन्ट्रोल नहीं है। इन पर आपका कन्ट्रोल नहीं है तो छोड़ दीजिए। बैठिए, मुझे 280 चलाने दीजिए। नहीं मैंने बोला है मैंने दस मिनट के लिए बाहर किया है। दस मिनट बाद आ जाए। मैंने टैन मिनट्स के लिए बाहर किया है। वो दस मिनट बाद आ जाएंगे। मैंने दस मिनट के लिए बाहर किया है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

27. श्री अनिल कुमार बाजपेयी : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पुनर्वास योजना के अंतर्गत जिन झुग्गीवासियों को घर दिया गया है, उनका विवरण;
- (ख) जिन झुग्गीवासियों को अभी घर दिए जाने हैं, उनका विवरण; और
- (ग) सरकार दिल्ली में झुग्गीवासियों को स्थायी घर कब तक प्रदान कर पाएगी?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

- (क) पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2010, 2013 और 2015 के तहत 24 झुग्गीबस्तियों के पात्र झुग्गीवासियों को अब तक बवाना, बापरोला एवं द्वारका में कुल 2157 फ्लैट आवंटित किये गये हैं।
- (ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड उन सभी झुग्गीबस्तियों के योग्य झुग्गीवासियों को दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015, (जिसका नाम बदलकर अब 'मुख्यमंत्री आवास योजना' कर दिया गया है के अनुसार) स्थानांतरित/पुनर्वासित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां भूमि स्वामित्व एजेंसियों ने पुनर्वास शुल्क जमा किया है या जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तदनुसार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने ऐसे अधिकांश जे.जे. बस्तियों के जे.जे. निवासियों की पात्रता निर्धारित की है ऐसी अधिकांश जे.जे. बस्तियों के जे.जे. निवासियों की पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी परन्तु इसी बीच अवर

सचिव, भारत सरकार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (HFA-V Division) के परिपत्र संख्या N-11022/51/2020-HFA-V-UD/FTS-9088338 दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है कि केन्द्रिय मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार, जेएनएनयूआएम/राजीव आवास योजना के तहत निर्मित सभी मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली/अधूरे मकानों को केवल एआरएचसी योजना के तहत शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के आवास के रूप में उपयोग करने के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना में परिवर्तित किया गया और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है। (प्रतिलिपि संलग्न)

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने पत्र दिनांक 22.03.2021 एवं 16.06.2021 के माध्यम से भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को इस बावत अवगत कराया की द्वारका, सुल्तानपुरी, बवाना और बापरोला के पुनर्वास स्थलों को एआरएचसी योजना से अलग रखा जाए ताकि ऐसी जे.जे. बस्तियों के पात्र अलग रखा जाए ताकि ऐसी जे.जे. बस्तियों के पात्र निवासियों को पुनर्वासित कर सके जहां भूमि स्वामित्व संस्थानों द्वारा स्थानांतरण शुल्क जमा कर दिया है अथवा स्थानांतरण शुल्क जमा करने के लिए प्रतिबद्ध है। (प्रतिलिपि संलग्न)

- (ग) भारत सरकार/दिल्ली सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा योग्य झुग्गीवासियों के पुनर्वासन पर कार्यवाही की जाएगी।

9. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

10. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

28. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को कम्पोस्ट में बदले जाने के संबंध में विज्ञापन दिए हैं;
- (ख) यदि हाँ तो, इन विज्ञापनों पर खर्च की राशि, और;
- (ग) पराली को कम्पोस्ट में बदले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल पर खर्च की गई धनराशि का विवरण?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) और (ख) पूरे उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कारण उत्पन्न होने वाला विकराल प्रदूषण विगत कई वर्षों से बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आस-पास के राज्यों में पराली जलाने के कारण कई हफ्तों तक दिल्ली के ऊपर प्रदूषण छाया रहता है जिसके कारण दिल्लीवासियों सहित समस्त उत्तर भारतवासियों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। यह जरूरी था कि अनुसंधानकर्ता इस विषय में नई तकनीक ईजाद करें जिसे न सिर्फ दिल्ली बल्कि आस-पास के राज्यों के संज्ञान एवं इस्तेमाल में भी लाया जा सके। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट ने इस वर्ष पराली को कम्पोस्ट खाद में बदलने की एक नई तकनीक ईजाद की थी जिसे दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के किसानों को उपलब्ध कराया गया। लेकिन यह भी जरूरी था कि इस तकनीक की सूचना उन सभी राज्यों के किसानों को पहुंचे जहां से यह धुआं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्योंकि इस प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली बड़ी मात्रा

में उत्सर्जित होता है। क्योंकि इस प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली के आस-पास के राज्य हैं इसलिए लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किये गये थे जिस पर 15,80,36,828/- (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार आठ सौ अठ्ठाईस) रुपये का खर्चा आया था।

- (ग) पूसा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। दिल्ली सरकार के इन प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन कर लगलग 1400-1500 किसानों को पराली को कम्पोस्ट में बदलने का प्रशिक्षण दिया गया। पराली को कम्पोस्ट में बदले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल की खरीद पर आई.ए. आर.आई. पूसा को केवल 40,000/- रुपये का भुगतान किया गया। किसानों में पराली न जलाने के बारे में जागरूकता लाने के लिए विकास विभाग की कृषि शाखा ने 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे। इस पर कुल रुपये 4,69,000/- का खर्चा आया।

29. श्री प्रकाश जारवाल : क्या माननीय शहरी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि ब्लॉक 13 दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में प्लॉट नंबर 18 से 25 को अवैध रूप से एक ही प्लॉट में बदल दिया गया है;

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि इन प्लॉटों पर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है;
- (ग) क्या यह सत्य है कि डीयूएसआईबी ने इन प्लॉटों का एक सर्वे किया था जिसमें इनके मूल आवंटि नहीं पाए गए थे;
- (घ) इन अवैध गतिविधियों के विरुद्ध इसे गिराने सहित अन्य कोई कार्रवाई न किए जाने क्या कारण है;
- (ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है; और
- (च) इन अवैध गतिविधियों को होने देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री:

- (क) हां, प्लॉट नंबर 18 से 25 को एक ही प्लॉट में तब्दील कर दिया गया है।
- (ख) हां, इन भूखंडों पर एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया गया है।
- (ग) यह सत्य है। DUSIB की सर्वे शाखा द्वारा इन प्लॉटों का सर्वे किया गया था।
- (घ) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए, DUSIB Act, 2010 की धारा-41 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- (ङ) कृपया (घ) का उत्तर देखें।

(च) DUSIB के अंतर्गत आने वाले कार्य के लिए उपरोक्त (घ) में वर्णित अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

सहायक आयुक्त, सदन एवं समिति दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के भवन विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सम्पत्ति पर अवैध निर्माण के विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट-1957 की धारा 343/344/345-ए के तहत कार्यवाही की गई है एवं दिनांक 11/11/2020 को तोड़फोड़ एवं सीलिंग की कार्यवाही भी की गई है। (कॉपी संलग्न)।



SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
CORPORATION AND COMMITTEE DEPARTMENT
2nd FLOOR, DR. S.P.M. CIVIC CENTRE
MINTO ROAD, NEW DELHI.

No. F.33/497/VSQ/Starred-29/SDMC/ 351/C&C

Dated: 29.07.2021

To

The Deputy Director,(Parliament Cell),
DUSIB,
Govt. of NCT of Delhi,
Punarwas Bhawan, Room No.31-A,
I.P.Estate, New Delhi.

Sub: Vidhan Sabha Starred Question No.29 by Sh. Prakash Jarwal for 30.07.2021.

I directed to refer to your letter No.एफ.48/त0000-29/दूसरा सत्र दूसरा भाग-2021/विधिस/श.वि.
/डी-184 दिनांक 28.07.2021 and say that though the question was required to be forwarded to
South Delhi Municipal Corporation by Dy. Secretary (Parliament Cell), UD Department, GNCTD.
However, keeping in view the urgency in the matter, the part reply pertaining to SDMC is
enclosed herewith.

Encl: As above.

Assistant Commissioner (C&C)
South DMC

AD (PE))
b
22/7
b.c.m.b

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
सदन एवं समिति विभाग
द्वितीय तल, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002.

क: एफ.33/497/तार/प्रश्न-29/360/स.ए.स

दिनांक : 29.07.2021

उप-निदेशक (संसद प्रकोष्ठ),
संसद कक्ष,
दिल्ली शहरी आश्रय बुधवार बोर्ड,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
पुनर्वास भवन, कक्षा नं० -31,
आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली

विषय: विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 माननीय विधायक श्री प्रकाश जारवाल, दिनांक 30.07.2021 के संदर्भ में।

उपरोक्त विधायक आपके पत्र संख्या एफ.48/तार0-29/दूसरा सत्र दूसरा मान-2020/दिवस/स.वि./सी-184 दिनांक 28.07.2021 के सन्दर्भ में श्री प्रकाश जारवाल, विधायक द्वारा उठाए गये सवाल के सदर्भ में विभागीय उत्तर निम्नलिखित है:-

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि ब्लॉक 13, दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में प्लॉट नंबर 18 से 25 को अक्षय रूप से एक ही प्लॉट में बदल दिया गया है;	(क) से (ड) :- मांगी गई जानकारी DUSIB से संबंधित है।
ख) क्या यह भी सत्य है कि इन प्लॉटों पर एक शीपिंग मील का निर्माण किया गया है;	
ग) क्या यह सत्य है कि डीयूएसआईबी ने इन प्लॉटों का एक साथ किया था जिसमें इनके मूल आर्बटी नहीं पाए गए थे;	
घ) इन अवैध गतिविधियों के विरुद्ध इसे निराने सहित अन्य कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;	
ड) सरकार इस संबंध में क्या फादम उठाने जा रही है; और	
च) इन अवैध गतिविधियों को होने देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ने करने के क्या कारण हैं?	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के भवन विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सम्पत्ति पर अवैध निर्माण के विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट-1987 की धारा 343/344/345-ए के तहत कार्यवाही की गई है एवं दिनांक 11/11/2020 को लोडशेड एवं सीलिंग की कार्यवाही भी की गई है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है।

भवदीय
सदन एवं समिति, 29/07/2021

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI,
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (JJR)

SURVEY REPORT

No.DD(JJR)/DUSIB/D:-123/2020

Dated:- 21/08/2020

Subject:- Site inspection report of plot No. 18 to 23, Blk.13, Dakshinpuri Extn, N.D.

Director (T.P.) DUSIB is requested to conduct the complete survey of the above mentioned Plot showing the factual position regarding occupation & Un-authorized construction raised if any as well as amalgamation with adjacent plot.

R-33/09/018(DUSIB)/R-444/Du-(T.P.)/2020
25/08/20

Director (T.P.)

Dy. Director (JJR)

D.D. (Survey)

Pt. Putup Report:

21/8/20

Sh. Virender Singh
Surveyor

संदेह - निर्देशानुसार विषय से संबंधित प्लॉट नं. 18 से 23 ब्लॉक नं. 13 दक्षिण पुरी एक्सटेंशन नई दिल्ली का सर्वेक्षण बल द्वारा स्थल सर्वेक्षण किया गया जिसकी विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है। प्लॉट नं. 13/18 से 13/23 तक सभी प्लॉटों की मिलाकर बैसमेंट (Basement) व ग्राउंड फ्लोर (GROUND FLOOR) बनाया हुआ है और इससे ऊपर प्रथम तल पर प्लॉट नं. 13/24 और 13/25 को और मिलाकर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल बनाया हुआ है।

P.T.O.

- और चौथे तल पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका निर्माण
प्लान बनाकर साथ संलग्न कर दिया गया है और दक्षिण
पुर्वी व सवर्णशीर से बड़े कोलानी के ले आकर प्लान में
विषय से संबंधित सभी प्लॉटों को ताल में चित्र
दर्शी दिया गया है व ले आकर प्लान साथ संलग्न है।
2. भूमि पर प्लॉट के दौरान कलजा धारी का नाम
और कुलाल चंद्र 5% ओ सी हेन्ड बट्टा बताया गया।
 3. इस सवर्ण से सर्वे डिजाईन के अनुसार प्लॉट का सर्वेज
 $6.86m \times 3.05m = 25$ वर्ग गज है, व 1.35 सजित निर्मित
करना प्रस्तावित है।
 4. कलजा धारी द्वारा बैसमेंट में मारनीयर को दुकान-आर्क है,
भूतल (GROUND FLOOR) पर उल्लेखित के संबंधित
दुकान चल रही है।
- प्रथम तल (FIRST FLOOR) पर फर्नीचर व इलेक्ट्रिक तल
पर फर्नीचर संबंधित कार्य है, व तृतीय तल पर रिग
संबंधित कार्य चल रहा था व चौथे मंजिल पर निर्माण
कार्य चल रहा था।
- रिपोर्ट अप्रिम कार्य जारी है प्रस्तुत है।

18-2/2020
R-896/20 (532)
20/9/20

31/8/20

उप निदेशक (निर्वाह)

31/8/20

31/8/20

31/8/20

DD (18/8) on land duty

AD (52)

1/9/20

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
(OFFICE OF ADDITIONAL COMMISSIONER "ENCS")
TOWN HALL, DELHI

NO. D/328/ADDL. CM.(E)/97

Dated:- 15th September, 1997

C I R C U L A R

The Delhi Administration vide notification No. F.12/22/E7-P/L&B/1949-66, dated 27th May, 1988 ordered to transfer the 44 resettlement colonies on lock, stock and barrel from D.D.A. to the Municipal Corporation of Delhi w.e.f. 1.6.1988. The maintenance of these colonies became the responsibility of the M.C.D. There has, however, been some confusion about the jurisdiction of authorities responsible for exercising building control activities in these resettlement colonies and also about the protection of open lands and maintenance of the markets/ shopping complexes located in these colonies. The markets consist of convenient shopping centres, Local shopping Centres, Community Centres, Special Component Stalls, Kiosks.

2. A meeting was held in the chamber of Commissioner, MCD on 23.8.1996, the minutes of which were circulated vide No. PM/1820/154/S/96/DD(P&M)/D-504, dated 30.8.1996. It was decided in the meeting that all the open spaces in the J.J. resettlement colonies which were taken over by the M.C.D. from the D.D.A. would be protected by the General Wing of the M.C.D. at every cost and under all circumstances. No encroachments on open public lands should be tolerated and wherever the same have taken place, corrective measures should be taken immediately for lodging FIRs. In addition to demolition action. As regards enforcement of building control activities in such colonies, it was decided that the building activities in all the J.J. and resettlement colonies would be controlled by the Building Deptt. of the M.C.D. It was also further decided that in all such colonies where people have carried out unauthorised constructions on more than one plots by amalgamating them, necessary action should be initiated under provisions of law. A circular was also issued vide No. D/423/ADDL. CM.(E)/96, dated 16.9.1996 under signatures of Shri V.K. Duggal, Commissioner, MCD whereby clear directions were issued that henceforth the General Wing of the M.C.D. would control the building activities in the said colonies. Copies of standard plans for the construction on the plots measuring 25 sq yds. in such colonies were also enclosed with the circular directing to take prompt action under relevant sections of the DMC Act

Against the unauthorised ~~construction~~ ^{carried} out in violation of these drawings/plans.

3. In the meeting held in the chamber of Commissioner on 8.9.1997 the issue regarding maintenance of markets located in these colonies came up for discussion and it was noted that some of the officers of the General Wing were not paying due attention to the maintenance of these markets on the plea that since the ownership of these markets vested with the Slum Department, it was their responsibility to maintain the markets. After detailed discussion it has been decided by the Commissioner that it is the responsibility of the General Wing of the M.C.D. to provide cleanliness, scavenging etc. in these markets.

4. The above instructions may please be noted for strict compliance by all concerned and they should immediately start regularly undertaking maintenance of the shopping complexes in all the resettlement colonies. There should now be no confusion about the jurisdictional responsibility regarding the land protection, prevention of unauthorised constructions and proper maintenance of the entire area of the J.J. resettlement colonies including markets.

5. This issues under order of the Commissioner.

Sd/-

(V.S. SHARMA)

ADDITIONAL COMMISSIONER(ENGG.)

DISTRIBUTION:-

1. All Addl. Cms./ Dy. Cms.(HQs).
2. Engineer-in-Chief.
3. All Chief Engineers.
4. All Dy. Mpl. Commissioners.
5. Director/ESD.

Copy to:- Commissioner, M.C.D. for information.

LAND & BUILDING DEPARTMENT
VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

NO.F.12/22/87-P/1AB

Dated the 27th May, 1980.

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section(1) of section 12 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with notification of the Govt. of India, M/o Health, Family Planning and Urban Development No.10011,28/67-UD dated.14.2.69, the Administrator of Union Territory of Delhi hereby denotify 44 resettlement colonies as mentioned in the list enclosed (declared as developed areas) vide notification issued from time to time.

The Administrator of the Union Territory of Delhi is also pleased to order that the 44 resettlement colonies (list enclosed) will stand transferred lock, stock and barrel from Delhi Development Authority to the Municipal Corporation of Delhi w.e.f. 1.6.1980. The Municipal Corporation of Delhi will take over all the maintenance staff working in these colonies from the DDA excluding the Engineers; according to the M.C.D. pattern. Only those Engineers will revert back to the M.C.D. who were transferred to the DDA when these colonies were handed over to the DDA from M.C.D.

By Order.

Sd/-
(GANGA DAS)
Commr. & Secretary (L&B)

No.F.12/22/87-P/120/0947-66

Dated the 27th May, 1980.

Copy forwarded to:-

1. Secretary to the Govt. of India, M/O, Urban Development, Vikas Bhawan, New Delhi.
2. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
3. Commissioner (L&B) DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
4. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
5. Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. Town Planner, M.C.D., Old Hindu College Building, K. Gate, Delhi.
7. Secretary DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
8. Secretary to Lt. Governor, Raj Bhwas, Delhi.
9. Secretary (Law & Just.), Delhi Administration, Delhi.
10. Administrator, NDMC, Palika Bhawan, New Delhi.
11. Under Secretary (L&B), Vikas Bhawan, New Delhi.
12. Asstt. Housing Commissioner (Coordn.) Land & Building, Deptt. Delhi Admn., Vikas Bhawan, New Delhi.
13. Chief Engineer, DDA Vikas Sadan, INA, New Delhi.
14. Tehsildar (L&B) Vikas Bhawan, New Delhi.
15. Deputy Commissioner (Water), Link House, Bahadur Shah Zafar Marg, I.P. Estate, New Delhi.
16. Under Secretary (L&B), Land & Building Deptt., Delhi Admn., Vikas Bhawan, New Delhi.
17. P.S. to Chief Secretary, Delhi Admn., Delhi.
18. P.S. to Commr. & Secretary (L&B), Delhi Admn., Delhi.

Sd/-
(GANGA DAS)
COMM. & SECRETARY (L&B)

Encl., P/2.

1. ✓ Khayala Ph-I
2. ✓ Chauhani
3. ✓ Pandav Nagar
4. ✓ Shikarpur Ph-I
5. ✓ Shikarpur Ph-II
6. ✓ Khayala Ph-II
7. ✓ Khayala Ph-III
8. ✓ Marvada
9. ✓ Manglapuri
10. ✓ Madipur
11. ✓ Khampur
12. ✓ Jwalapuri Ph-I
13. ✓ Jwalapuri Ph-II
14. ✓ Khand Nagar Block A to E
15. ✓ Khand Nagar Block F to L
16. ✓ New Seemapuri
17. ✓ Mochi Bugh
18. ✓ Wazirpur
19. ✓ Old Seemapuri
20. ✓ Seelampur Ph-I
21. ✓ Seelampur Ph-II
22. ✓ Trilokpur Ph-I & II
23. ✓ Seelampur Ph-III
24. ✓ Katchipuri
25. ✓ Kalyanpuri
26. ✓ Munakpuri
27. ✓ Seelampur Ph-IV
28. ✓ Mangol Ph-I
29. ✓ Mangol Ph-II
30. ✓ Mangol Ph-III
31. ✓ Mangolpuri
32. ✓ Suitanpuri
33. ✓ Jangpalsar
34. ✓ Pankha Rd. & Badli
35. ✓ Gokulpuri
36. ✓ Gokulpuri Extn.
37. ✓ T.P.
38. ✓ Madangir Ph-II
39. ✓ Madangir Ph-I
40. ✓ Sunlight colony
41. ✓ Srinivaspuri
42. ✓ Gokulpuri
43. ✓ Haldipur

(No more a resettlement colony).

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
(PLANNING DEPARTMENT)

NO: D/3200 EEC(P) II

DATED: 1-7-88

Copy to:

1. E.L.G. for kind information.
 2. All Chief Engineers
 3. All D.Co
 4. All S.Es
 5. All E.Es
 6. Director C.S.E.
 7. T.P.
 8. A.C. (L & E)
 9. A.C. (Community Services)
 10. All T.A./A.D.Gs (x 3)
- This issues prior approval of Chief Engineer II.

11. E.L.G. W & S.D.V.

Sd/-
Ex. Engineer (P) II, 1-7-88Sd/-
PcV.E.
Pc

11/12/88

30. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में गंदे पानी को बिहारीपुर ड्रेन, बाँध ड्रेन और रिलीफ ड्रेन के द्वारा निकाला जाता है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड 0 आरडी और 30 आरडी जौहरीपुर के बीच एक इंटरसेप्टर बना रही है।
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि ड्रेन के सँकरे होने का कारण इंटरसेप्टर ने काम करना आरंभ नहीं किया है, जिससे क्षेत्र में गंदा पानी जमा हो रहा है;
- (घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) क्या यह भी सत्य है कि 0 आरडी और 30 आरडी के पास भागीरथ संयंत्र से रेत भरा पानी आ रहा है, जिसे एस्केप ड्रेन में छोड़ा जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पानी भर रहा है।
- (च) यदि हाँ, तो रेत भरा पानी छोड़ने के लिए या ड्रेन की सफाई के लिए क्या कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है; और
- (छ) यदि हाँ, तो उसका विवरण?

माननीय जल मंत्री :

- (क) जी हाँ।

- (ख) जी हाँ, जौहरीपुर ड्रेन के इंटरसेप्टर सीवर का कार्य पूरा हो चुका है।
- (ग) नहीं, यह सत्य नहीं है, सभी इंटरसेप्टर चैम्बर सुचारु रूप से काम कर रहे हैं।
- (घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।
- (ङ) जी नहीं। सभी जल शोधन संयंत्रों में पानी की सफाई के पश्चात प्रोसेस वेस्ट वाटर निकलता है, जिसे नजदीक के नाले में छोड़ा जाता है। भागीरथी जल संयंत्र में भी जल संशोधन के पश्चात बचे हुए प्रोसेस वेस्ट वाटर को ड्रेन में छोड़ा जाता है।
- (च) एवं (छ) समय-समय पर ड्रेन की सफाई की जाती है।

31. श्री अजय कुमार महावर : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है और दिल्ली एक गैस चैंबर में परिवर्तित हो रही है;
- (ख) विगत सात वर्षों में सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए कदम;
- (ग) अब तक एकत्रित किए गए ग्रीन सेस टैक्स की राशि, इसके लिए अब तक किए जा चुके खर्च, और भविष्य में प्रस्तावित खर्च का विवरण;

- (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद लगाए गए स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन, डस्ट क्लेक्टिंग मशीनों आदि की संख्या बताएं;
- (ङ) जैसा कहा गया था क्या उसके अनुरूप हेलीकॉप्टर से जल-छिड़काव का कोई प्रस्ताव है;
- (च) विगत पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में लगाए गए वृक्षों की संख्या; और
- (छ) विगत पांच वर्षों के दौरान घौंडा विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों की संख्या क्या है?

पर्यावरण मंत्री :

- (क) दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण और विशेषकर पराली जलाए जाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर अनेक सुनवाईयों के दौरान कुछ टिप्पणियां की हैं।
- (ख) दिल्ली शहर अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण वायु प्रदूषण के संदर्भ में एक जटिल शहरी पर्यावरण है और इसे आस्थगित कण-PM10 और PM2.5 दोनों के कारण गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के अंदर और बाहर अनेक ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जो वायु में PM10 और PM2.5 में योगदान करते हैं। अधिकांश प्रदूषक तत्वों का सहअस्तित्व है और उनके साझा स्रोत हैं, लेकिन कुल मिलाकर वर्ष 2014 में 324 PPM से घटकर 2021 में 187 पीपीएम पर आ गया है, जबकि पीएम 2014 के

149 PPM से घटकर 2021 में 101 पीपीएम पर आ गया है। वायु प्रदूषण स्तर में सकारात्मक कमी के संदर्भ में सरकार का प्रयास बहुत की महत्वपूर्ण रहा है।

1. सरकार द्वारा किए गए उपाय :

1. वायु गुणवत्ता की लगातार वास्तविक समय आधार पर निगरानी : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पिछले दशक के दौरान वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया है, इसके तहत 24 निगरानी केंद्र हैं। इन केंद्रों से उपलब्ध आंकड़े (DATA) सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

2. शोध अध्ययन : आईआईटी कानपुर ने 2016 में तथा The Energy and Resources Institute (TERI) ने 2018 में, Source Apportionment Study of NCT of Delhi, आईआईटी मद्रास ने 2018 में Source apportionment of ambient particulate matter during winter season. और आयोजना और स्थापत्य स्कूल (SPA) ने 2020 में Carrying capacity of Air Environment, NCT Delhi, नामक अध्ययन किये थे। इन अध्ययनों ने दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई, जिसका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण रणनीति बनाने में किया जा रहा है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति-(DPCC) वर्ष 2021 में आईआईटी कानपुर के संकाय के साथ दिल्ली में प्रदूषक तत्वों के वास्तविक स्रोत विभाजन के बारे में अध्ययन के लिए समझौता करेगी।

3. **चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (GRAP) :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता के संबंध में एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.12.2016 के आदेश के अनुरूप विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) श्रेणियों के तहत क्रियान्वयन के लिए एक चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुरूप GRAP में ये श्रेणियां हैं—सामान्य और खराब, बहुत खराब, गंभीर और अत्यंत गंभीर या आपात स्थिति। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12.01.2017 के एस.ओ. 118 (ई.) द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) के माध्यम से चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना का क्रियान्वयन अधिसूचित किया है। पर्यावरण विभाग और अन्य हितधारकों द्वारा प्रासंगिक/आकस्मिक वायु प्रदूषण स्थितियों के नियंत्रण के लिए चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना एक आपात कार्रवाई प्रणाली के रूप में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत वायु गुणवत्ता के विभिन्न चरणों के लिए विशेष उपायों का प्रावधान है जैसे—उत्सर्जन और ईंधन गुणवत्ता में सुधार तथा वाहनों के लिए अन्य उपाय, वाहनों की संख्या कम करना, गैर मोटरकृत परिवहन नेटवर्क, पार्किंग नीति, यातायात प्रबंधन, ईंटों के भट्ठे, जेनरेटर सेट नियंत्रण, खुले में कचरा जलाना, खुले में खाना बनाने, सड़कों से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्यों से उत्पन्न होने वाली धूल सहित प्रदूषण फैलाने वाले बिजली संयंत्रों और उद्योगों को बंद करना।

सर्दियों की शुरुआत के दौरान प्रतिवर्ष नियमित रूप से चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना के अत्यंत खराब/गंभीर प्रावधानों को लागू किया जाता है और निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा स्थानीय शहरी निकायों/भू स्वामित्व एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है :

- स्थानीय शहरी निकायों द्वारा एंटी स्मॉग गन, यांत्रिक सड़क स्वीपर और सड़क पुनर्निलंबन धूल कम करने के लिए पानी छिड़काव की व्यवस्था की जाती है,
- धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कूड़ा-कचरा तथा भू-एजेंसियों द्वारा निर्माण और तोड़-फोड़ गतिविधियों से निकलने वाले कचरे को खुले में जमा करने की रोकथाम के लिए खाली पड़े स्थानों की पहचान करना,
- सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरना:-
- धूल की रोकथाम के लिए सड़क किनारे पौधे लगाना और फुटपाथ बनाना,
- उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करना,
- खुले में अवशेष जलाने की रोकथाम करना,
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना और यातायात जाम में कमी लाना इत्यादि।

4. **व्यापक कार्य योजना (CAP) :** माननीय हरित अधिकरण ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित श्री विश्वमोहन के आलेख “102 शहरों में वायु स्वच्छता के लिए विभिन्न समयसीमाओं के साथ 15 अगस्त के आसपास राष्ट्रीय व्यापक कार्य योजना (NCAP)” के संदर्भ में ओ.ए. संख्या 681/2018 में, दिनांक 08.10.2018 के अपने आदेश में दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम की रणनीतियों के साथ कार्य योजना तैयार करने के वास्ते वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (AQMC) गठित करने का निर्देश दिया। यह कार्ययोजना चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (GRAP) लागू करने का भी प्रावधान करती है। व्यापक कार्य योजना पर्यावरण विभाग तथा अन्य हितधारकों द्वारा लागू की जा रही है और तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सौंपी जाती है।

5. **प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों (Hotspots) के लिए कार्ययोजना :** दिल्ली में स्थानीय स्रोतों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 के दौरान 13 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, PM10 और PM2.5 के उच्चतर स्तर के आधार पर, की गई। संबंधित नगर निगमों के उपायुक्तों को अपने कार्यक्षेत्र में सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां इस प्रकार हैं :

- i. संवेदनशील क्षेत्रों की भौगोलिक मैपिंग : वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के दो किलोमीटर के दायरे में PM10 और PM2.5 के उच्चस्तर वाले क्षेत्र।
- ii. स्थल पर निरीक्षण : संबंधित एमसीडी के उपायुक्त की निगरानी में स्थानीय अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा प्रगति की समीक्षा के लिए क्षेत्र का दौरा।
- iii. गतिविधियों की समीक्षा के लिए टेम्प्लेट तैयार करना किए गए निरीक्षणों के आधार पर लघु अवधि की कार्ययोजना (Short Term Action Plan) की तैयारी
- iv. निपटाये जा रहे मुद्दों की श्रेणियां इस प्रकार हैं :
 - सड़कों और खुले स्थलों से मलबा हटाना
 - सड़कों और खुले स्थलों से कूड़ा-करकट हटाना
 - सड़कों की मरम्मत
 - यातायात जाम वाले स्थलों की पहचान और यहां से भीड़-भाड़ कम करना
 - यंत्रों की मदद से सड़कों की सफाई
 - सड़कों पर पानी छिड़काव
 - जैव कचरा जलाने की रोकथाम के लिए रात्रिकालीन गश्ती (Night patrolling)

- v. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है और इसे प्रतिदिन दिल्ली राज्य पर्यावरण स्वास्थ्य बुलेटिन के प्रकाशन के जरिए, विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदूषण कम करने की कार्रवाई के साथ मिलाया जाता है।
6. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग** : अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश-‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020’ द्वारा आयोग का गठन किया गया था। इसका कार्यक्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित विशेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। आयोग को वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इन राज्यों की सरकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संदर्भ में सड़क से उड़ने वाली धूल के प्रबंधन, विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण में कमी लाने, सुरक्षित निगरानी और क्रियान्वयन, हरित क्षेत्र लगाने और यातायात प्रबंधन के कार्यों के संदर्भ में जारी निर्देशों का अनुपालन संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है।

II. क्षेत्रवार किए गए विशेष उपाय :

1. खुले में अवशेष जलाने की रोकथाम

सरकार ने खुले में पत्तियों/कूड़ा-कचरा जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया है।

- i. राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एसडीएम, तहसीलदारों (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) को नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुरूप जुर्माना लगाया जा रहा है।
- ii. कूड़ा स्थलों पर लगने वाली आग की रोकथाम उत्तरी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा भलस्वा, ओखला और गाजीपुर कूड़ा स्थलों पर आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित निगरानी रखी जाती है। पिछले वर्षों में आग लगने की घटनाओं के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि पाई गई है। सभी कूड़ा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे/कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई है। आग लगने की घटनाओं की निगरानी के लिए कूड़ा स्थलों के आसपास चौबीसों घंटे अधिकारियों की तैनाती की गई है।
- iii. खुले में पत्तियां, कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि जलाने की रोकथाम और निर्माण स्थलों पर धूल-नियंत्रण के उपायों के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की गईं।
- iv. खुले स्थलों, सड़क किनारे और औद्योगिक क्षेत्रों में जैव अवशिष्ट/कूड़ा-कचरा जलाने की रोकथाम के लिए नगर निगमों, जिला प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रदूषण

नियंत्रण समिति द्वारा रात्रि गश्ती सहित नियमित निगरानी के लिए 169 टीमें तैनात की गई हैं।

- v. जुर्माना लगाना : लोगों को प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम के पार्कों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। ओ ए 21/2014 में माननीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमों का उल्लंघन करने की प्रत्येक घटना पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।

2. पराली जलाने की रोकथाम :

- i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दिल्ली की कृषि भूमि पर आईएआरआई द्वारा विकसित जैव डि-कंपोजर का निशुल्क छिड़काव किया गया।
- ii. फसल अवशिष्ट जलाने के संबंधित नियमों के उल्लंघन पर एसडीएम द्वारा जुर्माना लगाया गया।
- iii. किसानों को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है।
- iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने अन्य एनसीआर राज्यों को पराली नष्ट करने के लिए आईएआरआई पूसा प्रौद्योगिकी के उपयोग का परामर्श देने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में याचिका दाखिल की।

3. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

- i. दिल्ली सरकार ने 2018 में हरित बजट पारित किया जिसमें निम्नलिखित के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है :
 - * उद्योगों को पीएनजी उद्योग में से बदलने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा 04.09.2018 को अनुमोदित किया गया। आरंभिक लक्ष्य 1644 औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में बदलने का था जिसे, कुछ इकाइयों के बंद होने के कारण, बाद में संशोधित कर 1636 कर दिया गया। अब तक 1635 औद्योगिक इकाइयां पीएनजी इकाइयों में बदल चुकी हैं।
 - * कोयले से जलने वाली तंदूरों को गैस/पीएनजी आधारित तंदूरों में बदलने का निर्णय मंत्रिमंडल ने 04.09.2018 को अनुमोदित किया।
- ii. अनुमोदित ईंधन अधिसूचना : डीपीसीसी ने अनुमोदित ईंधन अधिसूचना 29.6.2018 को जारी की। अधिसूचना के अनुसार केवल स्वीकृत ईंधन का ही उपयोग किया जा सकता है।
- iii. डीपीसीसी उन औद्योगिक इकाइयों पर लगातार नजर रख रहा है जिनसे प्रदूषण फैलने की आशंका है। स्व आकलन के लिए DPCC उद्योगों को ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब तक 149 ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणालियां लगाई जा चुकी है।

- iv. DPCC ने 02.07.2021 को निर्देश जारी किए कि 125 KVA और उससे अधिक क्षमता वाले सभी परिचालित डीजी सेटों में एक ऐसा उत्सर्जन नियंत्रण डिवाइस/उपकरण रिट्रोफिट किया जाये, जिसकी क्षमता 5 मोड D2 चक्र में कम से कम 70 प्रतिशत निर्दिष्ट आस्थगित कणों को अभिग्रहण या capture करने की हो, या फिर नए गैस आधारित जनरेटर नियोजित करते हुए उन्हें गैस आधारित जनरेटरों में परिवर्तित किया जाए।

4. हरित क्षेत्र बढ़ाना और पक्के फुटपाथ बनाना

- i. वन विभाग और 20 हरित एजेंसियों/विभागों द्वारा कार्बन अवशोषण के लिए हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाना : दिल्ली के हरित क्षेत्र में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। यह 2001 में 10.18 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 20.59 प्रतिशत हो गया। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार 2019 में यह दायरा 21.88 प्रतिशत हो गया।
- ii. दिल्ली में प्रत्येक वर्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम (टीपीपी) के तहत पौध रोपण अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन और वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और 20 हरित एजेंसियों के सहयोग से यह कार्यक्रम तैयार किया है। 20 एजेंसियों में डीडीए, दिल्ली नगर निगम, शिक्षा विभाग, एनडीपीएल (टाटा पावर डीडीएल), बीएसईएस, डीएमआरसी, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी,

सीपीडब्ल्यूडी, उत्तरी रेलवे, दिल्ली छावनी' बोर्ड, एनडीएमसी, डीटीसी, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यावरण विभाग (बागवानी इकाई), स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड शामिल हैं।

- iii. वर्ष 2020-21 के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 15 लाख 20 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने राज्य में 31 लाख 50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है और लगभग 27 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।
- iv. प्रत्येक वर्ष व्यापक वृक्षा रोपण अभियान चलाया जाता है इसमें हरित एजेंसियां, ईको-क्लब और रेजिडेंट वेलफेयर एसोशियेशन शामिल हैं। पर्यावरण विभाग आरडब्ल्यूए को पार्कों के सौंदर्यीकरण और रख-रखाव के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराता है। हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने और पक्के फुटपाथों के लिए बहु एजेंसी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।
- v. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगमों ने पौधरोपण/हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिनांक 06.05.2021 के निर्देशों पर व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

5. धूल मिट्टी/सड़क पुनर्निलंबन धूल और अन्य उत्सर्जकों की रोकथाम और नियंत्रण :

- i. जून 2018 में विभिन्न स्थानीय निकायों को निर्माण स्थलों और

सड़क के धूल-धुसरित भागों पर dust suppressants का उपयोग करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

- ii. धूल नियंत्रण उपायों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई : सरकार ने निर्माण परियोजना एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल नियंत्रण उपाय लागू कर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, डीपीसीसी और पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन और नियमों के उल्लंघन पर दंडित किए जाने के लिए नियमित रूप से परियोजनाओं की जांच कर रहे हैं।
- तहसीलदारों (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के साथ एसडीएम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नियमों के उल्लंघन पर समुचित कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुरूप जुर्माना लगाया जा रहा है।
 - स्थानीय निकाय, पीडब्ल्यूडी, डीपीसीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन और डेमालिशन अपशिष्ट ले जाने वाले वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुमाना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
 - सभी स्थानीय निकायों और डीडीए से उनकी स्वीकृत भवन निर्माण योजना में धूल नियंत्रण उपाय लागू करने के संदर्भ में लोगों, विशेष रूप से भू-स्वामियों और बिल्डरों को नियमों

के बारे में जागरूक करने को कहा गया है।

- डीपीसीसी उन निर्माण परियोजनाओं (Built-up area 20 हजार वर्गमीटर से अधिक की) पर जुर्माना लगा रहा है जिन्होंने पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली है।
- iii. शहरी स्थानीय निकाय और पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क किनारे हरित क्षेत्र बढ़ाने और पक्के फुटपाथ बनाने का काम किया जा रहा है। ताकि वायु में धूल उत्सर्जन पर अंकुश लगाया जा सके। जल छिड़काव यंत्र (संख्या में 298) तथा यांत्रिक रोड स्वीपर (संख्या में 60) का उपयोग धूल नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।
- iv. मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की निगरानी का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इस कार्य में आरडब्ल्यूए की भी मदद ली जाती है। सफाई कार्य के समय निर्धारण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वीपिंग कार्य और धूल नियंत्रण के लिए पानी छिड़काव की निगरानी जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग से की जाती हैं। अवजल उपचार संयंत्रों (STPs) से उपचारित अवजल का उपयोग छिड़काव के लिए सुनिश्चित किया गया है। प्रतिदिन लगभग लगभग 1612 किलोमीटर लड़कों की सफाई और लगभग 1303 किलोमीटर सड़कों पर पानी छिड़काव का काम किया जाता है।

- v. रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) संयंत्रों से धूल प्रदूषण : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत सभी आरएमसी संयंत्रों की जांच के लिए टीमों का गठन किया है।
- vi. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सड़क निर्माण/रख-रखाव एजेंसियों द्वारा धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया गया है। इन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिनांक 12.02.2021 के निर्देशों के आधार पर विशेष रूप से धूल नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है।
- vii. Dust suppressants और रोड स्वीपिंग मशीन (MRS) के उपयोग, जमा की गई धूल-मिट्टी के निस्तारण, हरित क्षेत्र बढ़ाने सहित धूल प्रबंधन की पायलट परियोजनाएं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिनांक 19.05.2021 के निर्देशों के आधार पर नगर निगमों द्वारा तैयार की गई है।

6. निर्माण और विध्वंस संबंधी गतिविधियां :

- i. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन अपशिष्ट डाले जाने की रोकथाम निर्माण और तोड़-फोड़ मलबे का सही प्रबंधन नहीं होने से इसे सड़क किनारे या खाली पड़े स्थलों पर डाल दिया जाता है और वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बनता है। शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग इत्यादि अपने संबंधित क्षेत्रों में मलबा

जमा करने के अवैध स्थलों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से सर्वे करते हैं ताकि इन अवैध स्थलों को हटाया जा सके और मलबे को प्रसंस्करण और उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए पुनःचक्रण केंद्रों तक भेजा जा सके।

- ii. प्रमुख निर्माण स्थलों (Built up area 20000 वर्ग मीटर से अधिक) के निरीक्षण का काम डीपीसीसी द्वारा और शेष निर्माण स्थलों का निरीक्षण नगर निकायों द्वारा किया जाता है। धूल नियंत्रण से संबंधित, दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी जांच की जाती है और लोगों में धूल नियंत्रण उपायों के प्रति जागरूकता लाई जाती है। नियमों के अनुपालन में बार-बार विफल रहने पर समुचित कार्रवाई की जाती है।
- iii. सभी निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन (Anti Smog Gun) लगाया जाना सुनिश्चित करना : अधिक धूल प्रदूषण की आशंका वाले 60 प्रमुख निर्माण स्थलों की मैपिंग की गई है और नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
- iv. 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक के बिल्टअप एरिया वाली शेष परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू होने से पहले एंटी स्मॉग गन लगाए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। 56 निर्माणाधीन स्थलों (बिल्टअप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक) में एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं।

- v. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की टीमों निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की परियोजना में निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण के आवश्यक उपाय किए गए हैं।
- vi. DPCC द्वारा निर्माण और विध्वंस गतिविधियों/मिट्टी/कचरा जमा किए जाने/आरएमसी संयंत्र लगाए जाने पर 237 लाख 20 हजार रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है जिसमें से अब तक 144 लाख साठ हजार रुपये वसूले जा चुके हैं।

7. जागरूकता अभियान और जनभागीदारी

- i. **रेड लाइट ऑन होने पर वाहन ऑफ करने का अभियान (Red Light on Gaddi off Campaign) :** दिल्ली में वाहन उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 100 ट्रेफिक चौराहों पर 2500 सिविल डिफेंस स्वयं सेवक की मदद से 'पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 21 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक जन जागरूकता अभियान 'रेड लाइट ऑन : गाड़ी ऑफ' का पहला चरण और 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020-तक दूसरा चरण चलाया। यह पहल वाहन चालकों को ईंधन बचाने के साथ वाहन उत्सर्जन कम करने के लिए इंजन स्विच ऑफ करने की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए की गई।
- ii. पर्यावरण विभाग ने आरडब्ल्यूए, स्कूल/कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान

- और सरकारी विभागों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यशालाओं का आयोजन किया।
- iii. 14 जून 2017 को 'खुले में किसी भी प्रकार का अवशेष जलाने पर पाबंदी-बड़े बदलाव के लिए एक छोटा कदम' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- iv. 11 जुलाई 2018 और 16 अप्रैल 2019 को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत ध्वनि सीमा सहित ध्वनि और शोरगुल के बीच का फर्क स्पष्ट किया गया। ध्वनि का स्तर मापने और तनाव संबंधी रोगों और इनकी रोकथाम में आवाज की भूमिका के बारे में एक जानकारी सत्र भी संचालित किया गया। आतिशबाजी के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष ईको-क्लब स्कूलों/कालेजों के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया।
- v. 2020-21 के दौरान कोरोना लॉकडाउन/कोविड महामारी संबंधी दिशा-निर्देशों के कारण इको क्लब स्कूलों/कालेजों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाएं स्थगित करनी पड़ीं, लेकिन स्कूलों के साथ सूचना शिक्षा संचार सामग्री, प्रस्तुतियों और अन्य जानकारियां ऑनलाइन साझा की गईं।
- vi. पर्यावरण विभाग दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपायों के बारे में माननीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में नियमित

रूप से सम्मेलनों/परिचर्चाओं का आयोजन करता है। इन चर्चाओं में वायु प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति के बारे में सुझाव देने के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, निजी और सरकारी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इन सम्मेलनों और परिचर्चाओं से दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने में मदद मिली है। इन सम्मेलनों से प्राप्त व्यवहारिक सुझावों को प्रदूषण रोकथाम की कार्ययोजनाओं में लागू किया गया।

8. वाहन प्रदूषण रोकथाम उपायें

- i. **हल्के और भारी व्यवसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर शुल्क प्रभारित करना** : माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में दिल्ली आने वाले हल्के और भारी माल वाहक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार लगाया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचना जारी की गई है और इसे परिवहन विभाग तथा एसडीएमसी द्वारा लागू किया जा रहा है।
- ii. **ऑड-इवन स्कीम** : परिवहन विभाग ने 01.01.2016 से 15.01.2016 तक और फिर 15.04.2016 से 30.04.2016 तक और नवंबर 2019 में ऑड-इवन वाहन योजना लागू की।

iii. **सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में वृद्धि :** मौजूदा समय में दिल्ली के बस बेड़े (Fleet) में 6750 बसें हैं (3760 डीटीसी 2990 क्लस्टर बसें)। इसके अलावा लगभग 800 मिनी बसों और 174 मेट्रो फीडर बसों के जरिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तीन हजार (1311 बसें पहले से ही लगाई जा चुकी हैं) क्लस्टर बसों को लगाने का प्रस्ताव है और 1300 डीटीसी बसें परिचालित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

iv. **विद्युत् वाहनों को प्रोत्साहन :** दिल्ली विद्युत वाहन नीति को दिनांक 23.12.2019 के मंत्रिमंडलीय निर्णय द्वारा स्वीकृत दी गई। इससे बाद परिवहन विभाग ने 07.08.2020 को इसे अधिसूचित किया। नीति का उद्देश्य दिल्ली में विद्युत चालित वाहनों को तेजी से अपनाना है और इन वाहनों की चार्जिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सृजित करना है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जाएंगे :

क. वित्तीय प्रोत्साहन-खरीद में प्रोत्साहन, पुराना वाहनों को बेचे जाने संबंधी प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज छूट।

ख. सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट।

ग. चार्जिंग केंद्रों और बैटरी अदला-बदली केंद्रों का नेटवर्क। स्थापित करना। इस बारे में अपेक्षित अधिसूचना जारी किया जाना अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचारधीन है। 30 अप्रैल 2021 तक 85 विद्युत वाहन केन्द्र स्थापित किए गए हैं (ईवी पोर्टल "ev.delhi.gov.in" के अनुसार)।

घ. 04.02.2021 को स्विच दिल्ली (Switch Delhi) अभियान शुरू किया गया। वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.02.2021 द्वारा विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए विद्युत् वाहन अपनाया जाना अनिवार्य बनाया गया। इन विभागों के मौजूदा किराये के पेट्रोल/डीजल/सीएनजी वाहनों को 6 महीने की समयसीमा के भीतर लीज/किराये के वाहन मॉडल के जरिए विद्युत वाहनों में बदले जाने और पुराने वाहनों की जगह नए विद्युत वाहन खरीदे जाने को अनिवार्य बनाया गया।

v. **यातायात प्रबंधन :** प्रमुख मार्गों पर आने-जाने वालों की सुविधा के लिए ट्रैफिक जाम और भीड़-भाड़ के दौरान मार्ग परिवर्तन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रमुख यात्रा मार्गों के 50 प्रमुख स्थलों पर 3G कनेक्टिविटी के साथ 50 वीएमएस (परिवर्तनीय संकेत चिन्ह) बोर्ड लगाए हैं। यातायात पुलिस मुख्यालय में इनके लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। वीएमएस बोर्ड के जरिए आने-जाने वालों को यातायात के संबंधित सूचना दी जाती है।

9. गैर अनुरूप क्षेत्रों में उद्योग :

i. दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अनधिकृत/गैर कानूनी/गैर अनुरूप उद्योगों को बंद करने/स्थानांतरित करने के संदर्भ में माननीय

उच्चतम न्यायालय के एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में, डब्ल्यू पी (सी) संख्या 4677/1985 [2004 6 एससीसी 588 के रूप में दर्ज] के दिनांक 07.05.2004 के आदेशों के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान में नहीं आने वाले उद्योगों/इकाइयों को दिल्ली के गैर अनुरूप/रिहायशी इलाकों में अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे उद्योग के खिलाफ सार्वजनिक अधिकरणों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऐसी ईकाइयों को डीपीसीसी द्वारा वायु और जल अधिनियमों और खतरनाक अवशिष्ट नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई है।

- ii. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.5.2004 के आदेश के कार्यान्वयन/लागू किए जाने के उद्देश्य से ये मुद्दा दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यालय में समय-समय पर होने वाली विभिन्न बैठकों में समाधान के लिए उठाया जाता रहा है। 6.6.2015 को मुख्य सचिव कार्यालय में हुई बैठक के अनुसार गैर अनुरूप/रिहायशी इलाकों में संचालित और दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ विकास क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और अन्य क्षेत्रों में नगर-निगमों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- iii. उपरोक्त विषय को देखते हुए गैर अनुरूप/रिहायशी इलाकों में संचालित औद्योगिक/व्यवसायिक इकाइयों के खिलाफ संबंधित नगर-निगमों और उद्योग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई ताकि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अधिदेश लागू किया जा सके।

मास्टर, प्लान के अनुसार गैर-अनुरूप/रिहायशी इलाकों में औद्योगिक/व्यावसायिक इकाइयों के संचालन की अनुमति नहीं है।

10. हरित दिल्ली ऐप :

हरित दिल्ली ऐप और जन शिकायतों के निपटान के लिए ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत : हरित दिल्ली ऐप जन शिकायतों के एकल मंच में निपटान और सूचना तथा जागरूकता प्रसार के लिए विकसित किया गया है। दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से संबंधित विभिन्न अपराधों के संदर्भ में जन शिकायतों के निपटान के लिए 29.10.2020 को हरित दिल्ली ऐप का शुभारंभ किया। ग्रीन वॉर रूम की स्थापना दिल्ली सचिवालय में हरित दिल्ली ऐप पर अपलोड की गई शिकायतों की निगरानी के लिए की गई है। चौबीसो घंटे (24×7) कार्यरत यह वॉर रूम 70 ग्रीन मार्शल के नेटवर्क के जरिये विभिन्न शिकायतों की निगरानी और इनकी रोकथाम की पहल करेगा। यह ऐप शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाएगा। हरित दिल्ली ऐप का उद्देश्य वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों पर दिल्ली की 28 एजेंसियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना है। ग्रीन वॉर रूम प्रत्येक शिकायत के समाधान की प्रक्रिया सरल बनाएगा।

29.10.2020 (ऐप की शुभारंभ तिथि) से 15.07.2021 तक कुल 22902 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से 21733 (94.90%) का

15.07.2021 तक समाधान हो चुका है और 1169 (5.10%) शिकायतें लंबित हैं।

11. स्मॉग टावर लगाना

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.01.2020 के आदेश के अनुपालन में आनंद विहार बस टर्मिनल और बाबा खड़ग सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाए जाने हैं। इसके लिए जमीन तय कर ली गई है और आईआईटी बॉम्बे तथा आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर/विशेषज्ञों के साथ, समुचित प्रौद्योगिकी और डिजाइन उपलब्ध कराने तथा समुचित निर्माण एजेंसी के चयन के बारे में विचार-विमर्श किया गया ताकि जल्द से जल्द परियोजना की शुरुआत की जा सके। कनॉट प्लेस में स्थल परियोजना कार्य शुरू हो चुका है। स्थल सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, लेआउट योजना की तैयारी, स्थल तैयारी, पेड़ों की कटाई और प्रतिरोपण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना अगस्त 2021 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

- (ग) कुल हरित उपकर संकलन 1439.65 करोड़ रुपये का हुआ है जिसे वायु परिवेश कोष और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के रूप में संकलित किया गया है। दिल्ली-मेरठ RRTS परियोजना, HCNG परियोजना, RFID परियोजना, ई-रिक्षा पंजीकरण के लिए वाहन मालिकों को सब्सिडी आदि पर 436 करोड़ 50 लाख 80 हजार रुपये का परिव्यय हुआ। भविष्य में दिल्ली विद्युत् वाहन नीति और राज्य विद्युत वाहन कोष के क्रियान्वयन पर व्यय प्रस्तावित है।

(घ) याचिका सिविल 13029/1985 शीर्षक एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांक 13.11.2019 के अनुपालन में बाबा खडग सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर डीपीसीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, दूसरा टावर सीपीसीबी द्वारा आईएसबीटी आनंद विहार में लगाया जा रहा है।

20 हजार वर्ग मीटर से अधिक के बिल्टअप क्षेत्र वाले 56 निर्माणाधीन स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। जबकि 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा सड़क से उड़ने वाली धूल के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है।

(ङ) जी हां, प्रस्ताव पर विचार किया गया और विभिन्न विशेषज्ञों से संपर्क किया गया। परन्तु, प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि दिल्ली का अधिकांश क्षेत्र 'नो फ्लाईंग जोन' में आता है और हैलीकॉप्टर से जल-छिड़काव का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(च) पिछले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में लगाए गए वृक्षों की संख्या झाड़ियों और पौधों के निशुल्क वितरण सहित इस प्रकार है :

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	रोपे गये पौधे
1.	2016-2017	24,75,665
2.	2017-2018	16,08,105
3.	2018-2019	28,95,816

4.	2019-2020	28,69,516
5.	2020-2021	32,40,822

(छ) पिछले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में घौंडा निर्वाचन क्षेत्र में लगाए गए पेड़ों की संख्या :

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	रोपे गये पौधे
1.	2016-2017	16,000
2.	2017-2018	21,800
3.	2018-2019	75,055
4.	2019-2020	57,499
5.	2020-2021	शून्य
कुल		1,70,354

32. श्री सोमनाथ भारती^९ : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली के विभागों में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों का विवरण;
- (ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदम;
- (ग) विभागों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए उठाए गए कदम ताकि आवश्यक जनबल को कम या अधिक किया जा सके;
- (घ) सेवाओं से संबंधित विषयवस्तु माननीय उप राज्यपाल महोदय के अधिकार क्षेत्र में है या संबंधित मंत्री के;
- (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त मामले की स्थिति; और
- (च) सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध आधारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए उठाए जा रहे कदम?

9. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सेवाएं विभाग द्वारा नहीं दिया गया।

33. श्री विशेष रवि : क्या शहरी विकास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ग ए और बी के लिए फाइनेंशियल ट्रेड लाइसेंसेसों की दर में वृद्धि की है;
- (ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें;

9. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सेवाएं विभाग द्वारा नहीं दिया गया।

- (ग) क्या महामारी की इस स्थिति में यह वृद्धि न्यायसंगत है, जब कि व्यापारी पहले ही भारी वित्तीय तनाव में है;
- (घ) क्या सरकार का इन दरों को संशोधित करने और व्यापारियों को राहत प्रदान करने का कोई इरादा है; और
- (ङ) यदि हां, तो उसका विवरण?

शहरी विकास मंत्री :

- (क) जी हाँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस की दरों में वृद्धि की है;
- (ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम :- जनरल ट्रेड/स्टोरेज वर्ग ए और बी के लाइसेन्सों की दर में वृद्धि दिनांक 09.10.2020 को की गई थी जो निम्नलिखित है।

ए और बी श्रेणी में जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाइसेंस के ग्रांट/रिन्यूवल की दरों में वृद्धि का विवरण

ट्रेड प्रेमिसेस

10 वर्ग मी. तक		10-20 वर्ग मी. तक		20 वर्ग मी. से ज्यादा		सिंगल लाइसेंस के शुल्क की अधिकतम दर	
पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.
500	3450	500	8625	@ रु.50 प्रति वर्ग मीटर	@ रु.144 प्रति वर्ग मीटर	15000/-	57500/-

ट्रेड/स्टोरेज का नाम

क्र.सं.	ट्रेड/स्टोरेज का नाम	लाईसेंस की पूर्व दर	लाईसेंस की वर्तमान दर
1.	शोरूम	रु. 50 प्रति वर्ग मीटर जो कि एक साल में एक लाईसेंस के लिए अधिकतम रु. 15000/-	रु.57500/- या रु. 144 प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो।
2.	रिटेल आउट लेट		
3.	वेयर हाउस		
4.	स्टोर एटैच वीद कोल्ड स्टोर		
5.	गैस/सीएनजी गोडाउन/स्टोरेज		
6.	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद (डेंजरस पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अलावा)		

विस्तृत शुल्क सूची संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम :- जनरल ट्रेड/स्टोरेज वर्ग ए और बी के वार्षिक लाईसेन्सों की दर में वृद्धि दिनांक 01.04.2021 को की गई थी जो निम्नलिखित है।

ए और बी श्रेणी में जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाईसेंस के ग्रांट/रिन्यूवल की दरों में वृद्धि का विवरण

पूर्वी दिल्ली नगर निगम:- जनरल ट्रेड/स्टोरेज वर्ग ए और बी के वार्षिक लाईसेन्सों की दर में वृद्धि दिनांक 01.04.2021 को की गई थी जो निम्नलिखित है।

ए और बी श्रेणी में जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाइसेंस के ग्रांट/रिन्यूवल की दरों में वृद्धि का विवरण।

ट्रेड प्रेमिसेस

10 वर्ग मी. तक		10-20 वर्ग मी. तक		20 वर्ग मी. से ज्यादा		सिंगल लाइसेंस के शुल्क की अधिकतम दर
पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.	दर (रुपये में)
200	3000	500	7500	@ रु. 50 वर्ग मीटर	@ रु. 124 प्रति वर्ग मीटर	50,000/-

ट्रेड/स्टोरेज का नाम

क्र.सं. ट्रेड/स्टोरेज का नाम	लाइसेंस की पूर्व दर
1. शोरूम	रु. 50000/- या रु. 125 प्रति वर्ग मीटर जो भी अधिक हो।
2. रिटेल आउट लेट	
3. वेयर हाउस	
4. स्टोर एटैच वीद कोल्ड स्टोर	
5. गैस/सीएनजी गोडाउन/स्टोरेज	
6. पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद (डेंजरस पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अलावा)	

विस्तृत शुल्क सूची संलग्न है।

- (ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम-संशोधित फीस वृद्धि का निर्णय** निगम की समिति द्वारा पिछले साल निगम की वित्तीय हालात को सुधारने के मद्देनजर रखते हुए लिया गया। इस वित्तीय वर्ष में कोई फीस वृद्धि नहीं की गई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम-चूंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम भारी वित्तीय संकटों से जूझ रहा है और निगम को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी कठिनाई हो रही है इसलिए निगम ने अपने आंतरिक राजस्व को बढ़ाने के लिए दिनांक 01.04.2021 से ट्रेड लाइसेंस की दरों में वृद्धि की है।

इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि यह पहली बार है जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने गठन के पश्चात् ट्रेड लाइसेंस की दरों को बढ़ाया है, जब कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2018 एवं 2020 क्रमशः में ही ट्रेड लाइसेंस की दरों में वृद्धि कर दी थी।

- (घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम-**इस का निर्णय निगम समिति द्वारा लिया जाना है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम-इस संबंध में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, हालांकि व्यापारिक वर्ग को राहत देते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित पेनल्टी को 31.08.2021 तक माफ कर दिया है।

(ड) उत्तरी दिल्ली नगर निगम-इस का निर्णय निगम समिति द्वारा लिया जाना है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम-

उपरोक्त 'घ' के अनुसार

Area: 29' x 1'

**COMPARATIVE OF EARLIER LICENSE FEE AND EXISTING LICENSE FEE
TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL OF GENERAL TRADE/STORAGE LICENSES
OF NORTH DMIC**

Category of the localities (in which trade Premises is existing)	Upto 10 Sq. Mtr.		Between 10 to 20 Sq. Mtr.		Above 20 Sq. Mtrs.		The fees/charges will not exceed in a year in respect of single license	The fees/charges will not exceed in a year in respect of single license
	Earlier fee (in Rs.)	Revised fee (in Rs.)	Earlier fee (in Rs.)	Revised fee (in Rs.)	Earlier fee (in Rs.)	Revised fee (in Rs.)		
A & B	500/-	3450/-	500/-	8625/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 144/- per Sq. Mtr.	15000/-	57500/-
C & D	500/-	2300/-	500/-	5750/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 115/- per Sq. Mtr.	15000/-	46,000/-
E, F, G and H	500/-	1150/-	500/-	2875/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 86/- per Sq. Mtr.	15000/-	34,500/-

Consolidated

[Signature]
Deputy Commissioner
CL & B. Dept.
North District Municipal Corporation

ANNUAL LICENSE FEE TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL OF SPECIAL TRADE/STORAGE LICENSES

Sl. No.	Name of Trade/Storage	Category of the localities (in which trade/storage is running)	Earlier Rate of License fee	Existing Rate of License fee
01	Show Rooms i.e (a) A showroom is a large space equal or more than 250 Sq. mtr. used to display products for sale, such as Automobile, Furniture, Appliances, Carpets or Apparel etc.; (b) A showroom is a retail store of a company in which products are on sale in a space created by their brand or company.) Running trade i.e. Automobile, Furniture, Carpet, Apparel, Appliances, Jewellery, etc.	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
02	Retail out-lets (convenience stores) of MNCs & Indian Companies with foreign or domestic collaboration	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
03	Ware-houses from where goods are sold	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher

Contd. p-3

[Signature]
 Joint Commissioner
 C.I. & E.C. Deptt.

		E, F, G & H	year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
04	Stores attached with cold store	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
05	Gas/CNG Godowns/Storage	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
06	Petroleum & Petroleum Products (other than dangerous Petroleum Act-1934)	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher

The above fee of General Trade / Storage License has been revised on 09.10.2020 vide Corporation resolution no. 342 dated 14.09.2020.


 Assistant Commissioner
 CL & SC Deptt.
 North Delhi Municipal Corporation

**REVISED ANNUAL LICENSE FEE TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL
OF GENERAL TRADE/ STORAGE LICENSES**

Category of the localities (in which trade Premises is existing)	Upto 10 Sq. Mtr.		Between 10 to 20 Sq. Mtr.		Above 20 Sq. Mtrs. (Base rate of 20 Sq. Mtrs. + revised rate as per category of the locality for additional area above 20 Sq. mtrs.)		The fees/charges will not exceed in a year in respect of single license (in Rs.)
	Existing (in Rs.)	Revised (in Rs.)	Existing (in Rs.)	Revised (in Rs.)	Existing (in Rs.)	Revised (in Rs.)	
A & B	200/-	3000/-	500/-	7,500/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 125/- per Sq. Mtr.	50,000/-
C & D	200/-	2000/-	500/-	5000/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 100/- per Sq. Mtr.	40,000/-
E, F, G and H	200/-	1000/-	500/-	2500/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 75/- per Sq. Mtr.	30,000/-

**ANNUAL LICENSE FEE TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL OF
SPECIAL TRADE/STORAGE LICENSES**

Sl. No.	Name of Trade/Storage	Category of the localities (in which trade/storage is running)	Rate of License fee
(1)	Show Rooms i.e. (a) A showroom is a large space equal or more than 250 Sq. mtr. used to display products for sale, such as Automobile, Furniture, Appliances, Carpets or Apparel etc.; (b) A showroom is a retail store of a company in which products are on sale in a space created by their brand or company. Running trade i.e. Automobile, Furniture, Carpet, Apparel, Appliances, Jewellery, etc.	A & B	Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr. whichever is higher
(12)	Retail out-lets (convenience stores) of MNCs & Indian Companies with foreign or domestic collaboration	A & B	Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr. whichever is higher
(13)	Ware-houses from where goods are sold	A & B	Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr. whichever is higher

04	Stores attached with cold store	A & B	Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr. whichever is higher
05	Gas/CNG Godowns/Storage	A & B	Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr. whichever is higher
06	Petroleum & Petroleum Products (other than dangerous Petroleum Act-1934)	A & B	Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C & D	Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E, F, G & H	Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr. whichever is higher

34. श्री महेंद्र गोयल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या डीएसआईआईडीसी द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य किस वर्ष में आरंभ किए गए थे;
- (ख) डीएसआईआईडीसी द्वारा इस वर्ष प्रारम्भ किए गए विकास कार्यों का विवरण;
- (ग) क्या यह सत्य है कि विभाग ने सड़कों के लिए 'पेवर टाइल्स' का प्रयोग किया है, और
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि इन टाइल्स के प्रयोग से बनी सड़कों की जीवनावधि केवल 3 वर्ष है?

शहरी विकास मंत्री :

- (क) **डीएसआईआईडीसी :** डीएसआईआईडीसी ने रिठाला विधानसभा की अनाधिकृत कॉलोनियों में वर्ष 2016 से विकास कार्य आरम्भ किया जिसका विवरण अनुलग्नक 'क' में उपलब्ध है।
- (ख) **डीएसआईआईडीसी :** डीएसआईआईडीसी द्वारा इस वर्ष कोई विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- (ग) **डीएसआईआईडीसी :** जी हां, शहरी विकास के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुलग्नक 'क' के क्रमांक 4, 5, 6 और 7 पर कार्य के लिए पेवर टाइलों का उपयोग किया है।

(घ) **डीएसआईआईडीसी** : अगर इन टाइलों का किसी भी तरह से जैसे की सीवर लाईन एवं पानी की लाईन डालने के लिए या किसी भी तरह निर्माण कार्य सड़क पर नहीं किया जाए तो इन टाइलों का टिकाउपन तीन साल से अधिक है।

35. श्री रघुविंदर शौकीन : क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है;

(ख) क्या सरकार की अन्य वित्तीय योजनाओं की भाँति वृद्धावस्था पेंशन योजना को एक स्थायी योजना बनाया जा सकता है;

(ग) क्या इसके लिये कोई समय सीमा या लक्ष्य निश्चित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण?

माननीय समाज कल्याण मंत्री :

(क) दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना सुचारु रूप से चल रही है, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत पेंशन के लिये नये आवेदनों को स्वीकार करने हेतु रिक्तियों का उपलब्ध होना आवश्यक है।

(ख) यह एक स्थायी योजना ही है लेकिन इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या की एक सीमा निर्धारित है जो कि वर्तमान में 5.30 लाख है।

(ग) चूंकि यह पहले से ही एक स्थायी योजना है, अतः इसके लिये समय-सीमा या लक्ष्य निश्चित करने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान क्षमता सीमा (capping) के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों का सही आंकलन कर लेने के पश्चात् उन रिक्तियों को विधान सभा क्षेत्रवार वितरित करके नये आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे।

(घ) प्रश्न के (ग) भाग के लिये दिये गये उत्तर में वांछित जानकारी निहित है।

(ङ) प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के लिये दिये गये उत्तर के अनुसार यह लागू नहीं होता।

36. श्री राजेश गुप्ता : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा कोविड महामारी के इस समय में अतिरिक्त कर में 17 प्रतिशत की वृद्धि न्यायसंगत है;

(ख) क्या इस कर वृद्धि के कारण व्यापारियों को होने वाली कठिनाईयों से सरकार अवगत है;

(ग) क्या इस अतिरिक्त भार को कम करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है, और;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण?

शहरी विकास मंत्री :

(क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्पत्ति पर की दरों में 17 प्रतिशत की अतिरिक्त कर की कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के किसी विभाग द्वारा 17 प्रतिशत कर की वृद्धि नहीं की गई है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी कर की दरों में 17 प्रतिशत अतिरिक्त कर की बढ़ोत्तरी नहीं की है।

(ख)से(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्तानुसार

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : लागू नहीं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

37. श्रीमती प्रीति जितेन्द्र तोमर : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के पास नजफगढ़ ड्रेन में इंटरसेप्टर लगाने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब और किस स्थान से आरंभ हुआ था और कहाँ तक पूरा हो चुका है;

(ग) अशोक पार्क मेट्रो स्टेशन से रोड नंबर 37 नाहर सिंह मार्ग के साथ वाले नाले पर किस स्थान तक कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) इंटरसेप्टर लगाने का कार्य कब तक पूरा होगा?

माननीय जल मंत्री :

(क) जी हाँ, त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के पास नजफगढ़ ड्रेन में इंटरसेप्टर सीवर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ख) इंटरसेप्टर सीवर का कार्य मई 2013 में त्रिनगर के पास से आरम्भ हुआ था और भारत नगर सीवेज पंपिंग स्टेशन तक मार्च 2021 में पूरा किया जा चुका है।

(ग) इस स्थान पर इंटरसेप्टर संबंधित कार्य नहीं किया जा रहा है।

(घ) त्रिनगर AC में इंटरसेप्टर का कार्य पूरा हो चुका है।

38. श्री अभय वर्मा : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विगत छह वर्षों में हुई जल आपूर्ति में वृद्धि का विवरण और इसके स्रोत बताएँ;

(ख) जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम;

(ग) रेनी वेल, भूमिगत जलाशयों और यमुना बैंक पर पिट्स आदि के द्वारा जल आपूर्ति में हुई वृद्धि का विवरण;

(घ) विगत छह वर्षों में कितने नए रेनी वेल और भूमिगत जलाशय अधिकृत किए गए; और

(ङ) विश्वकर्मा पार्क रेनी वेल में जल शोधन संयंत्र को चालू न किए जाने के क्या कारण हैं?

माननीय जल मंत्री :

- (क) विगत छह वर्षों में लगभग 129 एमजीडी जल आपूर्ति में वृद्धि जल संयंत्रों व नलकूप लगाकर की गयी है। जिसका विवरण संलग्नक 'क' में है।
- (ख) जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु 2 नए जल संयंत्र चालू जल संयंत्रों की दक्षता में वृद्धि द्वारा व पल्ला यमुना क्षेत्र तथा विभिन्न जल संयंत्रों में नए नलकूप लगाये हैं। अन्य प्रयासों का ब्योरा संलग्नक 'घ' में है।
- (ग) लगभग 9 एमजीडी जल आपूर्ति में वृद्धि की गयी है। जिनका विवरण संलग्नक 'क व ख' में है।
- (घ) विगत छह वर्षों में कोई नया रेनीवेल नहीं लगाया गया है। 8 भूमिगत जलाशय चालू किये गये हैं। जिनका विवरण संलग्नक 'ग' में है।
- (ङ) विश्वकर्मा के रेनीवेल में V-II में 1 एमजीडी का अमोनिया निष्कासन प्लांट स्थापित किया गया है। पिछले डेढ़ वर्षों में कोविड-19 महामारी की समस्या की वजह से निर्माण कार्य धीमा हो गया है तथा Trial के दौरान यह पाया गया कि पानी ज्यादा दूषित हो गया और नजदीकी नालों से सीवेज ले रहा है, यह रेनीवेल बहुत पुराना (1982) के होने की वजह से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। इस कारण से इसे चालू नहीं किया गया है।

पृ. 38

Annexure-B

Subject: Details of Average/Optimum water Production (in MGD)

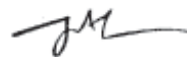
FY	Haiderpur-I	Haiderpur-II	Nangol WTP	Bawana WTP	Dwarka WTP	Okhla WTP	Bhagirathi WTP	Sonia Vihar WTP	Wazirabad WTP	Chandrawal WTP	Ground Water	Total Water Production
2014-15	100	116	38	0	0	9	106	140	128	89	80	806
2015-16	100	119	38	11	35	18	107	141	128	89	80	866
2016-17	102	120	40	15	42	20	107	140	131	90	80	887
2017-18	102	119	40	15	44	20	109	139	126	90	80	883
2018-19	104	120	41	16	46	20	113	140	124	92	80	896
2019-2020	106	122	42	18	50	21	113	142	131	92	86	923
2020-21	106	123	43	20	50	21	114	142	128	91	90	928
Apr-2020 to June 2021	110	121	42	20	51	21	113	141	131	90	95	935
	Increase in Water Production in last six years (935-806)											129



सं. 38

Annexure-ख**Optimum Production Report of Renny Well at Palla**

S. No.	Year	Production (MGD)
1	2018-2019	18
2	2019-2020	22
3	2020-2021	24
4	2021-2022	27
	Increase in production	27-18=09



सं. 38

Annexure - D (a)

Subject: Supplementary information for Vidhan Sabha Starred Question No. 38 from Hon'ble MLA Sh. Abhay Verma due for 30.07.2021.

1. Construction of Upstream Storages on River Yamuna-Renukaji, Lakhwar-Vyasi & Kishau Dam Projects: Delhi is pursuing for early and time bound implementation of three upstream storages on river Yamuna and its tributaries. The up-stream storages have been declared as National Projects.

Renukaji Dam is to be constructed on River Giri at Dadhau in Sirmour District in Himachal Pradesh. Kishau Dam is proposed to be constructed on River Tons in Dehradun District of Uttarakhand & Sirmour District of Himachal Pradesh. Lakhwar Dam is being constructed on River Yamuna in Dehradun District of Uttarakhand.

The proportionate share of seed money/cost for Delhi in the Renukaji Dam Project is Rs. 26.13 crores. Delhi has already paid Rs. 214.84 crores to Himachal Pradesh for Renukaji Dam Project and has agreed to bear 90% of the cost of power component in this project. Delhi has also contributed 50% of its proportionate contribution towards seed money i.e. Rs. 7.79 crores and 8.1 crores for Lakhwar and Kishau Dam projects respectively.

Interim seasonal allocations of Yamuna water to each basin state are governed as per the MOU of 12th May 1994. On completion of the upstream storages, seasonal allocation of Yamuna Water will be revised by the Upper Yamuna Board and Delhi will get its share in Yamuna water from these storages as per the MOU of 12th May 1994 and interstate agreements on these National Projects. The interstate agreements on Renukaji and Lakhwar Dams have been signed on 28.08.2018 and 11.01.2019 respectively. Delhi has already conveyed its consent on the interstate agreement for the Kishau Dam Project vide letters dated 24.10.2017 and 21.06.2018 from the Hon'ble Chief Minister, Delhi.

The interstate agreement on the Renukaji Dam Project has prioritized allocation for drinking water needs of Delhi and includes that;

- Govt. of NCT of Delhi has agreed to bear 90% of the cost of power component for the project.
- In respect of hydro power, if Himachal Pradesh desires, Power generated and cost thereof can be shared with other beneficiary State (s) through mutual/multilateral agreement to be entered separately.
- Additional water available due to construction of storage as result of implementation of Renukaji Dam Project, shall be regulated by UYRB (Upper

54-38

Annexure-C (3)

S.No.	Name of UGR	Command Area/ Area Benefitted	Commissioned
1.	7.0 ML capacity UGR & BPS at Shalimar Park, Shahdara.	Old Shahdara group of colonies, Bihari Colony, BholaNath group of colonies, Shalimar Park, Shalimar Park extension etc	19.02.2015.
2.	27.10 ML capacity UGR & BPS at Bawana.	Bankner, Ghoga, Lampur, Bankner U/A colonies, Bawana DSIDC, Bawana JIR, Ghoga Dairy, Ghoga U/A colonies, Lampur	21.04.2015.
3.	5.8 ML capacity UGR & BPS at Narela.	Khampur, Bakoli, Hamidpur, Singhu & Singhola Villages and adjoining area.	25.05.2015.
4.	7.70 ML capacity UGR & BPS at Y-Block, Mangolpuri.	Sultanpurviz Blocks - C, D, E, F, G, J, P, S of Sultanpuri under Sultanpur Majra Assembly Constituency.	04.09.2017.
5.	16.50 ML capacity UGR & BPS at Karala.	Chatesar, GarhiRindhala, Gheora, Josti, Kanjhawala, Kanjhawala extended Laldora, Kanjhawala U/A colonies, Karala, Karala U/A colonies, Ladpur, Ladpur U/A colonies, MadanpurDabas, Gheora - Sawda JIR, Sawda, Jhimarpur, Rani Khera, Rani Khera U/A colonies.	11.08.2019.
6.	15.5 ML capacity UGR & BPS at Janakpuri.	A block JanakPuri, Posangipur, P&TQrs, Chander Nagar, Prem Nagar Double Storey, Ganesh Nagar, Krishna Puri, Mahavir Nagar Etc.	01.03.2015.
7.	110.0 ML capacity UGR & BPS at Rohini Sector-7.	Sector- 5,6,7,8, Naharpur Village and adjoining area of Rohini.	17.08.2015.
8.	3.0 ML capacity UGR & BPS at MahipalPur.	Mahipalpur village, Rangpuri villages, with adjoining residential areas of Nangal Dewat and Sultan Garhi that are being developed by the DDA.	03.07.2020.


 VIRENDER KUMAR
 Chief Engineer



39. श्री नरेश यादव : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि महरौली विधानसभा क्षेत्र जल आपूर्ति में अत्यंत कमी का सामना कर रहा है और एमवीवी परियोजना के जल्दी पूरे होने के कोई आसार नहीं हैं;
- (ख) क्या यह सत्य है कि किशनगढ़ भूमिगत जलाशय, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने 25.12.2019 को किया था, अभी तक चालू नहीं हुआ है;
- (ग) ये परियोजनाएँ कब तक पूरी हो जाएँगी;
- (घ) यदि मौजूदा ठेकेदार इस कार्य को करने में सफल नहीं होता है तो क्या सरकार के पास इस परियोजना को पूरा करवाने का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है; और
- (ङ) क्या यह संभव है कि इस परियोजना के पूरे हो चुके भाग को किसी निजी भागीदार को परिचालन हेतु सौंप दिया जाए, ताकि जल आपूर्ति में कमी का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और दिल्ली जल बोर्ड के स्टाफ का कार्यभार भी कम किया जा सके?

माननीय जल मंत्री :

- (क) जी हाँ। यह निवेदित किया जाता है कि महरौली निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 3.5 लाख है और पानी की उपलब्धता 15 एमजीडी पानी की मांग के मुकाबले लगभग 10 एमजीडी है। स्रोत पर पानी

की कम उपलब्धता के कारण महरौली टाउनशिप को पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है जो गर्मी के मौसम में मांग बढ़ने के कारण और बढ़ जाता है। जहां तक एमवीवी परियोजना का संबंध है, वर्तमान में लगभग 80% कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) नए किशनगढ़ यूजीआर (1.80 एमएल क्षमता) का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25.12.2019 को नए यूजीआर-पंप हाउस को पुराने नेटवर्क से जोड़कर किया गया था। चूंकि, किशनगढ़ में नए यूजीआर सह बीपीएस में अधिक डिस्चार्ज वाले उच्च हेड के पंप हैं; इसके संचालन के परिणामस्वरूप पानी की आपूर्ति की अवधि में कमी आई है, इसलिए नए यूजीआर को चालू करने के लिए अधिक पानी की मांग है। चूंकि किशनगढ़ पुराने यूजीआर (0.6 एमएल क्षमता) में प्राप्त थोक आपूर्ति 7.2 एमएल की मांग के मुकाबले काफी कम लगभग 1.7-2 एमएल है, नए पंपों के साथ स्थायी आपूर्ति को बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसलिए नए यूजीआर-पंपों का संचालन बंद कर दिया गया है। आसपास के नलकूपों की बोरिंग/री-बोरिंग द्वारा किशनगढ़ यूजीआर की जलापूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है। और यह यूजीआर अब 30.11.2021 तक चालू होने की संभावना है।

(ग) मेसर्स एमवीवी परियोजना का कार्य 31.03.2022 तक सड़क स्वामित्व एजेंसियों जैसे कि एमडीएमसी से आवश्यक अनुमति की उपलब्धता पर पूरा होने की संभावना है।

(घ) एमवीवी परियोजना पूर्णता के अंतिम चरण में है और वर्तमान एजेंसी यानी मेसर्स एमवीवी ने इसे 31.03.2022 तक पूरा करने का कार्यक्रम दिया है। वर्तमान ठेकेदार के शेष कार्य को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति, में, अनुबंध के अनुसार आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(ङ) परियोजना के पूर्ण भाग को संचालन के लिए मैसर्स एमवीवी को सौंपने के तौर-तरीकों पर अनुबंध समझौते के प्रावधान के अनुसार काम किया जा रहा है।

40. श्री एस.के. बग्गा : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (प्रथम तिमाही) की अवधि के लिए वैट की लंबित अपीलों का विवरण दें;

(ख) स्पेशल ऑब्जेक्शन हियरिंग अथोरिटी (एसओएचए) के अलावा इनमें कर, ब्याज अथवा अर्थदंड के रूप में निहित धनराशि का ब्यौरा;

(ग) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अनुपालन शाखा 1 तथा 2 के द्वारा एकत्रित किया गया कर तथा अर्थदंड;

(घ) ऐसे व्यापारियों की संख्या जिनका कर-निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में डीवीएटी 51, नियमित कर निर्धारण और एक पक्षीय कर निर्धारण के तहत तीन तीन बार किया गाय तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण;

- (ड) वैट व्यवस्था के दौरान दाखिल किए गए डीवीएटी 41 का विवरण;
- (च) उन मामलों का विवरण जो कालबाधित हो गए, क्योंकि व्यापारियों द्वारा डीएवीटी 41 में दाखिल की गई आपत्तियों का निपटान 15 दिन में किया जाना था;
- (छ) इन मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण, और
- (ज) जिन व्यापारियों ने जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण को रद्द किए जाने हेतु आवेदन किया है, उनका जोनवार विवरण दें तथा जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उनका विवरण?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क)

वर्ष लंबित अपीलों की संख्या (असेसमेंट कर अवधि के चार साल बाद तक किया जा सकता है। व्यक्ति की ओर से पूरी तरह से भौतिक विवरणों को छिपाने, चूकने या प्रकट करने में विफलता के मामले में, इस अवधि को छः साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह जानकारी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (पहली तिमाही) की डीवैट अवधि से संबंधित है, जिसके लिए ओएचए से बहुत बाद की तारीख में अपील दायर की गई हो सकती है। असेसमेंट के बाद डीलरों को ऑब्जेक्शन हियरिंग अथोरिटी के सामने अपील फाईल करने का अधिकार है।)

 2016-2017 530

2017-18 216

 (प्रथम तिमाही)

(ख) ऑब्जेक्शन हियरिंग अथोरिटी के समक्ष उपरोक्त अपीलों के संबंध में विवादित राशि निम्नानुसार है। वास्तविक वसूली योग्य राशि अपील के परिणाम पर निर्भर करती है।

वर्ष	कर + ब्याज (करोड़ में)	पैनल्टी (करोड़ में)
2015-16	387.54	290.74
2016-2017	198.80	44.87
2017-18 (प्रथम तिमाही)	27.24	4.43

 (ग)

वर्ष	कर और पैनल्टी (करोड़ में)	
	अनुपालन शाखा 1	अनुपालन शाखा 2
2017-18	3.48	0.72
2018-19	3.12	0.70
2019-20	2.36	10.47
2020-21	20.67	16.38
कुल	29.63	28.27

(घ) डीवीएटी 51 नोटिफिकेशन संख्या F.3(27)/Fin.(Rev.-I)/2013-14/DS-VI/291 दिनांक 05.03.2014 द्वारा हटा दिया गया था।

(ङ) 04

(च) शून्य

(छ) उपरोक्त बिन्दू (च) के अनुसार

(ज) 01.07.2017 से 30.06.2021 तक

जोन	पंजीकरण रद्द किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन	रद्द किये गये पंजीकरण
1.	17028	11538
2.	14945	11530
3.	29047	21107
4.	26336	19084
5.	36919	30206
6.	40438	30454
7.	48262	36534
8.	28741	21542
9.	23614	14705

10.	750	637
11.	1547	939
12.	2305	1999
कुल	269932	200275

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

72. श्री महेंद्र गोयल : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ये सत्य है कि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाईट लगाने और रखरखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि एमसीडी स्ट्रीट लाईट लगाने और उसके रखरखाव के लिए खर्च की भरपाई के लिए एमसीडी डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत कर (टैक्स) लेता है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि 19 जनवरी 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें ये निर्णय हुआ था कि स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव का काम एमसीडी द्वारा किया जाएगा,;
- (घ) वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में स्ट्रीट लाईट किसके माध्यम से वे किस फंड से लगाई जा रही है;
- (ङ) क्या यह सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी में लगाई गई नई स्ट्रीट लाईटों को एमसीडी चालू करने के लिए बिल भरने की सहमति नहीं देता; और

(च) पिछले वित्त वर्ष में पूरी दिल्ली में कितनी अनधिकृत कॉलोनी में लाईट लगाई गई पूर्ण जानकारी दी जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क)से(च) संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

73. श्री जरनैल सिंह : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुभाष नगर ड्रेन को ढकने की किसी परियोजना पर विभाग द्वारा काम किया जा रहा है;

(ख) यह काम कितना हो चुका है फिलहाल किन कारणों से रुका हुआ है,;

(ग) बचा हुआ काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(घ) ड्रेन को ढकने के बाद उस क्षेत्र के सदुपयोग से संबंधित यदि विभाग द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है तो उसका विस्तृत विवरण दिया जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जी हां।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : लगभग 2100 मी. ड्रेन की कवरिंग का कार्य Pro cast RCC segment का उपयोग कर के पूरा कर दिया गया है। Principle Committee, NGT ने अपने ऑर्डर दिनांक 25.01.2019, O.A. No. 6/2012 के तहत सुभाष नगर ड्रेन के समीप

केशव पुर मंडी पुलिया और चौखंडी पुलिया कुल 800 मी लम्बाई में से 115 मी लम्बाई पर ड्रेन कवरिंग/Culvert बनाने के कार्य करने की अनुमति दी है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : बचा हुआ कार्य वर्षा ऋतु के उपरान्त यानि सितम्बर, 2021 माह के अंत में शुरू होना अपेक्षित है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : सुभाष नगर ड्रेन पर एरिया पार्किंग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है।

74. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में बजट के अलावा और कितनी राशि दी गई; और

(ख) उक्त राशि को इस अवधि के दौरान कहां-कहां खर्च किया गया?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) **दिल्ली जल बोर्ड** : बजट के अतिरिक्त कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) **दिल्ली जल बोर्ड** : उपरोक्त उत्तर 'क' के संदर्भ लागू नहीं होता है।

S.no	AC No	Code of JSC	Name of work	Estimated Amount in Laes	Tendered Amount	Type of JSC proposed (Pucca/Prefab/MTV/portable)	No. of Seats	New or Renovated	Remarks
1	C4	36P/0561	JSC (R): Special repair of JSCs at Israel Camp JSC (0561) at JIC Rangpur Pahari, Bijwasan.	4.65	2.74	Prefab	20	Repairs	
2	C4	36P/0546	JSC (R): Special repair of JSCs at Harijan Balniki Camp (0546), Bijwasan.	4.65	2.39	Prefab	28	Repairs	
3	C4	36P/0463	JSC (R): Special repair of JSCs at Motilal Nehru Camp JSCs (0463), Mehrauli.	4.66	2.4	Prefab	20	Repairs	
4	C4	36P/0492	JSC (R): Special repair of JSCs at Infront of B-4 and B-5 (492), Vasant Kunj, Mehrauli.	4.65	2.74	Prefab	32	Repairs	

75. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली के अन्दर अनाधिकृत कॉलोनियों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या यह सत्य है कि इन अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास करने से पहले विभाग द्वारा भूमि संबंधित जानकारी ली गई है;
- (ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि भूमि जानकारी होने के बावजूद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इन अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने के लिए एजेंसी निर्धारित की गई थी;
- (घ) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि आज तक शहरी विकास विभाग के पास इनके विकास संबंधित फाइलें लंबित पड़ी हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन फाइलों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग) : दिल्ली में 1639 (1797 भाग सहित) अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं।
- (ख) अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग) : अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य कालोनी के ले आउट प्लान (Lay out Plan) के अनुसार होता है। जो कि कॉलोनियों के RWA ने 2007-2008 में जमा कराये गये थे।

(ग) **अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग) :** शहरी विकास विभाग की अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा के आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार दिल्ली की 1639 (1797) अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य हेतु DSIIDC and I&FC को विधानसभा वार अनाधिकृत कॉलोनियों आवंटित की गई है।

(घ) **अनाधिकृत कॉलोनियाँ शाखा (शहरी विकास विभाग) :** शहरी विकास विभाग में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य हेतु कोई भी फाईल लम्बित नहीं है।

(ङ) **अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग) :** उपरोक्त 'क' अनुसार।

76. श्री विशेष रवि : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसी 23 करोड़ बाग, के सन्दर्भ में एमएलए लैंड फंड से संबंधित कितने पत्र शहरी विकास विभाग में लंबित हैं और फंड कब तक जारी किया जाएगा;

(ख) एसी 23 करोड़ बाग के सन्दर्भ में एमएलए लैंड फंड में विगत 05 वर्षों में बचत राशि कितनी है;

(ग) मेरे द्वारा शहरी विकास विभाग के विभिन्न अधिकारियों को लिखे गए पत्रों क्रमशः दिनांक 12.01.21 सन्दर्भ 116980, दिनांक 28.09.2020 सन्दर्भ 11568, 25.11.20 सन्दर्भ 116484, दिनांक 12.01.21 सन्दर्भ 116996, दिनांक 21.01.21 सन्दर्भ 117060, दिनांक

28.01.20 सन्दर्भ 116206, दिनांक 05.12.16 सन्दर्भ 8011 तथा दिनांक 23.10.19 सन्दर्भ 113690 पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त पत्रों में अपेक्षित जानकारी के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण दें।

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) **एम.एल.ए. लैड शाखा :** ए. सी. 23 के संदर्भ में विधायक निधि से संबंधित 07 पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें 07 कामों को प्रस्तावित किया गया है, जो विचाराधीन हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत लगभग महीने भर के अन्दर फण्ड जारी कर दिया जाएगा।

(ख) **एम.एल.ए. लैड शाखा :** 31.03.2021 तक बचत राशि रुपये 177.05 लाख है।

(ग) **एम.एल.ए. लैड शाखा :** ये पत्र विभिन्न एजेंसियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं।

(घ) **एम.एल.ए. लैड शाखा :** उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

77. श्री भूपिंदर सिंह जून : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीयमएसआईबी की बिजवासन एसी-36 के रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जंगल/सरकार की भूमि पर स्थित जे.जे. कैपों में विकास कार्य आरंभ किए जाने की कोई योजना है;

- (ख) क्या बिजवासन के उक्त जे.जे. कैंपों में पाइप से पेयजल, ओपन जिम, मनोरंजन पार्क, स्कूल और डिस्पेंसरी/मोहल्ला क्लिनीक उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव है;
- (ग) क्या इन जे.जे. कलस्टर/कैंपों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए बोरवेल्ल्स का कोई प्रस्ताव है। जैसा कि वर्तमान में डीयूएसआईबी जन-शौचालयों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कर रहा है;
- (घ) क्या डीयूएसआईबी की बिजवासन एसी-36 के रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जंगल/सरकार की भूमि पर स्थित जे.जे. कैंपों के निवासियों को किसी नए स्थान पर बसाने/पुनर्वास करने की कोई योजना है;
- (ङ) यदि हां, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में कितना समय लगेगा; और
- (च) क्या डीयूएसआईबी की बिजवासन एसी-36 के रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जंगल/सरकार की भूमि पर स्थित जे.जे. कैंपों की एक बड़ी जनसंख्या को जिनके पास राशनकार्ड, आधार कार्ड मतदाता पहचानपत्र और लेबर कार्ड आदि पहले से ही है, मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की कोई योजना है?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) हाँ कार्यों की सूची संलग्न है।
- (ख) नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह दिल्ली जल बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है।

(घ) माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन के पश्चात दिनांक 11.12.2017 को जारी दिल्ली स्लम व जे. जे. पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015, जिसका नाम बदलकर अब 'मुख्यमंत्री आवास योजना' कर दिया गया है के अनुसार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार एवं उसके अंतर्गत आने वाली एजेंसियों की भूमि पर स्थित झुग्गी झोपड़ी निवासियों के पुनर्वास एवं स्थानांतरण के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। इस नीति के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा उसकी एजेंसियां जैसे रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि एवं विकास विभाग, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका व अन्य संस्थाएं उपरोक्त नीति अनुसार स्वयं स्थानांतरण एवं पुनर्वास का कार्य कर सकते हैं अथवा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा आवेदन करने के पश्चात अग्रिम पुनर्वास शुल्क जमा करवाने के पश्चात् करवा सकते हैं। इस संबंध में भू-स्वामी संस्था वन एवं वन्यजीवी विभाग दिल्ली सरकार को इस विभाग के पत्र दिनांक 13.10.2020, 04.01.2021 एवं 09.02.2021 के माध्यम से 90% अग्रिम पुनर्वास राशि जमा करने के लिए कहा गया था परन्तु अभी तक भू-स्वामी संस्था द्वारा माँगी गई राशि जमा नहीं की गई है, यह भी सूचित किया जाता है कि अवर सचिव, भारत सरकार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (HFA-V Division) के परिपत्र संख्या N-11022/51/2020-HFA-V-UD/FTS-9088338 दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है कि केन्द्रिय मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार, जेएनएनयूआएम/राजीव आवास योजना के तहत

निर्मित सभी मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली/अधूरे मकानों को केवल एआरएचसी योजना के तहत शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के आवास के रूप में उपयोग करने के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना में परिवर्तित किया गया और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने पत्र दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को इस बावत अवगत कराया गया कि द्वारका, सुल्तानपुरी, बवाना और बापरोला के पुनर्वास स्थलों को एआरएचसी योजना से अलग रखा जाए ताकि ऐसी जे. जे. बस्तियों के पात्र निवासियों को पुनर्वासित कर सके जहां भूमि स्वामित्व संस्थाओं द्वारा स्थानांतरण शुल्क जमा कर दिया है, अथवा स्थानान्तरण शुल्क जमा करने के लिए प्रतिबद्ध है अथवा इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किए गए हैं।

भारत सरकार/दिल्ली सरकार के द्वारा अंतिम निर्णय लेने के पश्चात पुनर्वास शाखा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड योग्य झुग्गीवासियों को फ्लैट आवंटन के लिए प्रतिबद्ध है।

(ड) उपरोक्तानुसार-

(च) जे. जे. कैंपों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र और लेबर कार्ड आदि की जरूरत नहीं होती है। जे.जे. कैंपों में मूलभूत सुविधाएं दिल्ली सरकार की योजनाओं के अंतर्गत मानवीय आधार पर की जाती है।

C-4 (Assembly Question no. 77)

S.no	AC No	Name of work	Area of C.C Pavement (in sqm.)	Length of Drain to be Constructed (in mtrs.)	No. of Jhuggis /Families to be Benefited	Remarks Proposed work in 2021-22	Estimated Amount in Lacs
1	36	PL CC and SW Drains in arjun Camp Mahipal Pur	800	200	1300	Proposed Work	25.00 Lacs
2	36	PL CC and SW Drains in Rang Pur pahari Milk Pur Kohi	1700	450	1700	Proposed Work	45.00 lacs
3	36	PL CC and SW Drains in Rang Pur pahari nallah	2500	900	620	Proposed Work	45.00 lacs
4	36	PL CC and SW Drains in Harijan Balmiki camp rangpuri Pahari	1000	400	550	Proposed Work	25.00 Lacs
5	36	PL CC and SW Drains behind Police Station vasant Kunj Sector C Pocket 9	500	300	620	Proposed Work	15.00 lacs
6	36	PL CC and SW Drains in Sonla Gandhi Camp near Oetrol Pump samalakra Phase 2	2000	600	1234	Proposed Work	50.00 lacs
7	36	PL CC and SW Drains Nehru Camp behind satya rani farm Bijwasan	500	150	225	Proposed Work	10.00 Lacs

78. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) मॉडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-76, 77, 78 में स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है इनका पूर्ण विवरण के साथ सूची उपलब्ध करायें;
- (ख) मॉडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-76, 77, 78 में चल रहे एमसीडी के शौचालयों और मूत्रालयों, उन्हें चला रही संस्था उसकी अवधि व उनमें नियुक्त स्थाई तथा अस्थायी कर्मचारियों सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराए;
- (ग) चौकी नम्बर-4 लाल बाग में स्थित नाले की सफाई कब तक करा दी जाएगी;
- (घ) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो उपरोक्त वार्डों में सफाई विभाग या डीम्स में कार्यरत है, जो पिछले 10 वर्षों में पदोन्नति होने के बावजूद भी इसी क्षेत्र में वर्किंग है, पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें;
- (ङ) मॉडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-76, 77, 78 में एमसीडी के कूड़े वे खत्तों पर कार्यरत डी एस एस डब्लू एल के सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है उनके ई एस आई पी एफ सहित खातेवार पूर्ण विवरण दें; और
- (च) उपरोक्त वार्डों में कूड़े एकत्रित करने वाली डी एम एस डब्लू एल की कुल गाड़ियों का उनके ड्राइवर हेल्पर सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : मॉडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या 76, 77 एवम 78 में कार्यरत स्थाई एवम् अस्थायी सफाई कर्मचारियों की सूची पृष्ठ संख्या 18/सी से 44/सी पर संलग्न है।¹⁰
- (ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : मॉडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या 76, 77 एवम 78 में चल रहे एम.सी.डी. के शौचालयों, मुत्रालयों, उन्हें चला रही संस्था उसकी अवधि व उसमें नियुक्त स्थाई एवम् अस्थायी सफाई कर्मचारियों की सूची पृष्ठ संख्या 8/सी से 17/सी पर संलग्न है।¹¹
- (ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : चौकी नं. 4 लाल बाग में स्थित नाले की सफाई के सन्दर्भ में सफाई निरीक्षक का उत्तर पृष्ठ संख्या 7/सी पर संलग्न है।¹²
- (घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : वार्ड संख्या 76, 77 एवं 78 में 10 वर्षों में कोई भी कर्मचारी पदोन्नति होने के बाद इन वार्डों में कार्यरत नहीं है।
- (ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : मॉडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या 76, 77 एवं 78 में एम.सी.डी. के कूड़े के खत्ते में कार्यरत

10. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

11. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

12. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

डी.एम.एस. डब्लू. एस.एल. के सफाई कर्मचारियों की सूची एवम पी.एफ. सहित खातेदार (पूर्ण विवरण) पृष्ठ 1/सी से 2/सी संलग्न है।¹³

(च) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : वार्ड संख्या 76, 77 एवम् 78 में कूड़ा एकत्रित करने वाली डी.एम.एस. डब्लू.एस.एल. की कुल गाड़ियों का विवरण एवम ड्राइवर व हैल्पर सहित पूर्ण विवरण पृष्ठ संख्या 1/सी से 2/सी संलग्न है।¹⁴

79. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछले 5 वर्षों में जल निकासी के लिए विधायक निधि/मुख्य मंत्री सड़क निर्माण योजना/ग्रामीण विकास निधि/दिल्ली सरकार के किसी अन्य निधि के अतिरिक्त, कौन-कौन सी परियोजनाएं लागू की हैं तथा जल निकासी के लिए नालों के निर्माण के लिए अभी कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित, प्रगति पर हैं व कौन-कौन से कार्य कर लिये गये हैं इन पर मदवार विधायक निधि/मुख्य मंत्री सड़क निर्माण योजना/ग्रामीण विकास निधि/दिल्ली सरकार के किसी अन्य निधि के अतिरिक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कितना खर्च अपनी निधि से किया है इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए;

13. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

14. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

- (ख) दिल्ली नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों में कितने ट्रक मलबे निकाले, उन मलबों को कहां फेंका गया, किन-किन वाहनों का प्रयोग किया गया, उन गाड़ियों, पेमेंट स्लिप की हार्ड कॉपी, डायरी डिस्पैच रजिस्टर सहित पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराये;
- (ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी निगम पार्षदों को निगम फंड या अन्य किसी निधि से अभी तक प्रतिवर्ष कितना धन निर्गत किया गया, कौन-कौन से कार्य पास हुए, कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए प्रतिवर्ष इस धन का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है, लागत के पूर्ण मद की जानकारी बैरेवार उपलब्ध कराये;
- (घ) मॉडल टाउन विधान सभा में पिछले 5 सालों में विधायक निधि से ओपन जिम एवं झूले लगाने हेतु कब और कितना फंड प्राप्त हुआ, और;
- (ङ) इस कार्य में विलंब होने के कारणों सहित अभी तक कितने जिम और झूले किन-किन पार्कों में लगाये गये हैं और किन-किन पार्कों में लगाए जाने बाकी हैं, पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : इस विषय में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रिक विभाग के सभी अनुरक्षण एवं परियोजना मंडलों के सम्बन्ध में जानकारी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।¹⁵

15. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

- (ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : इस सम्बन्ध में जानकारी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।
- (ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : अभियांत्रिक से जानकारी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है। तथा उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।¹⁶
- (घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : मॉडल टाउन विधानसभा में पिछले 05 सालों में विधायक निधि से ओपन जिम एवं झूले लगाने हेतु कब और कितना फंड प्राप्त हुआ उसकी जानकारी निम्न प्रकार है :

सैंकशन आदेश नं.	सैंकशन दिनांक (लाख रु. में)	टोटल सैंकशन राशि (लाख रु. में)	टोटल रिलीज राशि (लाख रु. में)
F.No. 18B(145)/ AC-18/UD/MLA LADS/6VS/ 2017-18/1716-1731	03.08.2018	49.08	24.48
F.No. 18B(145)/ AC-18/UD/MLA LADS/6VS/ 2017-18/3996-4011	30.10.2018	78.90	39.50

16. <http://delhiassembly.nic.in> पर उपलब्ध।

F.No. 18B(145)/ AC-18/UD/MLA LADS/6VS/ 2017-18/ 17509-17524	15.07.2018	37.54	18.76
F.No. 18B(145)/ AC-18/UD/MLA LADS/6VS/ 2017-18/ 16185-16200	21.06.2019	76.72	38.32

(ड) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उद्यान विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में ओपन जिम लगवाने का कार्य आरम्भ हुआ था जो वर्ष 2020-21 तक जारी रहा। मॉल टाउन विधानसभा क्षेत्र में एमसीडी द्वारा पिछले चार वर्षों में 16 ओपन जिम लगवाए जाने थे और 22 झूले लगवाए जाने थे। जिनमें से 10 ओपन जिम के कार्य तथा सभी 22 झूलों के कार्य न का काम पूर्ण कर लिये गये थे, लेकिन 06 पार्कों में माननीय विधायक महोदय द्वारा दिनांक 10.03.2021 द्वारा साइट बदलने के लिए रखा गया है। (पत्र की कॉपी संलग्न है) किन्तु इस विषय में शहरी विकास विभाग से उद्यान विभाग को अभी तक नई साइट पर जिम लगाने हेतु सैक्शन ऑर्डर (स्वीकृति पत्र) की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है,

जैसे की सैक्शन ऑर्डर (स्वीकृति पत्र) की कापी प्राप्त होगी, कार्य पूरा करा दिया जाएगा।

80. श्री अभय वर्मा : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कितने फ्लैट बनकर तैयार हैं। और जिनके लिए ये बनाए गये हैं। उन्हें ये फ्लैट आबंटित करने की सरकार की क्या योजना है?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के 10,684 फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। जहाँ तक फ्लैट आवंटन का विषय है, पुनर्वास शाखा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड उन सभी झुग्गीबस्तियों के योग्य झुग्गीवासियों को दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015, (जिसका नाम बदलकर अब 'मुख्यमंत्री आवास योजना' कर दिया गया है के अनुसार) स्थानांतरित/पुनर्वासित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ भूमि स्वामित्व एजेंसियों ने पुनर्वास शुल्क जमा किया है या जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने ऐसे अधिकांश जे.जे. बस्तियों के जे.जे. निवासियों की पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी परन्तु इसी बीच अवर सचिव, भारत सरकार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (HFA-V Division) के परिपत्र संख्या N-11022/51/2020-HFA-V-UD/FTS-9088338 दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है

कि केन्द्रिय मंत्रीमण्डल के निर्णय के अनुसार, जेएनएनयूआएम/राजीव आवास योजना के तहत निर्मित सभी मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली/अधूरे मकानों को केवल एआरएचसी योजना के तहत शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना में परिवर्तित किया गया और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने पत्र दिनांक 22.03.2021 एवं 16.06.2021 के माध्यम से भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को इस बावत अवगत कराया की द्वारका, सुल्तानपुरी, बवाना और बापरोला के पुनर्वास स्थलों को एआरएचसी योजना से अलग रखा जाए ताकि ऐसी जे.जे. बस्तियों के पात्र निवासियों को पुनर्वासित कर सके जहाँ भूमि स्वामित्व संस्थाओं द्वारा स्थानांतरण शुल्क जमा कर दिया है अथवा स्थानान्तरण शुल्क जमा करने के लिए प्रतिबद्ध है। (प्रति लिपि संलग्न)

भारत सरकार/दिल्ली सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने के पश्चात पुनर्वास शाखा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड योग्य झुग्गीवासियों को फ्लैट आवंटन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT OF NCT OF DELHI
(Rehabilitation Branch)
Opp. Shivaji College Sports Complex, Raja Garden, New
Delhi

No. 0/149/2015/Rehab./CD-204396125/PS to Director/D-26

Date: 16.06.2021

To

Shri B.K. Mandal
Under Secretary
Ministry of Housing & Urban Affairs
Room No.3, Technical Cell, Gate No.7
Nirman Bhawan, New Delhi - 110011

**Sub: Regarding utilization of vacant flats constructed under
JnNURM**

Sir,

This has reference to your letter No. N-11022/51/2020-HFA V-UD (FRS-9088338) dated 31.05.2021 on the above cited subject. In the said letter, it has been requested to expedite the process of signing MoA and to furnish the date-wise details of commitment made to land owning agencies/beneficiaries/JJ dwellers etc.

As regard the issue of commitment made to land owning agencies/beneficiaries/JJ dwellers etc along with the approval taken from the Competent Authority, the undersigned has been directed to inform that the flats constructed under JnNURM were meant for rehabilitation of slums/JJ dwellers. The Govt of NCT of Delhi is following the Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 notified on 11-12-2017 and renamed as "Mukhya Mantri Awas Yojna". As per provisions of the policy approved by GNCTD, Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) is the Nodal Agency for relocation/rehabilitation of Jhuggi Jhopri bastis in respect of the lands belonging to MCD and Delhi Government. DUSIB rehabilitates JJ basties on the request of the concerned land owning agencies after receipt of relocation charges. Before relocation of JJ basties, DUSIB obtains the approval of the DUSIB Board. Date-wise details of commitments made to land owning agencies/beneficiaries/JJ dwellers have been communicated to MoHUA



vide letter dated 22-03-2021. A copy of the same is enclosed for ready reference.

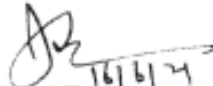
Keeping in view the decision of Union Cabinet dated 08-07-2020 wherein all the existing vacant inventory created under JNNURM be utilized for Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) for urban migrants/poor, the matter was deliberated in the review meeting taken by Hon'ble Chief Minister, Delhi on 08-04-2021, wherein it was decided that after utilizing the flats for relocation of jhuggis already committed and considering the request of DDA for acquisition of flats for rehabilitation jhuggis on its land, the remaining flats at the locations mentioned in letter dated 15.04.2021 may be explored for utilization under ARHCs. A copy of the letter to MoHUA dated 15-04-2021 is enclosed for ready reference.

In view of the situation explained and for the best utilization of vacant inventory of JnNURM flats constructed by DUSIB and DSIIDC, MoHUA is once again requested to allow the proposal requested by GNCTD vide letter dated 15-04-2021.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl. As above.

Yours faithfully,


(Abdul Dayyan)

Director (Rehab.)

1. Additional Chief Secretary (UD), GNCTD
2. CEO, DUSIB
3. Member(Admn.), DUSIB

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT OF NCT OF DELHI
 (Rehabilitation Branch)
 Opp. Shivaji College Sports Complex, Raja Garden, New Delhi-110027

No. 0/149/2015/Rehab./CD-204396125/PS to Director/D - 16 Date:22.03.2021

To

The Under Secretary to the Government of India,
 Ministry of Housing and Urban Affairs,
 (HFA - V Division),
 Room No. 3, Technical Cell, Gate No. 7,
 Nirman Bhawan, New Delhi - 110011

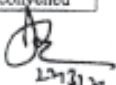
Sub: Request of Govt. of NCT of Delhi to allow inventory meant for slum rehabilitation to be utilized for relocation/rehabilitation of slum dwellers of JJ bastis and unutilized inventory for disposal under Affordable EWS Housing Scheme- reg.

Sir,

This has reference to your letter No. N-11022/51/2020-HFA-V-UD/FTS-9088338 dated 17.02.2021 on the above cited subject.

2. In this regard, I am directed to inform that DUSIB has already charged the relocation charges from Land Owning Agencies and also from the beneficiaries as per provisions of Relocation Policy duly approved by the Hon'ble Lt. Governor, Delhi. The land owning agencies have deposited relocation charges for implementation of their project. Relocation charges amounting to Rs.76.17 Crores in respect of ten JJ bastis have been received from land owning agencies. The list of such land owning agencies is as under :

S. No.	Name of JJ Basti/ Land Owning Agency	Surveyed units	Total amount received(Rs.)/ Dated	Proposed relocation site	No. of Beneficiaries share money received
1	JJ Basti Kushak Nalliah East Kidwai Nagar/LOA- SDMC (amount paid by NBCC)	449	38,85,26,800 17.01.2019	Sector 16-B, Dwarka	287
2	JJ Basti G Point, Gole Market,(Court Case) LOA- L&DO (amount paid by RML Hospital)	68	6,12,00,000 13.06.2019	DSI IDC Complex Baprola	64
3	JJ Basti Princess Park, Copernicus Marg LOA-Defence Estate, Govt. of India	228	17,35,65,000 05.03.2020	Sector 16-B, Dwarka	EDC to be convened
4	JJ Basti Maa Anandmai Marg & MD Road LOA PWD (amount	98	7,69,36,000 04.09.2020	Sector 16-B, Dwarka	EDC to be convened


22/3/21

	paid by DMRC)				
5	JJ Basti NDMC Water Supply 5855, Kali Bari Marg, New Delhi (LOA-CPWD)	122	<u>1,65,00,000</u> 08.05.2017 & 20.12.2017	Sector 16-B, Dwarka	85
6	JJ Basti Jamia Millia Islamia University LOA-Jamia Millia Islamia University	87	<u>1,17,00,000</u> 26.12.2003 & 11.09.2018	Sector 16-B, Dwarka	29
7	Dhobi Ghat No 10, Minto Road CPWD-Amount paid by CGHS	42	<u>57,00,000</u> 09.01.2013, - 11.09.2013 & 21.02.2018	Sector 16-B, Dwarka	26
8	JJ Basti Anna Nagar, ITO LOA-SDMC	10	Amount yet to be paid	Sector 16-B, Dwarka	EDC to be convened
9	JJ Basti Park side Badli LOA - DSIIDC	523	Amount paid <u>5,15,44,000</u> 04.12.2000; 11.01.2012; 21.06.2012; 10.10.2012 & 01.06.2015 to be refunded. Flats at relocation site are being provided by DSIIDC.	DSIIDC Complex Bawana	281
10	JJ Basti P-1, Sultanpuri LOA - DUSIB	603	NA. in-situ upgradation site constructed by DUSIB on its land.	1060 Flats at A - 3, Sultanpuri	62
11	JJ Basti HGI Labour Colony LOA - DUSIB	215	NA	1060 Flats at A - 3, Sultanpuri	34
12	JJ Basti Opposite F-7, Sultanpuri LOA - DUSIB	281	NA	1060 Flats at A - 3, Sultanpuri	110
13	JJ Basti A-2, Sultanpuri LOA - DUSIB	98	NA	1060 Flats at A - 3, Sultanpuri	16
	Total	2824	73,41,27,800	-	994

JJ BASTIS WHERE LAND OWNING AGENCIES PAID PART PAYMENT					
S.No.	Name of JJ Basti	Nos. of jhuggis	Total amount received from LOA(Rs.)/Dated	Approx.No. of beneficiaries deposited share money	Proposed relocation site
1	In front of Ayurvedic Hospital, Haiderpur	92	<u>1,22,76,000</u> 15.05.2012	11	Bhalaswa

2	K1 Wazirpur	41 (old survey)	1,29,10,800 11.01.2012 & 27.02.2013	174	Bhalaswa
3	Rajiv camp, Arambagh	68	24,00,000 08.08.2001 & 07.05.2015	07	Bhalaswa
Total		549	17586800	200	--

3. In case of some of JJ Bastis, land owning agency has not deposited their share money full/in part, but some of beneficiaries have deposited their share money on the basis of eligibility letter issued to them as per Rehabilitation Policy dated 25.02.2013:

De-survey, as per Policy of 2015, carried out but eligibility as per 2015 Policy could not be determined as LOAs have not paid the demanded relocation charges. The Eligibility is as per Policy dated 25.02.2013

S.No	Name of JJ Basti	Name of LOA	Surveyed Jhuggies	Payment by beneficiaries	Proposed Relocation site
1	Press Road Old Sectt.	CPWD	118	49	Bhalaswa
2	Khichripur B/W B Bridge	I&FC	428	95	Bhalaswa
3	Nivedita Kunj	L&DO	147	47	Bhalaswa
4	Pratap Camp	L&DO	518	326	Bhalaswa
5	Kirbi Place	Defence	1583	508	Bhalaswa
6	Ramesh Nagar Kirti Nagar	MCD(SDMC)	845	183	Bhalaswa
Total		-	3639	1208	--

4. In addition to this, in some of the court cases Hon'ble High Court has directed DUSIB to rehabilitate the petitioners whose jhuggies were demolished earlier. In the court case titled Sudamn Singh & Ors Vs Govt. of NCT of Delhi & Ors, 223 Petitioners filed Writ Petition no. 8904/2009. 145 applicants, out of 223 petitioners appeared before the Eligibility Determination Committee. The Committee declared 94 JJ dwellers eligible. Among them 46 eligible JJ dwellers have deposited their share money. The aforementioned 46 eligible beneficiaries may also be rehabilitated at Bhalaswa relocation site.

5. Besides, in the court case titled Delhi Jhuggi Jhopri Kalyan Evam Vikas Sangh Vs Govt. NCT of Delhi & Ors, 80 JJ dwellers have been declared eligible and Land Owning Agency has deposited Rs.7,69,36,000/- for allotment of flats at Sector 16-B Dwarka. 28 JJ dwellers have also deposited their beneficiary share.

6. Under 1985 Registration Scheme, Draw for allotment of 1144 flats has been done for allotment of flats at Sawda Ghevra. Out of these 218 applicants have deposited their share money and 207 have already taken over the possession of the flats.

[Signature]
27/7/21

7. The rehabilitation of these JJ dwellers/bastis/petitioners/registrants is a liability of the DUSIB as the relocation charges have been deposited by the land owning agencies and beneficiaries also deposited their share money.

8. In view of the above, it requested to exclude above mentioned housing sites from the scheme of Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs), notified and circulated vide your Circular No. N-11022/51/2020-HFA-V-UD/FTS-9088338 dated 31.12.2020, as these JJ dwellers and concerned land owning agencies were identified and committed prior to the aforesaid communication of MoHUA to GNCTD.

9. This issues with the approval of Hon'ble Minister for Urban Development, Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully,



(Abdul Dayyan)

Director (Rehabilitation)

Copy for information to :

1. Additional Chief Secretary (UD), GNCTD
2. CEO, DUSIB
3. Member(Admn.), DUSIB
4. Sh. Rahul Kashyap, Director(Delhi Division), Ministry of Housing and Urban Affairs, G.O.I.

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
9TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F.No.298(7)/UD/BSUP, 20.07/2021/50

To

The Joint Secretary & Mission Director (HFA),
Ministry of Housing and Urban Affairs,
Govt of India,
Room No.116-G, Nirman Bhawan, New Delhi-01

Subject : Regarding utilization of vacant Flats constructed under JNNURM

Sir,

This has reference to the request sent to your Ministry by the Director (Rehabilitation), DUSIB, with the approval of Hon'ble Minister (UD), GNCTD, vide letter No.O/149/ 2015/Rahab./CD-204396123/PS to Director/D-16 dated 22-03-2021(Copy enclosed at Annexure-I), to exclude the housing sites from the scheme of ARHCs against which DUSIB has made commitment to land owning agencies/beneficiaries/JJ dwellers in view of relocation charges/beneficiary contribution deposited prior to the notification of ARHCs.

2. In response to direction of Hon'ble Lt. Governor, Delhi, for joint inspection of vacant inventory of flats constructed under JNNURM by DUSIB/DSIHC, the same was carried out with DDA on 17-19th December, 2020. Thereafter, the proposal received from DDA was also discussed and it was decided that request may be sent to MoHUA for according permission to GNCTD for handing over the flats to DDA as per their proposal on mutually agreed terms & conditions, as decided in the meeting held on 01-04-2021 under the chairmanship of Hon'ble Minister (UD), GNCTD (Minutes of the meeting Annexure-II). Following housing sites fall under this category:

- a) Baprola (2500 flats)
- b) Bhalawa (4700 flats)
- c) Bhorgarh (875 flats)
- d) Puth Khurd (1460 flats)

--Cont--

3. During the review meeting on 08-04-2021 by Hon'ble Chief Minister, GNCTD, It was also apprised that after utilizing vacant inventory for relocation/rehabilitation of prioritized jhuggis and also after giving flats to DDA as requested by them, still there are about 12872 completed and 16600 incomplete houses that are required to be utilized.

4. After detailed deliberations, it was agreed to explore ARHGs Model for the remaining complete/incomplete housing sites which are not covered under para 1 & 2 above. The following housing sites fall under this category:

- a) Sawda-Ghevra (6476 Flats)
- b) Narela (1412 Flats)
- c) Bawana Phase-II (704 Flats)
- d) Ghoga (3680 Flats)
- e) Tikri (5740 Flats)
- f) Puth Khurd (Phase-II) (6300 Flats)
- g) Puth Khurd (Phase-III) (4560 Flats)

5. In view of the situation explained above, MoHUA is requested to allow the proposal stated above for best utilization of vacant inventory of JNNURM flats constructed by DUSIB/DSHDC.

6. This issues with the approval of Hon'ble Minister (UD), GNCTD.

Enclose: As above.

Yours faithfully,

Deputy Secretary (UD/BSUP)
Phone: 23392218

6/c

81. श्री कुलदीप कुमार : क्या माननीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) एम.सी.डी. के कर्मचारियों का वेतन कब से बकाया है;
- (ख) एमसीडी के रिटायर कर्मचारियों की पेंशन कब से बकाया है;
- (ग) एमसीडी ने अपने रिटायर हो चुके कितने कर्मचारियों का जीपीएफ का भुगतान नहीं किया है; और
- (घ) क्या एमसीडी अपने सफाई कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा देती है?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों के अलावा सभी कर्मचारियों का जून माह तक का वेतन दिया जा चुका है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जून 2021 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है. वेतन के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम में चतुर्थ कर्मचारियों व स्वास्थ्य विभाग के समस्त वर्गों का मास जून 2021 तक का वेतन वितरित कर दिया है व अन्य श्रेणी ए. बी. व सी. के कर्मचारियों का मास गई 2021 तक का वेतन वितरित कर दिया गया है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मई 2021 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। जून 2021 से पेंशन बकाया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पेंशन का भुगतान माह जून 2021 तक किया जा चुका है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पेंशनधारियों का मई 2021 तक का पेंशन वितरित किया जा चुका है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सेवा निवृत्त 128 कर्मचारियों के दिनांक 21.05.2021 से 23.07.2021 तक पास किये गये बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। जिसकी कुल राशि बकाया रुपये 18,26,55,605/- है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने रिटायर हो चुके कर्मचारियों के जीपीएफ के बिल, जो 17 जून, 2021 तक पास किए जा चुके हैं उन सबका भुगतान किया जा चुका है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मार्च 2021 एक प्राप्त डिमांड (जी पी एफ) का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : सफाई कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा नहीं देते। किन्तु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा दी जाती है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में

कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए रिइम्बर्समेन्ट (अदायगी) की सुविधा उपलब्ध है। सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के लिए पैनल अस्पतालों में केशलेस मेडिकल एवं नॉन पैनल अस्पतालों में इमरजेंसी होने पर रिइम्बर्समेन्ट (अदायगी) की सुविधा उपलब्ध है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : सभी नियमित पर्यावरण सहायक पैनल में शामिल प्राइवेट लिमिटेड से अपने परिवार के सदस्य के लिए चिकित्सा पूर्ती-पूर्ति के हकदार है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग से आउटर खोले गये हैं। सभी नगर पालिका कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा के कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव भी सदन द्वारा पारित किया गया है। यह सुविधा तीनों निगमों द्वारा एकीकृत तरीके से लागू की जानी है। हालाँकि, धन की कमी के कारण योजना को अभी तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

82. सुश्री भावना गौड़ : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ये सत्य है कि पालम विधानसभा में डीयूएसआईबी की ज़मीनें खाली हैं?
- (ख) यदि है तो इसका पूर्ण विवरण दें?
- (ग) ये खाली पड़ी ज़मीनें किस-किस उपयोग के लिए है?
- (घ) क्या इन खाली ज़मीनों पर तत्काल में सदुपयोग के मद्देनजर निर्माण के लिए सरकार की कोई योजना है?

(ड) क्या ये सत्य है कि खाली पड़ी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किये गये हैं?

(च) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) जी हाँ। पालम विधान सभा में डूसिब की कुछ व्यवसायिक भूखण्ड खाली है।

(ख) सैक्टर-1 द्वारका पालम भूखण्ड

(i) सामुदायिक सेवाएं-1 - 209 वर्गमीटर

(ii) सामुदायिक सेवाएं-2 - 672 वर्गमीटर

सैक्टर-7 द्वारका पालम भूखण्ड

(i) सामुदायिक सेवाएं-1 - 120 वर्गमीटर

(ii) सामुदायिक सेवाएं-2 - 90 वर्गमीटर

(ग) सामुदायिक सेवाओं के लिए है।

(घ) नहीं

(ड) नहीं

(च) लागू नहीं

83. सुश्री भावना गौड़ : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) एसडीएमसी द्वारा जनवरी 2017 से लेकर अभी तक तहबाजारी समिति की कितनी बैठक सम्पन्न करवाई गई;
- (ख) इन बैठकों में क्या-क्या एजेंडा पास किया गया;
- (ग) पालम विधानसभा में अधिकृत एवं अनाधिकृत तौर पर तहबाजारी के तहत कितने साप्ताहिक बाजार चल रहे हैं, स्थान और बाजारों के दिन सहित ब्यौरा दें; और
- (घ) क्या यह सत्य है कि पालम मेन रोड पर अनाधिकृत तरीके से निगम द्वारा पीले खोखे लगाकर अतिक्रमण किया गया?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जनवरी 2017 से लेकर अभी तक तहबाजारी समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है-

जनवरी 2017 से मार्च 2017	:	1
वर्ष 2017-18	:	4
वर्ष 2018-19	:	3
वर्ष 2019-20	:	4
वर्ष 2020-21	:	2

- (ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** इन बैठकों में तहबाजारी से संबंधित समस्याओं पर सामान्य विचार विमर्श किया गया।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : पालम विधान सभा क्षेत्र में अधिकृत तौर पर तहबाजारी के तहत जे.जे. कॉलोनी सेक्टर-1 द्वारका (पपनकला) में बुधवार व शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगता है जबकि तहबाजारी के तहत कोई भी अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार पालम विधानसभा में नहीं चल रहे हैं। यदि कोई भी अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार लगाने की सूचना जैसे ही प्राप्त होती है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : इस सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कोई भी खोखे अनाधिकृत तौर पर पालम मेन रोड पर नहीं लगाया गया है। जैसे ही कैसी भी अनाधिकृत खोखे की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

84. श्री संजीव झा : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन कितने नाले हैं जिनकी साफ-सफाई निगम के द्वारा की जाती है।

(ख) इस वर्ष मानसून से पहले नगर निगम ने कौन-कौन से नालों की सफाई की; और

(ग) इन नालों की सफाई पर नगर निगम द्वारा कितनी धनराशि का व्यय किया गया?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन चार फुट गहराई से कम 815 नाले हैं, जिनकी सफाई निगम के डैम्स विभाग द्वारा की जाती है।

उ.दि.न.नि. के अभियांत्रिकी विभाग के अधीन चार फुट गहराई से अधिक 192 नाले हैं, जिनकी सफाई निगम के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाती है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** डैम्स विभाग द्वारा इन सभी 815 नालों की सफाई उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सैनिटेशन विभाग ने मानसून से पहले की है।

अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इन सभी 192 नालों की सफाई मानसून से पहले करवाई है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** वित्तीय वर्ष 2021-22 में नालों की सफाई के लिए कुल 59.78 लाख रुपये का बजट allocation (concurrence as well as payment under XL III D IV-Cap) किया गया है।

85. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2021 में मानसून से पहले तीनों नगर निगमों के नालों की डीसिल्टिंग के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

- (ख) डीसिल्टिंग पूरी हो जाने का क्या प्रमाण है;
- (ग) कृपया डीसिल्टिंग के लिए ठेकेदारों को दिए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी दें;
- (घ) तीनों नगर निगमों द्वारा डीसिल्टिंग के संतोषजनक/असंतोषजनक पाए गए कार्यों की सूची उपलब्ध करायें;
- (ङ) तीनों नगर निगमों के उन क्षेत्रों की, प्रश्न पूछे जाने की तिथि तक की, पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करायें जहां 2021 के मानसून में जल भराव हुआ है?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम वर्ष 2021 में मानसून से पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 4 फुट गहराई से कम नालों की डीसिल्टिंग का लक्ष्य तथा उपलब्ध की रिपोर्ट अनुलग्नक 'क' पर सलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : वर्ष 2021 में मानसून से पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 4 फुट से अधिक गहरे नालों की डीसिल्टिंग के लिए 27481.83 मिट्टिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा 4 फुट से कम गहरे नालों की डीसिल्टिंग के लिए 27230 मी. टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : वर्ष 2021 में मानसून से पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नालों की डीसिल्टिंग के लिए 46086 मैट्रिक टन की गाद निकालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : अनुलग्नक 'क' पर सलग्न है। दक्षिणी

दिल्ली नगर निगम : डीसिल्टिंग प्रक्रिया का समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। निकाली गई गाद को ओखला लैंडफिल साईट पर भेजा गया है। ओखला लैंडफिल से दिन प्रतिदिन भेजी गई गाद की मात्रा की कम्प्यूटरकृत पर्ची जारी की गई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : लगभग 55002 मैट्रिक टन गाद सिधौला सिल्ट डम्प साईट पर भेजी जा चुकी है। यहां पर सारी गाद कम्प्यूटर द्वारा तोली जाती है और कम्प्यूटरकृत रसीद ही इसका प्रमाण है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : यह कार्य विभाग में उपलब्ध मशीनरी तथा सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया है। इस कार्य के लिए ठेकेदारों को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दिन प्रतिदिन भेजी गई गाद को सत्यापन के लिए ओखला लैंडफिल साईट पर भेजा जाता है। वहां से सत्यापित होने पर ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : डीसिल्टिंग का सारा कार्य विभिन्न प्रकार की मशीनरी जैसे जेसीबी, एक्सकवेटर सुपर सकर मशीन, सैक्शन कम जेटिंग मशीन, ट्रक आदि द्वारा किया जाता है कुछ मशीनें जैसे जेसीबी,

एक्सकवेटर, ट्रक किराये पर ली जाती है बाकी कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

ठेकेदारों द्वारा टेंडर करने के उपरान्त ली गई मशीनरी का कार्य खत्म होने के पश्चात् बिल बनाकर पास करा दिया जाता है बजट के अनुसार ठेकेदारों को उसका पेमेंट हो जाता है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी नालों की डीसिल्टिंग संतोषजनक, समयबद्ध की गई जिसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान जलभराव की कोई समस्या नहीं आई है। डीसिल्टिंग की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत सभी नालों से गाद निकालने का कार्य संतोषजनक किया गया है। जिसका विवरण 'क' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : सभी 219 नालों की सफाई का कार्य संतोषजनक करा दिया गया है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले अधिकार क्षेत्र में प्रश्न पूछे जाने की तिथि तक मानसून के कोई जल भराव संज्ञान में नहीं आया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कहीं पर भी जल भराव अभी तक नहीं हुआ है।

नालों के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर जहां निचली कॉलोनियों के अपशिष्ट जल को प्राकृतिक ढलान द्वारा बाहर नहीं निकाला जा

सकता वहां पर पम्पों की अलग-अलग क्षमता वाले स्थाई पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं जोकि चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। इन पम्पिंग स्टेशनों के सम्पवैल का सुपर सकर मशीनों से पहले ही साफ किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त विभाग में 180 पोर्टेबल पम्प भी उपलब्ध हैं और आवश्यकता के अनुसार जलभराव साइट पर तैनात किये जाते हैं।

सिगनेचर के

15.07.2021

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

SUBJECT: ACTION TAKEN RECORD OF DESILTING CARRIED OUT IN STORM WATER DRAINS OF DEPTH/ WIDTH LESS THAN 4 FEET

S NO.	ZONE	TOTAL NO. OF DRAINS	LENGTH OF DRAINS (IN KM)	DESILTING IN PROGRESS (NO. OF DRAINS)	DESILTING COMPLETED (NO. OF DRAINS)	DESILTING COMPLETED (in %age)	QUANTITY OF SILT REMOVED (IN MT)	REMARKS
1	ROHINI	238	103	0	238	100	675.095	
2	CIVIL LINE	244	112.11	0	244	100	3141.58	Further Re-Desilting work is still going on.
3	KESHAV PURAM	145	65.82	0	145	100	1199	Further Re-Desilting work is still going on.
4	KAROL BAGH	78	40.99	0	78	100	1015	Further Re-Desilting work is still going on.
5	NARELA	110	137.35	0	110	100	434	
6	CITY SP	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	815	459.27	0	815	100	6464.675	

NOTE: REPORT PREPARED ON THE BASIS OF FEEDBACK RECEIVED FROM ZONAL SSS

SDMC क 31/7/21
LIST OF DESILTING WORKS FOR THE YEAR 2021

S. No.	Name of Work	Cont. Amount	Remarks
1	Desilting/cleaning of Nallah No. 12 from Tilak Bridge to Railway Phatak in ward No. 55-S, Central Zone.	438963	Satisfactory Completed
2	Desilting/cleaning the portion of Barapulla Nallah from Mathura Road to Railway Track in Ward No. 55-S, Central Zone.	278496	Satisfactory Completed
3	Desilting/cleaning of Nallah No. 12A+2 from Metro Station Pragati Maidan Mathura Road to Ring Road in Ward No. 55 S/Central Zone.	393433	Satisfactory Completed
4	Desilting/cleaning of the portion of Nallah No. 14 from Petrol Pump at Mathura Road to Ring road in Ward No. 55 S, Central zone.	455927	Satisfactory Completed
5	Desilting/cleaning the portion of Barapila Nallah from Railway Track to Ring road in Ward No. 56-S, Central Zone.	336958	Satisfactory Completed
6	Desilting/cleaning of Nallah No. 15 from Railway Track to Yamuna River in Ward No. 56-S, Central Zone.	473622	Satisfactory Completed
7	Desilting/cleaning the portion of Nallah No. 14 from Ring Road Flood Gate to Yamuna River in Ward no. 56-S, Central Zone.	377047	Satisfactory Completed
8	Desilting/cleaning of Sunharipulla Nallah from Cayal Singh College to Barapulla Nallah in Ward No. 58-S, Central Zone.	392204	Satisfactory Completed
9	Desilting/cleaning of Barapulla Nallah from Link Road Culvert to Mathura Road in Ward No. 58-S, Central Zone.	396059	Satisfactory Completed
10	Desilting/cleaning of Kushak Nallah from Railway Crossing to Barapulla Nallah (Lala Lajpat Rai Marg) in Ward No. 58-S, Central Zone.	413859	Satisfactory Completed
11	Desilting/cleaning of Ananand Lok Nallah from Kamla Nehru College to Andrews Garj Nallah, LSR Nallah from Kalkadevi Marg to Ring Road (Banglow No. 1), Natoinal Park Nallah from Frank Anthon School to LSR Nallah in Ward No. 59-S, Central Zone.	451585	Satisfactory Completed
12	Desilting/cleaning of Chirag Delhi Nallah from Andrews Garj to Ring road in Ward No. 59-S, Central Zone.	450274	Satisfactory Completed
13	Desilting/cleaning of Prakash Mohalla Nallah Garhi Village from Prakash Mohalla to Shera Mohalla in Ward No. 59-S, Central Zone.	192287	Satisfactory Completed
14	Desilting/cleaning of Kushak Nallah from INA to Railway X-ing near Sewa Nagar in Ward No. 60-S, Central Zone	206790	Satisfactory Completed
15	Desilting/cleaning of Friends Colony Nallah (along Mathura Road) from Petrol Pump to Club in Ward No. 60-S, Central zone.	212377	Satisfactory Completed
16	Desilting/cleaning of Garhi Nallah from A-Block East of Kailash to Ren Basera on Captain Gaur Marg in ward No. 60-S, Central zone.	167575	Satisfactory Completed
17	Desilting/cleaning of Club Nallah Friends Colony west/Maharani Bagh Nallah from Railway Line to C.V. Raman Marg Culvert in Ward No. 60-S, Central zone.	352960	Satisfactory Completed
18	Desilting/cleaning of Sirinwaspur Nallah from Sabzi Mandi to Railway Line in Ward No. 60-S, Central Zone.	235542	Satisfactory Completed
19	Desilting/cleaning of the portion of Nallah No. 14 (remaining work) from Petrol Pump to Gate No. 2 of Pragati Maidan in Ward No. 55-S, Central Zone.	227862	Satisfactory Completed
20	Desilting /cleaning of Defence Colony Nallah (opening between C and D Block along service road of Ring Road and along Sai Mandir to Railway Track) in Defence Colony in Ward No. 58-S, Central Zone.	336381	Satisfactory Completed

[Signature]

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER/CENTRAL ZONE

LIST OF NALLAH FALL UNDER THE JURISDICTION OF CENTRAL ZONE

S. No.	Div	Ward No.	Name of Nallah	Remarks
1	Div (M)-I	55 S	Drain No. 12 from Tilak Bridge to Railway Phatak	Desilting completed satisfactory
2	Div (M)-I	55 S	Drain from Police H.Q. to Pyare Lal Bhanan	Desilting completed satisfactory
3	Div (M)-I	55 S	Nallah No. 14 from Gate No. 5 Pragati Maidan to Outer ring road	Desilting completed satisfactory
	Div (M)-I	56 S	Nallah No. 14 from Ring road Flood Gate to Yamuna River	Desilting completed satisfactory
4	Div (M)-I	55 S	Nallah No. 12A+2 from Metro Station Pargati Maidan (Mathura Road) to Ring road	Desilting completed satisfactory
5	Div (M)-I	56 S	Nallah No. 15 from Railway Track to Yamuna River	Desilting completed satisfactory
6	Div (M)-I	55 S	Barapulla Nallah from Mathura Road to Railway Track	Desilting completed satisfactory
	Div (M)-I	56 S	Barapulla Nallah from Railway Track to Ring road	Desilting completed satisfactory
7	Div (M)-I	56 S	Drain from Mandirani Masjid to Pocket-B Sidharth Extn.	Desilting completed satisfactory
8	Div (M)-I	56 S	Kilokari Nallah from Kilokari Village to Ring Road	Desilting completed satisfactory
9	Div (M)-I	55 S	Jangpura-A Nallah from Hospital Road to Barapulla Nallah	Desilting completed satisfactory
10	Div (M)-I	56 S	Pipe drain from Pocket-A Sidharth Extn. to Sumpwell Pocket-B Sidharth Extn.	Desilting completed satisfactory
11	Div (M)-I	58 S	Sunehripulla Nallah from Dayal Singh College to Barapulla Nallah	Desilting completed satisfactory
12	Div (M)-I	58 S	Khuskak Nallah from Railway Crossing to Barapulla Nallah (Late Lalaji Kai Marg)	Desilting completed satisfactory
13	Div (M)-I	58 S	Barapulla Nallah from Link Road Culvert to Mathura Road	Desilting completed satisfactory
14	Div (M)-I	58 S	Drain from Jangpura Flyover to Round about A-Block Jangpura Extn.	Desilting completed satisfactory
15	Div (M)-I	60 S	Khuskak Nallah from INA to Railway X-ing near Sewa Nagar	Desilting completed satisfactory
16	Div (M)-I	60 S	Drain from A-Block NDBB-I to Khuskak Nallah	Desilting completed satisfactory
17	Div (M)-I	58 S	Defence Colony Nallah from Ring Road to Khuskak Nallah	Desilting completed satisfactory
18	Div (M)-I	59 S	Chirag Dehli Nallah from Andrews Garj to Ring Road	Desilting completed satisfactory
19	Div (M)-I	58 S	Drain in D-Block Defence colony from Ring Road to Ratan Lal Sehdev Marg	Desilting completed satisfactory
20	Div (M)-I	58 S	Drain in C-Block Defence colony from Central road to Ratan Lal Sehdev Marg	Desilting completed satisfactory
21	Div (M)-I	59 S	Around Lok Nallah from Kamla Nehru College to Andrews Garj Nallah	Desilting completed satisfactory
	Div (M)-I	59 S	L.S.R. Nallah from Kalkadevi Marg to Ring road (Banglow No. 1)	Desilting completed satisfactory
22	Div (M)-I	58 S	L.S.R. Nallah from Ring road to Peraz Gandhi Marg	Desilting completed satisfactory
23	Div (M)-I	59 S	National Park Nallah from Prank Anthonai School to L.S.R. Nallah	Desilting completed satisfactory

S. N.	Div	Ward No.	Name of Nallah	Remarks
24	Div (M)-I	59 S	Prakash Mohalla Nallah Gerhi Village	Desilting completed satisfactory
25	Div (M)-I	89 S	Geehi Nallah from A-Block East of Kallash to Ren Basera on Captain Gaur Marg	Desilting completed satisfactory
26	Div (M)-I	89 S	Friends Colony Nalla (Along Mathura Road) from Petrol pump to Club Nallah	Desilting completed satisfactory
27	Div (M)-I	89 S	Friends Colony Nalla (West) from Railway Line to Mathura Road	Desilting completed satisfactory
28	Div (M)-I	89 S	Club Nalla (Friends Colony West)/ Maharani Begh Nalla from Railway Line to CV Roman Marg Culvert	Desilting completed satisfactory
29	Div (M)-I	89 S	Sri Niwas Puri Nalla from Sabal Mandi to Railway line	Desilting completed satisfactory
30	Div (M)-I	87 S	Lajpat Nagar Nallah from Fazeel Gandhi Marg to Railway X-ing	Pertains to DDA
31	Div (M)-I	58 S	Jangpura Nallah from Railway Crossing to Barapulla Nallah	Pertains to DDA
32	Div (M)-II	91-S	Pkt. A-4 Nalla (Navjeevan Camp Nallah)	Desilting completed satisfactory
33	Div (M)-II	91-S	Transit Camp near Petrol Pump	Desilting completed satisfactory
34	Div (M)-II	92-S	Z-Block Nallah, Manev Camp STP Boundary to S.T.P. Boundary	Desilting completed satisfactory
35	Div (M)-II	92-S	Okhla Ph-I, Nallah from MAM Marg to Railway Line	Desilting completed satisfactory
36	Div (M)-II	92-S	Tata Steel Nallah Railway X-ing to Okhla Industrial Area	Desilting completed satisfactory
37	Div (M)-II	92-S	AC& Y Block Main Nallah from Y-1 to DSIDC Sheds OIA Phase-II	Desilting completed satisfactory
38	Div (M)-II	92-S	Sangay Colony Camp Nallah OIA Ph-II From A-101/3, Ph.2 to A-118 Ph.2	Desilting completed satisfactory
39	Div (M)-II	100-S	Taimoor Nagar, Nalla from C.V. Bahian Marg to Barot Char	Desilting completed satisfactory
40	Div (M)-II	102-S	Nai Basti Nalla to 6 No. Police Chowki	Desilting completed satisfactory
41	Div (M)-II	102-S	Abul Fazeel Enclave Nalla from Abul Fazeel to Shaheen Bagh	Desilting completed satisfactory
42	Div (M)-III	82-S	Tughlakabad Extn. Nallah Jagtariba road to Okhla Estate Marg	This Pipe drain is now used as a sewer. And the sewer is being cleaned regularly by the DJS.
43	Div (M)-III	83-S	Rajya Marg Drain, Sangam Vihar from G-Block Gali No. 3 to Turning point of Rajya marg	Re-Moulding of drain is being done by ISFC department. So no desilting required.
44	Div (M)-III	85-S	Rajya Marg Drain, Sangam Vihar from G-Block Gali No. 1 to Turning point of Rajya marg	Re-Moulding of drain is being done by ISFC department. So no desilting required.
45	Div (M)-III	93-S	Pocket J2/J4 Nallah from Navjeevan Camp to M.A.M. Marg	Desilting completed satisfactory
46	Div (M)-III	93-S	Gola Kun Camp Nallah from Kaitiya Bhindar Gola Kun Camp to Gate No. 1	Desilting completed satisfactory
47	Div (M)-III	93-S	Pocket J2, Kalkaji Extension Near RWA Office, Kalkaji Bldg. Pkt J2 to Near DJS Doctor Pump, Kalkaji Extn. Pkt J2	Desilting completed satisfactory

S. No.	Div	Ward No.	Name of Nallah	Remarks
48	Div (M)-III	94-S	V.P. Camp Nallah to Rly Colony	Desilting completed satisfactory
49	Div (M)-III	94-S	MIG Flats Pul Prukladpur Nallah from DDA flats to Railway Line	Desilting completed satisfactory
50	Div (M)-III	94-S	Muslim Camp Nallah	Desilting completed satisfactory
51	Div (M)-III	94-S	Badarpur Nallah from Mathura Road to Railway Line	Desilting completed satisfactory
52	Div (M)-III	94-S	Pepsi Cola Nallah from Mathura Road to Railway Line	Desilting completed satisfactory
53	Div (M)-IV	95-S	Phase-I Drain, Pipe chowk, Gautampuri from Arpana Dispensary to Meat chowk drain	Desilting completed satisfactory
54	Div (M)-IV	95-S	Phase-I Drain, Meat chowk, Gautampuri from Welding Shop to NTPC	Desilting completed satisfactory
55	Div (M)-IV	96-S	Moharibund Nallah from Jaitpur Road to Gurgaon Canal	Desilting completed satisfactory
56	Div (M)-IV	96-S	Hanuman Mandir Road Nallah from Jainpur Road to Gurgaon Canal	Desilting completed satisfactory
57	Div (M)-IV	101-S	L Shaped Park Nallah H. NO. 11 to DDA Park beside F&G Market	Desilting completed satisfactory
58	Div (M)-IV	101-S	Drain in form of MTNL to Dhalso	Desilting completed satisfactory
59	Div (M)-IV	101-S	J Pocket Market Drain from L shaped Parked to Jain Mandir	Desilting completed satisfactory
60	Div (M)-IV	101-S	Playfield No. 1 Drain Backside of Rajasthani camp to Agra Canal	Desilting completed satisfactory
61	Div (M)-IV	101-S	E Pocket Drain Gate No. 3 to Terrace Garden	Desilting completed satisfactory
62	Div (M)-IV	101-S	Gaffar Masjid Nallah from Manigani Kabristan to Kanbaya Pond	Desilting completed satisfactory
63	Div (M)-IV	101-S	Okhla Vihar Drain from Kanbaya Pond to Juma	Desilting completed satisfactory
64	Div (M)-IV	103-S	Siri Ram Chowk to Kalindi Kunj PS Boundary	Desilting completed satisfactory
65	Div (M)-IV	103-S	Shani Bazar Road	Desilting completed satisfactory
66	Div (M)-IV	103-S	Kalindi Kunj PS	Desilting completed satisfactory
67	Div (M)-IV	103-S	JJ Colony Phase I Nallah from Delhi Govt Sr School gate to NTPC Nallah	Desilting completed satisfactory
68	Div (M)-IV	103-S	JJ Colony Main road Nallah from Dilshg Tailor to Siri Ram Chowk	Desilting completed satisfactory
69	Div (M)-IV	104-S	Aali Village Main Road Nallah from Aali Chowk to Near MCD School	Desilting completed satisfactory
70	Div (M)-IV	104-S	District Park Nallah from Mahanji Agrasen Park to UP Boundary	Desilting completed satisfactory
71	Div (M)-IV	104-S	Near Jaiav Chaupal Infront of Jaiav Chaupal Agra Canal	Desilting completed satisfactory

EE(M-1)/C2

Conserved by Ganga Commission

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (M)-II
SOUTH ZONE GULMOHAR PARK NEW DELHI-110049

Subject: Drain wise report of desilting of Drains/Nallahs from the 09.08.20 to 17.06.2021 (Above 4' in depth and width)

S. No.	Ward No.	Name of nalla/Drains	Total Appx Qty. of silt to be desilted (in MT) (From 01.08.2020 to 31.05.2021)	Silt removed upto date	Remarks
1	79-S	From DPS School Pushp Vihar Sector-6 to Press Enclave Road	103	145	Completed
2	79-S	D/S Virat drain from BRT Corridor to main Nallah Pushp Vihar Sector - 4	38	45	Completed
3	79-S	L-Block Nallah from H. No. 322 L-Block to culvert near Mount Columbus School C-Block Dakshin Puri	43	55	Completed
4	79-S	Central Market Nallah from BRT to main Nallah Pushp Vihar	61	80	Completed
5	86-S	GK Nallah from Chirag Delhi Flyover to link road culvert near Central School	317	753	Completed
6	86-S	Shapur Jat drain from DDA Flats to August Kranti Marg Nallah	102	110	Completed
7	86-S	R&S Block Nallah from Outer Ring Road to S-353 to B- 272 GK-I	273	290	Completed
8	86-S	Ajeet Arcade Nallah near LSR College from Lal Lajpat Rai Marg to Kalka Devi Marg	43	75	Completed
9	86-S	Sant Nagar Covered drain	49	85	Completed
10	86-S	Nallah along August Kranti Marg from Panchsheel Club to Kamla Nehru College	157	584.055	Completed
11	87-S	Masjid Moth DDA Flat drain from DDA flat to outer Ring Road near Motor Mkt.	20	40	Completed
12	88-S	Chirag Delhi Vill. Nalla from Press Enclave Road to Outer Ring Road	367	1084.82	Completed
13	88-S	Jagdamba Camp nalla from Triveni Complex culvert to Chirag Delhi nallah	35	50	Completed
14	88-S	S-block Panchsheel Park covered drain from S-I to S-60	11	19.115	Completed
		Total	1619	3415.990	

Abey
 EE(M)-II

Chugh
 AE-I

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (M-S) I
GULMOHAR PARK, NEW DELHI

Subject: Drain wise report of Desilting of Drains/Nallas from the 01.08.20 to 31.5.2021 (Above 4" in depth and width)

Name of Zone : South
Name of CE: Sh. RK Sharma

Name of SE : Sh. Sudhir Mehta
Name of EE : Sh. B.B. Agrawal

S. No.	Ward No.	Name of nalla/Drains	Total Approx. Qty. of silt to be desilted (in MT) (from 1.08.20 to 31.5.21 as per action Plan)	Silt removed	Remarks
1	2	3	12	19	
1	61	Jia Sarai nalla from culvert near Katwaria in IIT to Old of Palme Marg	44	46.00	Satisfactorily completed
2	61	Jia Sarai outfall drain along IIT boundary wall	8	7.00	Satisfactorily completed
3	61	Arjun Nagar Nalla from Humayunpur to A.I.J.M.S. (Near Cremation Ground Green Park)	190	195.00	Satisfactorily completed
4	61	Nauraj Nagar nalla from Bhikaji Cama Place to Ring Road	270	275.00	Satisfactorily completed
5	61	Covered drain from C-260 SDA to Aurbindo Marg	4	5.00	Satisfactorily completed
6	61	Green Park Nalla from MCD School to Aurbindo Marg Evergreen Swells	56	50.00	Satisfactorily completed
7	61	K&P block SDA drain from Saint Paul School to Aurbindo Marg drain	28	30.00	Satisfactorily completed
8	62	Kalu Sarai nalla Begumpur to along Park, Sanpiya Vihar	30	26.00	Satisfactorily completed
9	62	Gautam Nagar Nallah from Indian Oil to bridge behind AISAS (reach from IOC to F-130, F-110 Gautam Nagar)	350	310.00	Satisfactorily completed
10	62	Gulmohar Enclave outfall drain covered (20 Nos. Manhole)	16	39.00	Satisfactorily completed
11	64	Vasant Vihar Nalla from Culvert on Munirka Marg to H.No. A-25, Off Palme Marg	160	165.00	Satisfactorily completed
12	64	Guru Hanishan Public School Nalla in Vasant Vihar from DDA park to Vasant Vihar	22	25.00	Satisfactorily completed
13	64	Indian Air Lines nalla in Vasant Vihar from H.No. 38 to Poorvi Marg, Indian Airlines	25	27.00	Satisfactorily completed
14	64	UIS, Nalla No. 6 & Vasant Enclave Drain	9	10.00	Satisfactorily completed
15	65	DPS Nalla R.K. Puram from DPS School to Ambedkar Basti (Covered during CWG)	24	25.00	Satisfactorily completed
16	65	Ambedkar Basti J.J. Camp Nalla from Kushia Camp to Ring Road	200	250.00	Satisfactorily completed
17	65	Som Vihar nalla from Som Vihar Apartment to DPS School	13	13.00	Satisfactorily completed
18	65	Nalla No.5 R.K. Puram from Outer Ring Road to Sangam Cinema, R.K. Puram	52	65.00	Satisfactorily completed
19	65	Nallah No. 6 from Outer Ring Road near Kendriya Vidyalaya Sec-VII R.K. Puram to T-point of Rao Tula Ram Marg and Som Nath Sharma Marg in R.K. Puram	52	62.00	Satisfactorily completed
20	65	Nalla No. 4 R.K. Puram from Outer Ring to EKTA camp	230	235.00	Satisfactorily completed
21	66	Munirka drain from D.D.A. Flat to Outer Ring Road	16	16.00	Satisfactorily completed
22	66	Nalla No. 2 R.K. Puram from Church to DDA park Sect. IV, R.K. Puram	200	230.00	Satisfactorily completed
23	66	Nalla No. 3, Sect.-3, R.K. Puram from H.No. 506 type IV, Sect.-3 R.K. Puram to Masjid Off Palme Marg	155	170.00	Satisfactorily completed
24	66	Munirka Vihar outfall drain	14	14.00	Satisfactorily completed
25	66	Munirka Village outfall drain from Village to DDA flats Munirka	12	12.00	Satisfactorily completed

2176

2262.00

SE (M-S)

AE

JE

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

188

30 जुलाई, 2021

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, M-IV/SZ
SEC-IV, PUSHP VIHAR, NEW DELHI-17

26.07.21

Subject:- Action plan regarding desilting and cleanliness of drain/nallahs (above 4' in depth & width) 2020-21.

Name of the Department/Agency:- EE-M-IV/South zone.

S.No	W.No	Name of nallah/drain	Total approx. qty. of Silt to be desilted (In MT) from 01.01.2021 to 30.06.21	Total Qty. removed	Remarks
1	67-S	Katwaria Sarai Nalla Sh. Jeet Singh Marg to Culvert IIT	34	56	Completed
2	67-S	M-Block Nalla, Saket from Anupam Cinema to M-Block, Saket Mandir Marg	326	428	Completed
3	69-S	Phimi Nallah, Rajokari Village	207	258	Completed
4	69-S	Sector A Pocket B & C from Shiv Mandir to Jal Board Office, Vasant Kunj	161	195	Completed
5	69-S	Pocket D-3, 4 Gate No.1 to Shopping Centre, Vasant Kunj	31	45	Completed
6	71-S	Saidulajab Nalla from Gali No-2 to IGNOU Road Sajulajab	32	61	Completed
7	70-S	Chattarpur Mandir Nalla from Mandir to Chattarpur Pahari	262	290	Completed
8	73-S	Zonapur Village Nallah from Zonapur Village to 250m	118	200	Completed
9	73-S	Aya Nagar phimi road drain	97	127	Completed
10	73-S	Aya Nagar Sunday market drain upto outfall	255	261	Completed
		TOTAL	1523	1919	

[Signature]
26/7/21
EE-M-IV/SZ
Ar

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

189

08 श्रावण 1943 (शक)

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (M-III)
UNDER BHISHM PITAMAH FLYOVER, SEWA NAGAR
SOUTH ZONE, NEW DELHI - 110 003.

Dated: 26.07.2021

Subject: Action plan regarding Desilting and cleanliness of Drains/Nallas (Above 4' in depth and width) 2020-21.

Name of the Deptt./Agency: EE (M-III)/South Zone.

Sr. No.	Ward No.	NAME OF NALLA/DRAINS	Total Appx. Qty. of silt to be desilted (In MFT.) (From 01.01.21 to 30.06.21)	Total silt removed	Remarks
1	68-S	Mehrauli darqah Nallah & Darqah Jamali Kamali Nallah	83	125	Completed
2	68-S	Nallah from Mandir to Police Station Mehrauli	60	80	Completed
3	68-S	Samsi Talab Nallah Mehrauli from Bagh to Samsi Talab	79	95	Completed
4	74-S	Block 14, 16, 17 & 20 nallah Dakshinpur Pocket 16 to main road	56	70	Completed
5	74-S	From H.No/760 Block No.3 Dakshinpur Extn. to Boundary Wall of Jahan Panah City Forest	23	40	Completed
6	74-S	Nallah from Block No.2 to Dakshinpur Nallah at Maharishi Balimiki Marg	59	70	Completed
7	75-S	Nallah from M.B. Road to Jalebi Chowk	146	215	Completed
8	75-S	Nallah from Janta Jewan Camp to M.B. Road via Pico Factory	68	92	Completed
9	76-S	Nallah from Jalebi Chowk to Durga Vihar	141	222	Completed
10	80-S	Central Market Madangir nallah from Shiv Nanda Public School upto Parking near DDA Market Madangir Ph-II	54	97	Completed
11	80-S	RPS Drain from BRT Corridor near DDA Flats Madangir to DSIDC F-Block.	210	285	Completed
12	80-S	Pushp vihar main nalla from MB Road to culvert near DPS International School, Pushp Vihar	266	332	Completed
13	80-S	Pushp vihar District Center, Saket Nalla from Mandir Marg M Block culvert to culvert on Pankaj Jewel Marg In Pushp vihar	148	224	Completed
			1391	1947	

[Signature]
EE.

AE-II

JE

Subject List of drains under the jurisdiction of West Zone.

S.No	Div.	W. No	Name of main/drain	R.O.		Remarks
				From	To	
1	M-I	001-S	Covered drain in Madhyar.	Subj. Main	Road No. 28	
2	M-I	008-S	Subhash Nagar drain (Covered Portion ~1008 m + Uncovered portion (N/Thar) Section of drain ~18.5m x 1m to katcha portion on sides of drain)	Chaukhandi Culvert	East Nagar Etn	
3	M-I	009-S	Maharaja Park drain	Subhash Nagar Etn	PCTE Subhash Nagar	
4	M-I	006-S	Vishnu Garden drain	K-88 Vishnu Garden	J-BE Vishnu Garden	
5	M-I	009-S	Harjan Road drain	Harjan Road Culvert	WZ-03 Harjan Road	
6	M-I	009-S	Chaukhandi Village drain	WZ-1 Chaukhandi Etn.	Lal Building School	
7	M-I	007-S	D/o Shyama Nagar Match in A.P. No. 67.	Khyala Road	Chand Nagar	
8	M-I	007-S	D/o from B.A-7 to B.A-102 Guttedwara Shiksha Shiksha Road	B.A-7	B.A-102	
9	M-I	007-S	D/o from SGA Market Khyala to Patel Chowk Bore Side	SGA Mkt Khyala	Patel Chowk	
10	M-I	007-S	D/o from Horticulture Park to A-Block Khyala Main	Horticulture Park	A-Block Khyala	
11	M-I	007-S	D/o from Plot No 10 to Plot No 208 Chand Nagar Road No 1	Plot 10	Plot No 208 Chand Nagar	
12	M-I	007-S	D/o from Shiksha Mitra Mandir to Mangal Road Road Vishnu Garden	Shiksha Mitra Mandir	Mangal Dastar	
13	M-I	007-S	D/o from Hari Mandir (Chand Nagar Road) to F-108 F Block Vishnu Garden One Side	Hari Mandir	F-108	
14	M-I	007-S	Main Khyala Road (One side)	A-8	B1-Block	
15	M-I	008-S	D/o Nallah in Patel Road Khyala Village	S-1-108	NW Chowk	
16	M-I	008-S	D/o various nallahs in Ward No. 105-S	Gura Gurdent Singh Hospital	H.G. Dastar	
17	M-I	008-S	D/o from M-8 to S-201000 Vishnu Garden One Side	M-8 Vishnu Garden	S-201000	
18	M-I	008-S	D/o from S-201001 to New Khyala Road One Side	S-2010	New Khyala Road	
19	M-I	008-S	Raghubir Nagar drain	TC Canal Raghubir Nagar Canal	J-Block Vishnu Garden	
20	M-I	009-S	Purjati Mkt. Road drain	BSES office Maharaja Park	SI Office Store 107 road	
21	M-I	009-S	Chaukhandi JJ Colony drain	A-108 Chaukhandi JJ Colony	Guttedwara Chaukhandi JJ Colony	
22	M-I	009-S	Maharaja Garden drain	WZ-72 Maharaja Park	WZ-1 Chaukhandi Etn.	
23	M-I	009-S	East Nagar Etn. Drain	107 road East Nagar Etn.	Laksh Wale Pkt East Nagar Etn.	
24	M-I	009-S	East Nagar drain	WZ-15 East Nagar	Mata Park East Nagar	
25	M-I	007-S	A Block JJ Colony Drain	MLC Prg School	Chand Road	
26	M-I	007-S	B.A Block Drain	Block -102	Main Khyala Road	
27	M-I	007-S	B-1 Block Drain	Plot No.9	Plot No. 108	
28	M-I	009-S	Wood Land Park	CITC	PCRS	
29	M-I	008-S	New Khyala Road	TC Camp Bikaner Medical Coll.	F-22 Near Gulet Building (nallah)	
30	M-II	25(S)	WD Road to Rama Park (A-151)	NS Road	Rama Park	
31	M-II	27(S)	Pipal Wala Road from M.G. road/M.Pillar No-753 to H.No A-15 Mohan Garden.	Pipal Wala Road from N.G. road/M.Pillar No-753	H.No A-15 Mohan Garden.	
32	M-II	27(S)	Gurudwara Road from N.G. road (LPillar No-743) to H.No A-65 Mohan Garden	Gurudwara Road from M.G. road/M.Pillar No-743	H.No A-65 Mohan Garden	
33	M-II	27(S)	Rama Park Road from Pipal Wala Road to Nawada School.	Rama Park Road from Pipal Wala Road	Nawada School.	

A. S.No	Div.	W. No	Name of water/drain	R.D.		Remarks
				From	To	
34	M-II	27(3)	D.K. Road from H.G. road (MUP/Star No-751) to Nawada Rama Park road	D.K. Road from H.G. road (MUP/Star No-751) to	Nawada Rama Park road	
35	M-II	28(3)	Covered drain from RZ-1 to G-65 Prajapati Colony	RZ-1	G-65 Prajapati Colony	
36	M-II	28(5)	Drain from one side from S-5A to parapet to RZ-6 Manas Kunj	S 5A	RZ-6 Param Park	
37	M-II	28(5)	Covered drain along Police Chowki road from H.G. Road to B-151 Kisan Garden	Police Chowki Road H.G. Road	B-151 Kisan Garden	
38	M-II	28(5)	Covered drain along from A-8 Sanjay Indrawe to G-27 Subhash park and a-51 Parapet to T-213 to T-Block Malviya Road	A-8 Sanjay Indrawe	T-213 Malviya Road	
39	M-II	28(5)	Covered drain from RZ-6 Manas Kunj to Sanjay Chowk.	RZ-6 Manas Kunj	Sanjay Chowk	
40	M-II	28(5)	Covered Drain both side from Binda Pur Village Sanjay Chowk Malviya Road.	Bindapur Village	Sanjay Chowk Malviya Road.	
41	M-II	28(5)	Covered drain one side RZ-1 Indra park to Binda Pur Village.	RZ-1 Indra park	Bindapur Village	
42	M-II	28(5)	Covered drain from one side Opp. RZ-85 to H.No-110 Bindapur Village (Jahid road) and covered drain one side shop No-4 P.M. IV Bindapur JJ Colony to RZ-65 near Pump House.	RZ-85	110 Bindapur Village	
43	M-II	13-8	RZ Block, Vishnu Garden Drain	RZ-Block Vishnu Garden Chowk (Near Gundwana)	Deep Baral near Najalgarh Drain	
44	M-II	13-8	Drain from JG-2 Block, Vikaspur to Najalgarh Drain near SBI Apartments, Vikas Pur	JG-2 Block, Vikaspur	Najalgarh Drain near SBI Apartments, Vikas Pur	
45	M-II	13-8	12-Block Tilak Nagar Drain	M.C. Piy School, 12 Block Tilak Nagar	Subhash Nagar Drain	
46	M-II	13-8	Deep Baral starting from 4/1 Ashok Nagar to Najalgarh Road near Sanatan Dharma Mandir Ashok Ngr	From 4/1-Block, Ashok Nagar	Najalgarh Road near Sanatan Dharma Mandir	
47	M-II	13-8	Drain starting from 25/5 Tilak Nagar to 20 Block Gundwana Tilak Nagar	25/5 Tilak Nagar	20 Block Gundwana Tilak Nagar	
48	M-II	13-8	Drain in Tilak Vihar & near Cremation Ground	D Block Tilak Vihar	Subhash Nagar Drain near Parking opp. Cremation	
49	M-II	13-8	Subhash Nagar Drain (First Portion-Pasillo Mail on Najalgarh Road to Chaukhandi Pula-G25m Covered & 40 m Open, Second Portion from Ikdli Wala Pula, Sant Nagar to Najalgarh Road-450m Covered & 40 m Open) (So Total Covered-1075m & Open-80m)	Pasillo Mail on Najalgarh Road	Najalgarh Drain near Gas Godown near Raghunath nagar Road	
50	M-II	15-5	Drain from Professor Joginder Singh mang near B-1 Block Janakpuri to Panikha Road Drain near A-1 Block Janakpuri	Professor Joginder Singh mang near B-1 Block Janakpuri	Panikha Road Drain near A-1 Block Janakpuri	
51	M-II	16-5	Panikha Road Drain	Kali Mata Mandir	Foot Over Bridge (C-11 Bakhit Park)	
52	M-II	16-5	Internal Drain of C-2 Block Janakpuri & C-4C Block Janakpuri	C-2C Block Janakpuri	Panikha Road Drain	
53	M-II	17-5	Solanji Bridge to Gopal Dairy	Solanji Bridge	Gopal Nagar	

S.No	Div.	W. No	Name of nallah/drain	R.D.		Remarks
				From	To	
54	M-II	17-S	From Dabiri Palam Road to Gali No.16 Sita Puri along Police Station	Dabiri Palam Road	Gali No.16, Sita Puri	
55	M-II	18-S	Nallah Dayal Sir Road Uttam Nagar	Najafgarh Road	T Point	
56	M-II	18-S	Balli Udhyan Marg	Najafgarh Road	Near MCP School	
57	M-IV	19-S	Malik Music Center to manoj Bulder	Malik Music Center	manoj Bulder	
58	M-IV	19-S	Manoj Bulder to Nish telecom Centre C-Block Bakkanwala JJ Colony.	Manoj Bulder	Nish telecom Centre C-Block Bakkanwala JJ Colony.	
59	M-IV	19-S	B-Block to sewerage Plant Bakkanwala JJ Colony.	B-Block	sewerage Plant Bakkanwala JJ Colony.	
60	M-IV	19-S	A-Block to Sewerage Treat Plant Bakkanwala JJ Colony	A-Block	Sewerage Treat Plant Bakkanwala JJ Colony	
61	M-IV	19-S	Pipe drain at Dada Bhalaya Road Ranholia Village from Najafgarh Nangloi Road to Hari Ram Panchan	Najafgarh Nangloi Road	Hari Ram Panchan	
62	M-IV	20-S	Nallah Malaria office to Pankha road nalla in JJ Colony Hastal	Nallah Malaria office	Pankha road nalla in JJ Colony Hastal	
63	M-IV	21-S	Drain at Dal Mill Road, from N.G. Road (Pillar No-685) to Holi Chowk Uttam Nagar. (Both sides) 564+570+1134	Dal Mill Road, from N.G. Road (Pillar No-685)	Holi Chowk Uttam Nagar.	
64	M-IV	21-S	Hastal Road from N.G Road (M.Pillar No-686) to A-2 Block Uttam Nagar.	Hastal Road from N.G Road (M.Pillar No-686)	A-2 Block Uttam Nagar.	
65	M-IV	21-S	Hastal Nawada Drain from Pond to Hastal Vihar.	Hastal Nawada Drain from Pond	Hastal Vihar.	
66	M-IV	21-S	Nallah in Hastal LIG flats and covered drains Hastal Village (Pipal wala chowk).	Nallah in Hastal LIG flats	Hastal Village (Pipal wala chowk).	
67	M-IV	22-S	Drain at Mahasani Enclave from Yadav Property to Hastal Village. (40R Rd.)	Yadav Property	Hastal Village. (40R Rd.)	
68	M-IV	22-S	Drain from Deep Enclave to Hastal Village. (40R Rd.)	Drain from Deep Enclave	Hastal Village (40R Rd.)	
69	M-IV	22-S	Vikrant Chowk to Deep vihar Transformer 40 ft Rd	Vikrant Chowk	Deep vihar Transformer 40 ft Rd	
70	M-IV	22-S	Drain from Vikrant chowk to Rajapur Khurd.both sides (1194+1500+ 2684)	Drain from Vikrant chowk	Rajapur Khurd.	
71	M-IV	23-S	Hastal Ranholia Road Nallah From Commander Chowk to N.G. Drain (R.H.S)	Hastal Ranholia Road	Commander Chowk to N.G. Drain (R.H.S)	
72	M-IV	23-S	Drain from Baba Syed Marg towards Najafgarh drain (Hastal Ranholia Road) both sides	Drain from Baba Syed Marg	Najafgarh drain.	
73	M-IV	24-S	Drain from Cremation Ground (Baprola) to Mangesh Pur Drain (Jai Vihar).	Drain from Cremation Ground (Baprola)	Mangesh Pur Drain (Jai Vihar).	

Notes: The above list is compiled on the basis of list recd from various divisions of W-2.

for ASW-w-2
24/7/21

List of Drains in Najafgarh Zone	
S. No.	Name of Drain
1	Amberhal Village
2	Pochanpur
3	Surakhpur Road (both sides)
4	Neel Kanth Mandir Nala
5	28 foota Road
6	Captain Rishal Singh Marg
7	40 foota Road
8	Gurudwara road nala
9	Dharampura drain
10	Vaishali Drain
11	P & T Barat Ghar to Gali No.63, West Sagarpur
12	Gali No.6, Main Sagarpur Nallah
13	Nagar Van Park Road Nallah
14	Drain along M.C.Pry. School Mangla Puri
15	Drain along Mangla Puri Ph-I
16	Drain along MCD Office
17	Shyam Vihar 25 feet road
18	Nala in Raja Puri from Raja Puri Main Road Back Side of Petrol Pump
19	Football Chowk to M.C.Pry School Shahabad Mohd.Pur
20	Gurdwara to Railway Station in Shahabad Mohd.Pur
21	Bijwasan village
22	Bijwasan village
23	Kapashera (Phirni Nallah) Village
24	Mahipal Pur Extension open & Covered
25	Mahipal Pur L-Block Nallah cover & open
26	Ranpuri village near Telco Station
27	Sector C Pkt-9 in Vasant Kunj covered nallah
28	Raj nagar II(Old Mehrauli road LHS)
29	Raj nagar II(H block)
30	Raj nagar II(Mamta bakeri road both side)
31	Outfall drain Kakrola Dairy
32	Kakrola road Pipal chowk
33	Kakrola housing complex Nallah
34	Pate Garden drain
35	Sector-16A, J J colony,
36	Old Palam Road
37	Matiyala, jain colony road Road
38	Drain Connected Matiyala Ext. to DDA Nalla
39	Drain Connected to Phirni of Village Matiyala & Sector-3.
40	Drain Connected to Phirni of Village Matiyala to Sehyog Vihar
41	Mansa Ram Park (Pillar no 750)
42	Mansa Ram Park (Pillar no 750)
43	Matiyala Approach Road both side
44	Matiyala Phirni Nalla
45	Sehyog Vihar Nalla
46	Nallah in Chawla village at main Dhulsiras road
47	Galibpur Village Nallah
48	Gumanhera village
49	Nallah in Village Badusarai
50	Nallah in Village Kanganheri

51	Nallah in Village Nanak Heri
52	Panwala kalan
53	Paprawat Village
54	Rewla Khanpur & Daulatpur village
55	Rond Kharkhadi
56	Balmiki Mohlalla
57	Khushi Ram house
58	M.C. Pry School
59	Sr. sec School
60	Govt. School
61	Govt. School
62	Nallah in G-Block Vijay Enclave
63	Railway Road Drain
64	Old Mahrauli Road (RHS)
65	Palam Harizan Basti
66	Palam Village

86. श्री धर्मपाल लाकड़ा : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधानसभा के अन्तर्गत भाग्य विहार, योगीराज पुरम, शिव विहार, शहिद भगत सिंह कॉलोनी, रानी खेड़ा, मदनपुर व मजरी गांव आदि में बारिश के दिनों में जल भराव की भयानक समस्या रहती है;
- (ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : जी नहीं।
- (ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : मुण्डका विधानसभा के अंतर्गत भाग्य विहार, मीर विहार, योगीराजपुरम, शिव विहार, शहीद भगत सिंह कालोनी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाये जा रहे हैं।

रानी खेड़ा मदन पुर व मजरी गांव में व अन्य उपरोक्त कालोनियों में उपलब्ध की स्थिति के आधार पर पम्प लगाये गये हैं।

87. श्री धर्मपाल लाकड़ा : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड 36 एन में भाग्य विहार कॉलोनी में रोड व नालियों के पांच कार्यो

में से सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किये गये दो कार्यों के अन्तर्गत मेन रोड ऊँची बना दिये जाने के कारण वहां जल भराव की भयानक समस्या रहती है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठाए गये हैं तथा बाकी बचे तीन कार्य कब तक पूरे कर दिये जाएंगे?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** नगर निगम द्वारा भाग्य बिहार में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। भाग्य बिहार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग : जी हाँ मुंडका विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 36-एन में भाग्य विहार अनाधिकृत कॉलोनी के पूर्णविकास के लिए कुल 7 कार्यों के आकलन बनाये गए थे परन्तु धन के अभाव के कारण केवल 2 आकलन को स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं तत्कालीन माननीय विधायक श्री सुखबीर सिंह दलाल की वरीयता के अनुसार जो 2 कार्यों का निष्पादन करवाया गया जिसके अंतर्गत कार्यों के मुख्य मार्गों का निर्माण किया गया। इस कार्य में सड़क एवं नालियों का निर्माण कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम सड़क के मुख्य नाले में जल निकासी को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। शेष 5 कार्यों की स्वीकृति मिलने के बाद इस कॉलोनी का पूर्ण विकास होगा और आने वाले समय में कोई भी जल भराव की समस्या नहीं होगी।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग: जी हाँ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा इस समस्या के निदान हेतु 3 पंप लगाए हुए हैं ताकि जल भराव की भयानक समस्या न रहे और जल भराव की स्थिति से लोगों को राहत दिलाई जा सके।

88. श्री प्रकाश जारवाल : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिणपुरी एक्सटेंशन, ब्लॉक 8 से 13 के बीच, कोल डिपो और 1ए पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण और आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है : तथा उक्त डिपो का 2017-18 में एक सर्वे कराया गया था तथा उक्त प्लॉट पर विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों को अधिसूचित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दक्षिणपुरी एक्सटेंशन, ब्लॉक 8 से 13 में कोल डिपो 3 और कोल डिपो 4 अब वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुके;

(ग) यदि हां, तो इन डिपो के लिये अभी तक कोई विभागीय सर्वे क्यों नहीं किया गया है;

(घ) यथा अधिसूचित कोल डिपो 1 और 1ए के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है;

(ङ) इस डिपोज को अभी तक विभागीय नियंत्रण में क्यों नहीं लिया गया है, जबकि आवंटियों ने स्पष्ट रूप से आवंटन की शर्तों का

उल्लंघन किया है, व अतिक्रमण को हटाया क्यों नहीं गया है; और

- (च) मुख्य अभियंता श्री ओ पी श्रीवास्तव इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं इससे कोई आर्थिक या निजी लाभ तो नहीं जुड़े हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) यह सत्य है। सन् 2017 में एक संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें दोनों कोल डिपो में अवैध निर्माण, व्यावसायिक प्रयोग आदि पाया गया था।
- (ख) DUSIB द्वारा 2016 में माननीय उपाध्यक्ष DUSIB बोर्ड के आदेशानुसार सभी कोल डिपो का आवंटन रद्द कर दिया गया था लेकिन कुछ लोग न्यायालय में चले गए थे। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि DUSIB उनको कानून के नियम का पालन करते हुए कार्यवाही करे। अतः विभाग द्वारा सभी को DUSIB Act, 2010 के सेक्शन 41 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये। कोल डिपो नं. 3 (ब्लॉक 8 से 13 के बीच) ही विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। (कोल डिपो नं. 4 DUSIB के रिकॉर्ड में नहीं है।) सन 2018 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मौका निरीक्षण के दौरान यह जगह खाली दर्शायी गई है। हाँ, वर्तमान में इन भूखंडों को वाणिज्यिक (कबाड़ी एवम ऑटो वर्कशॉप) के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है।
- (ग) सन 2017 व 2018 में संयुक्त निरीक्षण हुआ था।

- (घ) कोल डिपो प्लॉट नं. 1 व 1ए के काबिजों के विरुद्ध DUSIB Act, 2010 के सेक्शन 41 के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं। कृपया (ख) भी देखें।
- (ङ) माननीय उच्च न्यायालय में कोल डिपो से सम्बन्धित एक केस में (Smt. Shanti Devi V/s Govt. of NCT of Delhi & Ors.) में कहा है कि "while a lessee acquires interest in property, a licensee does not. The licensee occupies the premises only on the basis of permission granted by the grantor and acquires no rights, title or interest in the property. Once the licensee is revoked, the licensee does not have any right to continue in occupation of the premises and is liable to be evicted". इसके पश्चात सभी जे. जे. आर कॉलोनी के कोयला डिपो के काबिजों को माननीय उपाध्यक्ष, DUSIB के आदेशानुसार रद्द किये गये। परन्तु कुछ लोग माननीय न्यायालय में चले गए थे अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए DUSIB Act, 2010 के सेक्शन-41 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गए। इसी दौरान माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के पास कुछ लोगों ने कोल डिपो के नियमित करने के लिए निवेदन किया जिस के पश्चात DUSIB बोर्ड की 23वीं बोर्ड की बैठक में पॉलिसी बनाने हेतु एक एजेंडा लगाया गया था। जिसमें बोर्ड ने DUSIB को एक पूरी पॉलिसी बनाकर बोर्ड में दुबारा लगाने का निर्देश दिया। यहां पर यह भी सूचित किया जाता है कि

पॉलिसी का अंतिम निर्णय भारत सरकार के आधीन है। कृपया (घ) का उत्तर देखें।

(च) यह मामला दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित नहीं है।

89. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन क्षेत्र के वार्ड संख्या-76, 77, 78 के अन्तर्गत अनियमित भवन निर्माण को नियमित करने से कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) इन अनियमित भवनों को नियमित करने की क्या प्रक्रिया है, इन्हें किस हद तक नियमित किया जा सकता है। इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये;

(ग) वार्ड संख्या- 76, 77, 78 के अन्तर्गत अभी तक कितने भवन बुक किये गये, कितने सील किये गये हैं, कितने डेमोलिश किये गये हैं और कितने पूर्णतः डेमोलिश किये गये हैं, इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये;

(घ) क्या किसी रिहाईसी बिल्डिंग का कन्वर्जन चार्ज जमा करने पर उस को कॉमर्शियल बिल्डिंग घोषित किया जा सकता है, और

(ङ) यदि हाँ, तो अभी तक ऐसी कितनी रिहाईसी बिल्डिंग को कॉमर्शियल बिल्डिंग घोषित किया गया है, इसकी पूर्ण जानकारी कराये?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

(क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** (केशव पुरम जोन का गठन 01.09.2017 से किया गया) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के

वार्ड संख्या 766, 77, 78 के अंतर्गत अनियमित भवन निर्माण को नियमित करने से (01.09.2017 से 23.07.2021 तक) 3,84,64,846/- राजस्व प्राप्त हुआ।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : भवन के अवैध निर्माण को UBBL-2016 तथा MPD-2021 के नियमों के अंतर्गत नियमित किया जाता है। अवैध निर्माण को UBBL-2016 के Annexure-IV के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित किया जाता है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : वार्ड संख्या 76, 77, 78 के अंतर्गत अभी 22.07.2021 तक 452 भवन बुक किए गए हैं, 15 सील किए गए हैं 272 डेमोलिशन किए गए हैं पूर्णतः डेमोलिशन की अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : (घ) एवं (ङ) : मास्टर प्लान 2021 के Chapter 15 के अनुसार, जो रिहायशी भवन Notified (Commercial/Mixed land use/Pedestrian street) Road पर स्थित है, उनका व्यवसायिक प्रयोग कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज इत्यादि जमा करने के पश्चात किया जा सकता है। लेकिन भवन का land use रिहायशी ही रहता है।

90. **श्री जितेन्द्र महाजन** : क्या माननीय शहरी वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के लिए वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में कितनी धनराशि का प्रावधान

किया गया, विवरण दें कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अनुसार वहां क्या-क्या विकास कराये गये और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई।

- (ख) दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड द्वारा पिछले पांच वर्षों में ग्रीन बेल्ट में स्थित अपनी कितनी जमीन किराये पर दी और इससे प्रति वर्ष दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड को कितने रुपये की आय हो रही है।
- (ग) क्या दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड ग्रीन बेल्ट में पार्किंग, बैंक्वेट हॉल इत्यादि किराये पर देती है, यदि हां तो इसके क्या नियम एवं शर्तें हैं, विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें;
- (घ) दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड द्वारा अपने समुदायिक भवन तथा बस्ती विकास केन्द्र गैर सरकारी संस्था को देने का क्या प्रावधान है और पिछले पांच वर्षों में किस-किस एनजीओ को समुदायिक भवन तथा बस्ती विकास केन्द्र दिये गये हैं।
- (ङ) यदि कोई एनजीओ नियम एवं शर्तों का अक्षरशः पालन नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है पिछले पांच सालों में किस-किस एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है; और
- (च) दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड द्वारा पिछले पांच वर्षों में कितने नाईट शैल्टर का निर्माण किया गया और इसके निर्माण पर कितनी लागत आई है।

माननीय शहरी वित्त मंत्री :

- (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में प्रावधान की गई धनराशि व प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कराये गये विकास कार्य व उन पर खर्च की गई धनराशि की सूची सलग्न है। (4/C to 44/C)¹⁷
- (ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने ग्रीन बेल्ट में अपनी कोई भी जमीन किराये पर नहीं दी है। अतः लागू नहीं।
- (ग) ग्रीन बेल्ट पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कोई पार्किंग, बैक्वेट हॉल नहीं हैं।
- (घ) दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड द्वारा अपने समुदायिक भवन तथा बस्ती विकास केन्द्र गैर सरकारी संस्था को देने का प्रावधान विभाग के नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जाता है, पिछले पांच वर्षों में विभाग द्वारा किसी भी NGO को समुदायिक भवन तथा बस्ती विकास केन्द्र की नई आवंटन नहीं दिये गये हैं, क्योंकि विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्था को देने के प्रावधान को 17 वी बोर्ड द्वारा लिए गए के आधार पर बन्द किया हुआ है।
- (ङ) यदि कोई एनजीओ नियम एवं शर्तों का अक्षरशः पालन नहीं कर रही है, तो विभाग के नियम एवं शर्तों के आधार पर उसका आवंटन रद्द कर दिया जाता है। सामुदायिक सेवा शाखा में कोई

17. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

भी आंवटन रद्द नहीं किया गया है, जबकि पिछले पांच सालों में विभाग द्वारा बस्ती विकास केन्द्र में 14 आंवटन रद्द किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	बी.वी.के	एन.जी.ओ. का नाम
1	करोतिया कैम्प, कालकाजी	नव सृष्टि फाउण्डेशन
2	जे.जे. बस्ती पटेल चैस्ट ढक्का गांव	आस्था समाज सेवा समिति
3	जवाहर कैम्प, टिम्बर मॉर्केट, कीर्ति नगर	श्रीराम मैगो एजुकेशन सोसाइटी
4	बनजारा कैम्प, हरीजन बस्ती, खानपुर	वीकर सेक्शन वेलफेयर फेडरेशन
5	एकता विहार सेक्टर 6, आर.के. पुरम	लॉरी बेकर काम्पलैक्स
6	काली बस्ती हस्तसाल	वेलफेयर आरगनाइजेशन
7	1 हॉल 1 st फ्लोर, A एवं B ब्लॉक झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया	अमर होलिसटिक सोसाइटी फार डिसएबल्ड
8	3 साइट नम्बर 318, 319 एवं 322 एकता विहार, आर.के. पूरम	प्रगति वुमैन वेलफेयर सोसाइटी

- 9 ब्लॉक 32-34, अम्बेडकर कैम्प, केशव भारती
त्रिलोकपुरी
- 10 ब्लॉक ब संजय कैम्प, गोकुलपुरी एकता समाज विकास मंच
- 11 कलंदर कॉलोनी, भलस्वा डेरी सोसाइटी फार सोशल सर्विसेस
- 12 डी-ब्लॉक, नई सीमापुरी ऑल इंडिया हरिजन सभा
- 13 1 एवं B ब्लॉक, बहुजन विकास समिति
सोनिया कैम्प, राज नगर,
झिलमिल इन्डस्ट्रियल एरिया
- 14 महात्मा गांधी कैम्प, निर्धन उत्थान विकास समिति
पंजाबी बाग

(च) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पिछले पांच वर्षों में पांच नाइट शैल्टरों का निर्माण किया गया व उनके निर्माण पर 736.61 लाख रुपये खर्च किए गये।

91. श्री अभय वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास के लिए वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है व उसमें से कितनी राशि का व्यय किया गया है, विधानसभा वार ब्यौरा उपलब्ध कराये?

शहरी विकास मंत्री : (क) अनाधिकृत कॉलोनी शाखा :-

विवरण	बजट प्रावधान 2020-21 (करोड़ों में)	बजट प्रावधान 2021-22 (करोड़ों में)
बजट आवंटन के अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष 4217 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य	1025	798
व्यय	1025 डीएसआईआईडीसी-289.19 करोड़ आई. एण्ड एफ.सी.-700 करोड़ स्ट्रीट लाईट 35.81 करोड़ और पोल/ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करने हेतु	शून्य

डीएसआईआईडीसी :- डीएसआईआईडीसी को वर्ष 2020-21 के अन्त में रुपये 289.19 करोड़ का फण्ड अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य के लिए प्राप्त हुआ।

उपरोक्त फण्ड से कॉलोनियों में कुछ कार्यों को आवंटित कर दिया गया है और शेष कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है और

की जायेगी। वर्ष 2021-22 में डीएसआईआईडीसी को वर्तमान में कोई फण्ड प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त फण्ड में से 2020-21 एवं 2021-22 में कोई व्यय नहीं किया गया है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग :- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को सौंपी गई दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास के लिए वर्ष 2020-21 के लिए रुपये 70000 लाख बजट का प्रावधान किया गया था जिसमें से रुपये 66526 लाख खर्च किए गए थे। वर्ष 2020-21 का विधानसभा वार व्यय का ब्यौरा सूची 'क' संलग्न है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अभी तक बजट आवंटित नहीं किया गया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग एक मुश्त बजट राशि आवंटित की गई जो कि आगे संबंधित खंड की जरूरत के अनुसार वितरित की जाती है।

Annexure 'A' *20/07/21*

Expenditure incurred by I&FC Department during the financial year 2020-21 in
Unauthorized colonies

S.No.	Name of Hon'ble area MLA	AC NAME	AC NO.	Expenditure (Rs. in Lakh)
1	2	3	4	5
1	Sh. Sharad Kumar	Narela	1	2481.52
2	Sh. Sanjeev Jha	Burari	2	9188.95
3	Sh. Pankaj Pushka	Timarpur	3	1137.52
4	Sh. Ajesh Yadav	Badli	5	4351.36
5	Sh. Mohinder Goyal	Rithala	6	556.42
6	Sh. Jai Bhagwan Upkar	Bewana	7	1111.60
7	Sh. Dharampal Lakra	Mundka	8	9180.16
8	Sh. Rituraj Jha	Kirari	9	3621.07
9	Sh. Mukesh Kumar Ahlawat	Sultanpur Majra	10	110.07
10	Sh. Raghuvinder Shokeen	Nangloi Jat	11	2646.13
11	Smt. Bandana Kumar	Shalimar Bagh	14	163.27
12	Ms. Alka Lamba	Chandni Chowk	20	0.00
13	Sh. Raaj Kumar Anand	Patel Nagar	24	173.29
14	Sh. Manjinder Singh Sirsa (Rajouri Garden)	Rajouri Garden	27	31.70
15	Sh. Mahinder Yadav	Vikasपुरी	31	5429.82
16	Sh. Naresh Balyan (Uttam Nagar)	Uttam Nagar	32	3472.10
17	Sh. Gulab Singh (Matiala)	Matiala	34	9703.20
18	Sh. Kailash Gahlot (Najafgarh)	Najafgarh	35	5034.43
19	Sh. Somnath Bhatti	Malviya Nagar	43	94.08
20	Sh. Kartar Singh Tanwar	Chhatrapur	46	13.02
21	Sh. Dinesh Mohaniya	Sangam Vihar	49	2031.09
22	Sh. Ramveer Singh Bidhuri	Badarpur	53	1696.13
23	Mohd. Amantullah Khan,	Okhla	54	1227.33
24	Sh. Rohit Kumar	Trilokpur	55	0.00
25	Sh. Kuldeep Kumar	Kondli	56	163.17
26	Sh. Abhay Verma	Laxmi Nagar	58	69.56
27	Sh. Om Prakash Sharma	Vishwas Nagar	59	11.37
28	Sh. Anil Kumar Bajpai	Gandhi Nagar	61	87.03
29	Sh. Rajender Pal Gautam	Seemapuri	63	5.34
30	Sh. Jitender Mahajan	Rohitash Nagar	64	62.76
31	Sh. Ajay Mahawar	Ghonda	66	10.61
32	Sh. Surender Kumar	Gokalpur	68	1,573.04
33	Sh. Haji Yunus	Mustafabad	69	1,083.18

92. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) तीनों दिल्ली नगर निगमों ने दिल्ली की सफाई सुनिश्चित करने के लिए पिछले पांच वर्षों में अलग-अलग कुल कितना खर्चा किया है;
- (ख) तीनों नगर निगमों ने कुड़े की उठान सुनिश्चित करने के लिए कितनी कूड़ा गाड़ी की खरीद की है, प्रत्येक गाड़ी की लागत क्या है, वह किस-किस जोन में चलाई जा रही है, सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए;
- (ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा पिछले 15 वर्षों से कितनी धनराशि कन्वर्जन चार्ज के रूप में प्राप्त हुई है, वर्ष वार पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये;
- (घ) उसका खर्च किस-किस मद में कब-कब किया गया, पिछले 15 वर्ष का विवरण उपलब्ध कराया जाए;
- (ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पिछले 15 वर्षों में कितनी धनराशि पार्किंग चार्ज के रूप में प्राप्त हुई और इससे दिल्ली में कितनी पार्किंग सुविधाएं दी गईं और कितनी परियोजनाएं अभी हाल में चल रही हैं, और कितनी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं; और
- (च) कितनी पार्किंग वर्षों से बन्द पड़ी हुई है। और इसके बन्द रहने का क्या कारण है, पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये?

शहरी विकास मंत्री :

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : इस प्रश्न का उत्तर अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पिछले 05 वर्षों का खर्च निम्नलिखित है।

वर्ष	खर्च करोड़ में
2016-17	82.97
2017-18	88.78
2018-19	91.61
2019-20	101.01
2020-21	112.25
कुल खर्च	476.62 करोड़

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा केवल नरेला जोन में ही 26 टिप्पर ट्रक कूड़ा उठाने हेतु खरीदे गए थे व प्रत्येक टिप्पर ट्रक की लागत रू० 20,31,000/- है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : इस प्रश्न का उत्तर अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कूड़े के निष्काशन हेतु वाहनों को खरीद पर किए गए पिछले 05 वर्षों का विवरण निम्नलिखित है :

1. टाटा ट्रक BS-IV & 10 nos. 19.93 लाख प्रति ट्रक जोकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त हुए।
2. महिन्द्रा लोडर 10 nos. लागत रुपये 19.18 लाख प्रति लोडर जोकि दिसम्बर 2017 में प्राप्त हुए।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा पिछले 15 वर्षों से प्राप्त धनराशि पार्किंग चार्ज के रूप में प्राप्त आय उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2020-21 तक रु. 282.10 करोड़ तथा नाईट पार्किंग चार्ज से प्राप्त आय रु. 502.30 करोड़ है।

वर्तमान में लाभकारी परियोजना विभाग उ.दि.न.नि. द्वारा अधिकृत पार्किंग स्थल 133 है जिसमें ठेकेदार द्वारा 57 पार्किंग चलाई जा रही है तथा 76 पार्किंग क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चलाई जा रही है।

76 पार्किंग स्थल की निविदा 23.07.2021 का जारी कर दी गई है। विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर नए पार्किंग स्थलों को चिह्नित किया जाता है तथा जिनको बाद में निविदा द्वारा आबंटित कर दिया जाता है।

- (च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : लाभकारी परियोजना विभाग द्वारा कोई भी अधिकृत पार्किंग बंद नहीं है तथा जिन पार्किंग स्थलों की समय अवधि समाप्त हो जाती है या ठेकेदार द्वारा छोड़ दी जाती है उसका समय-समय पर लाभकारी परियोजना विभाग ई-निविदा द्वारा पुनः आबंटित कर दी जाती है। जो पार्किंग स्थल आबंटित नहीं हो पाते उन्हें एच-1 बिडर प्राप्त होने तक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

अ. नं. २० लु. अ.

H/A	Particulars	2020-21	Expenditure 2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	Gross Total
61	DEMS	99421.42	120866.07	97103.88	87091.89	72346.04	476829.3
62	Compost Plan	180.94	169.26	205.53	129.99	74.6	760.32
63	Refuse Removal	2022.14	1842.83	2106.65	3144.66	2807.98	11924.26
64	Scavenging, Drains & Sewers	802.63	918.96	964.26	583.35	372.5	3641.7
65	Motor Workshop	1582.27	1269.56	1429.18	1248.85	1127.76	6657.62
	Total	104009.4	125066.68	101809.5	92198.74	76728.88	499813.2

15

UNITED NCD AND NORTH DMC

Annexure B

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (May-12)	Total upto May-12	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Total (upto 2021-22)
Conversion charges	186.07	90.01	108.12	192.44	146.80	132.33	6.60	834.37	91.12	108.23	84.04	126.55	129.89	266.91	127.46	108.92	33.38	1160.26
Parking charges	77.04	92.51	32.89	44.97	27.51	19.33	6.90	254.35	38.74	8.81	12.05	18.71	15.21	28.18	23.23	12.25	15.71	180.65
Total of conversion & parking charges	246.11	182.52	142.11	237.41	168.31	152.26	6.60	1128.72	130.86	117.04	106.09	145.26	145.20	295.07	143.88	127.63	36.51	1330.83

UNITED NCD AND NORTH DMC

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (May-12)	Total upto May-12	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Total (upto 2021-22)
Year																		
Escrow Expenditure	0.00	0.05	11.22	23.68	35.93	26.69	3.69	101.36	6.40	16.46	4.34	0.93	2.41	0.95	0.60	1.54	0.60	52.03
Other establishment expenditure (Salary & Pension)	246.11	182.52	139.86	213.73	152.38	121.70	0.00	1027.33	121.46	109.54	101.23	144.33	142.89	258.12	143.89	126.33	28.75	1361.46
Total	246.11	182.52	142.11	237.41	168.31	148.60	3.69	1128.72	130.86	117.04	106.09	145.36	145.20	295.07	143.89	127.63	36.75	1333.49

IN PROGRESS MULTILEVEL PARKING OF NORTH DMC			
S	Location of Proposed Multi-Level parking	Size of plot in sqm.	No. of ECS
1	Near Shiva Market Pitampura	3605	500
2	Multilevel underground car parking Gandhi Maidan	18524	2338
3	Qutab Road	1234	174
PROPOSED MULTILEVEL PARKING OF NORTH DMC			
1	Sant Nagar, Rani Bagh	3950	600
2	Development of parking at Idgah Road.	26198	3150
3	Shastri Park Karol Bagh	4807	577
4	Rajender Nagar	3871	464
5	Bank Street Karol Bagh	4115	500
6	Pusa Lane Parking	3175	381
7	U & V Block Shalimar Bagh	2400	288
8	AC-Block, Shalimar Bagh	2900	350
9	Old Zonal office at S.P. Zone	1460	176

Sub: Revenue Report : R.P. Cell as on April'2008 to March'2021

Figure in Crore

S.No.	Year	93-0156(9-c-b) Night parking charges	93-0147(10-B-a-11) Parking charges MLF
1.	April'2008 to March'2009	62.76	0.23
2.	April'2009 to March'10	58.65	24.43
3.	April'10 to March'11	10.27	17.93
4.	April'11 to March'12	92.95	27.73
5.	April'12 to March'13	35.71	31.93
6.	April'13 to March'14	34.65	9.49
7.	April'14 to March'15	37.70	15.01
8.	April'15 to March'16	31.36	18.93
9.	April'16 to March'17	30.77	27.18
10.	April'17 to March'18	34.28	24.12
11.	April'18 to March'19	36.72	32.25
12.	April'19 to March'20	18.27	35.95
13.	April'20 to March'21	18.20	16.88
	Total:	502.30	282.10
			784.40

30/7/21
216

Question No 92 Unkand. by Sh. Acharya Pti Tripurari
 Answer-A
 in Rs.

Expenditure of SDMC on Sanitation					(Fig. In Crores)
Head of account	For the year 16-17	For the year 17-18	For the year 18-19	For the year 19-20	For the year 20-21
XL-III-D-IV	206.37	320.07	4.99	79.80	94.89
Sanitation	866.71	1219.55	1193.24	1176.53	1122.51
Total	1073.08	1539.62	1198.23	1256.33	1217.40

(12/10/2019)

Star

DCA/FMS

S. No	Description of Vehicle	Zone	Total no. of Vehicles										Total
			EE(M) I	EE(M) II	EE(M) III	EE(M) IV	DEMS	SLF	Hort	E&M	Health	Auto/ Disaster	
1	RR Truck (1613)	South	1	2	2	3	8	0					16
		Central	3	4	1	0	7	3					18
		West	2	2	2	2	13						21
		Najafgarh	2	2	2	2	17						25
		Total											80
2	Tata Truck 909	South											
		Central						1		1			2
		West	1				21						22
		Najafgarh					2						2
		Total											28
3	Tata Truck 407	South	2	2	2	3	1						10
		Central	3	2	2	2	0						9
		West	2	3	2	2							9
		Najafgarh	9 all distributed in maintenance division										9
		Total											37

[Signature]
SCE (M)

[Signature]
26/7/21
EE (E&M)

[Signature]
JE M (M&M)

93. श्री रोहित कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जल भराव से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री :

(क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** यमुनापार क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन एजेंसियां (पूर्वी दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग) सभी नालों की मानसून से पहले सफाई करने के लिए जिम्मेदार है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सभी नालियों का बहिर्वाह पीडब्ल्यूडी या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नालों में होता है तथा ज्यादातर पीडब्ल्यूडी के नालों में होता है। यहां पर 4 फुट और उससे अधिक के 219 नालें हैं जिनकी लम्बाई 121 किलोमीटर है। गाद निकालने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। साईट निरीक्षण के अनुसार 46086 मेट्रिक टन गाद की मात्रा का अनुमान लगाया गया था और लगभग 55002 मेट्रिक टन गाद पहले ही सिधौला सिल्ट डमप साईट पर भेजी जा चुकी है। लगभग सभी नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है और नालों से निकाली गई गाद को साईट से उठा लिया गया है। कुछ निम्नलिखित प्रमुख नालों के प्रवाह को बनाये रखने के लिए विभागीय लेबर द्वारा तैरती हुई सामग्री को नियमित रूप से हटा दिया जाता है।

1. गोकलपुरी ड्रेन 2. एमएसबीएल ड्रेन 3. 52 क्यूसिक ड्रेन
4. गीता कॉलोनी ड्रेन 5. कस्तूरबा ड्रेन 6. त्रिलोकपुरी ड्रेन।

नलों के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर जहां निचली कॉलोनियों के अपशिष्ट जल को प्राकृतिक ढलान द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता वहां पर पम्पों की अलग-अलग क्षमता वाले स्थाई पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं जोकि चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। इन पम्पिंग स्टेशनों के सम्पवैल को सुपर सकर मशीनों से पहले ही साफ किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त विभाग में 180 पोर्टेबल पम्प भी उपलब्ध है और आवश्यकता के अनुसार जलभराव साईट पर तैनात किये जाते हैं।

94. श्री जय भगवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) डूसिब द्वारा 2004 में शाहबाद दौलतपुर क्षेत्र में झुगियों को तोड़ा गया था कुछ लोगों को प्लॉट दे दिए गए, कुछ लोगों को अभी तक प्लॉट नहीं दिए गए तो उनको प्लॉट कब तक मिलेंगे;
- (ख) और जिन लोगों के 1680 रुपये जमा हो गए हैं उनको बाकि सम्बंधित कागजात कब तक दिए जायेंगे?

माननीय शहरी विकास मंत्री :

- (क) उपरोक्त विषय में महोदय को यह बताना उचित होगा कि वर्ष 2007 में आवंटन से सम्बंधित अनियमिताएं पाये जाने के बाद अब विभाग की सुर-शाखा द्वारा आवंटन से सम्बंधित सभी कार्यों को

आदेश सं.-F-22/Dir (SUR)/S/08/AD(C)/D-55 दिनांक 01/07/2008 (अनुलग्नक-‘क’) के तहत अगले आदेश तक लंबित रखा गया है यह एक नीतिगत मामला है तथा जब तक इस विषय में कोई नीति नहीं बन जाती तब तक इस सन्दर्भ में आगे की कार्यवाही संभव नहीं है।

(ख) उपरोक्त 1 के अनुसार।

अनुलग्नक - 'क'

51C

URGENT
CONFIDENTIALSLUM & JJ DEPARTMENT
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

No. F-22/DIR(SUR)/S/08/Pd(2)6-SS

Dated: 30th June, 2008

To

The Principal Secretary (UD),
Department of Urban Development
Govt of NCT of Delhi,
Level-9th Wing-C,
Delhi Sectt. I.P.Estate,
NEW DELHI

Sir,

This is regarding implementation of the approved **Plan Scheme of RELOCATION OF SQUATTERS** by Slum & JJ Department on behalf of Delhi Government since 1990-91. The relocation process, as per the latest policy guidelines/relocation policy, involves various steps beginning from the receipt of the request from the concerned land Owning Agency for getting its encroached land vacated for execution of public importance project; conducting of joint bio-metric survey to ascertain the exact number of eligible families for provision of alternative place as per the policy determination of eligibility on the basis of the documents submitted/verified by the concerned issuing authorities i.e. Food & Supplies Department, GNCTD as well as Election Office; raising of demand note; fixing of priority and to conclude, actual removal/shifting of the squatter families and handing over the vacant land possession to the Land Owning Agency as a final step. ①

In the aforesaid chain of events, from the past experience, it has been observed that the main obstacle in the smooth implementation of this scheme, perhaps, begin with the initial step of joint survey itself and which keeps on lingering and becomes a perennial headache for the Department, in the coming days/months/years/decades to come on the following accounts:-

- Even after repeated visits non-availability of squatter families in the jhugie clusters
- Non production of documents inspite of advance information by way of pasting of posters in these JJ Clusters.
- Production of the documents which are not in consonance with the approved policy for different sizes of plots
- Production of documents by the tenants as well as owner for the same jhuggie
- Production of separate document in the name of head of the family as well as the other adult member etc. for seeking additional allotments

With the passage of time, even after removal/shifting of squatter families from the JJ Cluster, these families keep knocking the doors of Slum & JJ Department for provision of alternative plots with the documents, which only for the reason best known to them, they had not been able to produce at the time of joint survey. Due to non-availability of any foolproof mechanism to verify their antecedents and without specific policy/guidelines for the treatment to be meted out to them, the same kept on piling up and even till day-in and day-out, in an unending stream, the requests keep on pouring in the Department. However, it is not denied that

in the past, (may be due to pressure exerted from various quarters.) it appears that in general cases some pick-and choose policy was adopted for dealing with these kind of cases, till a situation arose when discretion overtook the established norms, situation gone out of hand, leading to in-depth investigations by the Anti Corruption Branch of Delhi Police in 2001 and further by CBI in the infamous land scam of July-August, 2007.

The scam unearthed by the CBI, jolted and compelled the Department to look at the policy de-novo to ascertain the loop-holes in the system which had been exploited because of non-availability of clear-cut policy guidelines in this regard. An in-depth detailed and comprehensive exercise was undertaken by the Department. During the course of this detailed and comprehensive exercise and after going through the available records and after a number of meetings, a consensus emerged that these ~~left-over~~ cases had played a havoc with the holistic implementation of this policy. Even during the course of interaction with the CBI and other investigating agencies, it has been pointed out that in the whole episode, in majority, the ~~left-over~~ cases had been the gray areas.

In this context, kind attention is also invited to the communications from Shri P.P.Malhotra, Additional Solicitor General of India dated 12th/16th May, 2004 referring the judgement of Hon'ble High Court of Delhi dated 29th November, 2002 delivered by the Division Bench consisting of the then Hon'ble Acting Chief Justice and Hon'ble Justice Sanjay Kishan Kaul in CWP No. 4441/94 and 2112/2002 in the matter of OKHLA FACTORIES ASSOCIATION AND OTHER VS GNCTD AND OTHERS and WAZIRPUR BARTAN NIRMATA SANGH VS UNION OF INDIA AND OTHERS had issued specific eleven directions including the following:-

"If some persons still remain without allotment and were in occupation of any site prior to 31.01.1990, the money, if received from them should be refunded and no further plots be created to accommodate such persons."

We are thus of the considered view that the continuing existence of such a policy serves no social purpose. Such a policy without any social criteria, is illegal and arbitrary and we hereby proceed to quash the same which requires alternative sites to be provided to Slum dwellers occupying public land before they can be removed from such public land.

Interim stay granted by the High Court of Delhi at New Delhi vide its Order dated 29th November 2002 in CW NO. 4441 of 1994 and 2112 of 2002 shall continue except the Authority may allot land. However, such allotment would clearly specify that the allotment would be subject to the results of these petitions" (copy enclosed).

As per the communication of Shri P.P.Malhotra, ADDITIONAL SOLICITOR GENERAL OF INDIA, dated 12th/16th May, 2004, referred above, the Hon'ble High Court has taken cognizance for not complying with the directions of the Hon'ble High Court and has observed, as under:-

"Learned ASG fairly states that there is no stay of the impugned judgment of the Division Bench of the Court by the Hon'ble Supreme Court of India, but only certain directions have been stayed. It is, thus, assured that the Government will take necessary steps for implementation of other directions passed in Wazirpur Bantan Nirmata Sangh's case (SUPRA) other than those which are stayed in the Hon'ble Supreme Court" (copy enclosed).

3/c a/c
~~However~~. Since Slum & JJ Department happens to be only an implementing agency on behalf of Delhi Govt., emergent clarifications are solicited on the eleven directions issued by the Hon'ble High Court of Delhi on 29th November, 2002, specifically relating to consideration of all "LEFTOVER CASES" vis-a-vis partial stay granted by the Hon'ble Supreme Court of India in SLP No. 3166-3167/03 titled UNION OF INDIA VS OKHLA FACTORY ASSOCIATION AND OTHERS AND SLP NO. 6313-6314 TITLED GOVT. OF NCT VS OKHLA FACTORY ASSOCIATION AND OTHERS. 8

However, till the receipt of the clarification from Delhi Govt., the consideration of the all the leftover cases in any manner have been kept in abeyance with the approval of the Competent Authority i.e Commissioner, MCD. 19

Further, the Department is also in a dilemma in the case of those squatter families who had already deposited their share of Rs. 7000/- (Rs. 5000+ 2000 as advance licence fee @ Rs. 200/- per annum) as to whether the same has to be refunded or forfeited. The clarification in this regard before initiating further action is also solicited from Delhi Government.

However, for smooth implementation of the RELOCATION POLICY, the involvement of the Land Owning Agency, being a key player has been made more effective at each and every step viz verification of Ration Cards and Voters I.Cards from the concerned issuing Authorities in close coordination with Slum & JJ Department, providing men and machinery for removal/shifting of JJ Cluster; providing transportation for shifting of eligible jhuggie families from concerned JJ Cluster to relocated site; seeking necessary clearance from Competent Authority in respect of Religious Structures if any; sending requisition for providing adequate police force for maintaining law and order on the day of removal/shifting and for maintaining complete transparency, their active association is needed at the time of draw of lots etc.

It is therefore, kindly requested that the emergent clarification on the above listed issues particularly on the left over cases may please be conveyed to Slum & JJ Department at the earliest as it is in the midst of removal/shifting of large number of JJ Clusters in the wake of ensuing COMMONWEALTH GAMES, 2010 and in compliance of the orders of the Hon'ble High Court of Delhi and Hon'ble Supreme Court of India.

Yours faithfully,

P.S.
 (P.S. TOMAR)

ADDL. COMMISSIONER(S&JJ)
 01c

Copy to:-

Commissioner, MCD for kind information please.

ADDL. COMMISSIONER(S&JJ)
 01c

95. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या किराड़ी विधानसभा में बरसात से पहले एससीडी के द्वारा नालों की सफाई की गई थी;
- (ख) यदि हाँ, तो कब की गई और कहां-कहां की गई इसका पूर्ण विवरण दें; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके कारण बताएं?

शहरी विकास मंत्री :

- (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : हाँ, किराड़ी विधानसभा में बरसात से पहले एससीडी के द्वारा नालों की सफाई की गयी थी।
- (ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : किराड़ी विधानसभा के सभी नालों की सफाई 16.06.2021 तक समाप्त कर दी गयी थी तथा इसका पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'क' पर सलग्न है।
- (ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार।

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (M-I)/RZ
F-2 BLOCK MANGOLPURI, OUTER RING ROAD,
DELHI-110083

No. EE (M-I)/RZ/2021-22/

Subject:- Details of Drains in Kirari constituency under the Jurisdiction of EE (M-I)/RZ

S. No.	W. No.	Name of Nallas	R. D.		Remarks
			Start from (RD Wise) (In Mtr.)	To (RD Wise) in Mtr.	
1	40N	Nihari Village Drain	Nihari Chowk	Mata Daya Kaur School	Completed (Sludge Drain)
2	40N	Mubarakpur Road Nalla (RHS)	Rajdhani Footwear	Mubarakpur Main Bus Stand	Completed (Sludge Drain)
3	41N	Ambedkar Road Nalla	Opp. Sector-20 & Dukhi Ram Samose Walla	Community Centre H Block Aman Vihar & Flood Control Drain	Completed (Sludge Drain)
4	42N	Ambedkar Road and Nihari Road Nalla	Community Centre H Block Aman Vihar & MCD Dispensary	Dukhi Ram Samose Walla & Flood Control Drain	Completed (Sludge Drain)
5	42N	Mubarakpur Road Nalla (RHS)	Manish Book Depot (Kirti Model)	Dry Canal	Completed (Sludge Drain)
6	42N	Mubarakpur Road Nalla (LHS)	Sultanpuri Mod	Opp. Jai Mata Bharam Kanta	Completed (Sludge Drain)
7	43N	Mubarakpur Road Nalla Prem Nagar (LHS)	Vijay Dairy	Dry Canal	Completed (Sludge Drain)

Executive Engineer (M-I)/RZ

96. श्री कुलदीप कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन कब से बकाया है;
- (ख) एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेन्शन कब से बकाया है;
- (ग) एमसीडी ने अपने रिटायर्ड हो चुके कितने कर्मचारियों का जी पी एफ का भुगतान नहीं किया है; और
- (घ) क्या एमसीडी अपने सफाई कर्मचारियों को केशलेश - मेडिकल की सुविधा देती है?

शहरी विकास मंत्री :

- (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों के अलावा सभी कर्मचारियों का जून माह तक का वेतन दिया जा चुका है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जून, 2021 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है, वेतन के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम में चतुर्थ कर्मचारियों व स्वास्थ्य विभाग के समस्त वर्गों का मास जून 2021 तक का वेतन वितरित कर दिया है व अन्य श्रेणी ए. बी व सी के कर्मचारियों का मास मई 2021 तक का वेतन वितरित कर दिया गया है।

- (ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई 2021 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। जून 2021 से पेंशन बकाया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पेंशन का भुगतान माह जून 2021 तक किया जा चुका है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पेंशनधारियों का मई 2021 तक का पेंशन वितरित किया जा चुका है।

- (ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सेवा निवृत्त 128 कर्मचारियों के दिनांक 21.05.2021 से 23.07.2021 तक पास किये गये बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। जिसकी कुल राशि बकाया रुपये 18,26,55,605/- है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने रिटायर हो चुके कर्मचारियों के जीपीएफ के बिल, जो 17 जून, 2021 तक पास किए जा चुके हैं उन सबका भुगतान किया जा चुका है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मार्च 2021 तक प्राप्त डिमांड (जी पी एफ) का भुगतान कर दिया गया है।

- (घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : सफाई कर्मचारियों को कैशलेश सुविधा नहीं देते। किन्तु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेश सुविधा दी जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए रिईम्बर्समेन्ट (अदायगी) की सुविधा उपलब्ध है। सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के लिए पैनल अस्पतालों में कैशलेस मेडिकल एवं नॉन पैनल अस्पतालों में इमरजेंसी होने पर रिईम्बर्समेन्ट (अदायगी) की सुविधा उपलब्ध है।

97. श्री सुरेंद्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गोकुल पुर विधानसभा में सरकार के द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यों का विभाग वार विवरण प्रदान;
- (ख) वे कार्य कितनी लागत से होने हैं, एस्टीमेट की कापी सहित विवरण दें;
- (ग) पिछले चार वर्षों में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उनमें कौन-कौन से अभी कार्य पूरे नहीं हो पाये है वर्ष वार ब्यौरा दें; और
- (घ) उपरोक्त कार्य किन-किन तिथियों प्रस्तावित है, विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री :

- (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले चार साल में किये गये कार्यों की सूची संलग्न है।¹⁶

दिल्ली जल बोर्ड : गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न¹⁷ है।

अनाधिकृत कॉलोनी शाखा शहरी विकास विभाग : दिल्ली शहरी विकास विभाग द्वारा 15 कॉलोनी पत्र सं. F-805-UC/UD/2016/CD-021401029/303 dt- 20-07-2021 द्वारा डीएसआईआईडीसी को गोकुलपुरी विधानसभा की अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क एवं नाली बनाने का कार्य करने के लिए दी गई है।

16. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

17. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग : सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा गोकुलपुर विधानसभा में किए जा रहे समस्त 16 कार्यों का विवरण संलग्न 'ए'¹⁸ में दर्शाया गया है।

एम.एल.ए. लैंड शाखा, शहरी विकास विभाग : गोकुलपुर विधानसभा में दिसम्बर 2017 से अब तक सरकार के एमएलए लैंड फंड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूची संलग्न है।¹⁹

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** सूची में लागत इंगित है।

दिल्ली जल बोर्ड : ये कार्य रुपये 125.40 लाख लागत से कराये जा रहे हैं इन कार्यों के वर्क आर्डर की कॉपी संलग्न है।²⁰

अनाधिकृत कॉलोनी शाखा, शहरी विकास विभाग : दिल्ली शहरी विकास विभाग द्वारा 15 कॉलोनी पत्र सं. F-805/UC/UD/2016/CD-021401029/303 dt. 20-07-2021 द्वारा डीएसआईआईडीसी को 26.07.2021 को प्राप्त हुआ है तथा इन कॉलोनियों के एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग : कार्यों का विवरण उपरोक्त संलग्न 'ए' में दर्शाया गया है।

18. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

19. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

20. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

एम.एल.ए. लैंड शाखा शहरी विकास विभाग : सूची संलग्न है।²¹

- (ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** इस तरह का कोई कार्य शेष नहीं है
दिल्ली जल बोर्ड : पिछले चार वर्षों में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं वो सारे कार्य पूरे हो गये हैं।

अनाधिकृत कॉलोनी शाखा, शहरी, विकास विभाग : पिछले 04 वर्षों में डीएसआईआईडीसी द्वारा 02 कार्य किये गये थे जोकि पूरे हो चुके हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग : पिछले चार वर्षों में स्वीकृत कार्य जोकि अभी प्रगति पर हैं उन कार्यों का वर्षवार विवरण संलग्न 'बी'²² में दर्शाया गया है।

एम.एल.ए. लैंड शाखा, शहरी विकास विभाग : सूची संलग्न है।²³

- (घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** इस तरह का कोई कार्य शेष नहीं है।

दिल्ली जल बोर्ड : लागू नहीं।

अनाधिकृत कॉलोनी शाखा, शहरी विकास विभाग : अभी कोई कार्य बाकी नहीं है।

21. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

22. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

23. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग : उपरोक्त कार्यों की प्रस्तावित तिथियों का विवरण संलग्न 'बी' में दर्शाया गया है।²⁴

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : सभी नियमित पर्यावरण सहायक पेनल में शामिल प्राईवेट लिमिटेड से अपने परिवार के सदस्य के लिए चिकित्सा पूती-पूति के हकदार है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग से आउटर खोले गये हैं। सभी नगर पालिका कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव भी सदन द्वारा पारित किया गया है। यह सुविधा तीनों निगमों द्वारा एकीकृत तरीके से लागू की जानी है। हालाँकि, धन की कमी के कारण योजना को अभी तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

98. श्री रोहित कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर खेल परिसर का रख-रखाव और इसका सदुपयोग करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

शहरी विकास मंत्री :

(क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि वार्ड सं. 02/ई त्रिलोकपुरी में स्थित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर खेल परिसर का रख-रखाव और इसका सदुपयोग/आउटसोर्स करने

24. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के समुदाय सेवा विभाग द्वारा CPPP पोर्टल पर ऑनलाईन टेंडर आमंत्रित किये गए हैं।

99. श्री रोहित कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिलोक पुरी विधानसभा क्षेत्र स्वच्छ पेय जल और सीवर सिस्टम के लिए फण्ड का आवंटन और कार्य कब तक शुरू किया जा सकेगा?

शहरी विकास मंत्री :

(क) **दिल्ली जल बोर्ड :** त्रिलोक पुरी विधानसभा के पूरे क्षेत्र में पेयजल और सीवर की लाईन डाली हुई है एवं त्रिलोक पुरी विधानसभा क्षेत्र में पानी व सीवर की लाईनों की मरमत एवं पुरानी लाईनों को बदलने का कार्य आवश्यकतानुसार व बजट उपलब्धता अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इनके अनुरक्षण एवं लाईन बदलने के कार्य के लिए वित्तीय वर्ष (2021-2022) में विभिन्न मदों में रु. 553.73 लाख का बजट आवंटित किया गया है तथा संबंधित सभी कार्य सुचारु रूप से जारी है। जिसका विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

एमएलए लैंड शहरी विकास विभाग : इस वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऐसा कार्ड भी प्रस्ताव एमएलए लैंड शाखा में अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

संलग्नक 'क'
 Page 1
 5/c

Sub: status of works in AC 55 Trilokpur constituency

S.No.	Name of Work	Amount (Lakhs)	Status
1	Replacement of old leaking /damaged 100 mm dia water line in 36/87 lane Trilokpur in AC 55 in East I	5.16	completed
2	Re development of various tubewells and small repair under ward 03 and 04 E in AC 55 in East I	4.09	work in progress
3	Replacement of old damaged sewer lines and manholes in 16/310 to 281 lane and 17/229 Trilokpur in the command area Kalyanpur SPS in AC 55 in East I	5.92	completed
4	Improvement of water supply by replacement of old and damaged 100 mm dia water line in 32/325 lane Trilokpur in AC 55 in East I	5.21	work in progress
5	Replacement of leaking 100 mm dia water line in Extra 30/01 to 12 and adjoining lane Trilokpur in AC 55 in East I	5.69	completed
6	Replacement of settled /damaged peripheral/Trunk sewer line Prachin Shiv mander 14 Block Trilokpur in AC 55 in East I	9.99	completed
7	Re-development /de-silting of M-35 Runney well Mayur Vihar Phase 1 in AC 55 in East I	38.76	completed
8	Replacement of old damaged water lines in Extra 31 Block Trilokpur in AC 55 East I	23.50	estimate under approval
9	Replacement of old damaged / corroded water line in 29 Block Trilokpur in AC 55 East I	18.50	estimate under approval
10	Maintenance & Replacement of sewerage system & of ward 001 E Mayur Vihar phase 1 for six months in AC 55 in East-I.	9.51	estimate under approval
11	Maintenance & Replacement of sewerage system & of ward 002 E Trilokpur East for six months in AC 55 in East-I.	9.58	estimate under approval
12	Maintenance & Replacement of sewerage system & of ward 003 E Trilokpur west for six months in AC 55 in East-I.	9.56	estimate under approval
13	Maintenance and interconnection work for six months in ward 03 E AC 55 east I	9.50	estimate under approval
14	Maintenance and interconnection work for six months in ward 04 E AC 55 east I	9.50	estimate under approval
15	Replacement of old water line in 25 to 48 pocket 3 Mayur Vihar phase 1	24.00	estimate under approval
16	Replacement of deep and damaged water line to remove contamination problem in C2 and C Block New Ashok nagar in AC 55 East I	22	estimate under approval
17	Replacement of deep and damaged water line to remove contamination problem in B Block New Ashok nagar in AC 55 East I	18.6	estimate under approval
18	Providing remaining house service sewer connection in A-Block New Ashok Nagar in Ward No.04 E in AC 55 under East-I	25.68	work to be awarded
19	Providing remaining house service sewer connection in C Block (Package-2) New Ashok Nagar in Ward No.04 E in AC 55 under East-I	25.5	work to be awarded
20	Providing remaining house service sewer connection in E & ED Block New Ashok Nagar in Ward No.04 E in AC 55 under East-I	23.66	work to be awarded
21	Replacement of old/damaged 100/150 mm dia C1 water line for removal of contamination in 4 block trilokpur AC 55 in East-I	15.35	work in progress
22	Replacement of old/damaged C1 water line for removal of contamination in 2 block trilokpur ac 55 in east I	15.45	work in progress

संलग्नक
Page 2

4/c

	Removal of contamination and making interconnection at subhash market main road in 5 Block trilokpuri by replacement 100/150 mm dia W/L in A.C.-55 East-I.	14.77	work in progress
24	Boring and installation of 2 Nos. tubewells at 25 Block & 4 Block Green Belt Trilokpuri for Augmentation of W/S in 17/251 lane and 18/247 main road in A.C.-55 in East-I.	14.02	work in progress
25	Boring and installation of 2 Nos. tubewells at 17 Block & 8 Blocks Trilokpuri for Augmentation of W/S in 3-4 main road and 24-25 main road in A.C.-55 in East-I.	14.37	work in progress
26	Improvement of water supply by replacement of old 100/150 mm dia water line in 5 lanes in block 5,23 and old 8 trilokpuri for removal of contamination in A.C.-55 IN East-I.	25.50	work in progress
27	Laying of 150 mm dia dedicated M S water line & 100 mm dia D I water line for filling secondary DGR 8 A DDA janta flats in Trilokpuri AC 55 in East I	10.6	work in progress
28	Construction of ferrule chambers in pocket 2 (1st part) mayur vihar phase 1 pocket 1 for removal of contamination in A.C.-55 in East-I.	15	estimate under approval
29	Construction of ferrule chambers in pocket 2 (2nd part) mayur vihar phase 1 pocket 1 for removal of contamination in A.C.-55 in East-I.	15	estimate under approval
30	Replacement of old/damaged CI water line for removal of contamination in 6 block trilokpuri AC 55 in east-I	9	estimate under approval
31	Removal of contamination and making interconnection in Pocket 5 Mayur vihar phase 1 by replacement 100/150 mm dia P.V.C W/L in A.C.-55 East-I	25	estimate under approval
32	Replacement of old 100 mm dia C.I water line in village kotla Peepal wali gali near Auto stand in A.C.-55 in East-I.	10	estimate under approval
33	Replacement of old deep and damaged PSC Distribution main from 23 Block mini Park to 23 Block BPS Trilokpuri A.C.-55 in East-I.	25	estimate under approval
34	Improvement of water supply by replacement of old 100/150 mm dia water line in 5 lanes in block 1,3 and 13 Block trilokpuri for removal of contamination in A.C.-55 IN East-I	20	estimate under approval
	Total	514.95	Lakhs

अतारकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

100. श्री रोहित कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिलोक पुरी विधानसभा क्षेत्र में सुअर की कटाई के लिए कसाईखानों की व्यवस्था कब तक की जा सकेगी?

शहरी विकास मंत्री :

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : सूचित किया जाता है कि त्रिलोकपुरी क्षेत्र में स्लम व जे.जे. विभाग (DUSIB) द्वारा सुअर पालने हेतु Hutment (पक्की झोपड़ियों) का आवंटन लगभग वर्ष 1976 में किया गया था। Hutment (पक्की झोपड़ियों) के स्थानांतरण हेतु यू.पी., बिहार नागरिक परिषद बनाम श्री मनमोहन सिंह एण्ड अदर्स संख्या 136/17 in W.P.C. No. 11150/09 उच्च न्यायालय दिल्ली में विचारधीन है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग में सुअर वध गृह हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाईन क्षेत्र के राजपुरा गुड़ मण्डी में घरों में सुअर काटने की इज्जाजत तब तक दी गई है जब तक कि दिल्ली में सुअर वध गृह नहीं बन जाता।

101. श्री सोमनाथ भारती : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि तीनों नगर निगमों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार वे अमानवीय स्थितियों के लिए बाध्य हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो उन्हें इस स्थिति से उभारने के लिए क्या कार्य योजना है;
- (ग) क्या यह सत्य है कि पूरी दिल्ली में और विशेषकर मालवीया नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइनों का इस्तेमाल बरसाती पानी की निकासी के लिए भी किया जाता है;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि बरसाती पानी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व तीनों नगर निगमों का है और इसके लिए उन्हें 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों के किनारे एतद्संबंधी नालियों बनवानी चाहिए; और
- (ङ) यदि हाँ, तो मालवीया नगर विधानसभा क्षेत्र का एक मानचित्र उपलब्ध कराये जिसमें बरसाती पानी हेतु बनाये नालों के होने या न होने अथवा यदि उनपर अतिक्रमण हुआ है, तो उस सबका भी सम्पूर्ण विवरण इंगित किया गया हो?

शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का जून माह तक का वेतन दिया जा चुका है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जून 2021 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है वेतन के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का जून 2021 तक का वेतन वितरित कर दिया गया है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जून 2021 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है वेतन के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का जून 2021 तक का वेतन वितरित कर दिया गया है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** मालवीय नगर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत है। जहाँ तक उ.दि.न.नि का सम्बंध है, समान्यता: सीवर लाइनों का प्रयोग बरसाती पानी की निकासी के लिए नहीं किया जाता है फिर भी कुछ क्षेत्रों में विशेषकर पुरानी दिल्ली में सीवर व बरसाती पानी के निकास हेतु एक की व्यवस्था चली आ रही है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जी नहीं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ शहरीकृत गांवों व अनाधिकृत/अधिकृत नियमित बस्तियों में संकरी गलियों में सीवर लाईन में बरसाती पानी की व्यवस्था वर्षों पुरानी है। इस व्यवस्था को परिस्थिति अनुसार बजट उपलब्ध होने पर दुरुस्त किया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : यह सत्य नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले बरसाती नालों के पानी की निकासी के लिए सीवर लाईनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : यह सत्य है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों के किनारे एतद्संबंधी नालियों समय-समय पर बनाई जाती रही है एवं उपलब्ध बजट के अनुसार उनमें सुधार का कार्य भी किया जाता रहा है। समय-समय पर सर्वेक्षण के उपरान्त बजट उपलब्धता के अनुसार 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों पर जहां नाली उपलब्ध नहीं है, का कार्य करवाया जाता है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 60 फुट से कम चौड़ी सड़कें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आती हैं, उनमें बरसाती नाली उपलब्ध हैं। 4 फीट से अधिक गहरे नालों की सफाई दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के निर्माण विभाग (अभियांत्रिक) द्वारा की जाती (सूची संलग्न) और इन नालों पर अतिक्रमण नहीं है। 4 फीट से कम गहरे नालों की सफाई दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता पर्यावरण प्रबन्धन विभाग द्वारा की जाती है। अगर किसी नाली पर अतिक्रमण पाया जाता है तो वह समय-समय पर हटवा दी जाती है। अभी ऐसा मानचित्र विभाग में उपलब्ध नहीं है।

102. श्री पवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या आदर्श नगर विधानसभा के राजस्थानी उद्योग नगर के डूसिब लैंड में स्थित पार्किंग डूसिब द्वारा अधिकृत है;
- (ख) यदि हां, तो उपरोक्त पार्किंग कब अधिकृत की गई एवं कब इसका टेंडर कॉल किया गया; और
- (ग) उपरोक्त प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराएं?

शहरी विकास मंत्री :

- (क) आदर्श नगर विधानसभा के राजधानी उद्योग नगर में डूसिब द्वारा कोई पार्किंग अधिकृत नहीं की गयी है।
- (ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार
- (ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

103. श्री पवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के स्वामित्व की कुल कितनी भूमि खाली पड़ी है;
- (ख) क्या विभाग ने इसका डिमाकेशन किया है;
- (ग) यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण मैप के साथ प्रस्तुत करें; और
- (घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में निकट भविष्य में कोई प्रस्ताव/योजना है?

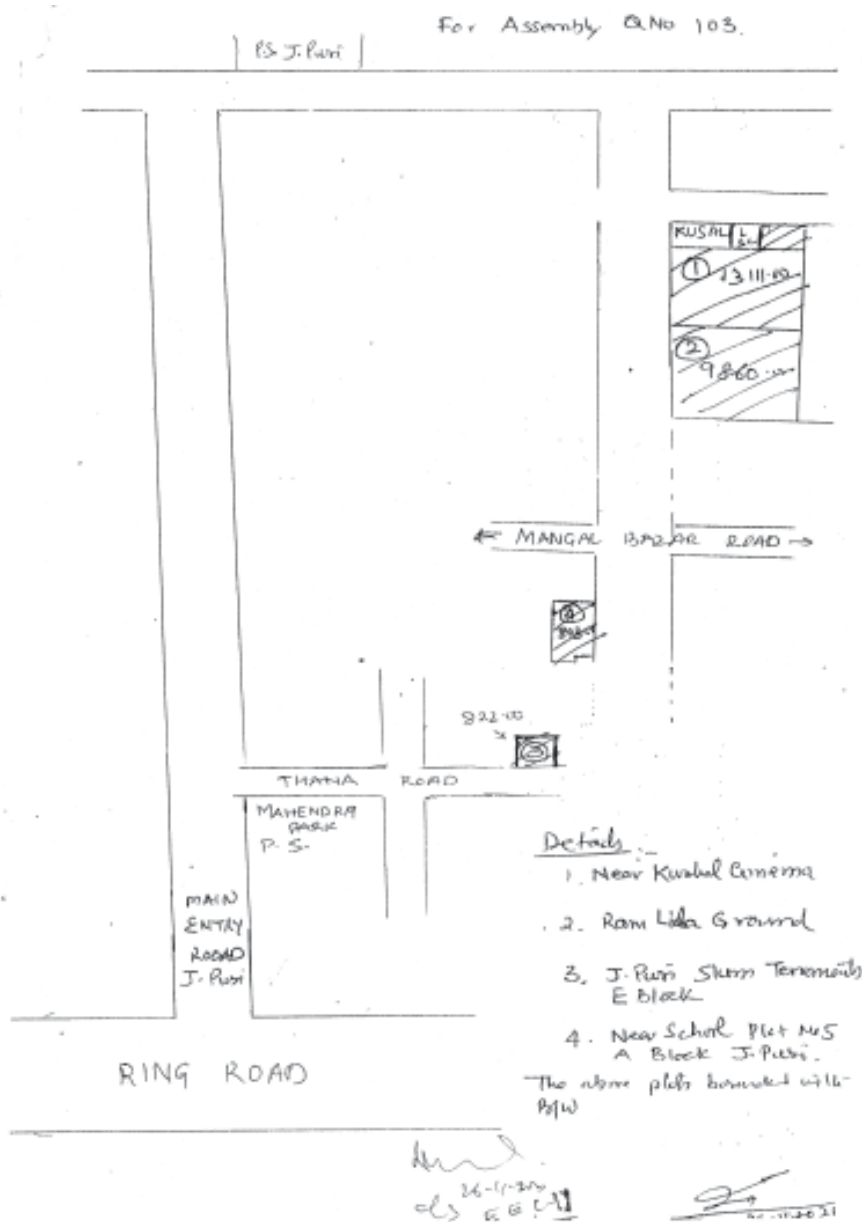
शहरी विकास मंत्री : (क)

1. उपलब्ध सूचना के अनुसार कुशल सिनेमा के निकट 13111.00 वर्गमीटर का क्षेत्र वर्तमान में आर.पी सैल द्वारा पार्किंग हेतु प्रयोग की जा रही है।
2. रामलीला ग्राउंड नियर एच. 2 ब्लॉक 9860.00 वर्गमीटर (खाली है)
3. जहाँगीर पुरी स्लम टेनेमेंट्स ई ब्लॉक 822.00 वर्गमीटर (खाली है)
4. नियर स्कूल प्लॉट संख्या 5 ब्लॉक ए जहाँगीर पुरी 803.00 वर्गमीटर वर्तमान में आर.पी सैल द्वारा पार्किंग हेतु प्रयोग की जा रही है।

(ख) जी हाँ।

(ग) मैप की प्रतिलिपि संलग्न हैं।

(घ) उपरोक्त।



104. श्री प्रवीण कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोगल क्षेत्र में एसडीएमसी द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण 6 वर्ष से चल रहा है;

(ख) इस कार्य के कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(ग) अब तक इस पार्किंग पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है?

शहरी विकास मंत्री :

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जी हां।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : इस कार्य के निर्माण में करी गयी देरी के एवज में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा ठेकेदार से अनुबंध के अनुसार निविदा राशि का 10 प्रतिशत मुआवजा जो कि 10.42 करोड़ है, क्लॉज 2 के अन्तर्गत वसूल किया जाना है। अनुबंध के क्लॉज 3 के अन्तर्गत अनुबंध प्रदर्शक जमानत राशि बैंक गारंटी आदि जोकि 10.41 करोड़ है, विभाग द्वारा जब्त की गई है।

विभाग बचे हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए प्रयासरत है इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (पूर्व एम.सी.डी.) द्वारा जंगपुरा भोगल, कालकाजी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए 29.01.2010 को वर्क ऑर्डर किया था। इस कार्य की अनुबंधित राशि 104.20 करोड़ थी।

कालकाजी पार्किंग का कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है और पार्किंग की सुविधा जनता को दी जा रही है।

न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी पार्किंग का कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और दो मंजिल पर पार्किंग हो रही है।

जंगपुरा भोगल की पार्किंग का सदृक्चर पूरा हो चुका है इसमें टी. एण्ड पी. और मशीनरी का कार्य होना बाकी है।

उपरोक्त तीनों पार्किंग (जंगपुरा भोगल, कालकाजी और न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी) में काम का खर्च 103.50 करोड़ हो चुका है।

105. श्री प्रवीण कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्या यह सत्य है कि भोगल क्षेत्र में एसडीएमसी द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण विगत 6 वर्ष से चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्माण कार्य में कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इस का उद्घाटन कितनी बार किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री :

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जी हाँ।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : अनुबन्ध के क्लॉज (Clause) 02 और 03 के तहत ठेकेदार पर जुर्माना लगा दिया गया है।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जंगपुरा पार्किंग का कार्य पूरा किये जाने के उपरान्त इस पार्किंग के उद्घाटन पर विचार होगा।

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (M-S) I
GULMOHAR PARK, NEW DELHI

Subject: List of drains/ nallas in AC-43 (Malviya Nagar) (Above 4ft in depth and width).

S. No.	Ward No.	Name of nalla/Drains	From -- to	Length In Mtr. (A)	Remarks
1	61	Jia Sarai outfall drain along IIT Boundary wall	along IIT Boundary wall	80	
2	61	Arjun Nagar Nalla from Humayunpur to A.I.I.M.S. (Near Cremation Ground Green Park)	Humayunpur to A.I.I.M.S.	1500	
3	61	Nauroji Nagar nalla from Bhikaji Cama Plaec to Ring Road	from Bhikaji Cama Plaec to Ring Road	1250	
4	61	Covered drain from C-2/60 SDA to Aurbindo Marg	C-2/60 SDA to Aurbindo Marg	150	
5	61	Green Park Nalla from MCD School to Aurbindo Marg Evergreen Sweets	from MCD School to Aurbindo Marg Evergreen Sweets	650	
6	61	K&P block SDA drain from Saint Paul School to Aurbindo Marg drain	from Saint Paul School to Aurbindo Marg drain	350	
7	62	Kalu Sarai nalla Begumpur to along Park, Sarvpriya Vihar	Begumpur to along Park, Sarvpriya Vihar	275	
8	62	Gautam Nagar Nallah from Indian Oil to bridge behind AIMS (reach from IOC to Gautam Nagar Nalla Culvert)	from IOC to Gautam Nagar Nalla Culvert	310	
9	62	Gulmohar Enclave outfall drain covered (20 Nos. Manhole)	Gate No. 3 Gulmohar Enclave to Balbir Saxena Marg	210	

106. श्री विनय मिश्रा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बारिश होने पर नालों की सफाई न होने के कारण भयानक जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है;
- (ख) पिछले 3 सालों में दिल्ली नगर निगम ने नालों की सफाई पर कितना खर्च किया पूर्ण विवरण दें;
- (ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम सड़क बनाते समय बारिश के पानी को दिल्ली जल बोर्ड के सीवर में जोड़ देती है जिससे ये सीवर है। बारिश में जाम हो जाते हैं; और
- (घ) यदि हाँ, तो इस समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री :

- (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम- यह सत्य नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-जी नहीं यह सत्य नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम-पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले सभी 219 नालों की सफाई का कार्य संतोषजनक करा दिया गया है। वर्ष 2021 में मानसून से पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नालों की डीसिल्टिंग के लिए 46086 मेट्रिक टन की गाद निकालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

लगभग 55002 मेट्रिक टन गाद सिधौला सिल्ट डम्प साईट पर भेजी जा चुकी है वहां पर सारी गाद कम्प्यूटर द्वारा तोली जाती है और कम्प्यूटरिकृत रसीद ही इसका प्रमाण है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग : सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के किसी भी नाले के अन्दर जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम-** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वित्तीय विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित है :

बजट allocation वर्ष वार इस प्रकार है।	
2019-20	72.09 लाख
2020-21	80.00 लाख
2021-22	59.78 लाख

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : पिछले 03 सालों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नालों की सफाई पर कितना खर्च किया उसका ब्यौरा निम्न है :

2018-19	2019-20	2020-21
0.35 करोड़	1.24 करोड़	2.61 करोड़

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : डीसिल्टिंग का सारा कार्य विभिन्न प्रकार की मशीनरी जैसे जेसीबी, एक्सकवेटर, सुपर सकर मशीन, सैक्शन कम जेटिंग मशीन, ट्रक आदि द्वारा किया जाता है कुछ मशीनें जैसे जेसीबी, एक्सकवेटर, ट्रक किराये पर ली जाती है बाकि कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

खर्च का विवरण संलग्न है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर :** निगम यह सत्य नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जी नहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में इस प्रकार की कोई विसंगति न की गई है और न ही संज्ञान में आई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : यह सत्य नहीं है।

दिल्ली जल बोर्ड : जी हाँ यह सत्य है कि कई स्थानों पर दिल्ली नगर निगम सड़क बनाते समय बारिश के पानी को दिल्ली जल बोर्ड के सीवर में जोड़ देती है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जी नहीं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में इस प्रकार की कोई विसंगति न की गई है और न ही संज्ञान में आई है।

‘क’

विधानसभा प्रश्न संख्या 106

(ख) पिछले 3 सालों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नालों की सफाई पर कुल खर्च का विवरण निम्नलिखित है।

क्र.सं.	डिविजन	पिछले तीन वर्षों का खर्च (लाख में)
1.	अधि. अमि.-I, शा. (दक्षिणी)	165.00
2.	अधि. अभि.-II, शा. (दक्षिणी)	125.15
3.	अधि. अभि.-III, शा. (दक्षिणी)	109.00
4.	अधि. अभि.-IV, शा. (दक्षिणी)	143.32
5.	अधि० अभि.-I, शा. (उत्तरी)	295.47
6.	अधि० अभि.-II, शा. (उत्तरी)	466.65
7.	अधि० अभि.-III, शा. (उत्तरी)	77.59
8.	अधि० अभि.-IV, शा० (उत्तरी)	416.29
कुल खर्च		1798.47
		लाख रुपये

107. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधानसभा में एमसीडी के द्वारा नालों की सफाई के संबंध में सरकार की क्या योजना है। पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री :

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : किराड़ी विधानसभा के चार फुट से चौड़े और गहरे नालों की सफाई कर दी गई है।

108. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में विधायक फण्ड से दक्षिणी नगर निगम को सौंपे गए कार्यों का उनके लिए आवंटित फण्ड, स्थानांतरित फण्ड, उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति, उसमें यदि देरी हुई तो उसके कारण तथा लम्बित कार्यों के समापन की संभावित तिथि सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ख) कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी और वित्तीय संकट से जूझने में राज्य शहरी आजीविका मिशन का उपयोग करने के लिए विभाग ने 2020 से अब तक क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्री :

(क) एलएलएलैड (शहरी विकास विभाग) : आर. के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर 2017 से अब तक विधायक फंड से दक्षिणी दिल्ली

नगर निगम को सौंपे गये कार्यों का उनके लिए आवंटित फंड स्थानांतरित फंड की सूची संलग्न है तथा उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति उसमें यदि कोई देरी हुई तो उसके कारण तथा लम्बित कार्यों के समापन की संभावित तिथि सहित विवरण दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबंधित है।

राज्य शहरी आजीविका मिशन : यह प्रश्न राज्य शहरी आजीविका मिशन से संबंधित नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : आर. के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में विधायक फण्ड से 79 कार्यों का फण्ड दिया गया था जिसमें से 77 कार्यों का फण्ड (एम.एस.) प्रथम एवं 02 कार्यों परियोजना विभाग, दक्षिणी क्षेत्र को दिया गया था। जिसमें 57 कार्य समाप्त हो गये, 14 कार्य विभिन्न कारणों से बन्द कर दिए गये तथा शेष 08 कार्य जो कोरोना महामारी के चलते रहे गये, जिन्हें मानसून के रहत अक्टूबर 2021 तक पूर्ण कर दिया जाएगा कार्यों की सूची अनुलग्नक ए. बी. एवं सी. पर संलग्न है।

(ख) **राज्य शहरी आजीविका मिशन :**

1. कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी और वित्तीय संकट से जूझने में राज्य शहरी मिशन दिल्ली द्वारा 2020 से अब तक राज्य के शहरी गरीबों के लिए निम्नांकित कार्य किए गए हैं। सामाजिक एकजुटता और संस्थागत विकास घटक के

तहत 2020 से अब तक कुल 175 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, गठित समूह के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें वित्तीय प्रशिक्षण के साथ-साथ खादी ग्रामोद्योग द्वारा साबुन बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने हेतु जिले के प्रमुख जगहों, मॉल इत्यादि में स्टॉल लगवाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।

2. कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार इस घटक के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु 2020 से अब तक 2220 लाभार्थियों का निबंधन किया गया है जिसमें 360 लाभार्थियों का प्रशिक्षोपरान्त प्रमाणीकरण कर लिया गया है। जिन लाभार्थियों का प्रमाणीकरण कर लिया गया है उनमें 160 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन, दिल्ली के संयुक्त प्रयास से रोजगार भी उपलब्ध करा दिया गया है।
3. स्वरोजगार कार्यक्रम घटक के अन्तर्गत उद्योगों (माइक्रो इन्टरप्राइजेज) और समूह उद्यमों (ग्रुप इन्टरप्राइजेज के जरीये स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है इस घटक के तहत 2020 से अब तक व्यक्तिगत परियोजनाओं से संबंधित कुल 602 आवेदनों को जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा अनुमोदित कर बैंकों को भेजा गया, जिसमें अब तक इस घटक के

अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 115 लाभार्थियों का ऋण स्वीकृत कर स्वरोजगार से जोड़ा गया।

109. श्री महेंद्र गोयल : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के कितने कनेक्शन हैं, सभी की पूर्ण जानकारी दी जाए;
- (ख) वर्ष 2015 में रिठाला विधान सभा क्षेत्र को कुल कितना एमजीडी पानी मिलता था तथा वर्तमान समय में कुल कितना पानी मिलता है, पूर्ण जानकारी दी जाए;
- (ग) वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक दिल्ली जल बोर्ड में कितने नये कनेक्शन के आवेदन आए व विभाग द्वारा कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन आवंटित किए गए;
- (घ) सेक्टर-6 रोहिणी दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में कुल कितनी शिकायतें विभाग को वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक प्राप्त हुई;
- (ङ) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सेक्टर-16, 17, 11, 5 की वर्तमान सीवर लाइन आज से 25-30 वर्ष पूर्व में डाली गई थी, जोकि इस समय खस्ता हालत में है, विभाग द्वारा इन्हें बदलने की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें; और
- (च) क्या यह सत्य है कि विभाग दिल्ली में सभी वार्ड के हिसाब से सीवर सफाई करने की मशीन देने की योजना पर विचार कर

रहा है, यदि हां तो यह योजना घरातल पर कब आएगी, पूर्ण विवरण दें?

माननीय जल मंत्री :

- (क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के 65,764 जल कनेक्शन स्वीकृत हैं।
- (ख) वर्ष 2015 में रिठाला विधानसभा में लगभग 11.90 एम. जी. डी. पानी मिलता था तथा वर्तमान में यह लगभग 18 एम.जी.डी. है।
- (ग) सेक्टर-6 रोहिणी, क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय में चार विधान सभा क्षेत्रों का समावेश है। रोहिणी कार्यालय क्षेत्र में 01 अप्रैल 2015 से वर्तमान समय तक 36,800 नए कनेक्शन के आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से 31.154 कनेक्शन स्वीकृत किये गए।
- (घ) राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के रिकॉर्ड के अनुसार सेक्टर-6 रोहिणी जोन में दिनांक 01 अप्रैल 2015 से वर्तमान समय तक 12,895 शिकायतें प्राप्त हुई।
- (ङ) यह सत्य है कि रोहिणी सेक्टर-16, 17, 11, 5 की वर्तमान सीवर लाईन आज से 25-30 वर्ष पूर्व में डाली गई थी। वर्तमान में ये सीवर लाइनें संतोषजनक कार्य कर रही हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में इन सीवर लाइनों को बदलने की कोई योजना नहीं है, परंतु आवश्यकता अनुसार खराब सीवर लाइनों की मरम्मत व बदलने का कार्य किया जाता है।

(च) रिठाला के अंतर्गत सभी वादों में जहाँ सीवर लाईन डली है, पर्याप्त मात्रा में सीवर सफाई करने की मशीनें उपलब्ध है।

110. श्री अजय कुमार महावर : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना स्वच्छता को लेकर सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) पिछले सात सालों में यमुना को स्वच्छ करने के लिए सरकार द्वारा कितने नये ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाये गये हैं?

माननीय जल मंत्री :

(क) दिल्ली बोर्ड सीधे यमुना नदी की सफाई से संबंधित किसी भी कार्य को निष्पादित नहीं करता है। हालांकि, अनुपचारित सीवरेज के प्रवाह को कम करने के लिए, जिससे बजीराबाद से ओखला तक दिल्ली में यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

इंटरसेप्टर सीवर परियोजना (आईएसपी) : डीजेबी ने दिल्ली में 3 प्रमुख नालों, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री और शाहदरा ट्रेन के साथ-साथ लगभग 54 किलोमीटर की लंबाई में इंटरसेप्टर सीवर लाइनें बिछाई हैं, ताकि नालों में बहने वाले अनुपचारित अपशिष्ट जल को बाहर निकाला जा सके। अपशिष्ट जल को निकटतम अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में भेजा जाता है। इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के तहत 108 नालों में ट्रेप किये जाने हैं जिसमें 242 एमजीडी प्रवाह को ट्रेप

करने का प्रावधान किया जाना है। मैसर्स ईआईएल डीजेबी की ओर से परियोजना निगरानी सलाहकार और परियोजना का निष्पादन कर रहा है। आज तक, आईएसपी परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। प्रस्तावित 242 एमजीडी में से 238 एमजीडी (98.35%) को ट्रैप करने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

यमुना एक्शन प्लान (वाईएपी)-III के तहत एसटीपी ट्रंक सीवर का पुनर्वास : डीजेबी तीन स्थानों यानी रिठाला, कोंडली और ओखला में 209 एमजीडी की कुल क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के पुनर्वास का काम कर रहा है। इसके अलावा 36.85 किमी. की लंबाई में ट्रंक सीवर और राइजिंग मेन का भी पुनर्वास किया जा रहा है।

दिल्ली में गैर सीवरेज क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, दिल्ली जल बोर्ड ने पहले ही 561 अधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछा दी है और 595 कॉलोनियों में कार्य प्रगति पर है। साथ ही शेष कॉलोनियों में सीवरेज मास्टर प्लान-2031 के अनुसार चरणबद्ध तरीके से सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

डीजेबी कॉरोनेशन पिल्लर पर 70 एमजीडी क्षमता का एक एसटीपी का निर्माण कर रहा है। और 56 स्थानों पर विकेन्द्रीकृत एसटीपी भी स्थापित किए जाने हैं, बशर्ते कि भूमि और धन की उपलब्धता हो जाए।

शेष 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का उन्नयन करने के लिये 3 हस्तक्षेप अर्थात् रासायनिक खुराक, बातन बढ़ा कर और डिस्क फिल्टर द्वारा किया जा रहा है।

मौजूदा परिधीय सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में पुराने परिधीय सीवरों के पुनर्वास का काम शुरू किया गया है।

(ख) पिछले सात सालों (2014-2021) में यमुना को स्वच्छ करने के लिये दिल्ली सरकार ने सात सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट चालू किये हैं और एक 70 MGD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट कोरोनेशन पिलर का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही चालू हो जाएगा।

111. श्री अजय कुमार महावर : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2015 से पहले दिल्ली जल बोर्ड के कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे और उनकी कितनी पानी की क्षमता थी;

(ख) पिछले सात सालों में सरकार द्वारा कितने नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए और कितनी एमजीडी पानी की क्षमता दिल्ली की जनता के लिए बढ़ाई गई;

(ग) सात साल पहले कितने किलोमीटर लम्बी पाईप लाइन दिल्ली में थी और 2015 के बाद कितनी बढ़ाई गई है;

(घ) 2015 से पहले कितने टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के पास थे और आज कितने टैंकर हैं; और

(ड) दिल्ली सरकार द्वारा कितने जोहड़ों का निर्माण किया गया और कितने वाटर हारवेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाए गए?

माननीय जल मंत्री :

(क) 2015 से पहले दिल्ली जल बोर्ड के पास 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिसकी क्षमता 747 एजीडी थी।

(ख) पिछले सात सालों में 2 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। चालू 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 2 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा भूजल निकासी में वृद्धि द्वारा 129 एमजीडी पानी की क्षमता दिल्ली की जनता के लिए बढ़ाई गई है।

(ग) सात साल पहले (2014-15) 12996 किलोमीटर लाईन थी। विगत सात वर्षों में लगभग 2011 किलोमीटर नई लाईन विभिन्न क्षेत्रों में बिछाई गई है। Total Length = 12996 + 2011 = 15007 KM.

(घ) 2015 से पहले 892 टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के पास थे और आज 1204 टैंकर हैं।

(ड) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अब तक एक जोहड़ का निर्माण किया गया है और जल बोर्ड की 588 इमारतों में वाटर हारवेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाए गए हैं।

112. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्तमान में कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं और उनकी कितनी क्षमता है;

- (ख) 2015 में दिल्ली में कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे और उनकी कितनी क्षमता थी;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने 2015 से अब तक दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को फंड उपलब्ध कराया है; और
- (घ) यदि हां, तो ये फंड कब-कब प्राप्त हुआ है?

माननीय जल मंत्री :

- (क) दिल्ली में वर्तमान में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इनकी क्षमता 617 MGD है।
- (ख) 2015 में दिल्ली में 30 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिनकी क्षमता 532 MGD थी।
- (ग) जी हाँ।
- (घ) केन्द्र सरकार द्वारा एक्शन प्लान-III के तहत रिठाला फेज-I, II, III अवजल शोधन संयंत्र के जीर्णोद्धार एवं 124 एम. जी. डी. ओखला अवजल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए 85% : 15% अनुपात के आधार पर अभी तक 623.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रमांक	धनराशि प्राप्त दिनांक	रुपये (करोड़ में)
1.	27.12.2013	5.00
2.	04.11.2015	4.96
3.	09.02.2017	2.17

4.	18.04.2017	2.66
5.	09.01.2018	1.52
6.	23.02.2018	20.00
7.	26.03.2018	12.19
8.	19.06.2018	60.00
9.	25.09.2018	130.00
10.	14.01.2020	130.00
11.	24.03.2020	30.00
12.	17.11.2020	50.00
13.	05.02.2021	150.00
14.	31.03.2021	25.00

इसी प्रकार 70 एम. जी. डी. क्षमता के कोरोनेशन पिलर अवजल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए 50% : 50% अनुपात के आधार पर अभी तक 185 करोड़ रुपये नमामि गंगे परियोजना के तहत उपलब्ध कराये गये हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रमांक	धनराशि प्राप्त दिनांक	रुपये (करोड़ में)
1.	05.02.2019	70.00
2.	08.03.2019	50.00

3.	23.12.2019	30.00
4.	23.03.2020	25.00
5.	08.12.2020	10.00

नजफगढ़ क्षेत्र में सात विकेन्द्रीकृत अवजल शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत 70% : 30% अनुपात के आधार पर 45.20 करोड़ रुपये जुलाई 2017 में उपलब्ध कराए गए हैं।

113. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा में जलापूर्ति के लिए सोनिया विहार प्लांट में यूजीआर बनाया गया है;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि यूजीआर के न चलने के कारण करावल नगर विधान सभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है; और
- (ग) यदि हाँ तो यूजीआर न चालू होने के क्या कारण हैं और यूजीआर को कितने दिनों में चालू किया जायेगा?

माननीय जल मंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस जलाशय में विस्थापन विधि से जल एकत्रित कर विधानसभा क्षेत्र में पहुँचाना है। गर्मी में मौसम के कारण विस्थापन का कार्य स्थगित किया गया है तथा गर्मी के मौसम के बाद इस जलाशय को अक्टूबर-2021 तक चालू किये जाने की सम्भावना है।

114. श्री अभय वर्मा : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 06 सालों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को कितनी धनराशि दी है.

(ख) क्या दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, अगर हां, तो किस साल में कितना घाटा हुआ है;

(ग) दिल्ली जल बोर्ड को बिलों से कितना राजस्व प्राप्त होता है;

(घ) भगीरथ ट्रीटमेंट प्लांट, विकास मार्ग में पानी की 30 वर्ष पुरानी कई जगह से फटी हुई पाईप लाईन को बदलने की सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) यमुना के किनारे किशनकुंज में बंद पड़े रैनीवेल को शुरू न करने के क्या कारण हैं?

माननीय जल मंत्री :

(क) प्रतिलिपि संलग्नक-‘क’

(ख) हाँ, प्रतिलिपि संलग्नक-‘ख’

(ग)

वित्त वर्ष	कुल राजस्व धनराशि (करोड़)
2015-16	1615.84
2016-17	1782.2
2017-18	1719.81
2018-19	1828.12
2019-20	1752.39
2020-21	1772.95

(घ) भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली पानी की पुरानी लाइनों को बदलने की योजना को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुल 214 करोड़ की लागत को 112वीं बैठक में दिनांक 22.08.2013 को संकल्प संख्या 53 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

नयी पाईप लाईन बिछाने के लिए जगह के अभाव एवं कार्य की कठिन प्रकृति होने के कारण निविदायें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं।

निविदा शीघ्र ही पुनः आमंत्रित की जाएगी।

(ङ) यमुना के किनारे किशन कुंज में रैनी वेलों में अमोनिया की मात्रा सीमा से अधिक होने की वजह से यह पानी पीने व उपयोग करने योग्य नहीं है, इस कारण यह रैनी वेल बंद पड़े हैं।

संलग्नक-क
(Fig. in Cr.)

Year	Water Sector	Sewer Sector	20 KL free water Subsidy	Non Plan Assistance	Mukhya Mantri Muft Sewer Connection Yojna	Total
2015-16	646.50	1077.43	190.00	0.00	0.00	1913.93
2016-17	999.50	766.87	320.00	0.00	0.00	2086.37
2017-18	850.15	536.67	425.00	200.00	0.00	2011.82
2018-19	1271.38	1354.60	425.00	0.00	0.00	3050.98
2019-20	1340.65	1134.35	467.50	500.00	50.00	3492.50
2020-21	1319.40	2099.60	600.00	900.00	110.00	5029.00

Handwritten signature
A. K. Singh

DELHI JAL BOARD
Deficit/Surplus Data

S.No.	Particulars	Actual 2015-16	Actual 2016-17	Actual 2017-18	Actual 2018-19	Actual 2019-20	RE 2020-21 (Provision, Subject to reconciliation)
	Net deficit/surplus	8.15	-533.73	-174.73	-235.29	-300.66	586.13

Handwritten signature
25/7

115. श्री संजीव झा : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किन-किन जोहड़ (तालाब) का सौंदर्यकरण किया जाना है;
- (ख) अब तक कितने जोहड़ (तालाब) का सौंदर्यकरण कार्य शुरू हो चुका है और उनकी स्थिति क्या है; और
- (ग) अगले चरण में बुराड़ी के कौन-कौन से जोहड़ (तालाब) विकसित किए जायेंगे और इनका विकास कार्य कब से शुरू किए जाने की योजना है?

माननीय जल मंत्री :

- (क) दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में निम्नलिखित जोहड़ (तालाब) का सौंदर्यकरण किया जाना है :
 - (i) बुराड़ी (4) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (डी), खसरा संख्या 193/2 (08-11) & 150 (07-13)
 - (ii) इब्राहिमपुर (ए), खसरा संख्या 113/2
 - (iii) बुराड़ी (4) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (ए), खसरा संख्या 148
 - (iv) नंगली पूना, खसरा संख्या 48 min
 - (v) बुराड़ी (4) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (बी), खसरा संख्या 151/1 (08-02) village burari and 4/4/2 (05-18), 5/1

(4-0), 6/1 min (01-00), 7/2 (2-16) 8/1 (1-6) village
kamalpur

(vi) मुकुंदपुर, खसरा 175 and 179

(vii) इब्राहिमपुर (बी), खसरा संख्या 90.

(ख) जोहड़ (तालाब) का सौंदर्यकरण कार्य शुरू करने से पहले जीर्णोधार किया जाना है। वर्तमान में 04 जोहड़ (तालाब) का जीर्णोधार के कार्य प्रगति पर हैं जिनकी स्थिति निम्नलिखित है :

(i) बुराड़ी (4) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (डी) - 5%

(ii) इब्राहिमपुर (ए) - 82%

(iii) बुराड़ी (4) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (ए) - 80%

(iv) नंगली पूना - 92%

(ग) अगले चरण में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मुकुंदपुर और इब्राहिमपुर (बी) जोहड़ (तालाब) विकसित किए जायेंगे तथा इनका विकास कार्य प्राकलन अवस्था में है, अतः अभी इन कार्यों की शुरू किए जाने की तिथि तय नहीं है।

116. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एसपीएमएल/दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में मनमाने पानी के बिल भेजे जा रहे हैं;

- (ख) यदि हाँ, तो जो उपभोक्ता एसपीएमएल के मनमाने बिलों द्वारा ठगे गए हैं, उन्हें क्या क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है; और
- (ग) एसपीएमएल द्वारा दिए जा रहे मनमाने बिलों को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने क्या व्यवस्था की है?

माननीय जल मंत्री :

(क)से(ग): पिछले कुछ समय में मैसर्स एसपीएमएल द्वारा की गई रीडिंग एवं बिलिंग में त्रुटियाँ पाई गई थीं। बिल में त्रुटि पाए जाने पर बिल को ठीक किया गया। इसके अलावा निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- * शिकायतें मिलने के पश्चात, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एसपीएमएल को पानी के मीटर लगाने व संचालन और अनुरक्षण के लिए दिए गए कार्य को जल बोर्ड द्वारा दिनांक 28.11.2019 को रद्द कर दिया गया। साकेत कोर्ट द्वारा इस आदेश को दिनांक 03.12.2019 को स्थगित कर दिया जिसके पश्चात यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

एसपीएमएल मीटरों की रीडिंग तथा बिलिंग का कार्य क्षेत्रिय राजस्व कार्यालय द्वारा करने के लिए अधिग्रहण (जामवअमत) करने की प्रक्रिया की जा रही है।

117. श्री नरेश यादव : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि महरौली विधानसभा पेय जल के लिए विशेषकर रजोकरी और कुसुमपुर पहाड़ी के टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति पर निर्भर है:
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि हमारे रिफिलिंग स्टेशन पर टैंकरों की कमी है; और
- (ग) क्या महरौली के लिए कुछ अतिरिक्त टैंकरों का आवंटन किया जा सकता है?

माननीय जल मंत्री :

- (क) जी हाँ, महरौली निर्वाचन क्षेत्र में रजोकरी और कुसुमपुर पहाड़ी पर टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। रजोकरी में निर्धारित प्वाइंट पर लगभग 70 ट्रिप की आपूर्ति की जाती है और कुसुमपुर पहाड़ी जेजे कलस्टर में निर्धारित प्वाइंट पर 40 ट्रिप की आपूर्ति की जाती है।
- (ख) जी नहीं, बी-1 वसंत कुंज में फिलिंग प्वाइंट पर पानी के टैंकरों की कमी नहीं है।
- (ग) जी हाँ, मांग के आधार पर अतिरिक्त टैंकर आवंटित किए जा सकते हैं।

118. श्री राजकुमार आनंद : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पटेल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ एरिया जैसे पंजाबी बस्ती, अम्बेडकर पार्क, गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक,

भील बस्ती, नेहरू नगर गुम्बद, तिरंगा चौक फरीदपुरी और सीताराम पार्क आदि में अभी तक पीने के पानी की पाईपलाइन न डाले जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन उपरोक्त बस्तियों में कब तक पानी की पाईपलाइनें बिछ जायेगी?

माननीय जल मंत्री :

(क) सभी कॉलोनियां अनाधिकृत हैं। पंजाबी बस्ती, आंबेडकर पार्क, भील बस्ती, नेहरू नगर और फरीदपुरी में पीने के पानी की पाइप लाइन डाली हुई हैं। गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, सीता राम पार्क, तिरंगा चौक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित होने एवं संकरी गलियां होने तथा पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं बिछायी गयी हैं।

(ख) चन्द्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत लाइनों के पुर्नउत्थान के दौरान बचे हुए क्षेत्रों में पानी की लाइनें डाली जाएगी।

119. श्री अनिल कुमार बाजपेयी : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मुरादाबाद और हिमाचल से पानी मिलना था;

(ख) अब तक यह पानी क्यों नहीं मिला और कब तक मिलने की सम्भावना है;

(ग) तीन सीवेज प्लांटों निरंकारी कॉलोनी, रोहिणी और रिठाला के सीवरेज

के पानी को साफ करके पीने लायक बनाने की योजना पर कितना काम हो रहा है; और

(घ) उपरोक्त से कितना मिलेगा और कब तक?

माननीय जल मंत्री :

- (क) जी हां, मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) और हिमाचल से पानी मिलने की संभावना थी।
- (ख) उत्तर प्रदेश ने पानी देने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। हिमाचल से पानी लाने के लिए हरियाणा, हिमाचल और अपर रिवर यमुना बोर्ड (UYRB) के साथ प्रयास जारी हैं। इसकी कोई समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है।
- (ग) 70 एम.जी.डी. क्षमता के कॉरोनेशन पिलर प्लांट (निरंकारी कॉलोनी के नजदीक) से निकलने वाले शोधित पानी को “क्लास सी कच्चा पानी में परिवर्तित करने एवं यमुना नदी में डालने की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमान एवं निविदा बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। सलाहकार द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं अनुमान विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। अभी रोहिणी और रिठाला सीवेज प्लांट पर ऐसी कोई योजना नहीं है।
- (घ) उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने के पश्चात लगभग 56 एम.जी.डी. कच्चे पानी की प्राप्ति होगी। यह कार्य दिसम्बर, 2023 तक होने की संभावना है।

120. श्री जितेंद्र महाजन : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 2014 में कितना पीने के पानी का उत्पादन हो रहा था, कितने किलोमीटर पानी की लाइन थी और कितने सीवरेज प्लांट थे;
- (ख) जून 2021 में कितने पीने के पानी का उत्पादन हो रहा था और कितने किलोमीटर पानी की लाइन थी और कितने सीवरेज प्लांट है; और
- (ग) पिछले पांच वर्षों में जल संचय के लिए दिल्ली सरकार ने कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं तथा भूमिगत जल संचय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए जा रहे हैं?

माननीय जल मंत्री :

- (क) वर्ष 2014 में 808.90 एमजीडी पानी का उत्पादन हो रहा था। वर्ष 2014 में 12998 किलोमीटर पानी की लाईन थी और 28 सीवरेज प्लांट थे।
- (ख) जून 2021 में 935 एमजीडी पीने के पानी का उत्पादन हो रहा था और 15007 किलोमीटर पानी की लाईन थी और 35 सीवरेज प्लांट हैं।
- (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले पाँच वर्षों में अपनी 322 इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं। भूमिगत जल संचय को बढ़ाने के लिए निम्न प्रावधान किये है :

- (1) आमजन की सुविधा के लिए दिल्ली के सभी जिलों में 'जल शक्ति केन्द्र' बनाए गए हैं जहाँ पर तकनीकी सुविधा एवं अन्य जानकारीयों प्रदान की जाती हैं।
- (2) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल बनाया गया है जहाँ पर आमजन को तकनीकी सहायता एवं अन्य जानकारीयों उपलब्ध कराई जाती हैं।
- (3) दिल्ली जल बोर्ड ने अधिकाधिक जानकारी जागरूकता एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सलाहकार नियुक्त किये हैं जिनकी जानकारी वेब साइट पर उपलब्ध है।
- (4) जल संचय प्रणाली लगाने पर पानी/सीवर के मासिक बिलों पर 10 प्रतिशत की छूट एवं ना लगाने पर 50 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- (5) आमजन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर वित्तीय सहायता (अधिकतम रु. 50,000/-) उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- (6) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.07.2001 को जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली में 100 वर्गमीटर या उससे अधिक आकार वाले प्लॉट की इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

121. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह सालों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो किस साल में कितना घाटा हुआ है; और

(घ) दिल्ली जल बोर्ड को बिलों से कितना राजस्व प्राप्त होता है?

माननीय जल मंत्री :

(क) प्रतिलिपि संलग्नक-‘क’

(ख) हाँ

(ग) वर्ष	घाटा/लाभ (लाख में)
2020-21	प्रतिलिपि संलग्नक-‘ख’
2021-22	घाटे/लाभ का आंकलन अभी नहीं हुआ है।

(घ)

वित्त वर्ष	कुल राजस्व धनराशि (करोड़)
2015-16	1615.84
2016-17	1782.2

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

275

08 श्रावण 1943 (शक)

2017-18	1719.81
2018-19	1828.12
2019-20	1752.39
2020-21	1772.95

संलग्नक-क
(Fig. in Cr.)

Year	Water Sector	Sewer Sector	20 KL free water Subsidy	Non Plan Assistance	Mukhya Mantri Muft Sewer Connection Yojna	Total
2015-16	646.50	1077.43	190.00	0.00	0.00	1913.93
2016-17	999.50	766.87	320.00	0.00	0.00	2086.37
2017-18	850.15	536.67	425.00	200.00	0.00	2011.82
2018-19	1271.38	1354.60	425.00	0.00	0.00	3050.98
2019-20	1340.65	1134.35	467.50	500.00	50.00	3492.50
2020-21	1319.40	2099.60	600.00	900.00	110.00	5029.00

Handwritten signature
D. Patel

DELHI JAL BOARD
Deficit/Surplus Data

Rs. in Crore

S.No.	Particulars	Actual 2015-16	Actual 2016-17	Actual 2017-18	Actual 2018-19	Actual 2019-20	RE 2020-21 (Provision, subject to re-audit)
	Net deficit/surplus	8.15	533.23	-174.23	-235.29	-300.66	506.13

Handwritten signature

122. श्री ओमप्रकाश शर्मा: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र को किस-किस यूजीआर से और कितना कितना पानी आपूर्ति किया जाता है;
- (ख) क्या यह सत्य है कि यहां पानी की लाइन 15 फीट से 20 फीट तक जमीन के नीचे है, जिससे पानी की आपूर्ति करने में दिक्कत होती है; और
- (ग) पानी की भयंकर कमी को देखते हुए सरकार इस यूजीआर की क्षमता में कब तक और कितने की बढ़ोत्तरी करेगी और कब तक वर्षों पुरानी पानी की लाइन को बदलने की योजना है?

माननीय जल मंत्री :

- (क) विश्वास नगर में निम्नलिखित जलाशयों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

1. गाजीपुर – 1.00 MGD.
2. मंडावली PI – 3.50 MGD.
3. सूरजमल विहार – 1.96 MGD.
4. AGCR – 4.20 MGD.
5. लक्ष्मीनगर – 3.40 MGD.

- (ख) जी नहीं।

(ग) यू.जी.आर. की क्षमता बढ़ने की अभी कोई योजना नहीं है। पानी की कमी को देखते हुए इन जलाशयों में पानी की मात्रा 0.2 MGD तीन ट्यूबवेल द्वारा बढ़ाई गई है और इस वित्तीय वर्ष में 06 अतिरिक्त ट्यूबवेल द्वारा पानी की मात्रा में 0.6 MGD वृद्धि करने की योजना है। पुरानी क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को आवश्यकता अनुसार व बजट उपलब्धतानुसार क्रमबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

123. श्री सोमनाथ भारती : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) एसी-43 में सीवर और नालियों को अलग-अलग करने के कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है,
- (ख) एसी-43 में डीएमए के विकास की मौजूदा स्थिति क्या है;
- (ग) दिल्ली में झुगियों में पानी का कनेक्शन प्रदान करने की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (घ) एमएनडब्ल्यूएस द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में सातों दिन और चौबीसों घंटे पानी उपलब्ध कराने की मौजूदा स्थिति और इसके पूरा होने की समयसीमा क्या है?

माननीय जल मंत्री :

- (क) अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।
- (ख) डीएमए का कार्य प्रगति पर है व लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

- (ग) वर्तमान में झुगियों में पानी पब्लिक नल व टैंकों द्वारा आवश्यकतानुसार दिया जाता है।
- (घ) मालवीय नगर पी.पी.पी. परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र में सातों दिन चौबीसों घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए भूमिका रूप व्यवस्था (इनफ्रास्ट्रक्चर) एमएनडब्ल्यूएस द्वारा कर दी गई है। मालवीय नगर भूमिगत जलाशय में इस योजना के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण सातों दिन चौबीसों घंटे पानी के आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के पश्चात ही सातों दिन चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति इस परियोजना क्षेत्र में की जाएगी। नया द्वारका जल शोधक संयंत्र फेस-I जिसके बनाने के कार्य का आवंटन जुलाई 2021 में किया गया है जो 2023 में कच्चा पानी उपलब्ध होने पर चालू हो जाएगा। इसके पश्चात् मालवीय नगर भूमिगत जलाशय में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जायेगा।

124. श्री सुरेंद्र कुमार : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जनसंख्या के आधार पर 40 प्रतिशत पानी दिया जाना है;
- (ख) सोनिया विहार में गोकलपुर के लिए बनाए गए यू.जी.आर. को अभी तक चालू न किए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ग) गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को कब तक सुचारू रूप से पेयजल मिलना आरंभ हो जाएगा?

माननीय जल मंत्री :

(क) जी नहीं।

(ख) इस जलाशय में विस्थापना विधि से जल एकत्रित कर विधानसभा क्षेत्र में पहुँचाना है। गर्मी के मौसम के कारण जल विस्थापना का कार्य स्थगित किया गया है।

(ग) गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में जल वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर स्थित कुछ कालोनियों में कम दबाव पर तथा एक दिन छोड़ कर पानी की सप्लाई होती है। सोनिया विहार भूमिगत जलाशय चालू होने व ताहिरपुर में नया भूमिगत जलाशय बनने के बाद पेयजल में सुधार होगा।

125. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृपया उन जलाशयों की सूची सांझा करें जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गावों में हुआ करते थे;

(ख) इनमें से कितने जलाशयों को पुनर्जीवित किया गया है और कितनों को पुनर्जीवित किया जाना है, अनुमानित समय सीमा के साथ विवरण सांझा करें;

(ग) क्या यह सत्य है कि आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र के कई यूजीआर एमवीवी वाटरप्राइवेट लिमिटेड के पास हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या विभाग एमवीवी से इन्हें लेने की योजना बना रहा है; और

(ड) क्या विभाग की आर के पुरम के सभी सेक्टरों, नानकपुरा और वसंत विहार की सीपीडब्लूडी कालोनियों की 60-65 साल पुरानी सीवर लाइनों को बदलने की कोई योजना है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय जल मंत्री :

- (क) दिल्ली के गावों में कितने जलाशय हुआ करते थे. इस प्रश्न में वर्ष/सन् का उल्लेख नहीं है। अतः किस समय के संदर्भ में यह माँगा गया है, स्पष्ट नहीं है। हालांकि वर्तमान में पूरी दिल्ली में जलाशयों की संख्या 1034 है, जिसका विवरण संलग्न है।
- (ख) दिल्ली जल बोर्ड को कुल 240 जलाशयों को पुनर्जीवित करने का कार्य भार सौंपा गया है। प्रथम चरण में 46 जलाशयों पर कार्य किया जा रहा है जो कि दिसम्बर, 2021 तक पूरा होने का अनुमान है शेष जलाशयों का पुनः जीवित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा इनके कार्य समाप्ति की अनुमानित समय सीमा दिसम्बर 2023 है।
- (ग) हाँ, वसंत विहार, वसंत एन्क्लेव आनंद निकेतन, शांति निकेतन, वेस्ट एंड यू.जी.आर. एमवीवी वाटर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास है जो कि परियोजना के तहत ओ एंड एम के लिये दिए गए हैं।
- (घ) वर्तमान में वसंत एन्क्लेव का यू.जी.आर. एवम् वी.पी.एस. का स्थानान्तरण वसंत विहार वी.पी.एस. के नये पम्प लगाने और परिचालन के पश्चात कर दिया जाएगा।

वसंत विहार परियोजना क्षेत्र के ओ एंड एम की अवधि दिनांक 11.12.2022 को समाप्त हो रही है उसके उपरांत यू.जी.आर. एवं वी.पी.एस. को दिल्ली जल बोर्ड को स्थानांतरित कर दिये जायेंगे।

(ङ) विभाग की वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार सीवर लाइन बदलने का कार्य किया जाता है।

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

283

08 श्रावण 1943 (शक)

सलैगनर

S. No.	Total Nos. of Water Bodies													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
District	DOA	BDOF New	EDMC MCD	DJB	PWD	CPWD	ASI	DELHI ARCH. DEPT.	FOREST SOUTH FOREST DIV	WAF Board	DUSIB	DESIDC	JNU	IIT
1 East	53		3	2										58
2 North East	41	5		2										48
3 North	131	27	3				2							163
4 North West	541	14	1	1							1	3		161
5 South	103	6				1	9		13	1			3	140
6 South East	39													39
7 South West	174	78					1	1						263
8 West	69	1									2			72
9 New Delhi	54						1				3			61
10 Central	21	1	1			4	2							29
Total	826	132	3	5	13	6	1	5	15	1	1	3	3	1034

AMARNATH MISHRA
Administrative Officer
Parliament/Assembly Cell
Delhi Jal Board
Karol Bagh, New Delhi-05

126. श्री अजय कुमार महावर : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले सात सालों में सरकार द्वारा दिल्ली में कितने नए राशन कार्ड बनाए गए और कितने आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं;
- (ख) सरकार द्वारा कितना राशन गैर राशन कार्ड-धारकों के लिए खरीदा गया था और उसमें से कितना बांटा, कितना सड़ गया और सड़े माल का निस्तारण कैसे किया गया
- (ग) वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में कितनी राशन दुकानों में लागू किया है गया; और
- (घ) E-PoS राशन सिस्टम दिल्ली में कितनी सरकारी राशन दुकानों में लागू किया गया है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

- (क) दिल्ली में पिछले सात सालों में (01.04.2014 से 31.03.2021 तक) 17,86,167 नए राशन कार्ड बनाए गए तथा दिनांक 26.07.2021 तक 2,09,874 आवेदन लम्बित है।
- (ख) वर्ष 2020 में कुल 2,55,28,492 किलोग्राम गेहूँ और 64,07,164 किलोग्राम चावल खरीदा गया। इसमें से 2,52,61,391 किलोग्राम गेहूँ और 63,63,118 किलोग्राम चावल गैर राशन कार्ड धारकों को बांट दिया गया। अवितरित 2.67.101 किलोग्राम गेहूँ और 44,046 किलोग्राम चावल डी.एस.सी.एस.सी सिरस पुर गोदाम में स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसके लिए विभाग स्तर पर एक समिति गठित की गयी

है ताकि मानवीय उपभोग योग्य (Fit for Human Consumption) राशन को मानकों के आधार पर छांटकर Non-PDS 2021 के अन्तर्गत वितरित किया जा सके और न खाने लायक राशन का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।

(ग) वन नेशन वन राशन कार्ड तथा E-PoS राशन सिस्टम दिल्ली में 1995 उचित दर दुकानों पर लागू कर दिया गया है।

(घ) उपरोक्त अनुसार।

127. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में 2014-15 में राशन कार्डों को नवीनीकरण हेतु जमा किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो बहुत से उपभोक्ताओं के राशन कार्ड आज भी लंबित होने या उन्हें निरस्त कर दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन राशन कार्डों की जांच कर इन्हें फिर से बनाने के संबंध में कोई योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

(क) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुराने राशन कार्डों को नवीनीकरण हेतु जमा

करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का प्रावधान है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है। लंबित आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है।

128. श्री विशेष रवि : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को क्रमशः दिनांक-संदर्भ संख्या 16.6.21-119352, 17.03.21-118888, 18.11.20-116411, 28.09.20-115774, 28.01.17-8025 के लिखे गए पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त पत्रों में उठाए गए विषयों के संबंध अद्यतन स्थिति क्या है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

(क) 1 पत्र संख्या 119352 दिनांक 16/06/21 :

इस पत्र में माननीय विधायक ने एफपीएस नंबर 6271A, 6753A, 3984 और 8360 के खिलाफ शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को अग्रेषित किया है। तदनुसार एफपीएस धारकों को सभी प्रासंगिक

अभिलेखों के साथ अपने बचाव में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 06/07/2021 को कॉल मेमो 1252-1255 दिनांक 02/07/2021 द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाया गया था। सभी एफपीएस धारकों ने प्रस्तुत किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं को उनके राशन की देय मात्रा प्राप्त हो गई है और इसे शिकायतकर्ता से टेलीफोन के माध्यम से सत्यापित किया गया है। यह आगे पाया गया है कि एफपीएस धारकों ने आम जनता को अनावश्यक देरी और असुविधा की। आदेश संख्या 1371-75 और 1376-80 दिनांक 20/07/2021 के तहत एफपीएस धारक 3984 और 8360 प्रत्येक पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। एफपीएस धारक 6271 को आदेश संख्या 1366-70 दिनांक 20/07/2021 तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

माननीय विधायक महोदय को ईमेल delhidvs@gmail.com द्वारा दिनांक 28.07.2021 उपरोक्त कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया है।

2. पत्र संख्या 118888 दिनांक 17.03.2021 :-

इस पत्र में माननीय विधायक ने एफपीएस नंबर 6753 और एफपीएस नंबर 6961 के खिलाफ शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को अग्रेषित किया है। तदनुसार एफपीएस धारकों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 25.03.3031 के कॉल मेमो नंबर 618 और 619 दिनांक 23.03.2021 द्वारा सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ अपने बचाव में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया था। सभी एफपीएस

धारकों ने प्रस्तुत किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं को उनके राशन की देय मात्रा प्राप्त हो गई है और शिकायतकर्ताओं से टेलीफोन के माध्यम से इसका सत्यापन भी किया गया है। यह आगे पाया गया कि एफपीएस धारक ने आम जनता को अनावश्यक देरी और असुविधा की अतः आदेश संख्या 879 दिनांक 15.04.2021 के एफपीएस धारक 6961, मै. प्रभुदयाल एवं सन्स पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और एफपीएस संत 6753 - मै. फूलचन्द योगेन्द्र कुमार की दुकान पर प्रवर्तन शाखा द्वारा औचक निरीक्षण के बाद उसकी सम्पूर्ण सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई थी।

माननीय विधायक महोदय को ईमेल delhidvs@gmail.com द्वारा दिनांक 28.07.2021 उपरोक्त कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया।

3. पत्र संख्या 116411 दिनांक 18.11.2020 :-

इस पत्र में माननीय विधायक ने श्रीमती सरला देवी की शिकायत और उनके कई आरोपों को अग्रसारित किया है। इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट माननीय विधायक महोदय को ईमेल delhidvs@gmail.com द्वारा दिनांक 23.12.2020 के माध्यम से पहले ही भेज दी गई थी।

4. पत्र संख्या 115774 दिनांक 28.09.2020

इस पत्र में माननीय विधायक ने राशन कार्ड के भारी बैकलॉग के संबंध में चिन्ता व्यक्त की थी और जल्द से जल्द लंबित आवेदनों को निपटाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में माननीय

विधायक जी की वस्तुस्थिति से पत्र संख्या-389 दिनांक 12.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया व दिल्ली में एनएफएस लाभार्थियों की ऊपर कोटा सीमा की उपलब्धि से पहले कुल 331 आवेदनों का निपटारा किया गया है।

5. पत्र संख्या 8025 दिनांक 28.01.2017

इस पत्र में माननीय विधायक ने श्रीमती गीता तिवारी की शिकायत को अग्रसारित किया है। मण्डल कार्यालय द्वारा इस संबंध यथोचित कार्रवाई कर अग्रसारित शिकायत का निपटान कर दिया और स्थिति रिपोर्ट से माननीय विधायक महोदय को पत्र संख्या-584 दिनांक 29.07.2021 के माध्यम से अवगत करा दिया गया।

(ख) उपरोक्त “क” के अनुसार।

129. श्री भूपिंदर सिंह जून : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरी दिल्ली और विशेषकर विजवासन एसी-36 में वर्तमान में नए राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं,

(ख) उपभोक्ता द्वारा नया राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु आवेदन किए जाने की तिथि से नया कार्ड जारी करने में विभाग को कितना समय लगता है;

(ग) क्या दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए नए राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु कोई कोटा निर्धारित है;

- (घ) आय के गलत प्रमाण या अन्य ऐसे ही गलत विवरण के आधार पर जो राशनकार्ड जारी हो गए हैं, ऐसे बोगस अनुपयुक्त और अयोग्य उपभोक्ताओं को छोटने के लिए क्या कोई व्यवस्था है; और
- (ङ) क्या नए राशनकार्डों के लिए लंबित आवेदनों के पिछले शेष कार्य को निपटाने के लिए दिल्ली में 72 लाख राशनकार्डों की ऊपरी सीमा को संशोधित किए जाने की कोई योजना/प्रस्ताव है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

- (क) पूरी दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए 2,09,874 आवेदन तथा बिजवासन सर्कल में 7,293 आवेदन दिनांक 25.07.2021 तक लंबित है।
- (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नए राशन कार्ड के आवेदनों का निस्तारण 30 दिन के अंदर किए जाने का प्रावधान है। बशर्ते आवेदक एन.एफ.एस. कार्ड के लिए पात्र हो तथा राशन कार्ड बनाने हेतु रिक्तियां उपलब्ध हों। दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है। कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर प्रथम आगम प्रथम निर्गम' (FIFO) के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेंगे।
- (ग) कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(घ) जी हाँ। टी.पी.डी.एस. 2015 की धारा 4(19) में राशन कार्डों को निरस्त करने के लिए उल्लिखित प्रावधान इस प्रकार है-

“राज्य सरकार बोगस या अपात्र राशनकार्डों का उन्मूलन करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत से पूर्व एक वार्षिक विशेष अभियान आयोजित करेगी”

(ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों की ऊपरी सीमा में संशोधन का कार्य भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। विभाग द्वारा दिल्ली में इस सीमा को बढ़ाने के लिए 31.12.2020 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। जिस पर भारत सरकार ने पत्र दिनांक 18.01.2021 के द्वारा कोटा बढ़ाने असमर्थता व्यक्त की है।

130. श्री संजीव झा : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नए बनने वाले कुल कितने राशन कार्ड लंबित हैं;

(ख) सर्किल 02 में राशन कार्ड में नाम जोड़ने अथवा कटवाने के कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) विगत 06 माह के दौरान कितने लंबित नए राशन कार्ड बनाए गए;

(घ) उपरोक्त लंबित राशन कार्ड को कब तक बनाये जाने की योजना है; और

(ड) सर्किल-02 (बुराड़ी) में FPS बदलने व घर का पता जैसे कितने आवेदन विभाग के पास लंबित है, उनका विवरण उपलब्ध करवाए?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

(क) दिनांक 25.07.2021 तक 10,899 नए राशन कार्ड आवेदन लंबित है।

(ख) नाम जोड़ने के लिए 5,873 और नाम कटवाने के लिए 154 आवेदन लंबित हैं।

(ग) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले छह महीने (01.01.2021 से 30.06.2021) के दौरान 34 नए राशन कार्ड बनाए गए।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नए राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग की नीति के अनुसार “प्रथम आगम प्रथम निर्गम” (FIFO) के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाते हैं। दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है। कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर फिफो के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेंगे।

(ड) सर्किल 02 (बुराड़ी) में घर का पता बदलने के लिए 84 आवेदन (सूची क) और एफ.पी.एस. बदलने के लिए 153 आवेदन (सूची ख) लंबित हैं। दिल्ली में जुलाई 2021 से राशन का वितरण e-PoS मशीन के द्वारा किया जा रहा है। अतः लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली में किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। (सूची “क” एवं “ख” संलग्न है)

/36(8)

Burari: List of Pending Applications for Address Change as on 25.07.2021

S No.	Circa	NFS ID	MODIFICATION ID	Ration Card Number	HOF Mobile No.	Application Type
1	02 - BURARI	58432	1237363	77003009730	9582212964	Address Change Requests Pending
2	02 - BURARI	73669	1054436	77002308380	8588939053	Address Change Requests Pending
3	02 - BURARI	106965	1049132	77003636786	9873746844	Address Change Requests Pending
4	02 - BURARI	117897	1044525	77002297717	7827421889	Address Change Requests Pending
5	02 - BURARI	136688	1068716	77002858548	8802343560	Address Change Requests Pending
6	02 - BURARI	167156	1238327	77004645856	8920268211	Address Change Requests Pending
7	02 - BURARI	172830	1068695	77000918286	9895558375	Address Change Requests Pending
8	02 - BURARI	236910	1050837	77002298457	9717756084	Address Change Requests Pending
9	02 - BURARI	242013	1097522	77002691699	8860593923	Address Change Requests Pending
10	02 - BURARI	291150	1068635	77002754260	8750203134	Address Change Requests Pending
11	02 - BURARI	309775	1068661	77002298862	9899215547	Address Change Requests Pending
12	02 - BURARI	346369	1060558	77002011069	9711510987	Address Change Requests Pending
13	02 - BURARI	361898	1047570	77002632170	9717145415	Address Change Requests Pending
14	02 - BURARI	380258	1048975	77002349066	9540543403	Address Change Requests Pending
15	02 - BURARI	415278	1242869	77002642321	9968435667	Address Change Requests Pending
16	02 - BURARI	439567	1069601	77004463396	9582999205	Address Change Requests Pending
17	02 - BURARI	467485	1048806	77003649585	9990309341	Address Change Requests Pending
18	02 - BURARI	485832	1141063	77002407709	9250683624	Address Change Requests Pending
19	02 - BURARI	550433	1039101	77004337179	8800868875	Address Change Requests Pending
20	02 - BURARI	561031	1065495	77004633076	9582558355	Address Change Requests Pending
21	02 - BURARI	563863	1068319	77004416409	9718383608	Address Change Requests Pending
22	02 - BURARI	577548	1054300	77002829416	9871141392	Address Change Requests Pending
23	02 - BURARI	583498	1067101	77002601601	9643451864	Address Change Requests Pending
24	02 - BURARI	589753	1047991	77004604190	8527308659	Address Change Requests Pending
25	02 - BURARI	674108	1048977	77002602362	9560741377	Address Change Requests Pending
26	02 - BURARI	706770	1237313	77002661274	8860610858	Address Change Requests Pending
27	02 - BURARI	716212	1048840	77002334113	9911739602	Address Change Requests Pending
28	02 - BURARI	772409	1070863	77004302451	8377089850	Address Change Requests Pending
29	02 - BURARI	783173	1050850	77002289392	9868425227	Address Change Requests Pending
30	02 - BURARI	783846	1058378	77002290207	9990887054	Address Change Requests Pending
31	02 - BURARI	795626	822166	77003191012	9871540865	Address Change Requests Pending
32	02 - BURARI	828747	1230371	77002353228	7838940781	Address Change Requests Pending
33	02 - BURARI	878628	1047744	77004708948	7836013790	Address Change Requests Pending
34	02 - BURARI	913849	1059370	77004572649	9818631190	Address Change Requests Pending
35	02 - BURARI	921226	1169852	77002297554	9990173339	Address Change Requests Pending
36	02 - BURARI	973488	1053458	77002291774	9213952707	Address Change Requests Pending
37	02 - BURARI	999411	1242855	77003643852	9718271158	Address Change Requests Pending
38	02 - BURARI	1001146	1067706	77002331435	9899292013	Address Change Requests Pending
39	02 - BURARI	1011756	1059682	77004667819	8459052061	Address Change Requests Pending
40	02 - BURARI	1012309	1051835	77002321540	9718510509	Address Change Requests Pending
41	02 - BURARI	1026613	1059697	77004934925	9268380855	Address Change Requests Pending
42	02 - BURARI	1026732	1059720	77004817000	9599477488	Address Change Requests Pending
43	02 - BURARI	1039827	1070019	77004508252	9870598937	Address Change Requests Pending
44	02 - BURARI	1052621	1056686	77005217867	9968371571	Address Change Requests Pending
45	02 - BURARI	1065426	1050208	77004882223	9999637211	Address Change Requests Pending
46	02 - BURARI	1065692	1097538	77004827887	9968048673	Address Change Requests Pending
47	02 - BURARI	1115209	1057726	77004485341	9540530751	Address Change Requests Pending

S No	Circle	NFS ID	MODIFICATION ID	Ration Card Number	HOF Mobile No.	Application Type
48	02 - BURARI	1168084	1049732	77002339018	9811543607	Address Change Requests Pending
49	02 - BURARI	1213335	1068342	77004720433	8510869298	Address Change Requests Pending
50	02 - BURARI	1229856	1048293	77002342445	9953303593	Address Change Requests Pending
51	02 - BURARI	1277784	1045739	77002308434	0	Address Change Requests Pending
52	02 - BURARI	1313162	1058862	77002320736	9213455206	Address Change Requests Pending
53	02 - BURARI	1333008	1038715	77002299141	9213887118	Address Change Requests Pending
54	02 - BURARI	1339613	1068590	77005012431	9811721549	Address Change Requests Pending
55	02 - BURARI	1409204	1059728	77004331837	8860085233	Address Change Requests Pending
56	02 - BURARI	1414143	1066677	77002306082	8860126947	Address Change Requests Pending
57	02 - BURARI	1431661	1237906	77000561566	9868602285	Address Change Requests Pending
58	02 - BURARI	1460922	1013313	77005234356	9910280545	Address Change Requests Pending
59	02 - BURARI	1508464	1059706	77002054757	8285873593	Address Change Requests Pending
60	02 - BURARI	1594983	1065563	77004518902	8506835628	Address Change Requests Pending
61	02 - BURARI	1604446	1052966	77004399455	9540854475	Address Change Requests Pending
62	02 - BURARI	1628917	1237380	77004166242	9268735172	Address Change Requests Pending
63	02 - BURARI	1693300	1051666	77002320317	9717346104	Address Change Requests Pending
64	02 - BURARI	1695542	1050150	77004798513	931186386	Address Change Requests Pending
65	02 - BURARI	1794801	1262867	77002323964	9717403266	Address Change Requests Pending
66	02 - BURARI	1821080	1069273	77002300734	8882839353	Address Change Requests Pending
67	02 - BURARI	1842715	1067253	77002413831	9958475451	Address Change Requests Pending
68	02 - BURARI	2086304	1051654	77000562099	9968909179	Address Change Requests Pending
69	02 - BURARI	2237687	1039595	77004905677	9811977975	Address Change Requests Pending
70	02 - BURARI	2250098	1237309	77004945454	9968519551	Address Change Requests Pending
71	02 - BURARI	2256947	1039575	77004931206	9278027984	Address Change Requests Pending
72	02 - BURARI	2287614	1237300	77004977073	9716945441	Address Change Requests Pending
73	02 - BURARI	2302526	1059421	77005225203	9810294008	Address Change Requests Pending
74	02 - BURARI	2356418	1068704	77005035039	7292020079	Address Change Requests Pending
75	02 - BURARI	2402322	1047796	77005040784	8802753843	Address Change Requests Pending
76	02 - BURARI	2447143	1075892	77005089521	9310031578	Address Change Requests Pending
77	02 - BURARI	2476550	1069579	77005095474	9871300754	Address Change Requests Pending
78	02 - BURARI	2490523	1167974	77005172189	9873197353	Address Change Requests Pending
79	02 - BURARI	2491924	1068140	77005200268	9210633082	Address Change Requests Pending
80	02 - BURARI	2507735	1237316	77005170085	9210713214	Address Change Requests Pending
81	02 - BURARI	2517560	1055260	77005146842	9654057488	Address Change Requests Pending
82	02 - BURARI	2517687	1056947	77005166035	9971765779	Address Change Requests Pending
83	02 - BURARI	2551901	1076581	77005169339	9650493782	Address Change Requests Pending
84	02 - BURARI	2612483	1269441	77005227205	9871606186	Address Change Requests Pending

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

295

08 श्रावण 1943 (शक)

Burari: List of 153 Pending Applications for Change of FPS as on 25.07.2021								
S No	Circle Name	NFS ID	MODIFICATION ID	Ration Card Number	HDF Mobile No.	OLD FPS	New FPS	Application Type
1	02 - BURARI	82402	1060565	77002331583	9213688616	8437	7444	FPS Change Requests Pending
2	02 - BURARI	84600	1050525	77002330831	9999313147	5124	9107	FPS Change Requests Pending
3	02 - BURARI	85685	1049125	77002331190	9971210024	8437	7444	FPS Change Requests Pending
4	02 - BURARI	184166	1190413	77002305787	9879053744	5854	8524	FPS Change Requests Pending
5	02 - BURARI	199669	606702	77002329578	9211827177	9097	3246	FPS Change Requests Pending
6	02 - BURARI	236910	1050842	77002294557	9717756084	5854	4136	FPS Change Requests Pending
7	02 - BURARI	274651	1066892	77002341892	0	9107	9172	FPS Change Requests Pending
8	02 - BURARI	409846	1190388	77002321486	9211964551	9387	8524	FPS Change Requests Pending
9	02 - BURARI	436670	1048357	77004560680	8742970031	6180	9172	FPS Change Requests Pending
10	02 - BURARI	466013	1038676	77002339388	8376956550	9387	8524	FPS Change Requests Pending
11	02 - BURARI	469734	1066428	77004241244	9654587792	9392	8524	FPS Change Requests Pending
12	02 - BURARI	486300	1190960	77002341440	9013030491	9392	8524	FPS Change Requests Pending
13	02 - BURARI	491294	1051759	77002341295	9971204841	9392	3246	FPS Change Requests Pending
14	02 - BURARI	491517	1066445	77004216946	0	9392	8524	FPS Change Requests Pending
15	02 - BURARI	563288	1066355	77002342144	7836959787	5480	8524	FPS Change Requests Pending
16	02 - BURARI	570629	1039232	77004337451	7840022348	9392	8524	FPS Change Requests Pending
17	02 - BURARI	581092	1049447	77002834726	9610676472	8524	8524	FPS Change Requests Pending
18	02 - BURARI	660655	1051157	77004256484	9871856524	8437	8453	FPS Change Requests Pending
19	02 - BURARI	663094	1058225	77004301356	9210649358	9334	8437	FPS Change Requests Pending
20	02 - BURARI	663255	1055419	77002334532	9212131012	7444	9107	FPS Change Requests Pending
21	02 - BURARI	673471	1066957	77004760421	9818470296	9334	7444	FPS Change Requests Pending
22	02 - BURARI	716212	1048837	77002334113	9911739602	9172	8524	FPS Change Requests Pending
23	02 - BURARI	718810	1038267	77004823738	9968040470	3246	8438	FPS Change Requests Pending
24	02 - BURARI	740237	1067442	77003688888	9911654260	3246	9386	FPS Change Requests Pending
25	02 - BURARI	776383	1048902	77002335016	9958388725	5480	8438	FPS Change Requests Pending
26	02 - BURARI	796971	1049614	77004187401	9873841851	9385	9172	FPS Change Requests Pending
27	02 - BURARI	799865	1190404	77004604187	9910989206	9236	5480	FPS Change Requests Pending
28	02 - BURARI	816207	1049410	77002334984	8960940738	9172	9993	FPS Change Requests Pending
29	02 - BURARI	839483	1088528	77004563889	9911147396	5480	8438	FPS Change Requests Pending
30	02 - BURARI	841928	1053450	77004489208	9811484956	9172	8689	FPS Change Requests Pending
31	02 - BURARI	950341	1038259	77002349097	8010024161	8689	9385	FPS Change Requests Pending
32	02 - BURARI	970387	1252349	77002312541	7838967219	7398		FPS Change Requests Pending
33	02 - BURARI	989444	1065574	77004819880	9818360384	9107	8738	FPS Change Requests Pending
34	02 - BURARI	1009698	1252850	77004727015	9554671063	4136		FPS Change Requests Pending
35	02 - BURARI	1009834	1038606	77004616450	9999216575	7398	9172	FPS Change Requests Pending
36	02 - BURARI	1028317	1038583	77002310453	9718210282	9236	9372	FPS Change Requests Pending
37	02 - BURARI	1064624	1169851	77002299940	9891334756	9107	5480	FPS Change Requests Pending
38	02 - BURARI	1065324	1056732	77002344961	8010212656	5124	8438	FPS Change Requests Pending
39	02 - BURARI	1061170	1045020	77004760373	9891185024	7399	5124	FPS Change Requests Pending
40	02 - BURARI	1061401	1049507	77004760390	8527984256	9236	5854	FPS Change Requests Pending
41	02 - BURARI	1060907	1045866	77004712124	8800265396	9334	7444	FPS Change Requests Pending
42	02 - BURARI	1091820	1000006	770046560410	7042546008	9236	3246	FPS Change Requests Pending
43	02 - BURARI	1112799	1040308	77002323450	9891458286	9107	7444	FPS Change Requests Pending
44	02 - BURARI	1125125	1050553	77004652637	0	9236	8453	FPS Change Requests Pending
45	02 - BURARI	1126636	1053012	77004320327	9911893686	9392	8524	FPS Change Requests Pending
46	02 - BURARI	1154393	1054344	77009688969	8800571565	9392	8524	FPS Change Requests Pending
47	02 - BURARI	1168084	1049734	77002339018	9811543607	9392	8524	FPS Change Requests Pending
48	02 - BURARI	1170855	1190406	77004427076	9560716436	9388	8524	FPS Change Requests Pending
49	02 - BURARI	1174920	1190360	77002342309	0	9392	8524	FPS Change Requests Pending
50	02 - BURARI	1175042	1068867	77004234416	9911555836	9392	8524	FPS Change Requests Pending
51	02 - BURARI	1195712	1061994	77002340680	8447552782	9392	8524	FPS Change Requests Pending
52	02 - BURARI	1201126	1190398	77004217378	0	8524	8524	FPS Change Requests Pending
53	02 - BURARI	1206209	1066779	77002341900	9213181349	9392	8524	FPS Change Requests Pending
54	02 - BURARI	1214103	1048277	77002341734	9911072797	9392	8524	FPS Change Requests Pending
55	02 - BURARI	1226818	603842	77002323289	9136842282	9107	8524	FPS Change Requests Pending
56	02 - BURARI	1229856	1048288	77002342445	995303503	9392	8524	FPS Change Requests Pending

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

296

30 जुलाई, 2021

S No	Indic Name	NPS ID	MODIFICATION ID	Ration Card Number	HOF Mobile No.	OLD FPS	New FPS	Application Type
58	02 - BURARI	1276465	1058538	77004530304	9313745269	8437	5124	FPS Change Requests Pending
59	02 - BURARI	1282559	1190394	77002307170	9350060204	6180	9097	FPS Change Requests Pending
60	02 - BURARI	1282996	1066056	77004341006	8800962300	8437	8451	FPS Change Requests Pending
61	02 - BURARI	1293380	1190415	77004323824	971153423	9385	8524	FPS Change Requests Pending
62	02 - BURARI	1296370	1049758	77002752565	9871552211	9388	9387	FPS Change Requests Pending
63	02 - BURARI	1297063	1038558	77002351591	9868551587	9387	9097	FPS Change Requests Pending
64	02 - BURARI	1313547	1051030	77004427212	8800408674	7444	8489	FPS Change Requests Pending
65	02 - BURARI	1331322	1061245	77004258534	9818485076	8689	9172	FPS Change Requests Pending
66	02 - BURARI	1332013	1066002	77004243464	9582609898	9388	8524	FPS Change Requests Pending
67	02 - BURARI	1332526	1069592	77002309660	8742901467	5124	7397	FPS Change Requests Pending
68	02 - BURARI	1333008	1069616	77004600568	9650587036	9097	7397	FPS Change Requests Pending
69	02 - BURARI	1335058	1038711	77002299141	9213887118	8437	8451	FPS Change Requests Pending
70	02 - BURARI	1335061	1049096	77002336192	9716769086	9334	8451	FPS Change Requests Pending
71	02 - BURARI	1335955	1069576	77004492785	9891084435	9236	4136	FPS Change Requests Pending
72	02 - BURARI	1361348	1190411	77004466690	9289569373	9107	8524	FPS Change Requests Pending
73	02 - BURARI	1364777	1190384	77004627242	0	9236	8524	FPS Change Requests Pending
74	02 - BURARI	1365610	1068341	77004248531	9990208328	9392	8524	FPS Change Requests Pending
75	02 - BURARI	1374920	1049118	77004747476	9051704834	7444	9097	FPS Change Requests Pending
76	02 - BURARI	1386393	1061096	77004715646	9671785356	9097	5119	FPS Change Requests Pending
77	02 - BURARI	1388511	1049412	77004741486	955350477	5480	9393	FPS Change Requests Pending
78	02 - BURARI	1388604	1049418	77004258539	9671520362	5480	7397	FPS Change Requests Pending
79	02 - BURARI	1390829	1049418	77004544915	9673120037	5480	7397	FPS Change Requests Pending
80	02 - BURARI	1400838	1190372	77004248597	9691922278	9392	8524	FPS Change Requests Pending
81	02 - BURARI	1408218	1190345	77002340298	9673349092	9392	8524	FPS Change Requests Pending
82	02 - BURARI	1413629	1061096	77004223146	8826990386	9392	8524	FPS Change Requests Pending
83	02 - BURARI	1435372	1190368	77004753390	9718229481	5480	9388	FPS Change Requests Pending
84	02 - BURARI	1455181	1190393	77005211128	9711103888	9638	8524	FPS Change Requests Pending
85	02 - BURARI	1459995	711313	77004427254	9650135039	7444	8451	FPS Change Requests Pending
86	02 - BURARI	1462168	1036459	77004337467	9718003382	5480	8451	FPS Change Requests Pending
87	02 - BURARI	1505962	1051074	77002287274	9968953229	9394	3246	FPS Change Requests Pending
88	02 - BURARI	1508063	1190351	77002300500	0	9638	4136	FPS Change Requests Pending
89	02 - BURARI	1511484	1065331	77002309948	9211600502	5124	9107	FPS Change Requests Pending
90	02 - BURARI	1522121	1051752	77004825797	9654579675	9392	8524	FPS Change Requests Pending
91	02 - BURARI	1523142	796987	77004670951	9546659325	3246	9097	FPS Change Requests Pending
92	02 - BURARI	1527702	1050350	77004675850	8742929425	9392	8524	FPS Change Requests Pending
93	02 - BURARI	1569365	1124346	77005234716	9210265341	5124	4136	FPS Change Requests Pending
94	02 - BURARI	1572883	1045833	77004827902	9968419108	3246	9097	FPS Change Requests Pending
95	02 - BURARI	1592316	1050325	77004518846	9266410344	9236	8438	FPS Change Requests Pending
96	02 - BURARI	1593567	887894	77004501492	8076752188	4136	8438	FPS Change Requests Pending
97	02 - BURARI	1597833	1065256	77002288155	9582992194	3246	3246	FPS Change Requests Pending
98	02 - BURARI	1605032	1048862	77002292959	9873801214	9387	8524	FPS Change Requests Pending
99	02 - BURARI	1605184	1069228	77004725248	9650657157	9334	7403	FPS Change Requests Pending
100	02 - BURARI	1605350	1184553	77002324474	9910015107	9387	9394	FPS Change Requests Pending
101	02 - BURARI	1627593	1066256	77004575207	9968772916	9385	3246	FPS Change Requests Pending
102	02 - BURARI	1630713	1237364	77005281417	9811880932	9334	9097	FPS Change Requests Pending
103	02 - BURARI	1630756	1237365	77005281420	9811162132	9236	9097	FPS Change Requests Pending
104	02 - BURARI	1635359	77004589375	9582005904	4136	8524	FPS Change Requests Pending	
105	02 - BURARI	1643725	1069535	77004564143	9868547384	9385	3246	FPS Change Requests Pending
106	02 - BURARI	1649640	1058550	77004633640	7503307065	9236	8689	FPS Change Requests Pending
107	02 - BURARI	1665178	1069304	77002338539	9711925537	5454	8524	FPS Change Requests Pending
108	02 - BURARI	1688640	1048254	77002331001	7838289580	8437	9334	FPS Change Requests Pending
109	02 - BURARI	1694888	1038236	77004585771	9654528719	9097	9172	FPS Change Requests Pending
110	02 - BURARI	1696955	1049135	77004603366	9716762274	9385	9388	FPS Change Requests Pending
111	02 - BURARI	1697544	1065379	77003645205	9911918570	9172	9394	FPS Change Requests Pending
112	02 - BURARI	1716138	1067307	77004682743	9871541510	9392	8524	FPS Change Requests Pending
113	02 - BURARI	1726877	1068299	77002338897	9873574234	9392	8438	FPS Change Requests Pending

S No	Circle Name	NFS ID	MODIFICATION ID	Ration Card Number	HDF Mobile No.	OLD FPS	New FPS	Application Type
114	02 - BURARI	1727136	1058579	77002340110	9891318632	9392	8524	FPS Change Requests Pending
115	02 - BURARI	1727180	1068438	77004692419	9013579872	9392	8524	FPS Change Requests Pending
116	02 - BURARI	1731203	1051321	77004642981	9350999890	5124	9386	FPS Change Requests Pending
117	02 - BURARI	1764562	1061999	77002349556	9311881504	9638	8524	FPS Change Requests Pending
118	02 - BURARI	1764632	1069611	77002304759	9868122277	9385	9335	FPS Change Requests Pending
119	02 - BURARI	1768081	1053009	77004572441	8130544598	9392	8524	FPS Change Requests Pending
120	02 - BURARI	1812216	1050306	77002342022	0	9392	8524	FPS Change Requests Pending
121	02 - BURARI	1819474	1048871	77002342767	9871545412	4136	8524	FPS Change Requests Pending
122	02 - BURARI	1821443	1067549	77004548930	9891785782	9385	8438	FPS Change Requests Pending
123	02 - BURARI	1880804	1067681	77002300766	9582097056	9392	8524	FPS Change Requests Pending
124	02 - BURARI	1903502	1062203	77004583917	9289236325	5098	9172	FPS Change Requests Pending
125	02 - BURARI	2005264	1039436	77002323670	9971962581	3246	7444	FPS Change Requests Pending
126	02 - BURARI	2005884	1061165	77002332928	9711338109	5124	8524	FPS Change Requests Pending
127	02 - BURARI	2019647	1190386	77002340044	9891057867	8524	8524	FPS Change Requests Pending
128	02 - BURARI	2170006	1061207	77004874508	9213845265	8437	7403	FPS Change Requests Pending
129	02 - BURARI	2201997	1050392	77002340060	9210720991	9392	8524	FPS Change Requests Pending
130	02 - BURARI	2212992	1051761	77002288411	9210363715	9394	9246	FPS Change Requests Pending
131	02 - BURARI	2214962	1068290	77002302767	8800911968	9392	8438	FPS Change Requests Pending
132	02 - BURARI	2215252	1065915	77002341322	7503848429	8524	9392	FPS Change Requests Pending
133	02 - BURARI	2223150	1181974	77004976813	9654431923	9392	8524	FPS Change Requests Pending
134	02 - BURARI	2241814	1049569	77004984508	9793888203	9236	9107	FPS Change Requests Pending
135	02 - BURARI	2248947	1066819	77004955212	9899768607	4136	8438	FPS Change Requests Pending
136	02 - BURARI	2249266	1190379	77004975298	0	9392	8524	FPS Change Requests Pending
137	02 - BURARI	2250649	1048248	77004955162	9871824602	9392	8524	FPS Change Requests Pending
138	02 - BURARI	2252873	1044067	77004958700	0	8689	9172	FPS Change Requests Pending
139	02 - BURARI	2254983	1049783	77004964772	0	9097	9394	FPS Change Requests Pending
140	02 - BURARI	2262838	1059769	77004955495	9717936136	4136	9392	FPS Change Requests Pending
141	02 - BURARI	2267037	1068448	77004953042	9999770810	9097	4136	FPS Change Requests Pending
142	02 - BURARI	2268516	1066450	77004964847	9868424089	5124	9393	FPS Change Requests Pending
143	02 - BURARI	2279760	1169221	77004980607	9968634063	9392	8524	FPS Change Requests Pending
144	02 - BURARI	2280359	1190347	77004976978	9716420703	9392	8524	FPS Change Requests Pending
145	02 - BURARI	2345090	1232097	77005012969	9811444641	7399		FPS Change Requests Pending
146	02 - BURARI	2402138	1066910	77005040704	0	8689	9172	FPS Change Requests Pending
147	02 - BURARI	2402322	1047782	77005040784	8802753843	9639	9097	FPS Change Requests Pending
148	02 - BURARI	2469302	1066586	77005088952	9999076626	9392	8524	FPS Change Requests Pending
149	02 - BURARI	2493672	1046490	77005181340	9873859109	9392	8524	FPS Change Requests Pending
150	02 - BURARI	2502798	1190401	77005217505	9899883577	9097	5124	FPS Change Requests Pending
151	02 - BURARI	2504180	1049502	77005183077	9718780711	3246	9394	FPS Change Requests Pending
152	02 - BURARI	2562613	1052125	77005213266	9968254542	8437	8451	FPS Change Requests Pending
153	02 - BURARI	2752598	1230399	77005268626	8368971820	9394	9394	FPS Change Requests Pending

131. श्री राजकुमार आनंद : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि पटेल नगर विधान सभा क्षेत्र में बनाने के लिए 4000 राशन कार्ड लंबित पड़े हैं; और
- (ख) यदि हाँ, तो ये पेंडिंग राशन कार्ड कब तक बनाकर लोगों को दे दिये जायेंगे?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

- (क) जी नहीं, दिनांक 25.07.2021 तक केवल 1423 नए राशन कार्ड आवेदन लंबित हैं।
- (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नए राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग की नीति के अनुसार “प्रथम आगम प्रथम निर्गम” (FIFO) के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाते हैं। दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है। कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर “प्रथम आगम प्रथम निर्गम (FIFO) के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेंगे।

132. श्री जितेंद्र महाजन : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली में जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे

कितने लोगों को कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन मुहैया कराया गया तथा इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) दिल्ली में कितने गरीबों के लिए राशन किट खरीदी गई और इसके लिए कितनी राशि खर्च की गई, इन राशन किट की एक्सपायरी डेट क्या थी और क्या ये सभी राशन किट गरीबों में बांट दी गई; और

(ग) दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अनुसार विवरण उपलब्ध कराएं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

(क) कोरोना महामारी के दौरान 63,63,118 लोगों को, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया और इस पर कुल 58,79,16,936 रूपए धनराशि खर्च की गई।

(ख) दिल्ली में कुल 26,41,225 गरीब परिवारों के लिए राशन किट खरीदी गई और इसके लिए कुल 104,32,83,875 रुपये खर्च किए गए। अवितरित किटों की संख्या 9155 है, इन किटों में शामिल सभी खाद्य वस्तुओं की एक्सपायरी डेट उनकी पैकिंग तिथि (अप्रैल 2020 के बाद) छह माह से लेकर दो वर्ष तक है ।

(ग) दिल्ली में वर्तमान में राशन कार्ड के लिए 209874 आवेदन लम्बित हैं जिनकी मण्डलवार सूची “क” संलग्न है।

F&S Dept: Number of Fresh Ration Card Applications Pending till 25.07.2021

S.No.	District	Circle Name	AAY Applications	PRS Applications	PR Applications	Total Applications
1	CENTRAL	19-SADAR BAZAR	579	0	957	1536
2	CENTRAL	20-CHANDNI CHOWK	75	0	116	191
3	CENTRAL	21-MATIA MAHAL	53	0	513	566
4	CENTRAL	22-BALLIMARAN	222	5	3819	4046
5	CENTRAL	23-KAROL BAGH	13	0	1253	1266
6	CENTRAL	24-PATEL NAGAR	5	1	1417	1423
7	CENTRAL	25-MOTI NAGAR	144	0	309	453
8	EAST	55-TRILOK PURI	271	3	2463	2737
9	EAST	56-KONDLI	866	0	4142	5008
10	EAST	57-PATPARGANJ	1192	2	3388	4582
11	EAST	58-LAXMI NAGAR	799	1	890	1690
12	EAST	59-VISHWAS NAGAR	111	0	188	299
13	EAST	60-KRISHNA NAGAR	634	1	1149	1784
14	EAST	61-GANDHI NAGAR	833	0	1744	2577
15	EAST	62-SHAHDARA	679	0	804	1483
16	NEW DELHI	40-NEW DELHI	36	0	200	236
17	NEW DELHI	41-JANGPURA	23	0	227	250
18	NEW DELHI	42-KASTURBA NAGAR	168	1	251	420
19	NEW DELHI	43-MALVIYA NAGAR	186	1	888	1075
20	NEW DELHI	44-R.K PURAM	134	3	1018	1155
21	NEW DELHI	50-GREATER KAILASH	218	0	469	687
22	NEW DELHI	54-OKHLA	1200	1	5754	6955
23	NORTH	2-BURARI	332	1	10566	10899
24	NORTH	3-TIMARPUR	752	0	979	1731
25	NORTH	4-ADARSH NAGAR	8	21	1883	1912
26	NORTH	14-SHALIMAR BAGH	152	0	599	751
27	NORTH	15-SHAKUR BASTI	76	0	94	170
28	NORTH	16-TRI NAGAR	110	0	1012	1122
29	NORTH	17-WAZIRPUR	105	0	792	897
30	NORTH	18-MODEL TOWN	9	19	893	921
31	NORTH EAST	63-SEEMAPURI	80	5	1665	1750
32	NORTH EAST	64-ROHTASH NAGAR	458	10	2554	3022
33	NORTH EAST	65-SEELAMPUR	525	0	3995	4520
34	NORTH EAST	66-GHONDA	530	5	3276	3811
35	NORTH EAST	67-BABARPUR	769	1	3579	4349
36	NORTH EAST	68-GOKALPUR	1881	5	4590	6476
37	NORTH EAST	69-MUSTAFABAD	36	5	6789	6830
38	NORTH EAST	70-KARAWAL NAGAR	153	0	6426	6579
39	NORTH WEST	1-NARELA	274	15	4141	4430
40	NORTH WEST	5-BADLI	226	1	3580	3807
41	NORTH WEST	6-RITHALA	825	0	3439	4264
42	NORTH WEST	7-BAWANA	33	17	667	717

43	NORTH WEST	8-MUNDKA	1	0	6181	6182
44	NORTH WEST	9-KIRARI	0	1	5556	5557
45	NORTH WEST	10-SULTANPUR MAJRA	676	3	2571	3250
46	NORTH WEST	13-ROHINI	2	0	260	262
47	SOUTH	45-MEHRAULI	46	0	430	476
48	SOUTH	46-CHHATTARPUR	1123	60	6591	7774
49	SOUTH	47-DEOLI	1158	4	5319	6481
50	SOUTH	48-AMBEDKAR NAGAR	416	1	1094	1511
51	SOUTH	49-SANGAM VIHAR	653	0	1690	2343
52	SOUTH	51-KALKAJI	741	2	1185	1928
53	SOUTH	52-TUGHLAKABAD	1639	2	2313	3954
54	SOUTH	53-BADARPUR	887	0	8749	9636
55	SOUTH WEST	32-UTTAM NAGAR	13	2	1370	1385
56	SOUTH WEST	33-DWARKA	1	2	2308	2311
57	SOUTH WEST	34-MATIALA	19	1	3647	3667
58	SOUTH WEST	35-NAJAFGARH	1300	3	5846	7149
59	SOUTH WEST	36-BUWASAN	263	12	7018	7293
60	SOUTH WEST	37-PALAM	1	2	2471	2474
61	SOUTH WEST	38-DELHI CANTT	1	1	220	222
62	SOUTH WEST	39-RAJENDER NAGAR	84	4	958	1046
63	WEST	11-NANGLOI JAT	1593	7	7150	8750
64	WEST	12-MANGOLPURI	330	2	3314	3646
65	WEST	26-MADIPUR	528	11	2346	2885
66	WEST	27-RAJORI GARDAN	383	0	2114	2497
67	WEST	28-HARI NAGAR	21	0	769	790
68	WEST	29-TILAK NAGAR	532	6	815	1353
69	WEST	30-JANAKPURI	421	0	1461	1882
70	WEST	31-VIKAS PURI	19	5	3769	3793
		Total	28626	255	180993	209874

133. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के उन प्रवासी मजदूरों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, को दिल्ली सरकार ने राशन देने की घोषणा की थी;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि इस खाद्य सामग्री व राशन का भण्डारण दिल्ली सरकार के विभिन्न विद्यालयों में किया गया था;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली भर में सैकड़ों करोड़ रुपये का सड़ा हुआ राशन ट्रकों में भरकर इनको सिविल सप्लाय के गोदामों में पहुँचाया गया;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि यह राशन जरूरतमंदों को न बाँटकर दिल्ली सरकार के गोदामों में सड़ता रहा; और
- (ङ) क्या यह सत्य है कि खाद्य वस्तुओं की एक्सपायरी तारीख गुजरे हुए भी 6-12 महीने बीत चुके थे, अर्थात् जब सामग्री खरीदी गई थी तो वितरण की समय सीमा में ही एक्सपायरी तारीख निकल चुकी थी?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ। राशन का भंडारण विद्यालयों/वितरण केन्द्रों में किया गया था।

(ग) अवितरित 267101 किलोग्राम गेहूं और 44046 किलोग्राम चावल डी. एस.सी.एस.सी. के सिरस पुर गोदाम में स्थानांतरित कर दिया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

134. श्री विजेंद्र गुप्ता : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार अन्तोदय अन्न योजना के तहत अति गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त 25 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल मुहैया कराती है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार के आदेश की अवहेलना कर अति गरीब परिवारों के राशन कार्ड नहीं बना रही है;

(ग) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में 'वन नेशन-वन कार्ड' योजना लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में अति गरीब परिवारों की संख्या 1,56,800 की तुलना में मात्र 68,732 परिवारों तक ही यह राशन पहुँचने व बाकी बचे 90 हजार परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित न करने के क्या कारण हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

- (क) जी नहीं। अन्तोदय अन्न योजना के अति गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, 2013 के अनुसार 25 किलोग्राम गेहूँ और 10 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रतिमाह वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पी. एम. जी. के. वाई. योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य प्रतिमाह 04 किलोग्राम गेहूँ तथा 01 किलोग्राम चावल वितरित किया जा रहा है।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।
- (घ) दिल्ली में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना आदेश संख्या F.No. 3(8)/F&S/P&C/2020/P-V/561-572 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा लागू हो गई है (प्रतिलिपि संलग्न है)।
- (ङ) अन्तोदय अन्न योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों का चयन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर “प्रथम आगम प्रथम निर्गम” (FIFO) के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेंगे।

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER, FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K- BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(POLICY BRANCH)**

F.No. 3(8)/F&S/P&C/2020/P-VI 561-572

Dated: 19/07/2021

ORDER

In pursuance of provision made for reforms in Targeted Public Distribution System (TPDS) under section 12(1) read with 12(2)(b) & 12(2)(d) of National Food Security Act 2013, distribution of food grains of National Food Security Act 2013 (NFSA) and Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojna (PM-GKAY) and any other scheme for ration card holders/NFS beneficiaries is allowed to be made through e-PoS from all fair price shops in Delhi with One Nation One Ration Card (ONORC) plan facility from the month of July 2021 allocation. Following instructions will be followed while distribution of ration through e-PoS device:-

1. Distribution of ration of NFS, PM-GKAY and any other scheme implemented through FPSs for ration card holders/NFS beneficiaries from the month of July 2021 allocation will be made only through e-PoS devices and its associated accessories in Delhi.
2. The Stock register at each FPS shall be signed by the concerned FSO/FSI before opening of sale through e-PoS. Distribution made through e-PoS will not require to be entered in manual sale register.
3. Distribution of ration under Portability shall be permitted in all Fair Price Shops connected to e-PoS devices. Beneficiaries may take their ration from any e-PoS enabled FPS in Delhi.
4. Distribution under ONORC scheme will be allowed through all e-PoS enabled FPSs in Delhi as per Gol orders issued time to time. This facility will be allowed to all migrant beneficiaries under national portability, who have been identified under NFSA in their parent state.
5. Beneficiaries would contact the HELPLINE No.1967 for their grievance, if any of not getting ration through e-PoS or may contact concerned circle FSO.
6. FPS owner would contact: 9717198833/9911698388 for any device related issue.
7. The information of the HELPLINE No.1967 or 1800-11-0841 numbers for Technical support of e-PoS device by BEL shall be displayed on each FPS shop.
8. The vulnerable family only having old age persons (above 65 years) and differently abled persons as per Gol letter No.5(3)/2017-PD-III dated 01/02/2018, may be identified through FPS owner for special facilitation to such family as per above letter.

IT Branch of Department of F&S will provide necessary technical support to the fair price shop holders while using e-PoS device. All Zonal Assistant Commissioners are hereby directed to ensure the distribution of ration to the NFS beneficiaries and migrants through e-PoS device and ONORC.

This issues with the prior approval of Competent Authority.


(Kuldeep Singh)

Additional Commissioner, F&S

Dated: 19/07/2021

F.No. 3(8)/F&S/P&C/2020/P-VI 561-572

To:-

1. All Zonal Assistant Commissioners, F&S
2. All Branches (HQ), F&S
3. All FSOs through Zonal ACs, F&S
4. All FPSs through concerned circle FSOs
5. SSA (IT), F&S for technical support and upload on the website of the Deptt.

135. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में राशन कार्ड के कितने आवेदन आए, पूर्ण विवरण दें;
- (ख) इन आवेदकों के राशन कार्ड कब तक बना दिये जाएंगे;
- (ग) राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड में नये नाम कब तक जोड़े जाएंगे;
- (घ) कुछ समय तक राशन न लेने के कारण जिन राशन कार्ड धारकों का राशन बंद कर दिया गया है उनका विवरण क्या है, और
- (ङ) उन्हें कब से पुनः राशन देना शुरू किया जाएगा?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :

- (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों (01.04.2016 से 31.03.2021) में 3985 नए राशन कार्ड के लिए आवेदन आए हैं।
- (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत नए राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग की नीति के अनुसार “प्रथम आगम प्रथम निर्गम” (FIFO) के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाते हैं। दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है। कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर

“प्रथम आगम प्रथम निर्गम” (FIFO) के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेंगे।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) किराठी विधानसभा क्षेत्र जिन राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड (01.05.2018 से 31.12.2018 तक सर्कल एफ.एस.ओ. के द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। उनकी संख्या 4580 है। **सी.डी. संलग्न है।²⁵**

(ङ) ऐसे कार्डधारियों के निवेदनों को मण्डल कार्यालय द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट संलग्न करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों (ADM) को जिनको डी.जी.आर.ओ. नामित किया गया है, प्रेषित कर दिया जाता है। इसके पश्चात डी.जी.आर.ओ. आदेशानुसार मण्डल कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही (स्वीकृत/अस्वीकृत) की जाती है।

136. श्री महेंद्र गोयल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि टीपीडीडीएल द्वारा मकानों से 2 फुट दूरी से जा रही तारों की वजह से नये बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान समय में रिठाला विधान सभा क्षेत्र के कितने आवेदन विचाराधीन हैं;

25. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

- (ग) विभाग ने पिछले 2 वर्षों में ऐसे कितने आवेदकों को कनेक्शन जारी किए हैं; और
- (घ) वर्तमान समय में टीपीडीडीएल की सम्बंधित विषय पर क्या योजना है?

ऊर्जा मंत्री :

- (क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि बिजली के कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाते हैं। निरीक्षण करने पर यदि डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 11 (2)(iv) में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो बिजली वितरण कंपनी लोड को मंजूरी नहीं देती है प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'क')

भवन और विद्युत नेटवर्क के बीच न्यूनतम दूरी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 द्वारा समय-समय पर संशोधित नियम 60 और 61 में निर्दिष्ट की गई है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'ख')

- (ख) टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि सुरक्षा के आधार पर पिछले 02 वर्षों से मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में 2031 आवेदन निलंबित है, जिनका विवरण इस प्रकार है :

जिला	19-20	20-21	टोटल
बादली	193	123	316
मंगोल पुरी	209	296	505
रोहिणी	579	631	1210
टोटल	981	1050	2031

(ग) टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि पिछले 2 वर्षों से मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में कुल 12950 नये कनेक्शन जारी किए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :

जिला	19-20	20-21	टोटल
बादली	01	01	02
मंगोलपुरी	1872	2592	4464
रोहिणी	4592	3892	8484
टोटल	6465	6485	12950

(घ) टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि सम्बंधित विषय पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य है।

(5) मौजूदा संपत्ति का पुनर्निर्माण: -

परिसर का इमारत को पूर्ण विध्वंस और पुनर्निर्माण के मामले में निम्नलिखित लागू होंगे:

- (i) मौजूदा कनेक्शन से विद्युत की आपूर्ति को उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका परिसर के मालिक/अधिभोगी/विकासकर्ता द्वारा उद्दिष्टावधि रूप से समाप्त किया जाना होगा।
- (ii) मीटर और सर्विस लाइन को निकाल दिया जाएगा और समझौता केवल लाइसेंसधारी को देय सभी देय राशि को प्राप्त करने के बाद समाप्त होगा और उसके बाद उपभोक्ता की सुरक्षा जमा राशि विधिवत नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा वापस की जाएगी।
- (iii) परिसर को मालिक, अधिभोगी, विकासकर्ता, जैसे मामला हो, अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करने और लाइसेंसधारी ऐसा अस्थायी कनेक्शन विनियमन 16 के अधीन प्रदान करेगा।
बशर्ते ऐसे सभी मामलों में अस्थायी कनेक्शन इस तरह के परिसर के लिए बकाया राशि, यदि कोई हो, का पूरी तरह से मुगलान किए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा।
- (iv) ऐसे पुनर्निर्मित परिसर या भवन को नए परिसर के रूप में माना जाएगा और उपभोक्ता को इन विनियमों के अनुसार नए कनेक्शन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।
- (v) इस तरह के पुनर्निर्मित परिसर के लिए कोई नया कनेक्शन, आवेदक द्वारा परिसर के प्रति बकाया देय राशि के विधिवत भुगतान किए जाने के बाद ही दिया जाएगा।
बशर्ते वह कि इस तरह के पुनर्निर्मित भवन का कोई मालिको द्वारा अधिभोग किया जाता है, तो पुनर्निर्मित भवन में ऐसे कोई मालिकों के लिए नए कनेक्शन (कनेक्शन) को इस रूप में माना जाएगा जैसे कि संपत्ति को विनियमन 10 (4) के रूप में उप-विभाजित किया गया है।

(6) मौजूदा संपत्ति का नवीनीकरण: -

- विनियमन 10 (5) के अधीन, धरेलू उपभोक्ता द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग की जा रही मौजूदा संपत्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अन्तर्गत धरेलू श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा:
- (i) उपभोक्ता लाइसेंसधारी को अधिभोग नोटिस देगा,
 - (ii) उपभोक्ता द्वारा इस आशय का एक बचन-पत्र दिया जाएगा कि धरिर्कृत/धरिर्कृत मौजूदा विनिर्माण उप-निर्माण के अनुसार है,

11. नया विद्युत कनेक्शन: -

लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नए कनेक्शन के लिए आवेदन को संसाधित करेगा

(1) सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना: -

- (i) आवेदक आयोग के आदेशों में अधिसूचित रूप में नए कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी के पास आवेदन करेगा।
बशर्ते यह कि अतिरिक्त उच्च तनाव या उच्च तनाव कंटेनर स्तर पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पर आयोग के आदेशों में अधिसूचित एक अतिरिक्त वजीकरण-सह-प्रसरण शुल्क लगाया जाएगा।
- (ii) आवेदक लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है।
बशर्ते यह कि 50 कीविए और उससे अधिक के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन, जब तक कि ऐसा कोई अन्य निम्नतर मान नहीं हो जैसा समक-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) यदि आवेदक अनुमोदित विनिर्देशों को अपने खुद के मीटर प्रदान करना चाहता है, तो वह आवेदन करने के समय स्पष्ट रूप से लाइसेंसधारी को सूचित करेगा।
- (iv) लाइसेंसधारी आवेदक को आवेदन पत्र में सभी कगिचों को केवल एक बार में बताएगा और बाद में कोई नई कमी नहीं उठाएगा।
- (v) यदि लाइसेंसधारी आवेदक को भीके पर उसके आवेदन में किसी भी कमी को बारे में या ऑनलाइन आवेदन के मामले में निर्धारित 2 (दो) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, सूचित करने में विफल रहता है, तो यह आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख पर स्वीकार किया गया समझा जाएगा।
- (vi) यदि आवेदक इस तरह की त्रुटियों को हटाने में विफल रहता है या कगिचों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर कगिचों हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(viii) इस विनियम के तहत सूचित कर्मियों को दूर करने पर ही आवेदन स्वीकार किया गया माना जाएगा।

(2) क्षेत्र निरीक्षण: —

(i) यदि आवेदन प्रपत्र पूरा हो गया है, तो लाइसेंसधारी, आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के समय, लिखित पावती प्रदान करते हुए आवेदक के साथ आफेंली परामर्श से आवेदक के परिसर के निरीक्षण के लिए एक तारीख और समय निर्धारित करेगा।

(ii) निरीक्षण की तिथि आवेदन स्वीकार करने की तिथि से 2 (दो) दिनों के भीतर निर्धारित की जाएगी:

बशर्त यह कि अगर आवेदक क्षेत्र निरीक्षण के लिए एक अलग तिथि और समय चाहता है, जो निर्धारित तिथि और समय से परे है, तो आवेदक द्वारा लिखा गया अतिरिक्त समय न तो कनेक्शन जारी करने के लिए लिए गए कुल समय की गणना के लिए और न ही अतिरिक्त के प्रयोजनार्थ विचार हेतु लिया जाएगा:

बशर्त यह कि यदि आवेदक चाहता है, तो वह अयोग के आदेशों में तथा अभिसूचित निरीक्षण शुरू के भुगतान पर, लाइसेंसधारी के लिए किसी छुट्टी के दिन निरीक्षण निर्धारित करवा सकता है।

(iii) लाइसेंसधारी निम्न तारीख और समय पर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में परिसर के क्षेत्र निरीक्षण करेगा।

(iv) लाइसेंसधारी को अगर निरीक्षण पर, निम्नलिखित का पता चलता है तो वह लोड की स्वीकृति नहीं देगा:

(क) आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी वास्तविक स्थिति से भिन्न है, या

(ख) स्थापना दोषपूर्ण है या

(ग) यदि उत्तराकरण किसी भी आयोग या प्राधिकरण द्वारा उनके किसी भी विनियमन या आदेश के तहत यथा निर्दिष्ट या निर्धारित अधिनियम, विस्तृत विधियों, विनियमों के उपबंध या किसी अन्य अधिका के उल्लंघन में हो।

(v) लाइसेंसधारी क्षेत्र निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों/कमियों, यदि कोई हो, के बारे में आवेदक को शीघ्र ही लिखित सूचना देगा।

(vi) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि दोष/कमियों की सूचना प्राप्त होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर सभी दोष/कमियों को दूर कर लिया जाए।

(vii) आवेदक से दोष/कमियों को दूर करने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी आवेदक के परिसर के पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेगा, जो आवेदक से दोष/कमियों को दूर कर लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों से अधिक बाद की नहीं होगी।

(viii) यदि आवेदक ऐसे दोष/कमियों को दूर करने में विफल रहता है या दोष/कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोषों को हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा:

बशर्त यह कि लाइसेंसधारी कार्य के पूरा होने के लिए आवेदक को अतिरिक्त समय दे सकता है, यदि आवेदक दोषों / कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर ही लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

(ix) यदि लाइसेंसधारी आवेदन की स्वीकृति की तिथि या स्थल संबंधी दोषों/कमियों को हटाने की सूचना मिलने की तारीख से 2 (दो) दिनों के भीतर क्षेत्र निरीक्षण/पुनः निरीक्षण करने में विफल रहता है, तो कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया लोड आवेदन की स्वीकृति की तारीख से या दोष / कमियों को हटाने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 2(दो) दिन बाद, जैसा भी मामला हो स्वीकृत किया गया माना जाएगा।

(3) लोड स्वीकृति और मांग नोट: —

(i) इस अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा किए गए उपबंधों के सिवाय, लाइसेंसधारी आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए लोड को मंजूरी देगा।

(ii) लाइसेंसधारी क्षेत्र निरीक्षण के 2 (दो) दिनों के भीतर, दोषों/कमियों को सुधार लिए जाने की शर्त के अन्वये, लागू शुल्क के लिए आवेदक को मांग नोट देगा जिसमें आवेदन जमा करने के समय, जमा किए गए पंजीकरण सट प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, के लिए समायोजन करने के बाद सेवा लाइन सट विकास (एसएलवी) प्रभार, जमानत जमा, पूर्ण भुगतान मीटर के लिए जमानत, सड़क पुनर्स्थापना प्रभार, सीकनेशन प्रभार आदि जैसे शीर्षों के अंतर्गत इसका विवरण दिया जाएगा:

‘रव’

[भाग III—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

45

(5) उच्च वोल्ट वाली डाइरेक्ट करेंट लाइनों के लिए जमीन से अंतराल नीचे दी गई ऊँचाई से कम नहीं होगा:-

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	जमीनी अंतराल (मीटर)
1.	100 के.वी.	5.1
2.	200 के.वी.	7.3
3.	300 के.वी.	8.5
4.	400 के.वी.	9.4
5.	500 के.वी.	10.6
6.	600 के.वी.	11.8
7.	800 के.वी.	13.9

(6) जमीनी अंतराल अनुसूची X के अनुसार होगा।

59. सुचालकों तथा ट्रॉली-वायरों के बीच अंतराल - (1) ट्रॉली वायर का उपयोग करने वाली ट्रॉली अथवा ट्राम-ट्रे को पार करने वाली ओवरहेड लाइनों के सुचालक-ट्रॉली वायर के ऊपर कम से कम निम्नलिखित ऊँचाई पर रहेंगे -

(i) 650 वो. तक वोल्ट वाली लाइनें - 1.2 मी.

परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ शीयरर वायर से सटवाने वाला इंसुलेटेड सुचालक ट्रॉली वायर के ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे इंसुलेटेड सुचालक के लिए न्यूनतम अंतराल 0.6 मी. होगा।

(ii) 650 वो. से अधिक और 11000 वो. तक और - 1.8 मी.
सहित वोल्ट वाली लाइनें

(iii) 11000 वो. से अधिक किन्तु 33000 वो. तक - 2.5 मी.
वोल्ट वाली लाइनें

(iv) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली लाइनें - 3.0 मी.

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में, जो भी व्यक्ति बाद में लाइन बिछाता है, वह अपनी लाइन तथा कथित उप-विनियम के अनुसार ब्रॉस होने वाली लाइन के बीच अंतराल रखेगा।

परन्तु नीचे दी गई लाइन बाद में बिछाने वाला यदि रीपार्च अंतराल रखने में असमर्थ है, तो इस उप-विनियम के अनुपालन में ऊपर की लाइन में बदलाव की लागत वहन करेगा।

60. 650 वो. से अधिक वोल्ट की लाइनों और सर्विस लाइनों की इमारतों से, दूरी - (1) ओवरहेड लाइन जहाँ तक संभव हो, किसी मौजूदा भवन के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई भी इमारत नहीं बनाई जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहाँ 650 वो. से कम वोल्ट की कोई ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या पास से गुजरती है अथवा समाप्त होती है, किसी भी पहुंच बिन्दु से, अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अंतराल रखा जाएगा, अर्थात्: -

(i) किसी भी सपाट छत, खुली बालकनी, बराम्दा, छत और झुकी हुई छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, उच्चतम बिन्दु से सम्भवत दूरी 2.5 मी.; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, सबसे नजदीक के बिन्दु से समानांतर दूरी 1.2 मी.; और

(ii) ढलवाँ छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन के तत्काल नीचे से 2.5 मी. की सम्भवत दूरी; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, 1.2 मी. का अंतराल।

(3) कोई सुचालक, जो इस प्रकार लगाया है कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 कि.ग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुले बीयरर बायर से पर्याप्त अंतरालों पर जुड़ा होगा।

(4) समानांतर दूरी तब नापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण सम्भवत से अधिकतम विचलन पर हो।

(5) सम्भवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना, चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी, सम्मिलित है।

61. 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइनों की इमारतों से दूरी - (1) ओवरहेड लाइन जहाँ तक संभव हो मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहाँ 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊँचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर सम्भवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

(i) 650 वो. से अधिक किन्तु 33,000 वो. - 3.7 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली

लाइन के लिए

- (ii) 33 के.बी. से अधिक वोल्ट वाली - 3.7 मी. + 0.30
लाइन के लिए मी. प्रत्येक
अतिरिक्त 33,000
वो. या इसके भाग
के लिए

(3) सबसे नजदीकी सुचालक और ऐसी इमारत के बीच की समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार, निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

- (i) 650 वो. से अधिक और 11,000 वो. तक और सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए 1.2 मी.
(ii) 11000 वो. से अधिक और 33,000 वो. तक और सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए 2.0 मी.
(iii) 33 के.बी. वोल्ट से अधिक वाली लाइन के लिए 2.0 मी. + 0.3 मी.
प्रत्येक अतिरिक्त 33 के.बी.
अथवा इसके भाग के लिए

(4) उच्च वोल्ट वाली डाफरेन्ट करेंट (एचवीडीसी) प्रणाली के लिए, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर इमारत से लम्बवत दूरी और समानांतर दूरी इस प्रकार रखी जाएगी:-

क्र.सं.	खीरी वोल्ट (के.बी.)	लम्बवत दूरी (मीटर)	समानांतर दूरी (मीटर)
1	100 के.बी.	4.6	2.9
2	200 के.बी.	5.8	4.1
3	300 के.बी.	7.0	5.3
4	400 के.बी.	7.9	6.2
5	500 के.बी.	9.1	7.4
6	600 के.बी.	10.3	8.6
7	800 के.बी.	12.4	10.7

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में निर्धारित दूरी के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी, को सम्मिलित माना जाएगा।

62. एक ही अवलम्ब पर भिन्न-भिन्न वोल्ट वाले सुचालक - ऐसे मामले में जहां एक ही प्रणाली के अलग-अलग वोल्ट वाले सुचालक एक ही अवलम्ब पर लगाए गए हैं, इनका स्वामी, कम वोल्ट वाली प्रणाली के काम करने के लिए आवश्यक वोल्ट से अधिक आवेशित होने से उत्पन्न खतरों से लाइनमैन और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, प्रणाली का यह अधिक आवेशन उच्च प्रणाली से लीकेज या संपर्क होने और निर्माण के पैटर्न के कारण हो सकता है। दो प्रणालियों के सुचालकों के बीच बनाए रखने योग्य न्यूनतम दूरी, एक-दूसरे को क्रॉस करने वाली लाइनों के संबंध में विनियम 69 में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।
63. इमारतों, अवसंरचनाओं, फ्लड बैंक (तटबंध) और पक्कों के उठान या निर्माण या इनमें फेरबदल - (1) ओवरहेड लाइन चाहे वह इंसुलेटिंग पदार्थ से आवेशित हों या न हों, खड़ी करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति नई इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक बनाना चाहता है या किसी रोड की सतह को उठाना चाहता है अथवा किसी अन्य प्रकार का कार्य, चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी कराना चाहता है या किसी इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक अथवा रोड में या इनके ऊपर स्थाई अथवा अस्थायी विस्तार या फेरबदल करना चाहता, वह ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना, आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को देगा और इसके साथ प्रस्तावित इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक (तटबंध), सड़क अथवा विस्तार या फेरबदल और निर्माण के दौरान अपेक्षित ढांचे को दर्शाने वाला पैमाने सहित नक्शा उपलब्ध कराएगा।
 - (2) ऐसी सूचना मिलने पर आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी नीचे दी गई जांच करेगा -
 - (i) क्या संदर्भित लाइन इन विनियमों और अन्य कानूनों के अनुसार बिछाई गई थी;
 - (ii) क्या यह तकनीकी रूप से व्यवहारिक है;
 - (iii) क्या यह मार्ग का अधिकार (आवरोधव्यू) की आवश्यकता पूरी करता है;
 - (iv) क्या यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि ऐसा है, तो इस व्यक्ति को ओवरहेड लाइन के फेरबदल पर होने वाले संभावित व्यय की लागत के प्राक्कलन के साथ एक नोटिस बिना किसी देशी के भेजे और नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अनुमानित लागत की राशि आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी के पास जमा करने को कहें।
 - (3) यदि यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की आपूर्तिवर्ता अथवा स्वामी द्वारा आंकी गई लागत को और यहां तक कि इस लागत के भुगतान के संबंध में दायित्व को चुनौती देता है, तो विवाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा और उसका फैसला अंतिम होगा।
 - (4) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर निम्नलिखित के आधार पर ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का आकलन करेगा, अर्थात् -

137. श्री अजय कुमार महावर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली में किरायेदारों को उनके नाम से अब तक कितने बिजली के मीटर आवंटित किये गये हैं;
- (ख) कितना रेवेन्यू फिक्स चार्ज के माध्यम से अर्जित किया गया है और कुल कितना रेवेन्यू दिल्ली सरकार के पास बिजली विभाग से आया है तथा उसमें से कितनी सब्सिडी सरकार ने बिजली विभाग से जनता को दी है; और
- (ग) पिछले दोनों कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान बिजली विभाग ने बन्द कॉमर्शियल व्यवसायों से फिक्स चार्ज के रूप में कितना रेवेन्यू संग्रह किया?

ऊर्जा मंत्री :

- (क) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि दिल्ली में किरायेदारों को आवंटित बिजली मीटरों की संख्या इस प्रकार है :

बीआरपीएल	400
टीवाईपीएल	285
टीपीडीडीएल	208

- (ख) पिछले तीन वर्षों की सूचना इस प्रकार है (करोड़ रुपये में)

वर्ष	अर्जित फिक्सड चार्जेज	बिजली विभाग का रेवेन्यु	बिजली विभाग से जनता को दी गई सब्सिडी
20-21	3217	30.07	2939.99
19-20	3867	87.10	2405.59
18-19	4502	64.57	1699.29

(ग) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लॉकडाउन के दौरान संग्रहित कॉमर्शियल फिक्सड चार्जेज इस प्रकार है (करोड़ रुपये में)

	अप्रैल 2020 से जून 2020	अप्रैल 2021 से जून 2021
बीआरपीएल	197.80	188.10
बीवाईपीएल	91.00	109.70
टीपीडीडीएल	146.13	202.29

138. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट डिस्कॉम द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में आज तक फिक्सड चार्जेस के रूप में जनता से कितनी राशि वसूली गई है;

- (ख) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों ने सरचार्ज, पेंशन फंड, पीपीएसी चार्ज और अन्य चार्ज और टैक्स के रूप में जनता से कितनी वसूली की है; और
- (ग) इस अवधि के दौरान इन कंपनियों ने एनर्जी चार्ज के रूप में जनता से कितनी राशि वसूली की है?

ऊर्जा मंत्री :

- (क) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दी गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक 'क')
- (ख) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दी गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक 'ख')
- (ग) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दी गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक 'ग')

Financial year	DETAILS OF FIXED CHARGES (Rs. In Cr.) (Approx.)		
	BYPL	BRPL	TPDDL
2015-16	373	613	478
2016-17	381	626	477
2017-18	433	731	535
2018-19	1103	1976	1423
2019-20	947	1653	1267
2020-21	778	1368	1071

Financial year	DETAILS OF FIXED CHARGES (Rs. In Cr.) (Approx.) PAID BY DISCOMs TO GENERATION COMPANIES		
	BYPL	BRPL	TPDDL
2015-16	943	7520	1682
2016-17	1046	6818	1726
2017-18	1024	7485	1554
2018-19	1036	9041	1317
2019-20	1240	8561	2127
2020-21	1007	8030	1804


28/7/2021

'24'

Financial year	DETAILS OF PENSION SURCHARGE (Rs. In Cr.) (Approx.)		
	BYPL	BRPL	TPDDL
2017-18	78	143	114
2018-19	182	344	256
2019-20	180	348	256
2020-21	175	339	262

Financial year	DETAILS OF RA SURCHARGE (Rs. In Cr.) (Approx.)		
	BYPL	BRPL	TPDDL
2015-16	332	619	474
2016-17	353	648	491
2017-18	376	686	516
2018-19	383	726	539
2019-20	380	732	538
2020-21	316	614	472

Financial year	DETAILS OF ELECTRICITY TAX (Rs. In Cr.) (Approx.)		
	BYPL	BRPL	TPDDL
2015-16	199	380	293
2016-17	203	385	298
2017-18	218	405	311
2018-19	191	365	287
2019-20	199	388	310
2020-21	176	340	274

Financial year	DETAILS OF PPAC (Rs. In Cr.) (Approx.)		
	BYPL	BRPL	TPDDL
2015-16	178	331	174
2016-17	4	8	2
2017-18	0	0	0
2018-19	121	207	158
2019-20	189	459	496
2020-21	344	734	495


 28/7/2021

Financial year	DETAILS OF ENERGY CHARGES (Rs. In Cr.) (Approx.)		
	BYPL	BRPL	TPDDL
2015-16	3767	7096	5396
2016-17	4022	7455	5629
2017-18	4265	7741	5879
2018-19	3690	7003	5283
2019-20	3750	7256	5448
2020-21	3132	6017	4810


28/7/2021

139. श्री अभय वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 06 सालों में हर साल दिल्ली में निजी बिजली कम्पनियों को सब्सिडी के रूप में कितनी धनराशि दी गई है, कृपया ब्यौरा उपलब्ध करायें

ऊर्जा मंत्री :

(क) पिछले 06 सालों में निजी बिजली कम्पनियों को दी गई सब्सिडी का ब्यौरा इस प्रकार से है :

(करोड़ रुपये में)

	बीवाईपीएल	बीआरपीएल	टीपीडीडीएल	कुल
2015-16	375.60	651.60	399.96	1427.16
2016-17	460.87	640.35	473.72	1574.94
2017-18	468.04	720.09	484.08	1672.21
2018-19	419.47	778.93	492.89	1691.29
2019-20	641.02	1068.86	669.34	2379.22
2020-21	797.18	1311.63	801.18	2909.99
2021-22	206.90	306.70	241.10	754.70
(जून 21 तक)				
कुल	3369.08	5478.16	3562.27	12409.51

140. श्री जितेंद्र महाजन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले सात वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों की कितनी धनराशि सब्सिडी के रूप में दी गई है वर्षवार ब्यौरा दें;
- (ख) बिजली वितरण कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स सरकार द्वारा कब तक की जांच करवाई जा चुकी है;
- (ग) पिछले पांच वर्षों में बिजली कंपनियों के द्वारा फिक्सड चार्ज के रूप में कितना पैसा अर्जित किया गया है, वर्षवार विवरण दें;
- (घ) शार्ट सर्किट से पिछले 5 वर्षों में कितनी आग लगी है और सरकार द्वारा आम जनता को कितना मुआवजा दिया गया है;
- (ङ) इस आग से कॉमर्शियल प्रापर्टी तथा आवासीय भूमि पर हुए नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है; और
- (च) विगत 5 वर्षों में इस सम्बन्ध में कॉमर्शियल तथा आवासीय भूमि पर कितना मुआवजा दिया गया, अलग-अलग जानकारी दें?

ऊर्जा मंत्री :

- (क) पिछले सात वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को दी गई सब्सिडी का वर्षवार ब्यौरा संलग्न है। (संलग्नक 'क')
- (ख) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि दिल्ली विद्युत विनायामक आयोग द्वारा कम्पनियों के अकाउंट का टूरू-अप वर्ष

2018-19 तक कर दिया गया है। बिजली वितरण कम्पनियों के सीएजी ऑडिट का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(ग) पिछले पांच वर्षों में बिजली कंपनियों के द्वारा फिक्सड चार्ज के रूप में अर्जित किये गये पैसे का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	बीवाईपीएल	बीआरपीएल	टीपीडीडीएल
2016-17	381	626	477
2017-18	433	731	535
2018-19	1103	1976	1423
2019-20	947	1653	1267
2020-21	778	1368	1071
टोटल	3642	6354	4773

(घ) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि शार्ट सर्किट से उनके लाईसेंसी क्षेत्र में कोई आग नहीं लगी है ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में जनता को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ङ) उर्जा विभाग में कॉमर्शियल प्रापर्टी तथा आवासीय भूमि पर हुए नुक्सान की भरपाई के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सूचित किया गया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161, दुर्घटनाओं और पूछताछ

की सूचना से संबंधित है इसके अलावा, डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 79 के अनुसार यदि कोई विद्युत दुर्घटना घातक, गंभीर या गोण, उपभोक्ता के संस्थापन के भीतर घटित होती है, उपभोक्ता आपूर्ति तत्काल बंद करेगा तथा उस मामले की रिपोर्ट लाइसेंसधारी को देगा, जो तत्काल विद्युत निरीक्षक को सूचित करेगा प्रतिलिपि संलग्न है (सलग्नक 'ख')

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

Details of Subsidy released to DISCOMs
(Rs In Crore)

YEAR/DISCOM	BYPL	BRPL	TPDDL	NDMC	MES	TOTAL
2014-15	77.33	126.24	88.37	-----	-----	291.94
2015-16	375.60	651.60	399.96	15.5961968	-----	1442.7561968
2016-17	460.87	640.35	473.72	3.00	-----	1577.94
2017-18	468.04	720.09	484.08	4.49	-----	1676.70
2018-19	419.47	778.93	492.89	8.00	-----	1699.29
2019-20	641.02	1068.86	669.34	11.75	14.62	2405.59
2020-21	797.18	1311.63	801.18	15.00	15.00	2939.99
2021-22	206.90	306.70	241.10	4.00	4.00	762.70
Total	3446.41	5604.40	3650.64	61.8361968	33.62	12796.9061968

lines.

lines, electrical plant and other works and in working his system, so as not injuriously to affect, whether by induction or otherwise, the working of any wire or line used for the purpose of telegraphic, telephone or electric signalling communication, or the currents in such wire or line.

(2) Where any difference or dispute arises between the operator, and the telegraph authority as to whether the operator has constructed, laid down or placed his electric lines, electrical plant or other works, or worked his system, in contravention of sub-section (1), or as to whether the working of any wire, line or current is or is not injuriously affected thereby, the matter shall be referred to the Central Government and the Central Government, unless it is of opinion that the wire or line has been placed in unreasonable proximity to the electric lines, electrical plant or works of the operator after the construction of such lines, plant or works, may direct the operator to make such alterations in, or additions to, his system as may be necessary in order to comply with the provisions of this section, and the operator shall make such alterations or additions accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the repair, renewal or amendment of any electric line or electrical plant so long as the course of the electric line or electrical plant and the amount and nature of the electricity transmitted thereby are not altered.

(3) Where the operator makes default in complying with the requirements of this section, he shall make full compensation for any loss or damage incurred by reason thereof, and, where any difference or dispute arises as to the amount of such compensation, the matter shall be determined by arbitration.

Explanation. - For the purposes of this section, a telegraph line shall be deemed to be injuriously affected if telegraphic, telephonic or electric signalling communication by means of such line is, whether through induction or otherwise, prejudicially interfered with by an electric line, electrical plant or other work or by any use made thereof.

Notice of accidents and inquiries.

161. (1) If any accident occurs in connection with the generation, transmission, distribution, supply or use of electricity in or in connection with, any part of the electric lines or electrical plant of any person and the accident results or is likely to have resulted in loss of human or animal life or in any injury to a human being or an animal, such person shall give notice of the occurrence and of any such loss or injury actually caused by the accident, in such form and within such time as may be prescribed, to the Electrical Inspector or such other person as aforesaid and to such other authorities as the Appropriate Government may by general or special order, direct.

(2) The Appropriate Government may, if it thinks fit, require any Electrical Inspector, or any other person appointed by it in this behalf, to inquire and report-

(a) as to the cause of any accident affecting the safety of the public, which may have been occasioned by or in connection with, the generation, transmission, distribution, supply or use of electricity, or

(b) as to the manner in, and extent to, which the provisions of this Act or rules and regulations made thereunder or of any licence, so far as those provisions affect the safety of any person, have been complied with.

(3) Every Electrical Inspector or other person holding an inquiry under sub-section (2) shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects, and every person required by an Electrical Inspector to be legally bound to do so within the meaning of section 176 of the Indian Penal Code.

5 of 1908.

45 of 1880.

DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017

(iv) If sent through electronic mode- date after 24 hours of sending.

(3) The responsibility of showing the proof that order/notice has been issued shall be of the Licensee.

79. Accident at the installation of the consumer:-

- (1) If any electrical accident; fatal, serious or minor, occurs within the installation of the consumer or from the service line to his installation, the consumer shall immediately switch off the supply and report the matter to the Licensee who shall inform the Electrical Inspector forthwith.
- (2) In the event of any defect or leakage of energy being detected in the installation of the consumer or in any apparatus connected to it, the same shall be disconnected forthwith.
- (3) The Licensee may disconnect the supply until the defects are rectified, giving simultaneous intimation to the consumer and the Electrical Inspector.
- (4) The installation of the consumer shall be reconnected by the Licensee only under intimation to the Electrical Inspector.

80. Demand Side Management:-

It shall be the duty of the consumer to stop wastage and inefficient use of electricity and to extend necessary cooperation to the Licensee in implementation of the programme that may be launched by the Licensee for demand side management.

81. Applicants/Consumers covered under Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014:-

Notwithstanding anything to the contrary contained in Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014 and amendments thereof, the applicant/consumer shall be governed by the provisions of Delhi Electricity Regulatory

141. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 2021-22 में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा विधान सभा अनुसार कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है;
- (ख) क्या सत्य है कि गत वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत अधिकतर लोगों के आवेदन पत्र या तो निरस्त कर दिये गये हैं या अभी तक लंबित पड़े हैं;
- (ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन लोगों की पेंशन कब तक चालू कर दी जायेगी; और
- (घ) वर्ष 2021-22 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से शुरू की जा रही है।

माननीय समाज कल्याण मंत्री :

- (क) वर्ष 2021-22 में वृद्धावस्था पेंशन हेतु कुल 1474 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

वर्तमान में विधान सभा अनुसार वृद्धावस्था पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 902 करोड़ रुपये विधवा पेंशन के मद में निर्धारित किये गये हैं। विधानसभावार विधवा पेंशन देने का

कोई प्रावधान नहीं है। जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं तथा संबंधित जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, उन सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है।

- (ख) गत वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन हेतु करावल नगर में कुल 500 फार्म जमा हुये जिनमें 423 फार्म स्वीकृत हुये हैं।
- (ग) जिला कार्यालय उत्तर-पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन का कोई भी फार्म लंबित नहीं है।
- (घ) वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है। किन्तु उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या की क्षमता सीमा (Capping Limit) 5.30 लाख निर्धारित है। वर्तमान में पेंशन हेतु रिक्तियों की गणना की जा रही है। रिक्तियों के आधार पर नये आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

142. सुश्री भावना गौड़ : क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल कितनी विकलांग पेंशन स्वीकृत की गई है और उनका ब्यौरा क्या है;
- (ख) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक कुल कितनी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है और उनका ब्यौरा क्या है;

- (ग) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक कुल कितनी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है और उनका ब्यौरा क्या है;
- (घ) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक कुल कितनी लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उनका ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में निराश्रित अथवा तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है; और;
- (च) यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री :

- (क) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक कुल 699 विकलांग पेंशन स्वीकृत की गई है। ब्यौरा CD में संलग्न है।²⁶
- (ख) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2015 से लेकर 23 जून 2021 तक विधवा पेंशन के कुल 2247 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।
- (ग) वर्ष 2017 से पहले दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना में विधान सभा क्षेत्रानुसार आँकड़े नहीं रखे जाते थे। इसलिये मार्च 2015 से लेकर

26. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

2017 तक पालम विधान सभा क्षेत्र के आँकड़े विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं।

फरवरी 2017 से लेकर अब तक दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कुल 486 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। **ब्यौरा CD में संलग्न है।²⁷**

(घ) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च 2015 से लेकर कुल 159 विधवा महिलाओं की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है :

विवरण निम्नलिखित है :

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक : 32 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक : 24 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक : 22 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक : 17 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2019 मार्च 2020 तक : 25 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक : 30 आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2021 से जून 2021 तक : 09 आवेदन स्वीकृत

कुल 159

27. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

(ड) जी हाँ, यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

(च) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च 2015 से लेकर 12 दिसम्बर 2018 तक कुल 36 निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

विवरण निम्नलिखित है :

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक : 01 निराश्रित एवं 07 तलाकशुदा महिलाओं के आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक : 01 निराश्रित एवं 10 तलाकशुदा महिलाओं के आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक : 04 निराश्रित एवं 07 तलाकशुदा महिलाओं के आवेदन स्वीकृत

अप्रैल 2018 से 12 दिसम्बर 2018 तक : 02 निराश्रित एवं 04 तलाकशुदा महिलाओं के आवेदन स्वीकृत

कुल 36

*12 दिसम्बर 2018 से विधवा पेंशन के आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकृत किये जाते हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अलग-अलग वर्ग का विवरण उपलब्ध नहीं है।

143. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 के बाद से नये आवेदन लेने बन्द कर दिए हैं; और
- (ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना के पुनः आवेदन कब से शुरू होंगे, पूर्ण विवरण दें?

माननीय समाज कल्याण मंत्री :

- (क) वृद्धावस्था पेंशन योजना में जहाँ रिक्तियाँ उपलब्ध हैं वहाँ ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे हैं।
- (ख) यह एक नीतिगत मामला है जिसका निर्णय मंत्रीमंडल द्वारा लिया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित है जो कि वर्तमान में 5.30 लाख है। वर्तमान क्षमता सीमा (capping) के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों का सही आंकलन कर लेने के पश्चात् नये आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे।

144. सुश्री भावना गौड़ : क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या काफी समय से अपने पतियों से अलग रह रही महिलाओं जिनके पास इसका कोई प्रमाण/एफआईआर नहीं है, उन्हें सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित पेंशन दिए जाने का कोई प्रावधान है।

- (ख) 40 से 50 वर्ष के मध्य की आयु वाली उन अविवाहित महिलाओं को जिनके पास अपने माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है, क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें निराश्रित पेंशन दिए जाने का कोई प्रावधान है;
- (ग) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता जीवित नहीं है, क्या उनके अभिभावक उन बच्चों के लिए निराश्रित पेंशन आवेदन कर सकते हैं, और
- (घ) जिन अशिक्षित लड़कियों के माता-पिता जीवित नहीं है, क्या वे लड़कियां भी समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली निराश्रित पेंशन की पात्र हैं?

माननीय समाज कल्याण मंत्री :

- (क) जी हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा, पृथक एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के तहत वो महिलाएं जो अपने पतियों से अलग रह रही है यदि उनके पास इससे सम्बंधित कोई दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया (महिला के विरुद्ध अपराध कक्ष, परिवार परामर्श केंद्र, दिल्ली महिला आयोग व महिला पंचायत इत्यादि) के तहत आने वाला कोई भी दस्तावेज या शिकायत पत्र होना अनिवार्य है अन्यथा योजना के अंतर्गत योग्यता स्थापित नहीं हो सकती।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा संचालित विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए 40 से 50 वर्ष के मध्य आयु की महिलाओं के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है।

योजना की अधिसूचना के नियम संख्या (2) के अनुसार 18 वर्ष से जीवन पर्यंत तक की आयु समूह की उन विधवाओं/विवाह विच्छेद/तलाकशुदा/अलग/असहाय या परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है जिनके पास कोई भी पर्याप्त निर्वाह के साधन नहीं हैं और वे निर्धन जरूरतमंद और असुरक्षित हैं।

(ग) नहीं, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उनके लिए पेंशन का प्रावधान है।

(घ) महिला एवं बाल विकास विभाग के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा 18 एवं उससे अधिक वर्ष की विधवा, तलाकशुदा, पृथक एवं निराश्रित महिलायें जो भले ही शिक्षित हों या अशिक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर हों, को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

145. श्री संजीव झा : क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कितने विधवा पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन लंबित है और उनका कारण क्या है;

- (ग) आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाती है;
- (घ) यदि विभाग को किसी प्राप्त आवेदन में कोई त्रुटी मिलती है तो कितने समय में आवेदक को सूचित कर दिया जाता है; और
- (ङ) क्या यह सत्य है कि जिन मामलों में विभाग की ओर से आपत्ति लगाई जाती है उनको आवेदक द्वारा पुनः सही कर देने के बाद भी 06 महीनों का समय लग जाता है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) आर्थिक सहायता अनुभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 01/04/2020 से 22/07/2021 के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधवा पेंशन के कुल 1285 आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आर्थिक सहायता अनुभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 01/04/2020 से 22/07/2021 के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधवा पेंशन के 93 आवेदन वर्तमान में मुख्यतः निम्न कारणों से लंबित है :

1. ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा समस्त वांछित दस्तावेजों का एकसाथ संलग्न न करना।
2. कार्यालय द्वारा आवेदन में कमी होने पर आपत्ति लगाने पर आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में देरी करना।

(ग) सम्पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पर कार्यालय द्वारा नियमानुसार 45 दिन के अंदर आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जाता है।

- (घ) कार्यालय द्वारा आवेदन पर आपत्ति लगाने पर आवेदक को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा तुरन्त एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाती है।
- (ङ) नहीं, यह सत्य नहीं है। सम्पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पर कार्यालय द्वारा नियमानुसार 45 दिन के अंदर आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जाता है।

146. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) घर घर वितरण योजना के अंतर्गत विधवा/संकटग्रस्त महिला पेंशन योजना विभाग द्वारा कब से शुरू कर दी जाएगी?

माननीय समाज कल्याण मंत्री :

- (क) घर घर वितरण योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पेंशन योजना में लागू नहीं है। विभाग के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा, पृथक एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता का आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।

147. श्री महेंद्र गोयल : क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले दिनों दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या था;

- (ख) क्या पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने से प्रदूषण की मात्रा हर वर्ष बढ़ जाती है;
- (ग) पिछले 4 वर्षों में पड़ोसी राज्यों से बढ़ने वाले प्रदूषण की औसत क्या मात्रा रही, वर्ष के अनुसार बताएं;
- (घ) क्या विभाग द्वारा पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने पर रोक लगाने हेतु कोई प्रयास किया गया है;
- (ङ) दिल्ली में प्रदूषण का कितना प्रतिशत पड़ोसी राज्यों के कारण है;
- (च) क्या यह भी सत्य है कि प्रदूषण के नाम पर एनजीटी द्वारा छोटे व मझोले व्यापारियों के मनमाने चालान किए जा रहे हैं;
- (छ) एनजीटी ने पड़ोसी राज्यों में पिछले एक वर्ष में कितने चालान किए या नोटिस दिए, पूर्ण जानकारी दी जाये; और
- (ज) पिछले एक वर्ष में किस-किस सरकारी विभाग ने कितने हरे पेड़ काटे, विभागानुसार सूची उपलब्ध करायी जाये व कुल कितने वृक्ष लगाये गये पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

माननीय पर्यावरण मंत्री :

- (क) पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण स्तर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

मई और जून 2021 में क्रमशः 06 और 05 संतोषजनक दिनों की तुलना में, जुलाई 2021 में प्रदूषण की दृष्टि से 14 दिन संतोषजनक रहे।

विभिन्न विभागों के लगातार प्रयासों से 2021 में वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता मुख्य रूप से संतोषजनक से लेकर सामान्य बनी रही।

प्रदूषण स्रोत विभाजन के विभिन्न अध्ययनों के अनुसार दिल्ली में सामान्य रूप से वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं-वाहनों से होने वाला प्रदूषण, सड़क पुनर्निर्माण धूल और अन्य प्रकार की धूल-मिट्टी से होने वाला प्रदूषण।

(ख) जी हाँ।

(ग)से(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री (पर्यावरण) ने 26.09.2020 को भारत सरकार के माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में पराली जलाये जाने की रोकथाम और आईएआरआई बायो डी-कंपोजर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिये आवश्यक हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध किया है। इसका वर्षवार प्राथमिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)** में याचिका देकर अन्य एनसीआर राज्यों को पराली डि-कंपोज के लिये आईएआरआई पूसा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की सलाह देने का आग्रह किया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को पूसा प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता की जांच के लिये

तीसरे पक्ष द्वारा अध्ययन कराये जाने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार का विकास विभाग इस दिशा में आवश्यक समन्वय कर रहा है।

- (च) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओ ए 697/2018 शीर्षक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन, लक्ष्मी नगर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा, ओ ए संख्या 630/2018, शीर्षक डॉ अरुण कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 18.01.2019 द्वारा, और ओ ए संख्या 700/2018 शीर्षक मोहम्मद सलीम, सचिव दिल्ली विकास मंच, सीलमपुर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 31.01.2019 द्वारा पर्यावरण के नुकसान की वसूली का सिद्धांत लागू करने का निर्देश दिया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से विकसित फार्मूले के आधार पर इसे लागू किया जा रहा है।
- (छ) इस बारे में विभाग के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- (ज) वृक्ष काटे जाने और लगाये जाने के बारे में जानकारी अनुलग्नक में दी गयी है। अनुलग्नक-ए और अनुलग्नक-बी।

अनुसूचक ए

SN	Name of Govt. Department	अनुसूचक अ No. of trees felled/ transplanted
1	BSES	153
2	Central Public Work Deptt.	464
3	Central Reserve Police Force	80
4	Delhi Development Authority	58
5	Delhi Jal Board	1434
6	Delhi Pollution Control Committee	19
7	Delhi Transport Corporation	9
8	University of Delhi	7
9	Delhi Urban Shelter Improvement Board	9
10	Directorate of Training & Technical Education	275
11	National Capital Region Transport Corporation	1943
12	O/o the Ministry of Home Affairs of India	3
13	O/o Cabinet Sec.	5
14	Dr. R.M.L. Hospital (Under Central Govt.)	60
15	LN Hospital (Under Delhi Govt.)	36
16	Indian Oil Corporation Ltd.	2
17	Municipal Corporation of Delhi	45
18	National Building Construction Corporation (Ind.) Ltd.	1335
19	Public Works Department GNCTD	178
20	Northern Railway	167
21	South Asian University (SAARC)	372
22	Unique Identification Authority of India	9
23	POST Office, Dilshad Garden	4
24	Directorate of Sports	76
25	Indian Agricultural Research Institute	47
26	Airforce	7
27	CRPF	9
28	Central Board of Secondary Education	7
	Total	6813


 Kaushal Kishore
 Dy. Secretary (Env)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Sectt., Delhi

अनुसूचक बी

Grooming Agency	Revised Target Allotted during 2020-2021		Mar-21 Achievement During March 2021		Achievement Upto March 2021	
	Trees	Shrubs	Trees	Shrubs	Trees	Shrubs
1 Forest Department						
North Division-	5,00,000		400		77753	
West Division-			0		114780	
South Division-			0		56,516	
F.T.F.-			0		3,00,000	
Sub Total (A)	5,00,000		400		548,259	
2 DDA	3,40,000	6,00,000	0	0	255217	526825
South East-						
South West-						
Landscape-						
Sub Total (B)	3,40,000	6,00,000	0	0	255217	526825
3 MCD						
South MCD -	10,000	50,000	0	0	28,533	71,045
North MCD -	10,000	30,000	760	2,400	27,330	37,756
East MCD -	10,000	60,000	2,095	4,313	18,588	43,365
Sub Total (C)	60,000	1,40,000	2,865	6,803	74,451	1,51,966
4 Education Department	70,000	30,000	0	0	24,117	57,438
5 DSHDC	40,000	23,000	0	0	10,416	8,599
6 Delhi Urban Shelter Improvement Board	400	600	0	0	780	23,000
7 Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)	10,000		0		2,564	
8 NDPL (TATA Power DDL)	10,000		0		19,856	
9 RSES	15,000		0		30,023	
10 PWD (NCT Delhi)	10,000	2,90,000	0	0	16,910	4,89,594
11 C.P.W.D.						
Delhi Region-	40,000	60,000				
New Delhi Region-			0	0	36,892	31,018
12 Health Department	Nil	Nil	0	0	0	0
13 N.D.M.C.	8000	0	0	13,206	3,522	1,29,578
14 Delhi Jal Board	30,000	40,000	0	0	12,755	56,644
15 Northern Railways	30,000	10,000	0	0	44,759	0
16 DTC	2000			0		8,413
17 Deptt. of Env. (Hort.)	8000	2000	0	0	15,318	0
18 Delhi Cantonment Board	10,000	20,000	2	462	98	7,223
Sub Total (D)	3,83,400	4,75,600	8	10,667	2,26,278	7,96,846
Total (A+B+C+D)	11,83,400	12,15,600	3,273	17,465	11,64,597	14,75,637
(Trees + Shrubs) Total (X)	23,99,000		20,738		25,80,144	
Free Distribution of Saplings						
Forest Department						
North	500000		6029		1,63,447	
West			80		1,83,489	
South			648		55,251	
Total for Forest Department			6757		4,02,187	
Delhi Parks and Garden Society	2,50,000		8,003		2,58,491	
Total Species Distribution (Y)	7,50,000		34,760		6,60,678	
(Trees + Shrubs + Free Dist.)	31,49,000		35,498		32,40,822	
Grand Total (X+Y)						

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi South, Delhi

148. श्रीमती वंदना कुमारी : क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि एमसीडी, डीडीए और पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेड़ों का रख-रखाव ठीक से न होने के कारण स्थिति अत्यंत दयनीय और खतरनाक बनी हुई है;
- (ख) पेड़ों के संरक्षण व रख-रखाव को लेकर इन तीनों संस्थाओं की क्या कार्यनीति है;
- (ग) पिछले पाँच सालों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इन तीनों संस्थाओं द्वारा क्या कार्य किए गए हैं;
- (घ) क्या यह सत्य है कि ठीक से रखरखाव न होने का कारण पेड़ों के गिरने से जान-माल की भारी क्षति होती है; और
- (ङ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय पर्यावरण मंत्री :

- (क) यह सत्य नहीं है।

इन सभी विभागों द्वारा सड़क किनारे वृक्षों की अच्छी तरह देख-भाल और रख-रखाव किया जा रहा है।

- (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

वृक्षों का समुचित संरक्षण और रख-रखाव किया जा रहा है।

आवश्यकतानुसार पेड़ों की कटाई-छंटाई और सिंचाई नियमित रूप से की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)

पेड़ों के संरक्षण और समुचित रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग द्वारा नियमित रूप से खाद-पानी देने, कटाई छंटाई और किसी प्रकार के रोग से बचाने की नीति अपनाई जाती है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

- * पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बागवानी विभाग पेड़ों के संरक्षण और देख-भाल के लिए नई दिल्ली वन अधिनियम 1994 के तहत नियमों का अनुपालन कर रहा है।
- * माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार पेड़ों के चारों ओर की कंक्रीट हटाई गई है और यदि आसपास कंक्रीट पाई जाती है तो उसे भी हटा दिया जाता है।
- * पेड़ों के बड़े हो जाने पर उनकी सुरक्षा के लिए लगा ट्री-गार्ड हटा दिया जाता है तथा कील और अन्य अनधिकृत चीजें भी हटाई जाती हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उत्तरी नगर-निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पेड़ों का संरक्षण और देख-भाल विभागों के संसाधनों का उपयोग करते हुए बागवानी विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

पेड़ों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए नगर-निगम आवश्यकता अनुसार सिचाई का प्रबंध करता है और जहां आवश्यक हो वृक्षों की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड की व्यवस्था की जाती है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

पिछले पांच वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

दिल्ली में बाढ़ की आशंका वाले समतल क्षेत्र के सुधार के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इसके तहत पेड़ और पौधे लगाए जा रहे हैं और जलाशय बनाए जा रहे हैं। यमुना नदी के किनारे से संबंधित दस परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है और बाकी का जारी है।

डीडीए अपने पार्क और पौध रोपण कार्यों का वार्षिक लक्ष्य प्रणालीबद्ध ढंग से नियोजित कर रहा है। इसके बारे में नियमित रूप से दिल्ली वन विभाग को सूचित किया जाता है।

डीडीए पार्कों से निकलने वाले हरित कचरे से वर्मी कम्पोस्ट बनाया जाता है ताकि प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा हो सके। बनाई गई खाद का उपयोग पार्कों में किया जाता है।

डीडीए की योजना के अनुसार बोरवैल से पानी का उपभोग कम करने के लिए अवजल उपचार संयंत्रों (STPs) के पानी के पुन

उपयोग की योजना बनाई जा रही है। 94 पार्कों में यह प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। डीडीए के लगभग 100 पार्क विकेन्द्रीकृत अवजल उपचार संयंत्र (STP) के गंदे पानी का पुनः उपयोग व जिससे जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा होगा।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)

लोक निर्माण विभाग द्वारा पेड़ों के रख-रखाव के तहत बागवानी गतिविधियां जैसे खाद-पानी देना, समय से कटाई-छंटाई करना तथा रोगों और कीटों से संरक्षण जैसी गतिविधियां आती हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

1. आईएआरआई पूसा द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की गई।
2. पुराने हो चुके और दीमक के कारण कमजोर हो चुके पेड़ों पर दवा छिड़की गई और उन्हें काट-छांट कर उपचारित किया गया।
3. वृक्षों के रख-रखाव के लिए ट्री-एंबुलेंस कार्ययोजना विचाराधीन है।
4. वृक्षों की देखभाल के लिए नियमित रूप से सिंचाई, कटाई-छंटाई और सूखे पेड़ों को हटाकर नए पौधे लगाने का काम किया गया।
5. बागवानी विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले पांच वर्ष में नगर निगम स्थलों पर 1,24,980 पौधे लगाए गए हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

पिछले पांच वर्ष में नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 4,03,865 पेड़ और 9,87,086 पौधे लगाए गए हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

पिछले पांच वर्ष में 170315 पेड़ और 316461 झाड़ियां लगाई गई हैं। 07 लघु वन सृजित किए गए हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार पेड़ों के गिरने से जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

(ङ) उपरोक्त घ के अनुरूप।

149. श्री जितेंद्र महाजन : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य कला परिषद् द्वारा वर्ष 2019-20 में कितने युवाओं को थिएटर फेलोशिप प्रदान की गयी, इनके चयन का आधार क्या था एवं चयन समिति के सदस्यों के नाम एवं उनके आत्म विवरण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं;

(ख) स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप प्रदान करने के लिए क्या किसी एजेंसी का चयन किया गया था;

- (ग) यदि हाँ, तो उक्त एजेंसी को किस आधार पर हायर किया गया था, उक्त कार्य के लिए चुनी गयी एजेंसी का प्रोफाइल तथा एजेंसी को जारी किये गए वर्क आर्डर की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये;
- (घ) स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप कार्य करने के लिए हायर किये गए एजेंसी को कुल कितने राशि का भुगतान किया गया तथा एजेंसी द्वारा भुगतान किये जाने के सन्दर्भ में कोई अनुरोध पत्र दिया गया था;
- (ङ) यदि हाँ, तो कॉपी व फाइल की नोटिंग उपलब्ध कराएं;
- (च) स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप कार्य का मूल उद्देश्य क्या था अर्थात् इसको कार्यान्वित करने के फाइल की नोटिंग उपलब्ध कराएं; और
- (छ) स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप में जनवरी, 2020 से अब तक कितना पेमेंट आर्टिस्टों को दिया गया है तथा उनके द्वारा कहाँ-कहाँ परफॉर्मेंस की गयी?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

- (क) वर्ष 2019-20 में स्ट्रीट थिएटर फ़ेलोशिप के लिए 447 कलाकारों का चयन कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। कलाकारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया था। चयन की समस्त प्रक्रिया एजेंसी द्वारा की गयी थी।
- (ख) हाँ।

- (ग) एजेंसी का चयन डी.टी.टी.डी.सी. के एम्पैनल्ड एजेंसियों से निविदा आमंत्रित करके किया गया था। चयनित एजेंसी को दिए गए वर्क आर्डर की प्रतिलिपि संलग्न है।²⁶
- (घ) स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप कार्य करने के लिए हायर की गयी एजेंसी को कुल रु. 63,23,856/- का भुगतान किया गया था। एजेंसी द्वारा भुगतान किये जाने के सन्दर्भ में सम्बंधित कार्य का बिल प्रस्तुत किया गया है।
- (ङ) फाइल की नोटिंग संलग्न है।²⁷
- (च) इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट आर्ट के क्षेत्र में कार्य कर रहे कलाकारों को अपनी कला को जारी रखने में वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप योजना कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सम्बंधित है। साहित्य कला परिषद् इस योजना की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है।
- (छ) स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप में 15 जनवरी 2021 से अब तक कुल रु. 1,25,69,050/- की पेमेंट आर्टिस्टों को की गयी है। मार्च 2021 में भारत की 75वीं वर्ष गाँठ के शुभारंभ के अवसर पर क्वांटप्लेस, दिल्ली में आयोजित अमृत महोत्सव में स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप कलाकारों ने परफॉरमेंस दी तथा कोविड-19 के टीकाकरण जागरूक अभियान के तहत दिल्ली के 11 जिलों में परफॉरमेंस दी जा रही है।

26. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

27. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

150. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सत्य है कि सरकार का दिल्ली में कलाकारों की समग्र सूची बनाने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो इसके लिए पंजीकरण कब शुरू होगा;
- (ग) क्या इस सूची में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को भी समायोजित किया जायेगा; और
- (घ) यदि हां, तो इसके लिए पात्रता क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

- (क)से(घ) जी हां, सरकार का दिल्ली में कलाकारों की सूची बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

151. श्री विशेष रवि : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि मेरे द्वारा दिनांक 24.05.2015 को माँ झण्डेवालान सोसाइटी में वित्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कि गई शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए थे और विभाग में एक निरिक्षण रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी;
- (ख) यदि हां तो इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है;
- (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क) हाँ यह सत्य है।

(ख) उपयुक्त शिकायत 24.05.2015 को प्राप्त होने के बाद विभाग ने धारा 61 डीसीएस अधिनियम 2003 के तहत श्री पंकज कुमार महाप्रबंधक डीसीसीडब्ल्यूएस को जाँच करने के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात जाँच अधिकारी ने अपने पत्र 08.12.2015 द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की परंतु जाँच अधिकारी के नियुक्ति आदेश दिनांक 18.09.2015 को सोसाइटी ने वित्त आयुक्त न्यायालय में चुनौती दी जिसका केस संख्या 327/2015 है। वित्त आयुक्त न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2018 द्वारा जाँच अधिकारी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् सोसाइटी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवम कुप्रबंध से सम्बंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनको संज्ञान में लेते हुए सोसाइटी के विरुद्ध धारा 37(1) डीसीएस अधिनियम 2003 के तहत 02.07.2021 को नोटिस किया गया है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए लागू नहीं है।

152. श्री प्रवीण कुमार : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2018 से अब तक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में सदस्यता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है, सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें;

- (ख) क्या यह सत्य है कि तत्कालीन पंजीयक ने यू/एस 66 (2) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम एक्ट 2003 की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को नोटिस देना बन्द कर दिया था;
- (ग) यदि हां, तो यह किस नियम के तहत किया गया, सम्पूर्ण विवरण दें;
- (घ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम एक्ट, 2003 तहत कितनी जाँच चल रही है;
- (ङ) यू/एस 61, 62, 66 (1) 66 (2), 1 (1)121, 118 सभी की शिकायतें कब की गयी, उनकी तिथि सहित सम्पूर्ण स्टेटस बताने की कृपा करें; और
- (च) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के दिल्ली को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल फाइनेंस कमिशनर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस लम्बित है उसमें विभाग का क्या स्टैन्ड है, उसका ब्यौरा

माननीय उपमुख्यमंत्री :

- (क) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक मुख्यतः सदस्यता के मुद्दे से संबंधित तीन (03) शिकायतें विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई प्रतियों में प्राप्त हुई हैं।

जिसमें, दिनांक 12.02.2019 को एक शिकायत श्री अतुल भारद्वाज, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य निदेशकों के द्वारा प्राप्त हुई थी। जिसका संबंधित विषय वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में सदस्यों के अवैध नामांकन के संदर्भ में थी, इस संबंध में, तथ्यों के आधार

पर, एक निरीक्षण का आदेश दिया गया था और तदनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, उक्त कार्यवाही को वित्तीय आयुक्त के न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, जिसका विभाग द्वारा सक्रिय रूप से विरोध किया गया था। फलस्वरूप वित्तीय आयुक्त ने रोक के आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया हालांकि, संबंधित बैंक ने 2019 के सीएम (एम) नंबर 1721 और 1722 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें कोर्ट ने पंजीयक के आदेशों पर रोक लगा दी और कार्यवाही अभी भी वित्तीय आयुक्त के न्यायालय के समक्ष लंबित है। विभाग अपने सरकारी वकील के माध्यम से दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमों के अनुसार मामले का विरोध कर रहा है।

दूसरा, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में सदस्यों का नामांकन करते समय दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 41 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2018 की शुरुआत में एक और शिकायत प्राप्त हुई थी। तदनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत दिनांक 29.08.2018 तत्कालीन पंजीयक द्वारा के निर्देश पास किया गया कि निरीक्षण कार्यवाही पूरी होने तक नए सदस्यों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा गया। हालांकि, पंजीयक कार्यालय ने इस सन्दर्भ में बैंक द्वारा अतिरिक्त उल्लंघन नोटिस किए। अतिरिक्त पंजीयक को आदेश दिनांक 21.10.2019 के तहत दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 41(3) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्त

किया गया। इसके बाद, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त पंजीयक ने दिनांक 16.02.2021 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के 6003 (छह हजार तीन) सदस्यों की अयोग्यता की मंजूरी दी गई।

आगे, पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय में दिनांक 08.02.2021 को एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 12.01.2018 से 30.09.2020 के दौरान निवर्तमान प्रबंध समिति द्वारा दायर किए गए 2050 सदस्यों और 01.10.2020 से 15.12.2020 के बीच 902 सदस्यों को शामिल करने को बैंक उप-नियमों का उल्लंघन और माधव दास समिति की अवहेलना करने के कारण अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया। इसी अवधि के दौरान कुछ अन्य सदस्यों से भी इसी विषय पर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में मुख्य शिकायत उपयुक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की गई थी। हालांकि, उक्त विषय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी संख्या 4487/2021 के तहत एक याचिका दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

(ख) हाँ, यह सत्य है।

(ग) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) के तहत जिन व्यक्तियों को धारा 66 (1) के अन्तर्गत दोषी पाया गया हो ऐसे सम्बंधित व्यक्ति को कोई ही आदेश देने से पहले सुनवाई

का अवसर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) “Where An inquiry is made under sub-section (1), the Registrar may, After giving the person concerned an opportunity of being heard make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof with interest at such rate or to pay contribution and costs or compensation to such extent as the Registrar may consider just and equitable.”

(घ) फिलहाल चार विषयों पर जांच चल रही है। जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक संख्या	धारा 61 के तहत निरीक्षण	धारा 62 के तहत जांच	धारा 66 के तहत जांच	धारा 118 के अभियोजन स्वीकृत
1	01	01	04	02

(ङ) शिकायत विवरण और स्थिति

(1) श्री अनिल कुमार गौर द्वारा दिनांक 13.10.2016 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय :

दिवाली उपहार की खरीद

स्थिति :

- * 09.06.2017 को धारा 61 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई।
- * धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 15.12.2017 को प्राप्त हुई।
- * वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।

(2) कार्यवाहक सीईओ, डीएनएसबी के द्वारा दिनांक 18.01.2016 को एक शिकायत प्राप्त हुई,

विषय:

सदस्यों के नामांकन में अनियमितताएं

स्थिति

- * धारा 61 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.11.2017 को प्राप्त हुई।
 - * धारा 62 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 को प्राप्त हुई।
 - * धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 09.10.2019 को प्राप्त हुई।
 - * वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।
- (3) श्री अनिल कुमार गौर के द्वारा दिनांक 24.05.2016 को एक शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

वर्ष 2015-16 की सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अनियमितता के सन्दर्भ में

स्थिति

- * धारा 62 के तहत दिनांक 01.12.2017 को जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई।
 - * धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 08.04.2019 को फिर 23.07.2019 और 03.08.2020 को प्राप्त हुई।
 - * वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।
- (4) श्री आर. एस. यादव और विजय देव द्वारा दिनांक 29.05.2013 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

ऋण वितरण में कुप्रबंधन।

स्थिति

- * धारा 61 के तहत दिनांक 31.07.2015 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई।

- * धारा 62 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त हुई।
 - * धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 03.10.2017 को प्राप्त हुई।
 - * वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।
- (5) श्री अतुल भारद्वाज एवं अन्य के द्वारा दिनांक 12.02.2019 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में नए सदस्यों का नामांकन के सम्बन्ध में

स्थिति

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण अधिकारी को दिनांक 14.02.2019 के आदेश के तहत पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, इस मामले पर फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

- (6) श्री कृष्ण कुमार मित्तल के द्वारा दिनांक 06.02.2017 को शिकायत प्राप्त हुई

विषय:

बैंक के छह कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के सन्दर्भ में
स्थिति

- * धारा 61 के तहत दिनांक 17.11.2020 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई।
 - * दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत जांच अधिकारी को आदेश दिनांक 11.02.2021 के तहत नियुक्त किया गया है और रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित हैं।
- (7) कार्यवाहक सीईओ, डीएनएसबी द्वारा दिनांक 18.01.2016 को शिकायत प्राप्त हुई

विषय:

सदस्यों के नामांकन में अनियमितताएं के सन्दर्भ में
स्थिति

- * श्री राजेश कुमार के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत कार्यवाही आदेश दिनांक 14.11.2019 के द्वारा किया गया।
- * दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत एवं विभिन्न अन्य आईपीसी धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए

कड़कड़डोमा कोर्ट में एक अनुपालन मामला पहले ही दायर किया जा चुका है।

(8) श्री अनिल कुमार गौर के द्वारा दिनांक 24.05.2016 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2015-16 में अनियमितताएं के सन्दर्भ में स्थिति

- * श्री जितेन्द्र गुप्ता के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत कार्यवाही आदेश दिनांक 24.09.2019 के द्वारा की गयी।
- * दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 118 और विभिन्न अन्य आईपीसी धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तीस हजारी कोर्ट में एक शिकायत का मामला पहले ही दायर किया जा चुका है।

(च) पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के विभिन्न ट्रिब्यूनल/न्यायालय में मामले निम्नानुसार हैं :

कोर्ट/ट्रिब्यूनल	मामलों की संख्या	विभाग का स्टैंड
उच्चतम न्यायालय	00	N/A
उच्च न्यायालय	10	विभाग दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों का सक्रिय रूप से बचाव कर रहा है। सरकारी वकील के परामर्श से आठ मामलों में हलफनामा पहले ही दायर किया जा चुका है। इसके अलावा, हाल ही में दो मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें सरकारी वकील के सक्रिय परामर्श से हलफनामे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
जिला अदालत	04	दो मामले ऋण वसूली मामले से संबंधित हैं और अन्य दो मामले दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 118 और विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत आरोपी को तलब करने और मुकदमा चलाने के लिए विभाग द्वारा दायर किए गए हैं।

वित्तीय आयुक्त 17 विभाग सरकारी वकील के सक्रिय
का न्यायालय परामर्श से दिल्ली सहकारी समिति
अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के
अनुसार इन मामलों का सक्रिय रूप से
बचाव कर रहा है।

153. श्री धर्मपाल लाकड़ा : क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा के अंतर्गत टिकरी गांव में डीटीटीडीसी द्वारा संचालित आजाद हिन्द ग्राम, जो की एमसीडी द्वारा पिछले 12 सालों से सील है, को कब तक पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया जायेगा?

माननीय पर्यटन मंत्री :

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टिकरी गांव में डीटीटीडीसी द्वारा संचालित आजाद हिन्द ग्राम का स्मारक एवं संग्रहालय वाला हिस्सा जनता के लिए खुला है परन्तु जो क्षेत्र एक प्राइवेट संस्था को लीज पर दिया गया था वह नार्थ एमसीडी द्वारा सील है। इस हिस्से की सील खोलने का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

154. श्रीमति प्रमिला धीरज टोकस : क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरीतिमा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में अनुमति दी गई गतिविधियों का उनके लिए, लिए जाने वाले शुल्क सहित विवरण दें;

- (ख) क्या यह सत्य है कि विभाग की इस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के रखरखाव/प्रबंधन हेतु इसे किसी निजी संस्था को सौंपने की योजना है;
- (ग) यदि हां, तो आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड क्या होंगे;
- (घ) दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मारकों, मकबरों आदि के पुनर्निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, पूर्ण विवरण दें; और
- (ङ) दिल्ली में पुराने समय में पानी से भरी रहने वाली बावलियों को पुनर्जीवित करने की क्या सरकार की कोई योजना है?

पर्यटन मंत्री :

- (क) दिल्ली पर्यटन द्वारा वर्तमान में हरीतिमा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को एक प्राइवेट आपरेटर को निविदा के आधार पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद, रेंस्त्रा, तरणताल, आवास संबंधी गतिविधियां करने के लिये मार्च 2021 में दिया गया है। जिसका शुल्क प्राइवेट आपरेटर (मैसर्स नागर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.) द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा।
- (ख)से(ग) उपरोक्तानुसार।
- (घ) दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये स्मारकों, मकबरों आदि के लिय पुनर्निर्माण हेतु/संरक्षण पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से संरक्षण कार्य किया जा रहा है। इस अनुसार अब तक कुल 65 स्मारकों का संरक्षण करने उपरान्त उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी तैनात किये गए हैं तथा यह स्मारक पर्यटकों के

लिये खुले हुए हैं (सूची संलग्न है)। इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग द्वारा गालिब मेमोरियल के संरक्षण उपरान्त इसे सन् 2000 में पर्यटकों के लिये खोल दिया था। संरक्षण उपरान्त स्मारकों, मकबरों आदि को पर्यटकों हेतु सुविधाजनक एवं उपयुक्त बनाने हेतु भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की “अपनी धरोहर अपनी पहचान” योजना के तहत सी.एस.आर. के अंतर्गत स्मारक मित्रों के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित कर विकास कार्य किया जा रहा है। अभी तक निम्नलिखित पांच स्मारकों हेतु चार अनुबंध हस्ताक्षरित कर कार्य प्रगति पर है :

क्र.सं.	स्मारक के नाम	स्मारक मित्रों के नाम व वर्तमान स्थिति
(क)	गोल गुंबद, लोधी रोड, फ्लाईओवर के पास स्थित	इस स्मारक का अनुबंध स्मारक मित्र “बड्स फाउंडेशन” के साथ 30/09/2019 को हुआ था। इस स्मारक पर बिजली की फिटिंग की मरम्मत, रैलिंग की मरम्मत, पार्क की सफाई, नई घास व फुटपाथ को फिर से बिछाना, बैंच, कूड़ेदान, बैकलिट साईनेज व सांस्कृतिक सूचना बोर्ड को स्थापित करना आदि का कार्य प्रगति पर है।

- (ख) बाड़ा लाओ का गुंबद, इस स्मारक का अनुबंध स्मारक मित्र “बर्ड्स फाउंडेशन” के साथ 24/12/2019 को हुआ था। इस स्मारक पर पार्क की सफाई, बेंच, कूड़ेदान, साईनेज व सांस्कृतिक सूचना बोर्ड को स्थापित करना आदि का कार्य प्रगति पर है।
- (ग) दारा शिकोह पुस्तकालय इस स्मारक का अनुबंध स्मारक मित्रों The Arts And Cultural Heritage Trust And Museum and Arts Consultancy के साथ 15/05/2021 को हुआ है, जिसमें “पार्टिशन संग्रहालय” को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।
- (घ) झरना, महरौली और इस स्मारक का अनुबंध Intach Delhi Chapter के साथ 04/03/2021 को हुआ है जिसमें कार्य नियोजन कर, कार्य किया जायेगा।
-

(ड) दिल्ली में पुराने समय में पानी से दिल्ली में पुराने समय में पानी से भरी रहने वाली बावलियों को पुर्नजीवन करने का कार्य वेटलैंड्स अथोरिटी द्वारा किया जा रहा है। वेटलैंड्स अथोरिटी के गठन की अधिसूचना 23 अप्रैल 2019 को पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार ने पर्यावरण वन, वन्यजीव एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) विभाग 2017 के नियम (5) और नियम (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिये वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से जारी कर दी है। पुरातत्व विभाग दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाली बावली जो सैक्टर 12 द्वारका स्थित है, का उत्खनन एवं संरक्षण कार्य किया जा चुका है। यह बावली जल विहीन/सूखी है। इसकी सूचना वेटलैंड्स अथोरिटी को दी जा चुकी है।

**DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**

LIST OF 65 MONUMENTS WITH THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY, GNCTD

S.NO.	NAME OF THE MONUMENT	LOCATION
1	Munda Gumbad	Inside Deer Park near Hauz Khas Tank
2	Tomb of Mohd. Quli Khan	S.E corner of Qutb Complex, Mehrauli Archaeological Park,
3	Horse Stable	Mehrauli Archaeological Park,
4	Tomb	Mehrauli Archaeological Park,
5	Tomb	Mehrauli Archaeological Park,
6	Mosque of Darwesh Shah	Near Siri Auditorium, West Qutb
7	Tomb of Sayyid Yasin	Near I.T.I. Nizamuddin
8	Mutiny Memorial	Northern Ridge near Hindu Rao Hospital
9	Northern Gateway of Badarpur Sarai.	Badarpur Village
10	Central Gateway of Badarpur Sarai.	Badarpur Village
11	Southern Gateway & enclosure remains of Badarpur Sarai.	Badarpur Village
12	Kos Minar	Badarpur
13	Kos Minar	Near Apollo Hospital
14	Kos Minar	Badarpur Border
15	Northern Guard House	Northern Ridge
16	Southern Guard House	Northern Ridge
17	Sarai of Azimganj	National Zoological Park
18	Tomb	National Zoological Park
19	Tomb	National Zoological Park
20	Tomb (unknown)	South side of the viii, Lado Sarai, Mehrauli
21	Gol Gumbad	Near Lodhi Road Fly Over
22	Dara Shikoh Library Building	Kashmere Gate
23	Turkman Gate	Asaf Ali Road, Turkman Gate
24	Maqbara Paik	Near G.T.K. Depot
25	Baradari (Pavilion)	Qudsia Garden
26	Tomb(Unknown)	Sadhna Enclave
27	Baradari	Sadhna Enclave
28	Chaumchi Khan's Tomb	Mehrauli
29	Jhama	Mehrauli
30	Tomb (Unknown)	Behind Bus terminal near Arch. Park
31	Tomb (unknown)	Near Rajeon Ki Baoli, Arch. Park
32	Tomb locally known as Bara Lao ka Gumbad	DDA Park, Vasant Vihar, N. Priya Cinema
33	Baradari Tomb	
34	Mosque, Baoli and Water Channel	
35	Tomb (unknown)	Inside Park, G.K.-2

S.NO.	NAME OF THE MONUMENT	LOCATION
36	Mosque (Nameless)	North east of Lado Sarai Village
37	Sarai of Basant	Inside MES Colony, Basant Range
38	Minar	Hasthsai Village
39	Bijri Khan's Tomb	R.K. Puram, Sector-3
40	Tomb (Unknown)	
41	Tomb known as Phutta Gumbad	Near Southern Gate, J.N. Stadium
42	Turret	In the Lodi Garden
43	Mosque (Nameless)	Inside Lodhi Garden
44	Baoli, Mosque and four walls of an enclosed garden, with its entrance	In the Lodi Garden
45	Tomb (Unknown)	Opp. Talqi Gate, Purana Qila
46	A building which is variously designated an Imambara & School	Qutub Road, 1km North of New Delhi Station
47	Tomb (unknown)	Qutub Road, 1km North of New Delhi Station
48	Tomb (unknown)	Gautam Nagar, Yusuf Sarai
49	Tomb (unknown)	In the centre of the village Kowari Sarai
50	Baoli	DDA's LIG Flats, Sector 2, D. Parka
51	Bhuli Bhatiyari Ka Mahal	Southern Ridge Near Sardar Bugh
52	Embankment	Inside Tal Katora Garden
53	Mahal	In the centre of the village Bawhipalpur
54	Kos Minar	Kureni Village
55	Eastern Gateway of Chirag Delhi	Chirag Delhi
56	Southern Gateway of Chirag Delhi	-do-
57	Northern Gateway of Chirag Delhi	-do-
58	Gateway of Mahaldar Khan Garden	Rana Pratap Bagh at Gurji Mandi
59	Katra	Mehram Nagar
60	Garden	Mehram Nagar
61	Zail	Bawana
62	Sayed Abid's Tomb	Delhi Golf Club
63	Baghichi or Small Garden	Near Hole No. 4, Delhi Golf Club
64	Tomb(Unknown)	Near Hole No. 14-16, Delhi Golf Club
65	Tomb (Unknown)	Delhi Golf Club

155. श्री राजकुमार आनंद : क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में अभी तक अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हो पाया है जबकि केन्द्र और अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति आयोग विधिवत गठित हो चुका है।

(ख) अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब तक हो जाएगा;

माननीय समाज कल्याण मंत्री :

(क) हाँ, सत्य है।

(ख) अनुसूचित जाति आयोग के गठन का कार्य विचाराधीन है।

156. श्री विशेष रवि : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे द्वारा आबकारी आयुक्त को लिखे गए पत्र दिनांक 06.01.21, संदर्भ संख्या 116919 पर क्या कारवाई की गई है; और

(ख) उक्त पत्र में पूछे गये मामलों की वर्तमान स्थिति का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ।

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क)से(ख) पत्र दिनांक 06.01.21 के संदर्भ संख्या में जो कारवाई की गई है, उस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

371

08 श्रावण 1943 (शक)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
O/O THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX
L- BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

F.No.L-6/L-7/Misc./EX/IMFL/2020-21/ 479

Date: 26/07/2021

To

Sh. Vishesh Ravi
Hon'ble MLA, Karol Bagh Constituency
1-16/542, Military Road, Bapa Nagar
Karol Bagh, New Delhi-110005

Sub: Regarding relocation and cancellation of license application of liquor shops
in Arya Samaj Road

Respected Sir,

This is in reference to your letter on the subject mentioned above, I am directed to inform this department has not renewed the license of any Departmental Store(L-12) situated in Arya Samaj Road for the year 2020-21 onward.

Further, the L-7 license of M/s Shyamli Chandel situated at shop No. 5419, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi was issued in conformity with Rule 51 of Delhi Excise Rules, 2010.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

for
26/7/2021
Asstt. Commissioner (IMFL)
Excise Department, GNCT of Delhi

157. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) किराडी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं। इसका पूर्ण विवरण दें;
- (ख) पिछले पांच वर्षों में कितने नाम काटे गये इसका पूर्ण विवरण दें;
- (ग) और किसी मतदाता का नाम बिना कारण बताए मतदाता सूची से काटे जाने पर इसके लिए कौन जवाबदेह है।

उपमुख्यमंत्री :

- (क) किराडी विधान सभा में कुल मतदाता की संख्या 278899 है।
- (ख) पिछले पांच वर्षों में किराडी विधान सभा में 9169 नाम काटे गये।
- (ग) मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग के दिये गए नियम के आधार पर काटा जाता है।

158. श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी : क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अपने प्रचार के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?
- (ख) उसमें से कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और
- (ग) दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों के प्रचार तंत्र में प्रचार के लिये कितनी राशि खर्च की गई है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क)

वर्ष	2020-21	2021-22
आबंटित राशि	रुपये 326 करोड़	रुपये 340 करोड़

(ख)

वर्ष	2020-21	2021-22
व्यय की गयी राशि	293 करोड़	63.8 करोड़
(माह जून, 2021 तक)		

(ग) दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों के प्रचार तंत्र में प्रचार के लिये कुल रुपये 13.36 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

माननीय अध्यक्ष: 280 श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी। जो लिखा है समय।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई सोमनाथ जी कमाल की बात है। सोमनाथ जी कुछ तो तरीका समझिए। नहीं, अब कुछ नहीं लगेगा। अब कुछ नहीं लगेगा प्लीज। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ बैठ जाइए। आप बैठ जाइए प्लीज। जवाब नहीं आया तो मुझे लिखित में दे दीजिएगा। मैं एक्शन लूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह जून: सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भाई साहब या तो समय बर्बाद कर लो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: पन्द्रह मिनट का समय समाप्त किया है सुबह। हाँ खत्म हो गया। 280 चालू हो गया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप जैसा इसको कलंकित कर रहे हैं अध्यक्ष जी...

श्री भूपेन्द्र सिंह जून: सर कुछ दिन पहले दिल्ली में....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ओम प्रकाश जी अगले सेशन के लिए निष्कासित किये जाते हैं। अगले सेशन के लिए निष्कासित किये जाते हैं। अगले पूरे सेशन के

लिए निष्कासित किये जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल, जाइए। नहीं ये अध्यक्ष पर आक्षेप लगा रहे हैं। “सदन को कलंकित कर रहे हैं।” क्या शब्द है “कलंकित” का। लोकसभा में कह कर देखिए। अगर हिम्मत है तो लोकसभा में कह कर देखिए। जाइए बाहर जाइए। अगले सेशन के लिए ओम प्रकाश जी सस्पेंड किये जाते हैं। अगले सेशन के लिए।

...व्यवधान...

श्री रामबीर सिंह बिधूडी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): श्री ओम प्रकाश शर्मा जी को आपने सदन से निकाष्ति किया है हम इसके विरोध में वॉकआउट करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, करिए।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से वॉकआउट किया गया)

माननीय अध्यक्ष: श्री जून जी।

श्री भूपेन्द्र सिंह जून: अध्यक्ष जी, पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने एक सिल्वर मैडिलिस्ट ओलंपियन को एक मर्डर केस में अरेस्ट किया। उसकी तफ्तीश में उसके interrogation में एक बड़ी हैरान करने वाली और डरावनी बात सामने आई कि दिल्ली में जो एमसीडी के जितने भी टोल बूथ्स हैं आज के दिन उनको एन्टी सोशल एलिमेंट्स और गैंगस्टर रन कर रहे हैं और ये जो मर्डर हुआ ये उसी काली कमाई के बंटवारे के बारे में ये मर्डर हुआ। दिल्ली पुलिस ने यही motive उस केस में establish किया कि दिल्ली में जो एमसीडी के बूथ हैं उन्हें कोई एजेंसी रन नहीं करती बल्कि anti social elements उनको

रन करते हैं। इससे एमसीडी को तो नुकसान है ही है रेवेन्यू का और वो बार-बार कहते हैं कि हमें दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती। जबकि ऐसे बूथ्स को उन्होंने गैंगस्टर्स के हवाले किया हुआ है। दूसरा अध्यक्ष जी जैसे एक सबूत मिला कि मर्डर हो गया और पहले भी ऐसे ही गोलियां चली हैं, दिल्ली में रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स के बीच आज उस एरिया में गोली चल गई, आज उस एरिया में चल गई जिसकी वजह से कुछ innocent लोग भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि जो आज माहौल बनता जा रहा है एमसीडी में करप्शन का, दिल्ली पुलिस के इन गैंगस्टर्स को कंट्रोल न कर पाने पर हम एक मुम्बई जैसी स्थिति में पहुंच गए जहां gang rivalry चलती रहती है और गोलियां चलती रहती हैं। कोई भी सिटी या कन्ट्री रूल ऑफ लॉ से चलता है, तालिबानी लॉ से नहीं चलता। तो मेरा आज यह इश्यू उठाने का मकसद यही था कि आज ये anti social elements दिल्ली के एमसीडी बूथ्स में घुसे हैं, कल को ये दिल्ली सरकार और एमसीडी के दूसरे डिपार्टमेंट में घुसेंगे तो आम आदमी का जीवन जो है एक नारकिय जीवन हो जाएगा। तो एमसीडी पर कंट्रोल करने के लिए जो अर्बन डवलपमेंट के माननीय मंत्री हैं उनको इनसे पूछना चाहिए कि आज ये जो एमसीडी के टोल बूथ हैं इनको anti social elements को रन करने के लिए क्यों दिए गए और अगर कम्पनी ने उनको सब कॉन्ट्रैक्ट आगे दिया है तो ऐसे कम्पनीज को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? तो मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित करने मकसद यही था कि इन्हीं टोल बूथ्स के थ्रू ट्रक्स लोड जो है illicit liquor है वो दिल्ली में आता है राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर से जिससे हमें एक्साइज का भी नुकसान होता है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे और इन illegal activities को बंद कराए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद जून साहब। अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे मेरे क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अम्बेडकर नगर में एक बहुत बड़ा विशाल अस्पताल बनाकर अम्बेडकर नगर और आसपास की विधान सभाओं के लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत का कार्य किया। इस अस्पताल ने कोरोना में हजारों, लाखों लोगों की जान बचाई और ये अस्पताल साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है अध्यक्ष जी। जैसे ही यह अस्पताल शुरू हुआ है इसके साथ डीडीए का एक और नया खेल शुरू हुआ। अस्पताल के साथ एक विराट पार्क की जमीन जो डीडीए की जमीन है जो सटी हुई जमीन है, उस जमीन को मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके डीडीए से मांगने की कोशिश की कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस जमीन को ले ले क्योंकि जो अस्पताल है उसका एक ही एन्ट्री एक्जिट है और वहां पर काफी सारी सुविधाएं जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स के रहने के लिए हॉस्टल नहीं है और बड़ी जो कैट लैब लगनी है, बड़े सिटी स्कैनर लगने हैं पार्किंग की व्यवस्था आदि, इस जमीन को अगर डीडीए अस्पताल को दे दे, तो वो मिल जाती। इस संदर्भ में मैंने कई बार एल.जी. साहब को लिखा, उनके ओएसडी से बात की। इस सदन में पिछली बार, आपके संज्ञान में होगा, मैंने इस मुद्दे को उठाया और मैं वाइस चेयरमैन डीडीए, एडिशनल वाइस चेयरमैन डीडीए, चीफ इंजीनियर डीडीए इन सबसे मिला और बार-बार मैंने इस बात को उठाया है कि ये जमीन अस्पताल के विकास के लिए दी जाए। यहां तक की मैंने सोमनाथ भारती जी जो डीडीए के मैम्बर हैं उनको भी कहा, उन्होंने भी

इस बात को एल.जी. साहब के पास रखा और मैंने एल.जी. साहब से कई बार इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, उनसे मिलने की कोशिश की, मैंने उनसे video conferencing के लिए कहा, उनको लिखा। मैंने करीबन 10 ट्वीट किए लेकिन एल.जी. साहब ने न तो इस पर कोई चर्चा की, न इस पर कुछ भी संज्ञान लिया और इसके उलट वहां पर और तेजी से एक बहुत बड़ा पार्टी हॉल बना लिया। अम्बेडकर नगर की देवली विधान सभा की संगम विहार की जनता बहुत गरीब लोग हैं, वहां कोई विशाल पार्टी घर की आवश्यकता नहीं है। वहां छोटे-छोटे जो बारात घर हैं जो 5 हजार, 7 हजार, 10 हजार रुपये पर उपलब्ध हैं। अगर उनका भी रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी खाली पड़े रहते हैं। तो मैं ये आज तक नहीं समझ पाया कि एल.जी. साहब की क्या मंशा है, डीडीए की क्या मंशा है कि ये बहुत बड़ी जगह को घेर कर उसमें इतना बड़ा पार्टी हॉल बनाया जा रहा है जिसको अगर वो किराए पर देंगे तो कम-से-कम 80 हजार या लाख रुपये उसका किराया रखेंगे। तो मुझे समझ में आया और लोगों से पता चला कि विराट पार्क की जमीन घेरने का एक पूरा षड़यंत्र रचा जा रहा है और मैं एल.जी. साहब से आपके माध्यम से।

माननीय अध्यक्ष: अजय दत्त जी हो गया अब।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी मेरे पास 5 मिनट हैं तीन में से 2 और दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं 5 मिनट का नहीं है ये।

श्री अजय दत्त: चलिए मैं खत्म कर रहा हूं अभी।

माननीय अध्यक्ष: नहीं ये जो आपने लिखकर दिया उससे सीमित है।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी लास्ट बात करके खत्म कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी मैं इस सदन से कहना चाहता हूँ कि साल के पहले दिन जब ये सत्र शुरू होता है, जब एल.जी. साहब यहां पर आकर कहते हैं कि मेरी सरकार, मेरी सरकार। इस सरकार के चुने हुए नुमाइंदे से एल.जी. साहब को मिलने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है। दिल्ली में, पूरे देश में कोरोना की त्रासदी है हम कह रहे हैं हमें अस्पताल के लिए जगह दो, तो ये एल.जी. साहब इस दिल्ली में जगह के नाम पर उस जगह को घिरवा क्यों रहे हैं? हेल्थ के नाम पर जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? उनको ट्वीट क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस दिल्ली विधान सभा की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? ये एल.जी. किस लिए बैठे हैं वहां पर, इनसे पूछा जाए। मैं आपके माध्यम से एल.जी. साहब को दोबारा बता देना चाहता हूँ कि उस जमीन को हड़पने नहीं दिया जाएगा। मैं अस्पताल को जमीन दिलाने के हक में पिछले एक साल से बोल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली के अन्दर दिल्ली की जनता के लिए अस्पताल जरूरी है या वो पार्टी हॉल जरूरी है। अध्यक्ष जी ये बहुत गंभीर विषय है मैं एल.जी. साहब को दोबारा से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एल.जी. साहब हमें अस्पताल के लिए जमीन चाहिए। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए वहां पर हमें हॉस्टल चाहिए, पैथ लैब के लिए जगह चाहिए। सिटी स्कैन के लिए जगह चाहिए। हमें कोई पार्टी हॉल नहीं चाहिए उसको बर्खास्त करें

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद अजय दत्त जी, धन्यवाद।

श्री अजय दत्त: और जो लोग पार्टी हॉल बनाकर रिश्वत खा रहे हैं, उनको तुरंत बंद कराएं और आपके माध्यम से मैं उनके कानों तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरीश सोनी जी:

श्री गिरीश सोनी: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने नियम 280 के तहत मेरे क्षेत्र के विषय को उठाने का मौका दिया और ये विषय जो मैं उठाने जा रहा हूं उस विषय में मेरी विधान सभा नहीं बल्कि लगभग दिल्ली के अन्दर बहुत सी ऐसी जगह हैं। अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा में 4 सामुदायिक केन्द्र बने हुए हैं जो डूसिब द्वारा बनाए गए हैं। डूसिब में इसमें से एक सामुदायिक केन्द्र तो चलता है थोड़ा बहुत उसकी बुकिंग होती है। बाकी तीन की बुकिंग न के बराबर है, उनकी बुकिंग नहीं होती। साल में एक आधा बुकिंग हो गई तो हो गई और मैंने वहां के कुछ फोटोग्राफ्स आपको भेजे हैं जो उसके साथ लगे हुए हैं। उन फोटोग्राफ्स में वहां एक कूड़ाघर बना हुआ है। वे सामुदायिक केन्द्र एक तो साइज में छोटे हैं और वहां काफी कूड़ा पड़ा हुआ है। तो लोग हमें आ कर कम्प्लेंट करते हैं कि भई यहां कूड़ा पड़ा रहता है इस कूड़े को साफ कराइए। अक्सर अड़ोस-पड़ोस के लोग वहां कूड़ा फेंक देते हैं क्योंकि वहाँ चौकीदार या रखरखाव के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह दिल्ली के अन्दर ऐसे काफी छोटे-बड़े सामुदायिक केन्द्र पड़े होंगे। मेरी विधान सभा में तीन जो नहीं चलते हैं उनमें से एक शिवांगी कुंज में है जिसको न तो मेंटेन किया जाता है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, लोग उसके परिसर में कूड़ा फेंक देते हैं और एक दूसरा जो है वो है स्वयंसिद्धा कालोनी में उसकी

भी हालत बहुत खराब है बहुत ही ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है उसके अन्दर और एक फर्स्ट फ्लोर पर खुराना मार्किट में कहीं है। ये तीनों के तीनों वहां चलते नहीं हैं। एक का मैंने पता किया डिपार्टमेंट से इसकी बुकिंग फिर भी होती है। तो ऐसे दिल्ली में कई जगह पड़े होंगे, तो मेरा ये मानना है माननीय मंत्री जी इसके लिए विभाग एक पॉलिसी बनाए, पॉलिसी बनाकर इसको किसी को अलॉटमेंट दे दी जाए चाहे वो आरडब्ल्यू हो, बैंक्वेट हॉल वाले हों या किसी को उनको दे दिया जाए जिससे कि इसकी मेंटेनेंस भी बनी रहेगी और इससे रेवेन्यू भी प्राप्त होगा क्योंकि अभी कुछ भी वहां प्राप्त नहीं होता है। जब बुकिंग ही नहीं होती और उसकी हालत को अगर आप देखें, उन चित्रों को देखें उन चित्र को देखने के बाद आपको लगता है अध्यक्ष महोदय जी कि इसको कोई बुकिंग कराने के लिए कहेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि डूसिब विभाग इसका संज्ञान ले और इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार करे और इसका अलॉटमेंट किसी को दे ताकि वो आगे लोगों को जिन्हें फंक्शन वगैरह करने होते हैं वो उनको ले सकें। इसकी हालत की वजह से वो लेते भी नहीं हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय अध्यक्ष जी मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूलों की देख-रेख के लिए एसएमसी कमेटी का गठन किया गया था। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्कूलों के अन्तर्गत छोटे-मोटे कार्यों के लिए सरकार

द्वारा प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का फंड स्कूलों को अलॉट किया जाता है। ये फंड जिन-जिन कार्यों के लिए अलॉट किया जाता है उसकी पूरी लिस्ट माननीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे पास उपलब्ध है। ये दिल्ली सरकार के ऑर्डर की कॉपी है जिसके अन्दर स्कूलों में प्रिंसिपल पंखों की रिपेयरिंग, कोई मोटर खराब हो जाए इन सब कामों के लिए प्रयोग कर सकती है। लेकिन एक बड़ा एक सर्कूलर पूरे दिल्ली के सारे स्कूलों में भेजा गया जिसके अन्दर स्किल यूनिवर्सिटी के प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली के माननीय **शिक्षा मंत्री** श्री मनीष सिसोदिया के होर्डिंग लगवाए जाए और इस होर्डिंग का सारा खर्च एसएमसी के फंड से किया जाए। इसका एक ऑर्डर भी है सर ये कि 'This Govt. of NCT of Delhi with the objective of equipping students with the world-class skill-oriented education system has established 'Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU)' अच्छी बात है अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं हम बेशक विपक्ष में हैं समर्थन करते हैं। लेकिन लास्ट की लाइन मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूँ इसमें All HOSs, (Building in-charge) are hereby directed to take necessary steps to install 3-4 effervescent Hoarding/ Boards at the prominent locations, clearly visible from reasonable distance. Size of 01 Hoarding Board to be installed at the front should be 20 feet × 10 feet and size of other Hoardings/Boards should be decided as per available space. All HOSs shall ensure that Hoarding Boards are installed before the upcoming date of PTM 19/7/2021. The expenditure involved shall be incurred from SMC fund.' ये सर ऑर्डर है ये और मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा

कि जब दिल्ली सरकार इतना पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रही है, किसी पर भी खर्च कर रही है तो एसएमसी के फंड से इसका प्रयोग माननीय अध्यक्ष जी नहीं होना चाहिए। एसएमसी का प्रयोग जिन फंडों में हो सकता है उसकी लिस्ट यहां उपलब्ध है। आप सबके पास होगी सारे विधायकों के पास होगी और ये गलत है इसका दुरुपयोग न किया जाए। ये मेरा अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादव: धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरी महरौली विधान सभा की समस्या को उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मेरी महरौली विधान सभा में कुल 6 गांव हैं वसंत कुंज, साकेत डीडीए द्वारा डेवलप की गई दो कालोनिज हैं। महरौली है जो बहुत ही ऐतिहासिक टाउनशिप है। अध्यक्ष जी ये जो 6 गांवों में से 5 गांव अर्बन गांव हैं और एक रूरल गांव है। अध्यक्ष जी इन गांवों में पार्किंग की विकट समस्या है क्योंकि इनकी सारी जमीन जो इन गांवों की थी डीडीए ने एक्वायर कर ली थी और उसके बाद में आसपास का जो एरिया डेवलप किया गया उसमें वसंत कुंज है, साकेत है, आईआईटी है, जेएनयू है ये सारा जो एरिया डेवलप किया गया है इन्हीं गांवों की जमीनों पर किया गया। लेकिन इन गांवों के बारे में किसी तरह की डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचा गया।

श्री नरेश यादव: आज जब भी मैं यहां जाता हूं तो पार्किंग का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा उठाया जाता है इन गांवों में और गांव के आसपास डीडीए की कुछ लैन्ड्स भी है जिस पर डीडीए या तो कोई कामर्सियल काम्प्लैक्स

बनाना चाहता है या वहां पर प्लैट्स बनाना चाहता है लेकिन गांव के लोगों की पार्किंग की समस्या के उपर डीडीए का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं डीडीए से या एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन गांवों की जमीन आपने बहुत ही औने-पौने रेट्स में खरीद ली थी आज उन गांवों की भी सुध लेनी चाहिए। हमारी सरकार ने माननीय सीएम साहब ने गांवों के बारे में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया था। रूरल डेवलपमेन्ट बोर्ड हमारा हुआ करता था जिसमें केवल रूरल जो गांव हैं उनके डेवलपमेन्ट के लिए फण्ड दिया जाता था लेकिन हम सब लोगों ने जब वो मांग रखी माननीय सीएम साहब के सामने और माननीय हमारे जो उस समय के डेवलपमेन्ट मिनिस्टर थे, पिछले टेन्योर की बात है तो उस बोर्ड का नाम बदलकर और उसका पूरा एक ज्यूरिसडिक्शन बदलकर विलेज डेवलपमेन्ट बोर्ड बनाया गया जिसकी वजह से जो अरबन गाँव हैं और जो रूरल गाँव हैं उनकी सबकी डेवलपमेन्ट की जा रही है लेकिन लैन्ड क्योंकि एलजी के अण्डर में है इसलिए पार्किंग के लिए लैन्ड डीडीए ने देनी है तो आपके माध्यम से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि डीडीए द्वारा इन गाँवों को जमीन दी जाये पार्किंग की और मल्टीलेवल पार्किंग यहां पर बनायी जाये। इसके अलावा अध्यक्ष जी वसन्त कुंज और साकेत जो डीडीए ने डेवलप किया था एरिया उसमें भी उस समय जब डेवलप किया गया था तो सोचा नहीं था कि यहां पर इतनी कारें होगी लोगों के पास। स्कूटर के गैराज दिये गये थे लेकिन वहां पर उस एरिया में काफी लैन्ड अवलेबल है साकेत के अन्दर भी और वसन्त कुंज के अन्दर भी जहां पर इस तरह की अण्डरग्राउन्ड पार्किंग्स या मल्टीलेवल पार्किंग्स बनायी जा सकती है। तो मैं अपने इन सभी क्षेत्रों के लिए डीडीए से, एलजी साहब से डिमान्ड करता हूं कि पार्किंग

के लिए जगह दी जाये और यहां पर मल्टीलेवल पार्किंग की जाये। बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। जो आपने मुझे मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष: श्री राज कुमार आनंद।

श्री राज कुमार आनंद: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने नियम-280 के तहत मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का ध्यान दिल्ली की शेड्यूल कॉस्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग के गठन के सम्बन्ध में मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी दिल्ली में अभी तक अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना नहीं हुई है जबकि केन्द्र सरकार और बाकी तमाम राज्यों में इसकी स्थापना बहुत लम्बे समय पहले हो चुकी है। मेरे पास लगातार इस वर्ग के लोगों एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सुझाव एवं शिकायतें आती रहती हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊं। चूंकि मैं स्वयं इसी वर्ग और इसी समाज से आता हूं अतः दिल्ली के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की संस्थायें और लोग मुझसे इस बारे में सवाल पूछते हैं और जब भी कोई एट्रोसिटी की घटना होती है श्रीमान तो इसकी माँग, इस आयोग की माँग और भी प्रबल हो जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पटेल नगर के अनुसूचित जाति के लोग तथा अन्य सभी विधान सभाओं के, पूरी दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि दिल्ली में उनका अपना कोई आयोग नहीं है और जब भी उनको कोई शिकायत करनी होती है, कोई मुसीबत उनके सामने आती है तो उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास जाना पड़ता है जिसमें लम्बी कानूनी प्रक्रिया के चलते वहाँ

न्याय के लिए उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और शीघ्र न्याय मिल पाना उन लोगों की आर्थिक कमजोरी की वजह से और भी कठिन हो जाता है। मान्यवर इस आयोग के गठन को लेकर पिछली जो कांग्रेस और भाजपा की सरकारें थीं उन्होंने तो कुछ किया नहीं और न ही दलित समाज को उनसे कुछ उम्मीद है लेकिन मैं और मेरे पूरे समाज का ये मानना है और ये पूरा भरोसा है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी इस शेड्यूल कॉस्ट कमीशन का गठन करके दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोगों को एक रास्ता, एक सहारा देंगे ताकि कल को एट्रोसिटी की जब भी कोई घटना हो तो उनको सम्मान मिल सके और चूंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार थे और स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है श्रीमान और ऐसा करके हम पूरा सदन और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पण कर पायेंगे और दिल्ली का पूरा दलित समाज श्री अरविंद केजरीवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का, इस सदन का बहुत गुणगान करेगा, सम्मानित महसूस करेगा। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम।

श्री विशेष रवि: ...कमीशन बनने की तैयारी है लेकिन दो साल से हम यही सुन रहे हैं कि कमीशन बनने वाला है। बनने वाला है लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। तो आपसे प्रार्थना है। मंत्री जी अगर इस पर कुछ जवाब दे सकें या कोई और अन्य मंत्री अगर जवाब दे सके।

माननीय अध्यक्ष: नहीं हो गया। मैंने नोट कर लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा कि इसको करें। मैंने नोट कर लिया है। श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह: धन्यवाद स्पीकर सर, सर मेरा मामला तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार की तरफ से अस्पताल खोलने से सम्बन्धित है। तिलक

नगर में दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। इसकी मेन वजह वहां पर जमीन की उपलब्धता न होना थी। अब क्योंकि वहां जमीन उपलब्ध हो चुकी है और इसमें परेशानी ये है कि वो जमीन डीडिए की है। जमीन अगर दिल्ली सरकार की होती तो अब तक मेरे को पूरा विश्वास है जैन साहब वहां पर अस्पताल बना चुके होते पर डीडिए की जमीन होने की वजह से परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है और मैं निवेदन करता हूं जैन साहब से क्योंकि डीडिए का मामला है कि वहां एक प्रपोजल जाना है जो काफी समय से अवेटेड है कि प्राकृतिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों सुविधाओं के साथ क्योंकि जमीन काफी बड़ी है वहां पर। इन सभी सुविधाओं के साथ एक प्रपोजल डीडिए को भेजा जाये और थोड़ा परसनल लेवल पर स्वास्थ्य मंत्री साहब परस्यू करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात सिरे चढ़ जायेगी और बाकी विधान सभाओं की तरह तिलक नगर में भी अस्पताल खुल जायेगा। कि जिस चीज की तारीफ पूरी दुनिया में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तारीफ हो रही है तो तिलक नगर में भी अस्पताल खुलने से वो काम और आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सही राम जी। श्री अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, 280 में सवाल उठाने का मौका देने के लिए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में दिल्ली सरकार का एक जन कल्याण स्कूल है और पिछले डेढ़ वर्ष से वो बनकर खड़ा हुआ है। 1100 गज की वो लगभग जगह है जिसमें 4 मंजिल बनी है। कुल 16 कमरे बने हैं। 16 कमरों में से 7 कमरे प्रशासन ने अपने लिए जिसमें प्रिंसिपल, टीचर्स के रूम वगैरह हैं और

4 कमरे लैब के लिए ले लिये हैं। कुल मिलाकर 9 कमरे बचे हैं। 9 कमरे में लगभग 12वीं तक के 2200 बच्चे हैं। एक क्लास में 40 बच्चे एवरेज पढ़ते हैं। अगर ठूस-ठूस कर भर दें तो भी 80 बच्चे आयेंगे तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि इसके समाधान के लिए आगे क्या रास्ता है ये देखना चाहिए। दोनों ही बातों का, एक तो बिल्डिंग डेढ़ साल से बनकर तैयार खड़ी है। कोई फायर एनओसी नहीं है। कभी किसी और कारण, कभी किसी और कारण से वो हो नहीं पा रही है और दूसरी बात उसकी कैपिसिटी जो मैंने बतायी कि 9 कमरों में 2200 बच्चों का समाधान तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या और कोई ब्लॉक बनायेंगे या अन्य स्थान पर इसको 6ठीं तक या 8वीं तक इसको करके अन्य स्थान पर इसके लिए कोई भवन बनायेंगे, अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे, ये मैं अपने विधान सभा के लिए स्कूल के सम्बन्ध में बच्चों का जो जीवन है, भविष्य है उसके लिए निवेदन करने के लिए ये प्रश्न मैं उनके समक्ष रखता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री रोहित कुमार मेहरोलिया जी।

श्री रोहित कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-280 के तहत मेरे त्रिलोकपुरी विधान सभा की समस्याओं को सदन के समक्ष रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा लगभग 7500 थड़े यानी कि छोटी दुकानें मेरी विधान सभा सहित दिल्ली के अन्य विधान सभाओं में भी है। ये बहुत साल पहले अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार कमाने के लिए एलॉट किये गये थे। उसमें से कुछ लोगों ने उन थड़ों को बाद में और लोगों को बेच दिया। कुछ लोगों ने अपने पास रखा। उसमें व्यवसाय अपने काम-धन्धा करने लगे। दो वर्ष पूर्व डूसिब की मीटिंग

हुई। उसके अन्दर ये प्रस्ताव पारित किया गया कि जिन लोगों ने अपने थड़ों को बेचा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: रोहित जी कहाँ से पढ़ रहे हैं। जो आपने लिख करके दिया है इसमें तो कुछ भी नहीं है विषय नहीं ये।

श्री रोहित कुमार: नहीं ये दोनों इसमें दिये थे सर।

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

श्री रोहित कुमार: ये दोनों विषय इसमें 280 में दिये हुए हैं सर।

माननीय अध्यक्ष: नहीं केवल एक विषय आपका मेरे पास है। पानी की दिक्कत को लेकर।

श्री रोहित कुमार: ये भी दे देते हैं सर।

माननीय अध्यक्ष: सीवर की लाइन। ये वाला विषय लीजिए। जो लिखित में आया हुआ है।

श्री रोहित कुमार: चलिए, लेकिन सर इसमें भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष: देखिए एक विषय लो।

श्री रोहित कुमार: क्योंकि उन लोगों को दो साल से उसमें उन्होंने पैसे जमा करें। 70-80 लोगों ने उनको अभी तक उनको फ्री-होल्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। चलिए मैं पानी वाली पर अपनी बात रखता हूँ। त्रिलोकपुरी विधान सभा सर जो पाइपलाइन यहां पर डाली गयी थी, 80 के दशक में डाली

गयी थी और वो पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गयी है और जिस कारण बहुत सारी समस्याएँ इस बीच में लगभग 15 से 20 परसेन्ट नई लाइनें बदल दी गयी है लेकिन जहाँ 80 परसेन्ट लाइनें पुरानी हैं वहाँ अभी भी सीवर की पानी की गम्भीर समस्या है। यहाँ के चिल्ला गाँव में और न्यू अशोक नगर में तो बहुत विकट स्थिति गर्मियों में हो जाती है। यहाँ पर मैंने सुबह-सुबह चीफ इंजीनियर के साथ में जाकर चिल्ला विलेज के अन्दर भी जाकर दौरा किया। जाकर वहाँ पर पानी की स्थिति का जायजा लिया तो पता लगा कि कई वर्षों से वहाँ पर कुछ गलियों में तो एक बूंद पानी नहीं पहुँचा है क्योंकि वो टेल एन्ड का इलाका पड़ता है, आखिरी छोर पड़ता है। यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधान सभा के अन्दर अभी वर्तमान में 7.15 एमजीडी पानी मिल रहा है जबकि हमारे यहाँ पर जो आवश्यकता है इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए 13.5 एमजीडी पानी की आवश्यकता यहाँ पर है तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी की समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर अतिरिक्त पानी बढ़ाया जाये और ब्लॉक नम्बर 13 में चर्च के सामने एक जल बोर्ड की जमीन है यहाँ पर एक नया यूजीआर बनाया जा सकता है। अगर वहाँ यूजीआर बन जाये तो त्रिलोकपुरी के खासतौर से ब्लॉक नम्बर 1 से लेकरके 12 तक की समस्या का पूरी तरह समाधान हो जायेगा। न्यू अशोक नगर जो इलाका हमारा पड़ता है यहाँ पर सर जो पानी मिलता है दल्लूपुरा के यूजीआर से मिलता है। इस दौरान जो पाइपलाइन यहाँ पर आती है न्यू अशोक नगर तक वसुन्धरा इन्क्लेव की सैकड़ों सोसायटियों में से होकर गुजरती है वहाँ तक तो आते-आते पानी पूरा समाप्त हो जाता है। न्यू अशोक नगर की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जब

भी टैंकर आता है लोग इन्तजार करते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में औरतें, बच्चे अपने जरूरी कामों को छोड़कर पानी की कतारों में लगे रहते हैं टैंकर की आस में। चिल्ला गाँव में भी ये स्थिति हैं तो अगर दल्लूपुरा यूजीआर से एक अलग से लाइन, सेपरेट लाइन न्यू अशोक नगर के लिए डाल दी जायेगी तो वहां सीधा पानी पहुंचेगा। वहां के लोगों को इस समस्या निजात मिल पायेगी। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये तमाम जो दिक्कतें मैंने बताई है पानी को लेकर त्रिलोकपुरी की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए इसके उपर जरूर ध्यान दिया जाये और यहां पर नई पाइपलाइन फिर से डालने के लिए, नई व्यवस्था बनाने के लिए अलग से सरकार द्वारा फण्ड की व्यवस्था की जाये तो माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा त्रिलोकपुरी की जनता की ओर से। यहां पर त्रिलोकपुरी में न्यू अशोक नगर, चिल्ला गाँव, कोटला गाँव, त्रिलोकपुरी ब्लॉक नम्बर 2, 30, 31, 12, 10, 11, 25, 23 और डीडीए जनता प्लैट में तो बहुत ही ज्यादा भारी किल्लत है पानी की तो आप इस ओर जरूर संज्ञान लें। तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया 280 के तहत। इसके लिए पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री एस0के0बग्गा जी। 11वाँ नम्बर है।

श्री एस0के0बग्गा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली जल बोर्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ लोगों के पानी के मीटर चलते नहीं हैं और खराब हो जाते हैं। उनके बिल एस्टीमेन्ट बेसिस पर गलत राशि के बन जाते हैं। किसी का दस हजार, बीस हजार, पचास हजार तक

बिल बनकर आ रहे हैं। रीडर भी गलत रीडिंग लेकर, गलत राशि के बिल बना रहे हैं। कुछ बिना रीडिंग किये गलत राशि के बिल बना रहे हैं। Sanjay पानी तथा सीवर के, नये कनेक्शन के लिए भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बिलों को ठीक करवाने का आदेश दें तथा पानी के सीवर के नये कनेक्शन के लिए भी तंग नहीं किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मोहन सिंह बिष्ट जी अनुपस्थित। पवन कुमार शर्मा जी, पवन कुमार शर्मा जी। प्रीति जितेंद्र तोमर।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री से अनुरोध है कि मेरे प्रश्न संख्या 37 का जवाब दें।

माननीय अध्यक्ष: ये 280 का है मैडम, 280।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: 280 का तो है नहीं।

माननीय अध्यक्ष: हां लगा हुआ है आपका। 15वां नंबर है।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: इसमें तो नाम ही नहीं है इसमें मेरा। अच्छा, अच्छा।

माननीय अध्यक्ष: नहीं समय था मेरे पास 1.00 बजे तक लेना है। इसलिए थोड़े बढ़ा दिए हैं।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने नियम 280 के तहत निम्नलिखित विषय को सदन में उठाने की अनुमति मुझे प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय, मेरे त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में डीटीसी की करीब 20 बस क्यू शेल्टर हैं, परंतु उनमें से 13 बस क्यू शेल्टर पूरी तरह डेमेज हो चुके

हैं। बस उनके अवशेष बाकी है ताकि लोगों को पता रहे कि यहां पर डीटीसी का बस स्टैंड है। बस क्यू शेल्टर न होने की वजह से यात्रियों को गर्मी और बारिश के मौसम में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सदन के माध्यम से, मैं माननीय परिवहन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कृपया मेरे त्रिनगर विधान सभा में जल्द से जल्द बस क्यू शेल्टर लगवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: शिव चरण गोयल जी। ये अंतिम है।

श्री शिव चरण गोयल: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान कर्मपुरा वार्ड 99 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे भगवान दास एक्सटेंशन और जयदेव पार्क, रोड नंबर 1 के पीछे एक अर्बन लैंड है, जो बसई दारापुर गांव से 1963 में अधिकृत कर दी गयी थी वो। उस पर अभी भू माफिया ने ढाई हजार गज पर अवैध कब्जा कर लिया है और वो करोड़ों-करोड़ों रुपए की जमीन है, जिस पर भू माफिया अपनी निगाह और कब्जा उसपर करके बैठा है, उसके लिए कई बार मैंने विधान सभा में भी, अपने डीएम को हर जगह उसके लेटर लिख के दिए जा चुके हैं लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि उस जगह को खाली करवाया जाए। जयदेव पार्क के निवासियों को और भगवान दास एक्सटेंशन के लोगों के लिए उस जगह पर उनके लिए कोई लाभकारी परियोजना बने जो आगे उनके लिए काम आ सके। तो मेरी विनती है उस जमीन को आप खाली करवाएं। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष: थैंक्यू। Introduction, Consideration and Passing of Bill श्री मनीष सिसोदिया जी। ऑनरेबल डिप्टी सीएम to introduce the Delhi Goods and Services Tax (amendment) bill 2021.

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली मॉल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021, (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या 03) को इंट्रोड्यूज करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर हैं।

माननीय अध्यक्ष: हां बताइये।

श्री विजेंद्र गुप्ता: ये जो बिल आज दो इंट्रोड्यूज किये जा रहे हैं। ये आज ही इंट्रोड्यूज हो रहे हैं, आज ही कंसिडर हो रहे हैं और आज ही पास किये जा रहे हैं। मैं आपको रूल 128 ।

माननीय अध्यक्ष: बुक दीजिएगा।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अभी तो इंट्रोडक्शन के बारे में हैं, कंसिडर होना और पास होना।

माननीय अध्यक्ष: मनीष जी बैठिए अभी। मनीष जी बैठिये आप बैठिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता: कभी ऐसा होता है किसी असेम्बली में सर कि बिल टेबल पर आया और वो कानून बदल गया। नियम कहता है 128 “किसी विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु” आप अभी पहला पार्ट है अनुमति, बिल को टेबल करना। “प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक मंत्री लिखित रूप में अपने अभिप्राय की सूचना सचिव को देंगे। विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव की सूचना देने की अवधि। यदि अध्यक्ष

अल्प सूचना पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान करते हैं तो सात स्पष्ट दिनों की होगी।” सात दिनों की। अगर आप।

माननीय अध्यक्ष: इससे पहले आपने क्या पढ़ा....

श्री विजेन्द्र गुप्ता: एक मिनट ये 128 में।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इससे पहले क्या पढ़ा आपने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: हां जी।

माननीय अध्यक्ष: इससे पहले पूरा, पूरा रीपीट करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मैं आगे पढ़ रहा हूं 128 में तो सात दिन हैं। अगर आप अनुमति देते भी हैं तो 129 कहता है कि- “पुरःस्थापन की अनुमति के लिए प्रस्ताव और सदस्यों को विधेयक की प्रतियां भेजना। मतलब आप अगर शॉर्ट टर्म करते भी हों उसे, तो, “किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में प्रस्ताव द्वारा इस सम्बंध में अनुमति प्राप्त की जाएगी परंतु, अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियाँ प्रस्ताव रखने के दिन से दो दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों।”

अध्यक्ष जी मेरा कहना ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तीन हिस्से हैं इसके- इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग। आप बिल देंगे हमें, उसका हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो कंसिडर होगा तो यानी कि टेबल करने से पहले इस बात की सदन की अनुमति लेने से पहले इसको

यहां पर रखने से पहले जो आप अनुमति दे रहे हैं। टेबल पर ये आया और टेबल पर ही अनुमति मिल गयी और फिर यहीं पर कंसिडरेशन हो गया और पास हो गया और आपकी कानून की किताब बदल गयी। ये छोटा अध्याय नहीं हैं, ये बहुत बड़ा अध्याय है। बाकी चीजों में ये चीज चल सकती है, लेकिन अगर हम कानून के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों का भविष्य हम इस तरह तुगलकी आदेश जारी करके कर रहे हैं तो इसपर हमारा विरोध है। आप चाहते हैं, आप इस पर रूलिंग दें क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि अगर प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध हो रहा है तो अध्यक्ष जी तय करेंगे कि क्या है? इसको, उनको या तो सदन की अवधि आप बढ़ाइये, मंडे को करिये। आज इंट्रोड्यूस हो गया है, मंडे को कंसिडर करिये, पास करिये या फिर आप रूलिंग दीजिए कि मैं एक ही दिन में सब करवाऊंगा। हमारा इतना ही कहना है।

माननीय अध्यक्ष: कल ये बिल आप सबके पास मोबाईल पर भेज दिया गया था। सभी सदस्यों को मिल गया होगा।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: एक सेकेंड, आपने बोला, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, पूरी पूरी जानकारी दीजिए। कितने बजे किसको दिया, कहां मिला। हमें तो कोई नहीं मिला कॉपी।

माननीय अध्यक्ष: पूरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता: हां जी हां।

माननीय अध्यक्ष: सभी के मोबाईल पर ये बिल कल भेज दिया गया था एक बात। बात नंबर-2 ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मुझे जानना है।

माननीय अध्यक्ष: वो मैं जानकारी लेके बता दूंगा। जरा बता दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: एक नॉर्म है।

माननीय अध्यक्ष: कितने बजे भेजा था बताइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ये विधान सभा है। इसका जो कार्य क्षेत्र है। कानून बना सकते हैं और कानून आज इस तरह से बन रहे हैं। तो आप अपनी रूलिंग दे दीजिए हमारे को।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: (विचार विमर्श) मैं अभी चेक करवा लेता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अभी विजेन्द्र जी, या तो मुझे पूरी बात कर लेने दो आप। या तो मुझे पूरी बात कर लेने दो। आपने क्वेश्चन रोज किया, कितने बजे, वो मैं पूछकर बता रहा हूं। कल भेज दिया गया है।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ...टेबल पर नहीं था, मोबाईल में।

माननीय अध्यक्ष: आपने नहीं देखा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ... ये कोई लॉजिक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: वो भी रात को, और आप आज, आज टेबल कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी। आजकल प्रधानमंत्री जी डिजिटल कर रहे हैं। आप उस डिजिटल का विरोध कर रहे हैं। नहीं आप उस डिजिटल का विरोध कर रहे हैं।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ...हमारे प्वाइंट ऑफ आर्डर को आप ओवररूल कर दीजिए। आपने अलाऊ किया है।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आप ओवररूल कर दीजिए। प्वाइंट ऑफ आर्डर की जब आपने अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने सुना है न, उसपर निर्णय तो ले लूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: लिजिए न ।

माननीय अध्यक्ष: निर्णय तो ले लूं। आपने एक क्वेश्चन किया कितने बजे भेजा ? अब उसपर स्टैंड कर लो।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। आप रूलिंग दे दीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: चलिए मैं रूलिंग।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अगर आप ओवररूल करते हो हमारे प्वाइंट ऑफ आर्डर को तो आप करिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई मैं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं प्लीज। कल छः बजे ये बिल मोबाईल पर सबको भेज दिये।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी हार्ड कॉपी देनी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष: भई विजेंद्र जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया का विरोध कर रहे हैं क्या? प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया का विरोध कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का विरोध कर रहे हैं क्या? ये रूल बुक बनी थी, जब ये डिजिटल नहीं था। चला गया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप विरोध कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी। नहीं, ऐसे नहीं? हां मैं बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है। मुझे जानकारी तो देने दीजिए। मुझे जानकारी देने दीजिए। पूरी जानकारी दे देने दीजिए। विजेन्द्र जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भाई दो मिनट रुक जाओ जरा प्लीज। ये गंभीर विषय है थोड़ा सा रुकिए। ये बिल ऑलरेडी, दूसरा भी पार्लियामेंट ऑलरेडी पार्लियामेंट पास कर चुकी है। ये रेक्टिफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, बस। पूरी बात, पार्लियामेंट ऑलरेडी पास कर चुकी है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ब्रैड एंड टी वाले की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। अभी तो पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त, मैं,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: उस पर भी आ रहा हूँ, एक बात को तो कर लेने दो। बिल नंबर वन पर तो बात कर लेने दो। आप उलझाने की कोशिश करेंगे मैं उलझूंगा नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: सर यहां पर हो क्या रहा है।

माननीय अध्यक्ष: आप उलझाने की कोशिश करेंगे, मैं उलझूंगा नहीं। मैं इसपर उलझूंगा नहीं। आप अगर उलझाने की कोशिश करेंगे तो उलझने वाला नहीं हूं मैं आसानी से, अब ये बात समझ लीजिए प्यार से कि ये पार्लियामेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूज कर चुकी है। नंबर 1 बिल की बात कर रहा हूं। ये केवल रेक्टिफिकेशन के लिए एक बात। जहां तक बिल नंबर 2 की बात है, (विचार-विमर्श) ये बिल भी, ये बिल भी ऑलरेडी पास है। इसमें तीन महीने की बजाय केवल एक महीना समय किया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: उसमें क्या किया? पुरःस्थापना और उसको क्या किया?

माननीय अध्यक्ष: उसमें कौन सी लम्बी-चौड़ी बात हो गयी। इसके लिए कोई पूरा बिल होता?

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अवधि घटा रहे हैं तो क्या है ये? कानून का परिवर्तन है। अमेंडमेंट है तो पहले वाले में भी अमेंडमेंट है। अगर आप पहले हो चुका है तो फिर क्यों ला रहे हैं आप?

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, विपक्ष): अध्यक्ष जी कमेटी बनाकर बेशक से नियमों में संशोधन करवा लिजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हो गया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आपने अपनी अपनी बात कह ली।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आपके अधिकार क्षेत्र में हैं। आप नियमों को ड्राफ्ट करवा सकते हैं, बिल बना सकते हैं और नियमों का आंकलन बना सकते हैं, लेकिन जो बिल इस हाउस में पास करवाया जाए, वो नियमों के मुताबिक होना चाहिए। इतना मेरा आपसे जरूर आग्रह रहेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: दोनो बिलों को मैंने अच्छे ढंग से देखा है।

कल देख लिया था इसमें इतनी कोई लंबी-चौड़ी बात मुझे नजर नहीं आई और मैं दोनों बिलों को अलाऊ कर रहा हूँ।

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से वॉक आउट किया गया।)

माननीय अध्यक्ष: माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक बार दोबारा से लेने दो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई।

माननीय उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, वो डिस्टर्बेंस के संबंध में मुझे बस इतना कहना है कि जो अभी ये हो रहा था एक 24 घंटे दिन रात काम करने वाली सरकार से तो बीजेपी को डर लगता

ही है साहब। 6 बजे शाम को बिल आ जाए तो ये डरते हैं। रात को 8 बजे मंत्री काम करता है तो ये डरते हैं। अब इनको पता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि रात-वात के समय भारतीय जनता पार्टी के संविधान में विधायक खरीदने और बेचने के लिए होते हैं काम करने के लिए थोड़े ही होते हैं। उनको परेशानी है कि उनका प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है रात को विधायक खरीदने के लिए एक्सपर्ट लोग अगर बिल पढ़ेंगे, आपने अभी क्या कर दिया 6 बजे इनको बिल भेज दिया 7 बजे-8 बजे पता नहीं क्या-क्या करते हैं ये लोग।

माननीय अध्यक्ष: और विधान सभा पारित भी कर दे तो 5-5 साल केन्द्र सरकार रोके रखती है।

माननीय उप मुख्यमंत्री: हां, वैसे अभी चले गए भारतीय जनता पार्टी के मित्र मेरा मन कर रहा था, उम्मीद है सुन रहे होंगे इस बात को बड़ी मर्यादा की बात कर रहे थे। इस देश के सदनों में हमने इस देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दों पर यहां तक कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी किस तरह से बिल पास होते हुए देखे हैं और कैसे किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने के बिल पास हुए हैं इस देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये इस देश के इतिहास में भी लिखा हुआ है और इस देश का भविष्य भी तय है और ये क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये 5 बजे उठाकर 4 बजे उपराज्यपाल को फोन करके साढ़े चार बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और 6 बजे उसके उप मुख्यमंत्री के सारे केस माफ कर देते हैं ये मर्यादा की बात करते हैं। किस मुंह से मर्यादा की बात करते हैं। बहरहाल मैं मूल मुद्दे पर लौटते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2021

(वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-3) को इंट्रोड्यूज करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: मैं दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक-2021 (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-3) को इंट्रोड्यूज करने के लिए सदन की अनुमति ये आपने बोला है।

माननीय उप मुख्यमंत्री(श्री मनीष सिसोदिया): मैं चाहता हूं सदन अनुमति दे।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में introduce करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये जीएसटी बिल जो देशभर में 2017 में लागू हुआ हमारी विधान सभा ने भी इसको पारित किया था। प्रस्तुत अमेंडमेंट बिल में इसमें 15 सेक्शंस में छोटे-छोटे बदलाव किए गए हैं पिछले वर्षों के व्यापारियों के और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के अनुभव को देखते हुए। इसके 15 अलग-अलग सेक्शंस में छोटे-छोटे से बदलाव है और इसका एक शेड्यूल-2

का पैराग्राफ-7 इसमें से हटाया जा रहा है। इसके संदर्भ में ये बिल है। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ये जीएसटी कौंसिल की 14 मार्च 2021 की 39 वीं बैठक में वहां पूरी तरह से डिस्कस होकर अनुभवों के आधार पर तैयार हुए हैं। जीएसटी कौंसिल से पास हो चुके हैं। मूलरूप से मैं कहूं इंट्रोडक्शन के पाइंट ऑफ व्यू से तो इस बिल में जितने भी संशोधन हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं एक तो जो टैक्सपेयर्स हैं हमारे व्यापारी हैं। उनकी सुविधा के ध्यान में रखते हुए उनके काम को और आसान करने के लिए कुछ संशोधन लाए जा रहे हैं और साथ-साथ में जो पिछले 4 साल के एक्सपीरियेंस के आधार पर देखा गया कि नया कानून था जीएसटी। उस कानून के नए-नए प्रावधानों का फायदा उठाकर कुछ लोग गलत तरीके अपनाकर फ्रॉड करने लगे थे, गलत तरीके अपनाने लगे और फ्रॉड करने लगे थे और टैक्स में चोरी करने लगे थे। लोगों से टैक्स ले लेते हैं लेकिन उसके बाद जनता से लिए गए टैक्स को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं। उस तरह की प्रैक्टिस करने लगे थे। तो कुछ अमेंडमेंट उससे संबंध में हैं। मैं बहुत संक्षेप में ताकि सदन के रिकार्ड में रहे, उसके लिए जो संशोधन लाए जा रहे हैं बहुत संक्षेप में उनका परिचय यहां दे देता हूं। एक महत्वपूर्ण संशोधन है इसमें कि जो व्यापारी अभी सारी ये व्यापारियों के राहत से संबंधित है। डेढ़ करोड़ की टर्नओवर से ऊपर के जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी कानून में कंप्लसरी ऑडिट कराना जरूरी था और reconciliation of statement भी बहुत जरूरी था। इससे नुकसान ये हो रहा था कि क्योंकि ऑडिट कंप्लसरी था और रिकंसिलेशन जरूरी था तो एक सामान्य व्यापारी को कहीं न कहीं सीए और सीएस पर निर्भर रहना पड़ता था। उसको कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाएं लेना और बहुत टैक्नीकल काम

है। तो उसकी ज्यादा सेवाएं लेना, उसको इस पर ज्यादा खर्चा करना होता था। तो यहां इस प्रस्ताव में हम जीएसटी अमेंडमेंट बिल में लाए हैं कि ये कंप्लेसरी ऑडिट नहीं रहेगा और रिकॉसिलेशन का स्टेटमेंट भी जरूरी नहीं रहेगा। इसको हटाने का प्रस्ताव भी मैं सदन के समक्ष लेकर आया हूं। एक व्यापारी जब अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो अगर उसकी कोई स्कूटनी होती है और उसमें कोई खामी पाई जाती है तो हमारा जो इंस्पेक्टर है, जो हमारे आफिसर्स हैं टैक्स के वो अगर किसी कारणवश किसी गाड़ी को सीज कर लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, तो उसका सामान तब छोड़ा जाता था जब व्यापारी टैक्स और पेनल्टी दोनों दे दें और टैक्स पर भी पेनल्टी लगती थी मतलब गुड्स का जितना वैल्यू है और उसके साथ-साथ उसका टैक्स और उसके ऊपर पेनल्टी लगाने का प्रावधान था। अभी उसमें अमेंडमेंट प्रपोजल है कि goods can be released on penalty only. अब गुड्स की वैल्यू पर ही पेनल्टी लगानी होगी टैक्स तो अलग से जाएगा ही जाएगा लेकिन गुड्स की जो वैल्यू है उसी पर पेनल्टी लगेगी। अभी गुड्स के वैल्यू पर और साथ-साथ जो टैक्स था उस पर दोनों पर पेनल्टी लगती थी। जिससे व्यापारी के ऊपर और बोझ पड़ता था। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर कोई रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाए, डिले हो जाए तो उस पर इन्ट्रेस्ट लगता है। अब इन्ट्रेस्ट जो है वो आईटीसी और कैश पेमेंट होने पर दोनों पर यानि ग्राँस पर लगता था। जबकि प्रैक्टिकल डिमांड ये हैं व्यापारियों की तरफ से भी थी और जनरल कॉमन सेंस में भी कि वो नेट पर लगना चाहिए, उस इन्ट्रेस्ट को ग्राँस पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब केवल जो अमाउंट टैक्स लायबिलिटीज के रूप में कैश में पे की जाएगी। उस पर ही इन्ट्रेस्ट यानि नेट अमाउंट पर इन्ट्रेस्ट लगेगा और ये

retrospective लागू होगा साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि कुछ गलत प्रैक्टिसिज पिछले वर्षों में चालू हुई है जीएसटी के लागू होने के बाद जिनको रोकने के लिए अब जरूरी है कि कुछ सख्त कदम उठाए जाए। जीएसटी कौंसिल ने डिस्कस किया था और उसको एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए कहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण है कि जीएसटी में आईटीसी लेने के लिए कई तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। हाल ही में विभाग ने कई ऐसे मामले भी पकड़े हैं जहां किसी ने अपने एंप्लायी या किसी non- existential person के नाम पर फर्म बना ली और आईटीसी क्लेम किया है या उसमें फ्रॉड किया। तो इसमें होता क्या है कि जब विभाग एक्शन लेता है तो उसका जो एक्शन है वो जिस व्यक्ति के नाम से फर्म बनी उसके ऊपर होता है। अगर उसकी प्रापर्टी सीज होनी है तो उसकी होगी जिस व्यक्ति के नाम पर फर्म बनी है। तो अभी ये अमेंडमेंट कर रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है जो पीछे उसके ultimate benefit लेकर जा रहा है। उसकी प्रापर्टी भी अटैच की जा सके इसका प्रावधान लेकर आ रहे हैं क्योंकि मास्टरमाइंड तो पैसा कमाकर निकल जाता है, फंसता है बेचारा कोई ऐसा आदमी जिसके पल्ले कुछ होता नहीं है और जो कुल मिलाकर एक scapegoat बन जाता है। तो अल्टीमेट जो मास्टरमाइंड है ultimate beneficiary है इस तरह के किसी फ्रॉड का उसकी प्रापर्टी भी अटैच की जा सके भले ही वो रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है ये प्रावधान इसमें लेकर के आ रहे हैं। इवे बिल के मामले में अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो अभी डिस्प्यूटिड अमाउंट का 10 परसेंट प्री डिपोजिट करने का प्रावधान है जिसको बढ़ाकर 25 परसेंट किया जा रहा है ताकि इवे बिल में लोग जब गुड्स का अपना ट्रांजिट करे तो ईमानदारी से करें और थोड़ा जिम्मेदारी से करें। एक और फ्रॉड प्रैक्टिस देखने

में आई है अध्यक्ष महोदय कि रिटर्न फाइल करते वक्त दो फाइलिंग होती है एक तो जीएसटी आर-वन और एक श्री-बी फाइल होता है टैक्नीकल हमारे बग्गा साहब जानते होंगे, राघव जी भी जानते होंगे। तो जीएसटी आर-वन और श्री-बी जब फाइल होते हैं तो आमतौर पर होता क्या है कि आर-वन में जो है वो लोग अपने अमाउंट को बढ़ाकर दिखाते हैं उस पर ज्यादा दिखाते हैं और श्री-बी में कम दिखाते हैं क्योंकि आर-वन के बेस पर उनको आईटीसी का पास ऑन करना होता है और श्री-बी जो है उसके बेस पर उनको टैक्स देना होता है। तो जब आईटीसी पास करना है तो उसमें दिखा देते हैं ज्यादा सेल हुई ज्यादा का अमाउंट दिखा देते हैं। जब टैक्स देने की बारी आती है तो कहते हैं कम हुआ और ये प्रोविजन था इसमें कि श्री-बी के आधार पर टैक्स कैलकुलेट होता था तो अब इसमें परिवर्तन करके ये किया जा रहा है कि आर-वन में जो डिक्लेयर होगा उस पर भी टैक्स लायबिल्टी बनेगी। तो ये कुछ मोटे-मोटे प्रस्ताव थे जो इस बिल के मैंने इंट्रोड्यूज किए। अब मैं सदन की अनुमति से “दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-03)” को सदन में Introduce करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

यदि सदस्य इस विधेयक के संबंध में चर्चा करना चाहें तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

-प्रश्न है कि खण्ड-2, जिसमें धारा 7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-2, जिसमें धारा 7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-3, जिसमें धारा 16 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-3, जिसमें धारा 16 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-4, जिसमें धारा 35 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-4, जिसमें धारा 35 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

-प्रश्न है कि खण्ड-5, जिसमें धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-5, जिसमें धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन है, विधेयक का अंग बन गया।

-प्रश्न है कि खण्ड-6, जिसमें धारा 50 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-6, जिसमें धारा 50 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

-प्रश्न है कि खण्ड-7, जिसमें धारा 74 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-7, जिसमें धारा 74 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

-प्रश्न है कि खण्ड-8, जिसमें धारा 75 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-8, जिसमें धारा 75 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

-प्रश्न है कि खण्ड-9, जिसमें धारा 83 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है—
जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-9, जिसमें धारा 83 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।
प्रश्न है कि खण्ड-10, जिसमें धारा 107 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है—
जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-10, जिसमें धारा 107 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।
प्रश्न है कि खण्ड-11, जिसमें धारा 129 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है—
जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-11, जिसमें धारा 129 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-12, जिसमें धारा 130 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है—
जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-12, जिसमें धारा 130 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-13, जिसमें धारा 151 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है—
जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-13, जिसमें धारा 151 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-14, जिसमें धारा 152 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है—
जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-14, जिसमें धारा 152 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-15, जिसमें धारा 168 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-15, जिसमें धारा 168 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-16 जिसमें अनुसूची-2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-16 विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना

अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-03) को पारित किया जाए, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी।

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-03) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष:

यह प्रस्ताव सदन के सामने है—
जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।
विधेयक पास हुआ।

अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2021 (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-04) को सदन में introduce करने की Permission मांगेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2021 (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-04) को Introduce करने के लिए इस सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में introduce करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को इंट्रोड्यूज करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी इस सदन के समक्ष इस पूरे विधेयक के संदर्भ में रखना चाहता हूँ। माननीय सदस्य अवगत हैं कि दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना Bed and Breakfast Scheme चलती है और इस स्कीम का मकसद है कि जो टूरिस्ट दिल्ली में आते हैं खासतौर से जो International Tourist दिल्ली में आते हैं उनको दिल्ली के लोगों के घरों में लोगों के साथ रुकने का अवसर मिल सके। वो भारत की संस्कृति, भारत के रहन-सहन, भारत के भोजन, भारत के जनजीवन से परिचय ले सकें और परिवारों के साथ में रहकर फील कर सकें । इस नोबल मकसद के साथ में भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश की राजधानी में ये योजना शुरु की गई थी। इसमें देशभर से दुनियाभर से टूरिस्ट आते हैं दिल्ली में रुकते हैं लोगों के घरों में रहते हैं जिनके पास थोड़ी सी जगह है लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है तो जब टूरिस्ट दिल्ली से घूमकर यहां रहकर जाता है Bed and Breakfast Scheme के तहत रुक कर जाता है तो वो उन परिवारों की जिनके साथ रहता है और साथ-साथ में दिल्ली की देश की संस्कृति की अपनी सुनहरी यादों के

साथ जाता है। । ये जो स्कीम है इसके तहत दिल्ली का कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई घर है और उसके पास में अपने घर में अपने परिवार से ज्यादा स्पेस है किसी को रुकाने के लिए रूम है वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा सकता है और इसमें शर्त यह है कि वो व्यक्ति अपने घर में खुद रहता हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई मकान पड़ा है आपने उसको टूरिज्म का लॉज बना दिया या गेस्ट हाउस बना दिया या होटल बना दिया उस तरह से नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं उसी घर में उसके एक कमरे, दो कमरे, चार कमरे को आप "Bed and Breakfast Scheme" में शामिल करा कर एक अलग तरीके की स्कीम में शामिल हो सकते हैं। तो ये कोई कमर्शियल गेस्ट हाउस बनाने की स्कीम नहीं है। व्यक्ति का उस घर में रहना जरूरी है। ये जरूरी है कि उसके पास सुविधाएं हों टूरिस्ट को देने के लिए ताकि कोई नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आए तो वहां कोई क्वालिटी एक्सपीरियेंस वो लेकर जाए वो ऐसा नहीं है कि किसी तरह से कामचलाऊ काम हो उसके साथ में। कोई व्यक्ति अपने घर के अधिक से अधिक 6 कमरों को इस स्कीम में ला सकता है एक रजिस्ट्रेशन में। इस तरह से इसका फायदा ये है इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म में जैसा मैंने बताया व्यक्तिगत तौर पर जिन लोगों के घरों में ये स्कीम चलती है, जो लोग इसको चलाते हैं उनको फायदा ये है कि उनको एक आमदनी का जरिया मिल जाता है। सरकार की ओर से इसमें रजिस्ट्रेशन कराने से फायदा ये है कि अदरवाइज तो ये कमर्शियल एक्टिविटी है क्योंकि लोग चार्ज करते हैं पर कमर्शियल एक्टिविटी होने के बावजूद सरकार इसको प्रमोट करती है इसलिए इसमें जो बिजली के चार्ज हैं वो घरेलू बिजली की दरों से ही लागू होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो हैं वो डोमेस्टिक लागू होते हैं। ऐसी प्रापर्टी कमर्शियल एक्टिविटी होने के बावजूद रेजिडेंशियल प्रापर्टीज में ही टैक्स उस पर

लगता है प्रापर्टी टैक्स पर ही लगता है। जो स्कीम है उसमें प्रावधान है कि घर की सुविधाएं, कमरों की संख्या, quality of services इन सबको देखते हुए दो तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है गोल्ड कटेगरी में और सिल्वर कटेगरी में। अभी आज की तारीख में 347 रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हैं। 347 परिवारों ने अपने आपको Bed and Breakfast Scheme के तहत रजिस्टर कराया हुआ है और करीब 1630 कमरे अब functional हैं operative हैं जो 347 लोगों ने रजिस्टर कराये हैं। अब इसके रजिस्ट्रेशन में इसकी एक प्रक्रिया है। लोग अप्लाई करते हैं online application भी कर देते हैं लेकिन उनको सरकार का ये कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर सरकार उनको रजिस्ट्रेशन करके देगी। सरकार ने अपने आप को बाध्य किया हुआ है तो लोगों से बात हुई जो इसको ऑपरेट करते हैं वो भी उनसे भी फीडबैक लिया गया और जनरली अब क्योंकि कोविड के समय में हम लोग भी सोच रहे हैं लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के आय के साधन गये हैं, बिजनेस डाउन हुए हैं तो ऐसे में लोगों की आजीविका के साधन कैसे बढ़ाए जाएं और "Bed and Breakfast Scheme" जैसी स्कीम का फायदा दिल्ली के लोग कैसे उठा सकते हैं। जब हमने इसको रिव्यू किया तो देखा की इसमें 90 दिन की समय सीमा है तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी साहब हम आज ही अप्लाई करेंगे आप हमें 90 दिन बाद सर्टिफिकेट दोगे उसके बाद हम कर पाएंगे तो इसलिए मामूली सा परिवर्तन इसमें ये कर रहे हैं और इसी के लिए ये संशोधन है कि इस 90 दिन को घटाकर हम 30 दिन कर रहे हैं। तो सरकार अपने लिए ही जो लिमिट हमने 90 दिन रखी हुई थी उसको अब हम 30 दिन कर रहे हैं कि सरकार के पास अगर दिल्ली का कोई परिवार ये कहते हुए कि मैं "Bed and Breakfast Scheme" में शामिल होना चाहता हूं, मैं अपने घर को उसमें रजिस्टर कराना चाहता हूं और मैं स्कीम

का फायदा उठाना चाहता हूँ तो उसको फिर 90 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा सरकार अपने लिए ही समय सीमा को 30 दिन नियत कर रही है मैक्सिमम 30 दिन में हम उसका रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। हमें उम्मीद है हम उससे पहले ही दे देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन आम आदमी के point of view से हम कहें "ease of doing business" के point of view से कहें या promotion of tourism के point of view से कहें कोरोना पीरियड में लोगों की मदद के point of view से कहें तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संशोधन इस स्कीम में था जिसको मैं इस सदन के समक्ष लेकर आया हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2021 (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-04) को सदन में Introduce करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

यदि सदस्य इस विधेयक के संबंध में चर्चा करना चाहें तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हाँ बोलिये विशेष जी।

श्री विशेष रवि: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया है, इतना अच्छा ये फैसला है। हर लिहाज से ये फैसला बहुत अच्छा है और चूंकि मेरी विधानसभा के अंदर करोल बाग और पहाड़गंज के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में सैलानी, चाहे वो राष्ट्रीय हैं या अंतरराष्ट्रीय हैं वो आते हैं और इस स्कीम के तहत जो है बहुत बड़ी संख्या में वहां लोग रुकते हैं और अक्सर इस स्कीम के तहत जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है वो लोग मिलते थे अपनी समस्याओं का जिक्र करते थे और उसमें एक इस समस्या का भी जिक्र उन्होंने किया था कि इसका जो पंजीकरण का पीरियड है वो बहुत लंबा है उसको कराने में दिक्कत भी आती थी लेकिन आज जो यहां पर इसमें संशोधन किया गया है इस बिल के माध्यम से, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, उप-मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और जनता की तरफ से भी अपनी क्षेत्र की जनता की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूं धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा प्रश्न है कि खण्ड-2, जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-2, जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें-

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना,

अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सदन में पुरःस्थापित “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2021” (वर्ष 2021 का विधेयक संख्या-04) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक पास हुआ।

अब हम पौने तीन बजे सदन की कार्यवाही आरंभ करेंगे। लंच की वही व्यवस्था है जो कल थी आप सभी सादर आमंत्रित हैं लंच के लिये।

(सदन की कार्यवाही दोपहर 2.45 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

.....

सदन अपराह्न 2.53 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री विजेंद्र गुप्ता: स्पीकर साहब, एक बात मैं आपकी बात पर यकीन करके.. कि वो आया होगा, मैं अभी तक चेक किया है किसी मेम्बर के पास बिल नम्बर-2 अभी तक नहीं है, मोबाइल में। हमारा इतना ही कहना है कि आप इसको करेक्ट कर दें बस बात को। इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं और अपेक्षा करते। क्योंकि आपने जो स्टैंड लेना था ले लिया लेकिन कम से कम सदन में जानकारी तो प्रॉपर आनी चाहिए न।

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष महोदय, रूल 114 में एक निंदा प्रस्ताव है।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: तो अध्यक्ष जी मेरा इतना सा अनुरोध है, बस इतनी सी बात का।

माननीय अध्यक्ष: मैंने केवल बिल नम्बर-1 बोला था। मैंने केवल बिल नम्बर बार-बार रिपीट किया....

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: नहीं-नहीं सर, दो बिल की बात हुई थी। मैंने....

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपसे कहा था कि 1 नम्बर बिल सबको भेज दिया गया है।

श्री विजेंद्र गुप्ता: बिल नम्बर-2 नहीं भेजा गया। ये मैं चाहता हूँ रिकार्ड पर आप इसको लायें... आपने over rule किया था point of order उस समय बिल हमें मिला ही नहीं था इसीलिए मैंने आज ये रिक्वेस्ट की।

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के पार्ट पर कोई भूल हो सकती है। आखिर सरकार में भी.....

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार को...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आपको ओवररूल तो कोई नहीं कर सकता। टेबल पर आया था तो पहले दिया होता। उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: सर वो मैं, हमारी बात पर तो कुछ न कुछ, कुछ तो कीजिए।....

माननीय अध्यक्ष: आपने ध्यान दे लिया।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमार: धन्यवाद अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अगर भविष्य में....

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ...करेक्ट करा दीजिये न।

माननीय अध्यक्ष: भविष्य में ध्यान रखेंगे। वो मैंने एक, उसमें करेक्ट क्या करवाऊ। मैंने बोला ही था बिल नम्बर-1 है। मैंने दोनों के लिए बोला ही नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: एक आया है, एक नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष: हां, तो उसमें करेक्ट मैंने किया है, एक ही आया है। मैंने बोला ही नम्बर-1 भेजा। कल मेरे मुंह से जो निकला है वो यही था कि बिल 1 नम्बर हमने भेजा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आपने तो 2 नम्बर....

माननीय अध्यक्ष: 2 नम्बर का हमने जिक्र ही नहीं किया कुछ भी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हां, बस ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: तो आप हमारी इतनी बात....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आप पता कर लीजिए कि बिल...

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष जी, मैं..

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: एक नम्बर था, एक नहीं था, बस इतना ही...

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमार: अरे गुप्ता जी, बैठिये न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: इतना कह देंगे तो हमारी बात तो कम से कम पेश होगी न।

माननीय अध्यक्ष: मैंने अब दोहरा रहा हूँ...

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमार: बैठिए गुप्ता जी। हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, अब दोहरा रहा हूँ कि केवल बिल नम्बर-1 ही कल भेजा गया था। बस। किस्सा खत्म हो गया।

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष जी, मैं रूल 114 में एक निंदा प्रस्ताव दिल्ली पुलिस के खिलाफ रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी हाल ही में सबको पता है कि टी.वी. के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से भी सब लोग लगातार देख रहे हैं, एक विडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई और उसके बाद उसको दिखाया गया। मेरे इलाके में कोंडली विधान सभा के अंदर एक न्यू कोंडली इलाका है वहां पर एक युवक, जिसकी उम्र 29 साल थी और वो दलित समाज में वाल्मीकी समाज से ताल्लुकात रखता था, उसके साथ 2 महीने पहले मारपीट

की घटना होती है और जिस घटना में खुद दिल्ली पुलिस के 2-3 सिपाही मिलकर उसको ऑन रोड उसको पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं और उसके बाद उसको वहां से गायब कर दिया जाता है। अध्यक्ष जी, 2 महीने तक कोई पता नहीं लगता। परिजन लगातार थाने के चक्कर काटते रहते हैं, थाने जाते रहते हैं लेकिन 2 महीने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिलती, विडियो दिखाते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस उनके ऊपर कोई संज्ञान लेने का काम नहीं करती है अध्यक्ष जी। उसके बाद जब ये मामला हाईलाइट होता है, ये विडियो वायरल होती है, तब पता लगता है, जब जांच होती है तो पता लगता है कि उन पुलिसवालों ने उस....

माननीय अध्यक्ष: ये वो ही मामला है क्या जो आज अखबारों में आया है।

श्री कुलदीप कुमार: हैं अध्यक्ष जी?

माननीय अध्यक्ष: ये वो ही मामला है जो आज अखबारों में।

श्री कुलदीप कुमार: हां, बिल्कुल अध्यक्ष जी, जो आज के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपा हुआ है, हैडलाइन में छपा हुआ है, ये वही मामला है अध्यक्ष जी। और उसके बाद उस युवक की कोई एफ.आई.आर 2 महीने तक दर्ज नहीं होती है। आप दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, काम करने का तरीका देखिए कि एक युवक की विडियो लगातार दिखाते रहते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के सिपाही खुलेआम रोड पर उसको मार रहे हैं और दूसरे थाने के सिपाही आकर उसको वहां मार रहे हैं और उसके बाद भी एफ.आई.दर्ज नहीं होती है अध्यक्ष जी। तो मैं कहता हूं कि ये किस प्रकार की प्रथा है? और उसके बाद ये पता लगता है कि मुरादाबाद के अंदर जो गंग नहर है उसके शव को वहां

पर ले जाकर फेंक दिया गया और आज तक भी उसका शव परिवार के लोगों को नहीं दिया गया है और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस सदन के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और उन दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि मुझे लगता है कि आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया गया है, जिस प्रकार की घटनाएं रोज-रोज हो रही हैं, दिल्ली पुलिस का रवैया बिल्कुल भी उसमें ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता रहा क्योंकि हमारे यहां तो सारा एरिया ऐसा है, स्लम बस्तियां हैं, कल्याणपुरी है, बगल में त्रिलोकपुरी है, ये अशोक नगर है, पूरा इलाका ऐसा आता है अध्यक्ष जी जहां पर गरीब-गुरबा लोग रहते हैं। ऐसे ही उन्हें जाल के अंदर फंसाकर दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उनकी मौत तक की जाती है और उसके बाद ये मामला आज खुलकर सामने आया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: ये मामला अत्यंत गम्भीर है। आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं भेजता हूँ एल.जी को। लिखकर दीजिए। हां, जून साहब।

श्री बी.एस.जून: अध्यक्ष जी, पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले एक घटना आई जिसमें चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक की गर्दन कट गई, गनीमत रहा वो बच गया। लेकिन वो गिर गया सड़क पर और उसको गम्भीर चोटें आईं और आज वो जीवन और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे चाइनीज मांझे की वजह से बहुत से लोगों की जान गई। पक्षियों की भी गई, पक्षियों की तो चलो, आदमियों की चली गई। लेकिन फिर भी इस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी

भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि उसका निर्यात आज तक नहीं रोका गया? किसी ने....

माननीय अध्यक्ष: आयात।

श्री बी.एस.जून: हां आयात, आयात आज तक नहीं रोका गया। ऐसी कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही हैं, लोगों को गम्भीर चोटे आ रही हैं, पक्षियों पर असर पड़ रहा है, लेकिन आज भी मार्केट में ये चाइनीज मांझा अवेलेबल हैं। अब ये बारिश का सीजन आया, 15 अगस्त तक पतंगबाजी खूब होगी और पूरा अंदेशा है कि आगे भी ये घटनाएं बढ़ेंगी। तो भारत सरकार इसके आयात पर जल्द से जल्द रोक क्यों नहीं लगाती? क्या इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट है या कितने लोगों की जान जाएंगी जिसके बाद इसको बंद किया जाएगा, आयात को रोका जाएगा? और जो लोग आज के दिन चाइनीज मांझा दिल्ली में बेच रहे हैं उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? और जिन लोगों की जान गई या जिन लोगों को गम्भीर चोटें आई, उनका मुआवजा, उचित मुआवजा भारत सरकार क्यों नहीं दे रही? पैसा कमा रहे हैं, टैक्स ले रहे होंगे जरूर आयात पर। और जो लोग जान गंवा चुके, जो गम्भीर रूप से घायल हो गए उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। चाइनीज मांझे की वजह से जितना नुकसान युवकों में हुआ है, शायद ही आज तक कभी युवकों ने ऐसी स्थिति देखी हो। मैं भारत सरकार की इस बात पर घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि चाइनीज मांझे के आयात पर तुरंत बैन लगाया जाए। और जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली विधान सभा और इसकी समितियों के अधिकार क्षेत्र में असंवैधानिक और अनधिकृत हस्तक्षेप के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे। श्री अखिलेश पति त्रिपाठी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बिल भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार लायी है, ऐसा असंवैधानिक बिल मैंने अभी तक कभी न देखा, न सुना और न पढ़ा। अध्यक्ष जी, मैं भारत के संविधान की एक कॉपी लेकर आया हूँ आपके सामने। इसका पहला पन्ना जब खोलते हैं तो यहां लिखा है- "We, the people of India" भारत के लोग, हम भारत के लोग कौन हैं, हम भारत के लोग हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली विधान सभा के मामले में। और दिल्ली के लोगों ने मिलकर के एक सरकार चुनी और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान ये कहता है कि सारी शक्तियां जनता में निहित हैं। संविधान की सर्वोच्चता है, इस संविधान से ऊपर न कोई विधि होगा, न कोई कानून होगा इस देश में। लेकिन केंद्र की सरकार ने किया क्या है? अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली में विधान सभा नहीं थी, 69वां संविधान संशोधन लाया गया और उस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 239AA जोड़ा गया और उसमें लिखा गया, अध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा गया कि केवल और केवल एन्ट्री-1, एन्ट्री-2 और एन्ट्री 18, ये 3 विषय लॉ एंड आर्डर, पुलिस और भूमि, इसको छोड़कर सारे विषयों पर न केवल दिल्ली विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार होगा absolute power होगा, उसकी समितियों को उसके संदर्भ में जांच करने का, निर्णय लेने का, साक्ष्य प्रस्तुत कराने

का अधिकार होगा, जो सरकार चुनी हुई है उसको भी उस पर काम करने के लिए पूरे तरीके से अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो सरकार है वो सरकार इस संविधान को नहीं मानती। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ संविधान को क्यों नहीं मानती क्योंकि जब ये 239AA जब आर्टिकल लाया गया संविधान संशोधन के द्वारा तो इस संविधान संशोधन को सिर्फ संशोधित किया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा। और इस सरकार ने क्या किया, एक जनरल बिल, एक कानून लाकर के इसमें संशोधन करने की कोशिश की है जोकि सरासर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और यहीं नहीं रुकें, इनको पता था पहले से कि ये जो कानून ला रहे हैं, वो जो 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ की जो निर्णय आया है, उसके ये प्रतिकूल है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कहती हैं कि सरकार को केवल इन 3 एन्ट्री को छोड़कर सारे विषयों पर काम करने का अधिकार होगा, विधान सभा को काम करने का अधिकार होगा। अभी फेसबुक के मामले में पीस एंड हारमनी जो कमेटी थी हमारी, उसके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने तय करने का काम किया कि दिल्ली विधान सभा की कमेटियों के मामले में आपको अगर बुलाया जाता है तो जाना पड़ेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा, जांच में कोआपरेट करना पड़ेगा और दिल्ली विधान सभा की कमेटी को जांच करने का अधिकार है।

अब अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार के लोग डर गये, इन्हें पता था कि इनके जो दंगाई लोग थे जिन्होंने दिल्ली के दंगों को कराने का काम किया, अब उनका चेहरा बेनकाब होने वाला था उस कमेटी में। तो इन्होंने कहा इसको रोकने

का काम किया जाए। उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया अध्यक्ष महोदय। पूरे देश के लोगों को पता चलता कि दिल्ली का दंगा जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने कराने का काम किया। इनके नेता, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, जिनके बारे में सबको पता है। कौन थे वो? अनुराग ठाकुर, जिन्होंने भड़काऊ भाषण देने का काम किया। कपिल मिश्रा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, इन लोगों का सबका....

....व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: सबका खुलासा हो जाता। ये बिल लाया जो आपने न, अपना पर्दा डालने के लिए, ये पर्दा ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, घबराइये मत आप लोग, घबराइये मत, ये पर्दा ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। आपने इस कानून को लाकर दिल्ली की सरकार और दिल्ली की विधान सभा को एल.जी का अनुचर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए हजारों वर्ष से तमाम पीढ़ियों ने संघर्ष किया, राजशाही को खत्म किया और राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र लाने का काम किया देश में और लिखित संविधान से देश चलना शुरू हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे रहकर उस राजतंत्र को देश में लागू करने का काम करने जा रही है और डेमोक्रेसी को खत्म करके अराजकता लाने के लिए अग्रसर हो रही है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत निंदा का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात बताना चाहता हूं कि अभी जो अमेंडमेंट लाया है केंद्र सरकार ने, उसके सेक्शन 33 में इन्होंने अमेंडमेंट किया है और कहा है कि दिल्ली की विधान सभा, दिल्ली की विधान सभा की कमेटियां

day-by-day administration के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, उसका रिव्यू नहीं करेंगी, उस पर बात नहीं करेंगी, उस पर जवाबदेही तय नहीं करेंगी। और यहीं नहीं रूकें, उन्होंने कहा कि न केवल day-by-day का administration इनके हाथ से छीना जा रहा है बल्कि कोई भी इंकवायरी दिल्ली विधान सभा या दिल्ली विधान सभा की कोई कमेटी नहीं कर सकती। किससे डरते हैं आप, कौन सी इंकवायरी से डर रहे आप लोग? पाक साफ हैं तो डरते क्यों हैं? अधिकार छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष महोदय, ये जो सेक्शन 33 लाया गया है वो इस मामले में असंवैधानिक है मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि सातवां शेड्यूल भारतीय संविधान का, उसका लिस्ट-2, जिसको राज्य सूची कहते हैं, उस राज्य सूची का 39वां जो सब्जेक्ट है वो कहता है कि हरेक विधान सभा को पावर है, हर विधान सभा के उन सदस्यों को, उसकी कमेटियों को privileges प्राप्त है। हर एक कमेटी को, हर एक विधान सभा के सदस्य को immunity प्राप्त है और वो immunity जो प्राप्त है उसका पूरा का पूरा प्रयोग जनहित में विधान सभा और कमेटियां कर सकती हैं और वो कह सकती हैं कि आप कोई भी साक्ष्य लेकर आइये, उनको ये कहा जा सकता है। किसी को दिल्ली विधान सभा की कमेटियों में आने के लिए कहा जा सकता है, जवाब देने के लिए कहा जा सकता है और अगर कोई जवाब नहीं देता तो उसको सुनिश्चित करने के लिए कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास कर सकती हैं। लेकिन इस संवैधानिक clause को भी खत्म करते हुए एक साधारण बिल से, एकमात्र साधारण बिल से जो है सेक्शन 33 लाने की कोशिश की है। इस तरीके से अध्यक्ष जी ये पूरा का पूरा जो सेक्शन लाया गया वो असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, इसको निरस्त किए जाने की जरूरत है।

साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय भारतीय संविधान का आर्टिकल 172 कहता है कि राज्यों की विधान सभाओं और केंद्र सरकार के बीच में अलग-अलग तरीके की शक्तियों का प्रतीकीकरण बताया गया है, इस आर्टिकल में, इस प्रतीकीकरण को भी खत्म करने की कोशिश इस धारा के द्वारा की गयी अध्यक्ष महोदय। बहुत ही शर्मनाक है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक सेक्शन 44 में अमेंड करके उसको लाने की कोशिश की है जिसमें इन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ी है कि जो मैं कहूंगा वो सही, जो और कहेंगे गलत, हम कहे सत्य, बाकी कहें गलत, एक नई परिभाषा। संविधान को मानेंगे नहीं ये। सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं ये। संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। संघीय ढांचे को खत्म करेंगे। संघीय ढांचा क्या है अध्यक्ष महोदय, "We, the people of India" फिर आऊंगा वहीं पर। और आपको पता है कि 13 जजों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने केशवानंद भारती के मामले में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि किसी भी कीमत पर देश के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में इस तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये जो बदलाव किया गया है जी.एन.सी.टी.डी एक्ट में, ये देश के संघीय ढांचे पर चोट है, ये देश के संघीय ढांचे को खत्म करने का प्रयास है, ये देश के संविधान को खत्म करने का प्रयास है अध्यक्ष महोदय, इसलिए ये बिल तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को खत्म करना चाहिए। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ—

उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नम्बर अब आया है,

गर मेरी कत्ल पर आप भी चुप हैं, तेरा नम्बर भी आयेगा।

मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ा होकर इस सदन में नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं इस सदन में संविधान की रक्षा के लिए बोल रहा हूँ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बोल रहा हूँ, संघीय ढांचे की रक्षा के लिए बोल रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे हैं यहां पर, जरा आइने में झांककर देखिये, अपने दिल पर हाथ रखकर देखिये, ये जो हुआ है वो क्या संविधान तर्क है Vkt क्या संघीय ढांचे के अनुसार है? आज अगर आप चुप होंगे और मैं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूँ आज इस अवसर पर कि आज अगर हम चुप हुए तो ये केन्द्र मोदी सरकार देश के संघीय ढांचे को खत्म करने का बहुत बड़ा षडयंत्र रच रही है। आज दिल्ली विधान सभा से इसकी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करके एक एक राज्यों को ये तंग करना शुरू कर दिये हैं। आपने देखा बंगाल में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं आज इनकी सरकार के ही शब्दों को याद कराना चाहता हूँ अपने विपक्ष के साथियों के। ये बहुत बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं डमरू बजाकर आत्मनिर्भर सरकार, आत्मनिर्भर सरकार। आपने दिल्ली सरकार को आत्मनिर्भर से एलजी निर्भर सरकार बनाने की कोशिश की है। आपको दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। आपने दिल्ली की जनता के जनमत को, दिल्ली की जनता के आदेश को कुचलने की कोशिश की है इस बिल के माध्यम से। आपको आने वाले समय में जनता कुचलने का काम करेगी, याद रखना माफ नहीं करेगी। जो लोग, जो पार्टी जनमत का आदर नहीं करती, जो लोकतंत्र का आदर नहीं करती, जो संघीय ढांचे में विश्वास नहीं रखती।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, कंकल्यूड करिए, कंकल्यूड करिए प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, चंद शब्द कह कर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि इनकी सरकार की हालत यह है कि जो पावर होता है वो लोगों को कर्प्ट करता है, मदांध करता है और इनकी पावर corrupts and absolute power corrupts absolutely. और ये मदांध हो चुके हैं, ये अपनी सत्ता के मद में मदांध हो चुके हैं। सत्ता के मद में इतने मदांध हो चुके हैं कि अब संविधान उनको नजर नहीं आता। क्या गलती है अरविंद केजरीवाल की सरकार की, क्यों आप बिल लाए? हमारी यही गलती है कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम कर दिया दिल्ली में। हमारी यही गलती है कि हमने सबको फ्री पानी देने का काम कर दिया दिल्ली में। हमारी गलती यही है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया जिसकी सराहना यू.एन. के सेक्रेट्री जनरल तक करते हैं। हमने गलती की कि हमने शिक्षा जगत में वो मॉडल स्थापित करने का काम किया जिसको देख कर के 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' और अमेरिका के तमाम।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, अब कंकल्यूड करिए, हो गया आपका।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: प्रतिनिधि आकर इनको देखने का काम करते हैं और इनकी सराहना करते हैं

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, समय नहीं है उतना, कंकल्यूड करिए प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: आप बताइए, आज एलजी का शासन लाने का काम किया आपने, अगर कहीं पानी बंद हो जाता है तो क्या एलजी साहब

मिलेंगे किसी जनता से, वोट किसको दिया था जनता ने? जनता ने आपको वोट दिया था, हमको दिया था, यहां बैठे सारे सदस्यों को वोट दिया था।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, अब कंकल्यूड करिए, प्लीज कंकल्यूड करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: मैं कंकल्यूड कर रहा हूं। इस तरीके का जो अमेंडमेंट लाया गया है इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल से साबित हो गया है कि अब इन्होंने आर्टिकल 239ए का क्लॉज 6 मैं याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जिसमें कहा गया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली विधान सभा के प्रति जिम्मेदार होगी और अब इस अमेंडमेंट के बाद कह दिया गया कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एलजी के प्रति जिम्मेदार होगी, ये कौन सा संविधान नया लिख कर ले आए? ये नया संविधान लिख दिया गया कि दिल्ली विधान सभा एलजी के प्रति जिम्मेदार होगी और एलजी साहब मोदी जी के प्रति जिम्मेदार होंगे और मोदी जी किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। कमाल हो गया! मतलब कमाल-कमाल की परिभाषाएं लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने जुमला छोड़ने का जो आपने काम किया है आपने न केवल संघीय ढांचे को खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को खत्म करने, उसको ओवर रूल करने का काम किया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट को दी गयी है उसको भी चोट पहुंचायी है।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, अब कंकल्यूड करिए, नहीं कंकल्यूड करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: मैं आज इस सदन के सामने खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि बहुत दिन दूर नहीं है ये असंवैधानिक संघीय ढांचे को

चोट पहुंचाने वाला जो बिल आया है वो कोर्ट में जब भी जाएगा, इसकी धज्जियां फाड़ करके ऐसे कोर्ट ऐसे फेंकने वाला है, यूं करके फेंकेगा। जो जनमत की अवहेलना करेगा, उसकी अवहेलना सुप्रीम कोर्ट नहीं सहेगा। संविधान की अवहेलना करने वाले लोग देश में रहने लायक नहीं हैं, ऐसे लोगों को देश से बाहर करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय और ये बिल तुरंत, तत्काल वापिस होना चाहिए दिल्ली की जनता के हित में। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात जो है इस विधान सभा के सामने रखी। मेरा मानना भी यह है कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार सभी तरीके की संस्थाओं को ढहाती जा रही है अभी तो सिर्फ शुरूआत है। हमारे विपक्ष के साथी भी यहां बैठे हैं, सत्ताधारी दल के साथी हम लोग भी यहां बैठे हैं। और कई बार हमें भी बुरा लगता है कि विपक्ष को बहुत शोर मचाना पड़ता है यहां पर अपनी बात रखने के लिए। कई बार वो आपसे समय मांगते हैं, समय कभी मिलता है कई बार नहीं मिलता है और ये बात उठाते हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर लोकसभा के अंदर अगर हम देखें तो किस तरीके से मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है सबके सामने है। लोकसभा में भाजपा का दल मैजोरिटी में है, अपोजिशन पार्टी बड़े बड़े मुद्दों को उठाती हैं जैसे अभी पेगासस के उपर लगातार चर्चा करने की कोशिश की जा रही है और सदन में शोरशराबे के बीच केन्द्र सरकार कानूनों को पास कर रही है। एक-दो कानून पास हो जाएंगे मगर जो नई मर्यादाएं और जो नए प्रिसिडेंस बना रही है वो आगे तक के लिए

हमारी इस पूरी की पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज आप सत्ता में हैं, कल कोई और सत्ता में आएगा। आज हम दिल्ली की सत्ता में हैं, हो सकता है कभी आपको मौका मिले 20-50 साल बाद, आपको भी मौका मिल सकता है। अगर आप बिल्कुल ही ये मानकर बैठे हैं कभी आपको मौका मिलेगा ही नहीं, फिर तो ठीक है। आप एलजी के जरिए ही चलाने की कोशिश करो। मगर ये आपकी हताशा दिखाता है। ऐसा लगता है कि आपको भी यकीन है कि दिल्ली आपको उधर ही बिठा कर रखेगी। वर्ना जो आशावादी इंसान होता है वो सोचता है कोई बात नहीं अगली बार मेहनत करेंगे, सत्ता में आएंगे, दिल्ली चलाएंगे। मगर जिस तरीके से चोर दरवाजे से आकर आप दिल्ली की सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जहां तक कि अखिलेश भाई ने असेम्बली कमेटीज के बारे में बताया, असेम्बली कमेटीज तो विधान सभा की छोटी विधान सभाएं कहलाती हैं, मिनी असेम्बलियज कहलाती हैं। क्योंकि एक साथ 70 लोग हर विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। कई विषय ऐसे होते हैं जिसके अंदर लंबी चर्चाओं की आवश्यकता होती है। तो 9 सदस्यों की एक कमेटी जो है इस चीज के उपर चर्चा करती है, अफसरों को बुलाती है, दस्तावेज बुलाती है, उसके उपर अपनी एक राय बनाती है और सरकार को उस चीज की सिफारिश करती है। और ये हाउस जो है उस सिफारिश को जो है सरकार के पास भेजता है। अगर केन्द्र सरकार की तरफ से इन कमेटियों के उपर भी हमला करा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि कमेटियां जो हैं अब इंकवारिज नहीं कर सकती, तो यह बहुत खेद की बात है। ये तो इस हाउस की, इस सदन की मूल भावना के ही विपरीत है। सरकार की जवाबदेही सदन के प्रति है। अगर सरकार के अंदर कोई काम ऐसा है जिसके बारे में

सदन जानकारी चाहता है जैसा कि आज आपने देखा प्रश्नकाल के दौरान, मेरा एक प्रश्न था जिसके अंदर एक बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक झूठा जवाब, एक गलत जवाब नहीं दिया और एक पूरा जवाब न देते हुए झूठा जवाब दिया। क्या केन्द्र सरकार अब यह चाहती है कि इस सदन के अंदर झूठे जवाब आएँ, अधूरे आएँ उनको भी ये हाउस एक्सेप्ट कर ले? सदन की जो सारी शक्तियाँ हैं वो लोगों की शक्तियाँ हैं ताकि लोगों के जो सवाल हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं भाजपा के अपने साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, मैं इनके सवाल पढ़ रहा था बहुत अच्छे सवाल बने। पिछला जो सत्र होता था हमारा, विधान सभा होती थी उसके मुकाबले इस बार जो हमारे भाजपा के साथी आएँ हैं मैं उनको दिल से मुबारकबाद दूंगा, बहुत बेहतरीन, अच्छे सवाल इन्होंने करे और काफी सवालों के उत्तर जो हैं वो इसके अंदर आए। वो सवाल हो सकता है सरकार को विचलित करने वाले हों, हो सकता है सरकार को उसको जवाब देने में ऐसा लगता हो कि भई यह तो अपोजिशन पार्टी है, इनको इन जवाबों का डेटा इस्तेमाल करेंगे ये कल को, ये हमारे खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करेंगे, कल ये हमारे खिलाफ डिबेट में शाम को इनका प्रवक्ता बैठा होगा, वो कहेगा आप ही की सरकार ने जवाब दिया है। कई सवाल लगाए हैं इन्होंने कितने वेंटिलेटर नए लगाए गए, कितने आईसीयू नए लगाए गए, कितनी दिल्ली के अंदर पानी की मात्रा पहले होती थी, अब कितनी बढ़ी, कितने अस्पताल बढ़े, कितने कालेज बढ़े, कितने फ्लाईओवर बढ़े, सब साथियों ने लगाए हैं सवाल। मुझे अच्छे लगे इनके सवाल। इस बहाने हमें भी पता चला। और ये सवाल इनके सवाल नहीं हैं, ये सवाल जो हैं इनको जिस जनता ने चुना है उसके सवाल हैं। इनका दायित्व है कि यहां पर सरकार से सवाल पूछें, सरकार को

जवाब देना पड़ता है अध्यक्ष जी इसका एक फायदा भी है। जब सरकार एक सवाल के जवाब के लिए दो-तीन दिन मेहनत करती है तो सरकारी तंत्र के अंदर उपर से नीचे तक, मंत्री से लेकर नीचे के अफसर तक ये मेसेज जाता है कि आपके जो विधायक हैं वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर उसमें कमीपेशी है तो आप अगले सत्र से पहले उसको बेहतर करें, दुरुस्त करें। तो सरकार के लिए भी ओवरऑल पूरा का पूरा एक हैल्दी सिस्टम है, स्वस्थ परंपरा है जिससे सबका फायदा है पूरी दिल्ली का फायदा है। अब कल को सरकार यह कह दे कि भई आप प्रश्न ही नहीं पूछ सकते तो क्या होगा? इनके प्रश्न भी नहीं आएंगे, हमारे प्रश्न भी नहीं आएंगे और एक स्वस्थ परंपरा जो 60-70 सालों से चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी। आरटीआई तो बहुत दिनों बाद आई 2005 में अध्यक्ष जी। उससे पहले यही एक तरीका होता था कि सरकार से आप सवाल पूछें और ये जानकारियां जो हैं लोगों तक पहुंचें। अब आरटीआई के अंदर आप जो है, जो अफसर हैं जहां पर आप अपील के अंदर जाते हैं, उन अफसरों को ही आप न लगाएं तो आरटीआई में आप देखें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आरटीआई के अंदर सवालों के जवाब नहीं आ पाते हैं। अपील के अंदर भी वहां पर अफसर ही नहीं बैठते कि आपकी अपील के जवाब आ पाएं। सीआईसी के अंदर भी यही हाल है। तो जो स्वस्थ परंपराएं इस 70 सालों के अंदर इस प्रजातंत्र में बनी हैं, धीरे-धीरे अध्यक्ष जी वो खत्म हो रही हैं। मैं मानता हूं कि रामवीर बिधूड़ी जी बैठे हैं, बिष्ट जी बैठे हैं, बहुत पुराने सदस्य हैं और बड़ी परंपरा को देखते हुए ये लोग आए हैं और मैं यह नहीं कहता कि इस वक्त ये हमारे साथ खड़े होकर कहें कि आप लोग ठीक बोल रहे हैं। मगर इस चीज की चिंता आप अपनी पार्टी में भी रखिये कि जिन परंपराओं को खत्म

करते जा रहे हैं सबका इसके अंदर धीरे धीरे नुकसान हो रहा है। वो परंपराएं जो लोकसभा में खत्म हो रही हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको यहां दिखेगा। अगर लोकसभा के अंदर आप अपोजिशन को नहीं बोलने देंगे तो यहां रिफ्लेक्शन दिखेगा इस सदन में यहां पर अपोजिशन को बोलते वक्त लोगों का एतराज है कि भई आप वहां पर तो किसी को बोलने नहीं देते, हम यहां पर आपको कैसे बोलने दें? तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो हमारे साथियों को मिल कर करना पड़ेगा भाजपा के साथी हों, आम आदमी पार्टी के साथी हों, इसके उपर एक चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी शक्तियों को बचाएं। और मैं सत्ता पक्ष की तरफ से कहता हूं कि आपको कहीं पर ऐसा लगे कि आपके साथ ज्यादाती हो रही है तो हम भी आपस में मिल कर बैठने के लिए तैयार हैं, स्पीकर साहब के साथ चलेंगे, बैठेंगे कि भई इस चीज के उपर जो है हम फैसला करें मगर कुल मिला कर हमारी जो अपनी शक्तियां हैं, इस विधान सभा की जो शक्तियां हैं उनको बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है और जो ये पूरी की पूरी डिस्कशन अखिलेश भाई ले कर आए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं रामवीर बिधूड़ी जी से, बिष्ट साहब से ये हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी इसके अंदर एक सकारात्मक चीज ढूंढें और अपने पक्ष के लोगों को बोलता हूं कि इसके अंदर टीका-टिप्पणी करने की बजाए हम ऐसी कोई कोशिश करें कि इस सदन की शक्तियों के लिए हम सब लोग मिल कर कोशिश करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, आज यहां जो चर्चा हो रही है वो कमेटी जो दिल्ली विधान सभा की कमेटियों के अधिकारों को लेकर हो रही है। मेरे पास ये रूल बुक है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं बात को और फिर आगे इसको बढ़ाऊंगा। लगभग 22-23 कमेटियां हैं यहां, 24 कमेटियां हैं टोटल। Business Advisory Committee, Committee on Public Accounts..

माननीय अध्यक्ष: नहीं यह पढ़ने की जरूरत नहीं है कमेटियां मालूम हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: लेकिन मेरा वक्तव्य का हिस्सा है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं देखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: एक मिनट, आप मुझे कितने मिनट दे रहे हैं? आप मुझे टाइम बताइए न? आप 5 मिनट दे रहे हैं न?

माननीय अध्यक्ष: 7 मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ह...?

माननीय अध्यक्ष: 7 मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: कितने मिनट?

माननीय अध्यक्ष: 7 मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: 7 मिनट न, मैं 7 मिनट में खत्म कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: 7 मिनट में, मैं मेंबरों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कौन सी कमेटी की बात हो रही है।

माननीय अध्यक्ष: इसके बाद राघव चड्ढा जी की बारी है।

श्री विजेंद्र गुप्ता: विचलित हो जाते हैं। आप 7 मिनट।

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता: आप 7 मिनट मत दीजिए। Business Advisory Committee, Committee on Public Accounts, Committee on Estimates, Committee on Govt. Undertakings, Committee on Govt. Assurance, Committee on Petition, Committee on Delegated Legislation, Rules Committee, Committee on Privileges, Questions & Reference Committee, General Purpose Committee, Welfare of SC/ST Committee, Papers laid on the Table Committee, Library Committee, Private Members Bill and Resolution, Woman and Child Welfare Committee, Welfare of Students and Youth Committee, Committee on Environment, Committee on Ethics, Committee on Welfare of Minorities, Welfare of Other Backward Classes, Select Committee और एक आधी और है। इनमें से किसी भी कमेटी का कोई अधिकार कम नहीं हुआ है। वो जैसा था वैसे का वैसे ही है। तो यह कहा जा रहा है कि दिल्ली की असेम्बली की जो कमेटियां हैं उनकी पावर छीन ली गयी, इस एक्ट में जितनी कमेटियां हैं किसी की कोई पावर नहीं छीनी है। अब आ जाइए एनसीटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है। एनसीटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है एक कमेटी है Department Related Standing Committee जिसकी अध्यक्ष जी आप बात कर रहे हैं। Department Related Standing Committee में एनसीटी एक्ट में जो अमेंडमेंट

हुआ है वो थोड़ा सा दो-दो लाईनें पढ़ देता हूं, मसौदा तो पढ़ा है समरी पढ़ देता हूं। एनसीटी एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो पहली शर्त यह लिखता है कि "The Bill" इस बिल के बारे में 'The Bill provides that such rules must be consistent with the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha.' यानि कि जो लोकसभा में हैं वो as it पे यहां पर लागू रहेगा कमेटीज के मामले में। तो पहला इशु ये है कि लोकसभा में जो है वो यहां रहेगा ये एनसीटी के एक्ट में मैं अपने घर से नहीं लाया, यह आपके पास भी कापी होगी। दूसरा ये कहता है अब आप देखिए, दूसरा ये कह रहा है कि 'consider the matters of day to day administration of NCT of Delhi' यानि कि 'The bill prohibits the legislative assembly from making any rule to enable itself or its committees to' किस चीज के लिए रोकता है? 'consider the matters of day to day administration of the NCT of Delhi and conduct any inquiry in relation to administrative decisions' अब इसका मतलब ये हुआ कि जो departmental standing committees हैं वो जो दिल्ली

सरकार का डे-टू-डे administrative work है उस पर कोई interfere नहीं करेंगी। मंत्री जी बैठे हैं हमारे कैलाश जी, अब इन्होंने एक कमेटी बनाई पिछले 5 साल में 2015-16 में जो कमेटियां बनीं, एक की भी रिपोर्ट नहीं आई आज तक? हो-हल्ला मचा, एक कमेटी बनाई "The Special Inquiry Committee to Investigate Alleged Irregularities to Award a contract to M/s ESP India Pvt. Limited by the Transport Department of the Govt. of NCT of Delhi" अगर Transport Department को कोई इन्क्वायरी करनी है तो वो कमेटी नहीं करेगी, वो मंत्री जी करेंगे, डिपार्टमेंट करेगा। सत्येन्द्र जैन

जी अपने विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेंगे। अब हम यहां पर कमेटी बना दें और सरकार में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रशासन है, चीफ सेक्रेट्री है। तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि पार्लियामेंट में जैसे है वैसे ही स्टैंडिंग कमेटी है ओवरआल व्यू पर, पालिसिज पर, वो बात कर सकती है लेकिन अब आपने एक कमेटी बनाई एलजी के अगेंस्ट "Special Inquiry Committee to Investigate Alleged Illegal Restoration of Cancelled License of a Ration Shop in Burari." LG had ordered for restoration of the cancelled license. अब यहां बना दी कमेटी एलजी के खिलाफ कि वो एलजी की जांच करेगी कि उन्होंने एक राशन शॉप कैसे रेस्टोर कर दी और फ्रंट पेज पर छप रहा है और आज तक रिपोर्ट नहीं आई? फिर बनाई आपने क्रिकेट की, डीडीसीए पर, हॉकी पर। पूरा ताम-झाम, कोई रिपोर्ट, सब पॉलिटिकल मोटिवेटिड हो के रह गया। तो प्रश्न यह है कि जो ये कहा जा रहा है अच्छा जो Public Accounts Committee हमारे मित्र चले गए मैं भी उसका सदस्य हूं, ये बैठे। अब इन्होंने दो-तीन मीटिंग बुलाई हैं Public Accounts Committee आपके पास कमेटी है जिसकी परंपरा है सारे ऑडिट पैरास को चेक करने की, वहां पर आफिसर्स से आप पूछ सकते हो, उनके रिप्लाय क्या गए वो नहीं वहां हुआ। वहां मैं और ये यही कंसल्ट करते रहे कमिशनर, एमसीडी को कैसे रगड़ा जाए? तो प्रश्न ये है कि अगर हम ये प्लानिंग करेंगे कि उसको कैसे रगड़ा जाए, ए अफसर को कैसे रगड़ा जाए, बी को कैसे रगड़ा जाए, मेरे जेई ने ये नहीं किया, जेई को बुला के तो ये हमें अच्छा रास्ता दिखाया है एनसीटी एक्ट ने और मुझे नहीं लगता कि कहीं हमारी पावर्स में कोई कमी आई है, सारा का सारा ये अभी संघीय ढांचे की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर सरकार की बात कर

रहे थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, मुद्दे पर नहीं बोले। भई जो एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है और हमारी पावर ली गयी है ये सारी कमेटियों की पावर as it is है। एक कमेटी की पावर जो पार्लियामेंट में वो हमारे पास है। और day- to-day administration में हमको enter नहीं करना है, हमें जेई, एई, एक्सईएन उन कमेटियों में नहीं देखने हैं, हमें जो मंत्री की पावर है वो हमें कमेटियों को नहीं देनी है तो इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। ये बहुत सही अमेंडमेंट हुआ है और आज नहीं हुआ है 15 मार्च, 2021 को पार्लियामेंट में पास हुआ था। ये क्या आप 8 महीने बाद जागे हैं? आप इसके बीच में और भी हाऊस हुए हैं, और भी हम मिले हैं कई बार।

माननीय अध्यक्ष: हाऊस नहीं हुए इसके बीच में?

श्री विजेंद्र गुप्ता: अगर नहीं हुए तो आप बुला लेते, लेकिन अब 8 महीने बाद आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: राघव चड्ढा जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता: छ मिनट में खत्म कर दिया।

माननीय अध्यक्ष: श्री राघव चड्ढा जी।

श्री राघव चड्ढा: थैंक्यू अध्यक्ष महोदय साहब। अभी जो विपक्ष के एक नेता ने बात रखी, मैं विस्तार से उनकी बात का जवाब भी देना चाहूंगा और कुछ कानून की मदद लेते हुए खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 में लैंडमार्क जजमेंट आया जिसने यह तय किया कि दिल्ली में वास्तव में मुख्यमंत्री की सरकार

चलेगी कि उप राज्यपाल की चलेगी, उस विषय में भी जाते हुए विस्तार से अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम अक्सर ये बात कानून में देखते हैं, सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अक्सर ये कहते हैं That you cannot do something indirectly that cannot be done directly कोई एक ऐसी चीज जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते उसे अप्रत्यक्षरूप से भी घुमाकर नहीं कर सकते। इन्होंने कोशिश की 2015 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की, इनको मुंह की खानी पड़ी, 2020 में फिर एक बार इन्होंने कोशिश करी, फिर मुंह की खानी पड़ी। सत्ता हाथ से चली गयी, दशकों से ये दिल्ली की सरकार नहीं चला पा रहे तो जब इन्हें ये बात समझ में आ गयी कि हम प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पे, डायरेक्टली एक चीज नहीं कर सकते तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, इन्डायरेक्टली इस सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं ये बता दूँ जो अभी और भी कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा कि हो सकता है कि आज से कई दशकों बाद यहां किसी और पार्टी की सरकार हो, आपकी पार्टी की सरकार भी हो सकती है लेकिन ये कानून जो केन्द्र सरकार जीएनसीटीडी अमेंडमेंट कानून जो लाई है 2021 में, ये कानून इस चेंबर में बैठे, इस ऑगस्ट हाऊस में बैठे हर सदस्य को, हर लॉ मेकर को, हर लेजिस्लेटर को आने वाले हर समय के लिए लेजिस्लेटिवली और administratively impotent बना देता है। विधियक रूप में और प्रशासनिक तौर पर हम सब को, जितने भी सदस्य इस हाऊस में बैठे हैं और आने वाले समय में भी बैठेंगे, उन्हें नपुंसक बना देता है। ये कानून केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के लैंडमार्क जजमेंट के खिलाफ ही नहीं है, ये कानून संविधान के खिलाफ है और संविधान की मूलभावना जिसे हम basic structure of constitution

कहते हैं जिसमें सबसे अहम तत्वजो दी जाती है federalism को संघीय ढांचे को, ये संघीय ढांचे की हत्या है, केवल एक प्रहार नहीं है ये federalism पर एक बहुत बड़ा अटैक है। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा कि 1956 में कैसे स्टेट reorganization हुआ, 1991 में असेम्बली बनाई गयी, आर्टिकल 239AA को संविधान में लाया गया, लेकिन जबसे हमारी सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की अरविंद केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई उसके बाद से ही बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और उन्होंने उप राज्यपाल के माध्यम से सरकार को रोजमर्रा के कामों में परेशान करने का, हस्तक्षेप करने का काम शुरू किया। हमने हाई कोर्ट में इनके नापाक इरादों को चौलेंज किया, हाईकोर्ट में हम वो बहस हार गए, इनके हक में फैसला आया। हमने फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 2018 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की कोई साधारण बेंच नहीं, बल्कि संविधानिक बेंच ने, एक संविधानिक पीठ ने, 5 जजों की संविधानिक पीठ ने एक स्वर में ये बात कही कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार चलाएगी, दिल्ली को चुने हुए मंत्रियों का मंत्रिमंडल जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री होते हैं, वो चलाएगी और उप राज्यपाल किसी भी प्रकार से चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते except entry 1, 2 and 18 Land, Law and Order और पुलिस। अब इन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए इन्होंने आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा un-constitutional बिल most un-constitutional Bill ever in the history of independent India संसद में पेश किया, उसे अपने brute majority और बाहुबल का प्रयोग करते हुए पास कराया और दिल्ली

में लोकतंत्र की हत्या कर दी। इन्होंने जो कानून पेश किया उसमें मोटे मोटे तौर पर मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, डिटेल् में नहीं जाऊंगा, मोटे मोटे तौर पर 5 आपत्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली आपत्ति सेक्शन 21 में इन्होंने कहा the term "Government" is being replaced with "Lieutenant Governor" यानि कि जो चुनी हुई सरकार है, जो गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग है, हम उस शब्द को हटाकर for all purposes, for all practical legislative and administrative purposes कह देते हैं कि सरकार का मतलब उप राज्यपाल। यानि कि चुने हुए प्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली की जनता किसको चुनती है elected representatives को चुनती है, उनको वोट देती है। आप कहते हैं कि इलेक्टिड नहीं, सलेक्टिड जो केन्द्र सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि, एक नॉमिनी बिठा दिया, उसकी सरकार है, वो चलाएगा। तो ये हाऊस और हम सब केवल एक पावरलेस डिबेटिंग सोसाइटी बनकर रह गए हैं, हम आएंगे, अकेडमिक तौर पर बहस करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे क्योंकि सरकार तो उप राज्यपाल की है, सरकार तो वो चलाएंगे और जब मैं उप-राज्यपाल कह रहा हूं, मेरा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, उप राज्यपाल साहब बहुत आदरणीय हैं, हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं "office of the Lieutenant Governor" की बात कर रहा हूं। आपने disenfranchise कर दिया दिल्ली की जनता को ये कानून लाकर और मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान जब Right to Life हमें देता है, हमें personal liberty देता है, एक freedom of expression भी देता है, उस freedom of expression में Right to Vote भी आता है, fundamental right है वो हमारा। आपने वो Right to Vote दिल्ली की 2 करोड़ आबादी का छीन

लिया कि आप जो बटन दबाकर ईवीएम मशीन पर झाड़ू का बटन दबाकर जो सरकार चुनोगे उस सरकार के पास कोई शक्ति ही नहीं होगी, वो शक्तिविहीन होगी। और आपने एक योजनाबद्ध तरीके से disenfranchise कर दिया यानि कि दिल्ली के लोगों के मत डालने के अधिकार को पूरी तरीके से तार-तार कर दिया। दूसरी आपत्ति इन्होंने सेक्शन 33 में ये कहा कि दिल्ली विधान सभा जो भी कानून बनाएगी, रूल्स बनाएगी, कानून नहीं, रूल्स बनाएगी, वो रूल्स लोकसभा के रूल्स के कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है इसकी जांच होगी और अगर in-consistent पाए जाएंगे तो दिल्ली विधान सभा के जो रूल्स हैं उनकी कोई तत्वजो नहीं रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी कोई कानूनी औकात नहीं रहेगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहली बार हम यह सुन रहे हैं कि किसी भी रूल या किसी भी कानून को हम भारत के संविधान से, भारत के संविधान का चश्मा पहन कर उसे नहीं देखेंगे कि ये रूल जो बनाया है आपने ठीक बनाया है कि गलत बनाया है। हम लोकसभा के रूल्स देखेंगे। ये तो आज तक कभी नहीं हुआ? हर कानून का या हर रूल का जो टैस्ट किया जाता है उसे भारत के संविधान से टैस्ट किया जाता है कि क्या संविधान इसकी अनुमति देता है कि नहीं देता है। ये कहते हैं कि संविधान से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली की विधान सभा जो रूल्स बनाएगी वो अगर लोक सभा के रूल्स से in-consistent हैं तो दिल्ली की विधान सभा के रूल्स जो हैं उन्हें इनवैलिड कहा जाएगा, वॉयड कहा जाएगा। यहां तक कि void ab initio कहा जाएगा। इसके बाद ये लोग एक और प्रावधान लाए जिसके बारे में अभी बीजेपी के एक विधायक बात रख रहे थे। जो इंकवायरिज जो असेम्बली कंडक्ट करती है administrative विषयों पर उससे

संबंधित है, इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो केवल डिपार्टमेंटल Standing Committee के हस्तक्षेप के बारे में बात कर रहे हैं और किसी चीज के हस्तक्षेप के बारे में नहीं बात कर रहे। तो मैं जरा विस्तार से आपको सबसे पहले तो अमेंडमेंट पढ़ कर सुना दूँ ये क्या अमेंडमेंट लाए हैं उसके बारे में, उसके बाद बताऊंगा। सेक्शन 33 में ये प्रावधान लाते हैं, अमेंड करते हैं उसे और ये 4 लाइनें जोड़ देते हैं 'provided that the legislative assembly shall not make any rule to enable itself or its committees to consider the matters of day to day administration of the capital' यानि कि दिल्ली की विधान सभा कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती अपने लिए या अपनी किसी कमेटी के लिए जोकि रोजमर्रा के day-to-day administration प्रशासन के विषयों पर कोई भी काम कर सके 'or conduct inquiries in relation to administrative decisions' और कोई इंकवायरी भी नहीं कर सकती किसी भी प्रशासनिक विषय पर दिल्ली के। तो अगर दिल्ली की विधान सभा दिल्ली के प्रशासनिक विषयों पर day-to-day administration के विषयों पर न काम कर सकती है, न इंकवायरी कर सकती है, न सवाल पूछ सकती है तो कौन से सूबे के या कौन से देश के विषय में हम कोई नाइजीरिया और युगांडा के विषय में तो बात नहीं करेंगे इस विधान सभा में, दिल्ली के विषयों के बारे में बात करेंगे। ये लिखा है इसमें स्पेसिफिकली कि दिल्ली के विषय में हम बात नहीं कर सकते इस विधान सभा में। अगर दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि, दिल्ली विधान सभा के सदस्य दिल्ली के रोजमर्रा के प्रशासनिक विषयों पर बात नहीं करेंगे तो क्या युगांडा, नाइजीरिया, उजबेकिस्तान के विषयों पर बात करेंगे? किसके बारे में हम बात करेंगे? और ये लोग आगे कहते हैं कि कोई इंकवायरी करने

की भी ताकत दिल्ली विधान सभा की किसी समिति के पास नहीं है। अब अध्यक्ष जी, आज से कुछ महीने पहले दिल्ली में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए। उन दंगों के बाद आपने एक समिति का गठन किया जिसे कहा गया शांति सदभाव समिति Committee on Peace and Harmony आपने उसका कार्यभार और उसकी प्रोसिडिंग्स को चेर करने का मौका मुझे दिया। और हमने बड़े ही कमिटमेंट के साथ, बड़े समर्पणभाव से उस समिति की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। कई विटनेसिस उसके सामने आए, विटनेसिस ने अपनी बातें रखी और हम बहुत अहम कंक्ल्यूजनस पर पहुंच रहे थे। उसी बीच फेसबुक, जो एक intermediary है उसका विषय आया, उसके उपर जो विटनेसिस आए उन्होंने आरोप लगाए कि फेसबुक के चलते कहीं न कहीं ये दंगा भड़का है। ऐसे आरोप सामने आए। उसके बाद समिति के तमाम सदस्यों ने बैठ कर यह फैसला लिया कि हम फेसबुक के जो इंडिया हैड हैं उनको इस कमेटी के सामने आने के लिए summons जारी करते हैं, नोटिस जारी करते हैं। उस समिति के सामने आए और अपना पक्ष रखें। अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लग रहे हैं कि दंगा उसने भड़काया या उसकी संस्था ने भड़काया तो principles of natural justice कहते हैं कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए, वो विधान सभा की उस समिति के सामने पेश हों और अपना बयान उस समिति के सामने रखें। हो सकता है कि कोई अच्छे सुझाव वो रख दें आने वाले समय के बारे में। लेकिन उन महोदय ने और उस कंपनी फेसबुक ने ये सोचा कि हम क्योंकि संसद की एक समिति के सामने पहले पेश हो चुके हैं और ये संसद की समिति के विचाराधीन है मामला तो हम दिल्ली विधान सभा की छोटी सी विधान सभा और छोटे से लोगों के सामने पेश होकर क्या करेंगे। उन्होंने उन summons को सुप्रीम

कोर्ट में चौलेंज कर दिया। कई हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली और अभी कुछ ही हफ्ते पहले जुलाई के पहले हफ्ते में वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और मैं इस सदन में बैठे हर विधायक को, ऑनरेबल मेंबर को बधाई देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों के हक में और तमाम विधायकों की शक्तियों को रिस्टोर करते हुए फैसला दिल्ली विधान सभा के हक में दिया। आप सब और दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस बधाई के पात्र हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के इस कई सौ पन्नों के जजमेंट में कहा गया उसमें से मैं बस दो-तीन छोटे प्वाइंट्स आपको पढ़ के बता देता हूं वो भी संक्षेप में। पहली चीज उन्होंने कही 'That article 239 AA envisages a constitutionally mandated Legislative Assembly and a responsible elected government' कि 239एए में विधान सभा एक जिम्मेदार विधान सभा और एक इलेक्टड गवर्नमेंट की परिकल्पना की गयी है। दूसरा उन्होंने कहा 'the powers and privileges of the Legislative Assembly of NCT of Delhi is akin to Parliament and other state legislature' यानि कि दिल्ली विधान सभा की और दिल्ली विधान सभा की समितियों की जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, जो प्रिविलेजिज हैं वो वही हैं, वो उतनी ही मजबूत हैं, उतनी ही ताकतवर हैं जितनी संसद की समितियों की और इस देश में जितनी भी विधान सभाएं हैं उनकी समितियों की शक्तियां हैं। यानि कि अगर आप लोग बीजेपी के लोग केन्द्र में बैठी सरकार ये सोचती है कि संशोधन करके वो हमारी शक्तियां छीन लेंगी तो केवल हमारी शक्तियां नहीं फिर तो पार्लियामेंट और सभी state legislatures की शक्तियां भी छीनी जाएंगी। ये बात साफ तौर पर निकल कर आयी।

तीसरी चीज इन्होंने कहा इस कानून में 'that the powers and the privileges of the Legislative Assembly flow from article 239AA that is the constitution itself which is the source of power, not the provisions of the GNCTD' यानि की जो शक्तियां हमें मिली हैं वो भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें वो शक्तियां देता है। GNCTD Act और ये amendment bill और ये चार पन्ने के कानून ये जो लोग अपनी जेब में लेकर घूमते हैं इनसे हमें शक्तियां नहीं मिलतीं। हमें जो शक्ति मिलती है वो भारत का संविधान देता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिन्ता मत करो ये क्या लिखा है इस एक्ट में चार पन्ने का कागज ये लोग लेकर घूम रहे हैं। आपको शक्तियां संविधान देता है। आपकी कमेटी को शक्ति भारत के संविधान ने दी है और आपकी कमेटी मजबूत है आपकी विधानसभा मजबूत है फिर आगे वो जजमेंट में कहते हैं 'one of the primary functions of the State Legislature and the Delhi Assembly's committees is to keep the government in check' हम legislature हैं सरकार executive है separation of powers जो basic structure में जिसकी बात होती है। सरकार अलग है legislature अलग है judiciary अलग है, ये तीन स्तंभ हैं। हम legislature हैं भले ही आम आदमी पार्टी के मैम्बर्स क्यों न हों लेकिन आज हम legislators हैं हम legislature का हिस्सा हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से सवाल पूछें जिसका जिक्र अभी सौरभ जी भी कर रहे थे। हम सरकार से सवाल पूछेंगे। day to day administration के बारे में पूछेंगे, रोजमर्रा की प्रशासनिक जिम्मेदारियों और policy decisions के बारे में पूछेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इसलिए लोगों ने चुनकर हमें भेजा। आप ये शक्ति भी हमसे

छिनना चाहते हो कि हम अपनी सरकार से ही सवाल न पूछें अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आप भी नहीं पूछ पायेंगे आपके तो आठ ही बचे हैं बेचारे, वो भी नहीं पूछ पायेंगे और आखिर में बहुत महत्वपूर्ण अध्यक्ष जी जो मैं कहूँ इस जजमेंट में सबसे जरूरी चीज जो दी गई है और इतनी clarity तो शायद बहुत सदस्यों को नहीं थी शायद मुझे भी कम थी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद और मिल गई वो ये है 'That the power of Delhi Assembly is not limited to only questioning the government but includes within its ambit to summon private entities in relation to all aspects of governance in Delhi' यानि की दिल्ली विधानसभा की जो समिति है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी जैसे कि फेसबुक के अध्यक्ष को बुलाने की शक्ति और क्षमता रखती है और कानून के तहत बुलाया जा सकता है और दिल्ली के किसी भी विषय पर बात करी जा सकती है मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, हो सकता है कि हमारी विधानसभा article 1, 2 and 18 land, law and order और police पर कानून नहीं बना सकती legislate नहीं कर सकती लेकिन हमारी समितियां इन विषयों से संबंधित किसी भी मसले पर चाहें दिल्ली के पुलिस कमिशनर हों या फेसबुक इण्डिया का मालिक हो सबको बुला सकती है। हमारी समितियां शक्तिशाली हैं। आगे एक चौथी आपत्ति जो हमारी इस amendment bill से रही है amendment कानून बन गया अब तो उससे रही वो ये है और बड़ी मज्दर चीज है आप सुनिश्चिता जिसका जिक्र है अभी बी.जे.पी. के भी विधायक कर रहे थे। इन्होंने सैक्शन-25 को amend कर दिया GNCTD Act के और कहा कि पहले तो उपराज्यपाल के पास वो शक्ति थी। सैक्शन-25 में उन्होंने उप-राज्यपाल को ये ताकत दे दी कि वो अब कोई ऐसा विषय जो incidentally

भी reserved subjects को छूता है वो उन विषयों को अपने विचाराधीन रख सकते हैं सरकार के पास नहीं दे सकते और उस पर हम legislate नहीं कर सकते। मैं थोड़ा clarity इस पर देना चाहूंगा 'Section 25 of GNCTD Act permits the LG to reserve certain Bills passed by the legislative assembly for the consideration of the President' कि भईया हमने कोई कानून पास कर दिया जो उप-राज्यपाल को लगता है ये reserve subjects से छूता है तो वो इस पर अपना right reserve करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं उनके विचाराधीन छोड़ सकते हैं उसमें amendment करके कहा गया 'LG also to reserve those bills for the President which incidentally, which incidentally cover any matter outside the purview of the Legislative Assembly' यानि की आज मान लीजिए law and order से संबंधित कोई मुद्दा इस विधानसभा के विचाराधीन लाया गया तो उप-राज्यपाल कहेंगे law and order का विषय है ये तो मैं राष्ट्रपति को भेजूंगा आपने अगर कानून भी पारित कर दिया, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद मान लीजिए हम स्कूल बनाना चाहते हैं उस पर कुछ कानून लाते हैं, उप-राज्यपाल बोल सकते हैं कि स्कूल बनाना incidentally law and order के विषय को भी छूता है तो वो स्कूल बनाने का भी जो कानून है हम इसको भी राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं incidentally मतलब आप उप-राज्यपाल जो हैं उनकी whims and fancies चलेंगी वो सुबह उठकर सोचेंगे कि ये विषय शायद incidentally law and order police और land से कहीं ना कहीं छूता है जमीन से तो हर मसला ही छुएगा। अस्पताल बनाओ वो भी जमीन पर बनता है, स्कूल बनाओ वो भी जमीन पर बनता है, यूनिवर्सिटी बनाओ वो भी जमीन पर बनती है तो जमीन से तो हर

मसला छुएगा तो incidentally आप अगर किसी भी चीज को छू दोगे तो आपके विषय में वो नहीं आयेगा और वो हम राष्ट्रपति जी के लिए विचाराधीन रख देंगे। अब इस विषय में,

...व्यवधान

श्री राघव चड्ढा: अब इस विषय में आप बोलिएगा अपने समय पर। अब इस विषय पर मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। इसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये जो फेसबुक इण्डिया का अजीत मोहन वाला निर्णय आया इस जजमेंट में सुनिए।

...व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी आप सुन लीजिए जरा। विजेन्द्र जी आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया।

...व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: हाँ तो बाद में कर लीजिएगा। उनके बीच में लय टूटती है भई ।

...व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो।

...व्यवधान

श्री राघव चड्ढा: आगे-आगे अब सुनिए, हाँ, आपकी मंशा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके पीछे भी क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये फेसबुक वाला मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी समझ गए कि ये जो बात कही जा रही

है incidentally वाली इसको भी शायद clarify कर देना चाहिए और उन्होंने इस विषय को clarify किया है। मैं छोटे से दो पैरा पढ़ना चाहूँगा जिससे ये समझ में आ जायेगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो चीजें apparently प्रत्यक्ष रूप से भी जैसे की दंगा फसाद law and order और पुलिस का विषय है लेकिन उन विषयों पर भी दिल्ली विधानसभा के विधायक चर्चा कर सकते हैं। उनकी समिति उस पर गंभीरता से संज्ञान ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है, काम कर सकती है। आखिरकार हम सब दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारी कोई जवाबदेही है लोगों के प्रति। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है 'The assembly does not only perform the function of legislating' केवल कानून बनाना हमारी कोई एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है 'there are many other aspects of governance which can form part of essential functions of the Legislative Assembly and consequently the Peace and Harmony Committee. In the larger context of the Peace and Harmony goes much beyond law and order and police more so in view of the on ground governance being in the hands of the Delhi Govt. यानि की peace and harmony का जो पूरा दायरा है जो jurisdiction है जो ambit है हमारा वो law and order और पुलिस से कहीं बड़ा और कहीं विशाल है बहुत broad है और हमारे पास पूरी शक्ति है पूर्ण शक्ति है किसी भी व्यक्ति को अपनी समिति के सामने पेश करने की। ये कहते हैं 'We are of the view that because of the pervasive impact of riots, the committee could legitimately attend to such grievances encompassing various elements of public life. Thus, it would be entitled to receive information, deliberate on

the same to examine their bearing on peace and harmony without transgressing into fields of the reserved subject for the Union Govt.' यानि की आपके विचाराधीन ये सारे विषय लाये जायेंगे। आप इसे examine कर सकते हैं, इस पर बहस कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, evidence हो सकती है, सब कुछ हो सकता है और आप कह रहे हैं ये विषय को छोड़ो। हम तो स्कूल क्योंकि वो जमीन पर बनता है, अस्पताल जमीन पर बनती है वो सारे विषय भी उप-राज्यपाल हमसे छीन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूँ। ये कानून लाये मार्च, 2021 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जुलाई, 2021 में। यानि की सुप्रीम कोर्ट ने भी पढ़े आपके कानून, अखबार में भी पढ़ा Bare Act भी पढ़ा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मन में जो इच्छा थी, जो भावना थी जो भारत के संविधान की रक्षा करने की जो उन्होंने कोशिश की वो इस जजमेंट में नजर आता है। जब ये Act challenge होगा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाये जायेंगे तब तो इसे फाड़कर कचरे के डब्बे में फेंका ही जायेगा। इस विषय में मुझे नहीं लगता किसी भी सदस्य को कोई confusion है और आखिर में अध्यक्ष जी जो पांचवां सबसे बड़ा इश्यू, आपत्ति इस GNCTD Amendment 2021 कानून से हम सबको है वो ये है कि amendment कानून में एक proviso डाला गया Section-44 में और वो ये कहता है, बड़ा ही दिलचस्प है जिस भी बेचारे व्यक्ति ने लिखा है उसकी अंग्रेजी भी थोड़ी कमजोर रही होगी। वो लिखता है 'provided that before taking any executive action in pursuance of a decision of the Council of Ministers to exercise powers of the Govt., the Lt. Governor, under any law in force in the the capital, may ask the opinion of the

Lt. Governor in terms of proviso clause 4 of article 239 AA of the Constitution shall be obtained on all such matters as may be specified by a general or a special order by the Lt. Governor' यानि की Lt. Governor sahab खुद बतायेंगे कि ये जो आप administrative, executive निर्णय लेने जा रहे हो इस विषय को मेरे पास भेजो। इस पर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा और जब मैं अपनी ओपिनियन दूंगा उसके बाद ही आप इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं यानि की दिल्ली की कैबिनेट कोई फैसला ले ले या हमारे कोई मंत्री जी फाइल पर कोई फैसला ले लें उस फैसले को लागू होने से पहले LG बीच में कूद सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ये लागू नहीं होगा पहले ये फाइल को मेरे पास भेजो। इस Cabinet Decision को मेरे पास भेजो मैं इसको ओपिनियन दूंगा और मैं बताऊंगा। अक्सर हम ओपिनियन कब लेते हैं अगर मान लीजिए मुझे कोई doubt है कोई confusion है तो मैं किसी बड़े आदमी के पास जाकर उसकी ओपिनियन लूंगा। विधानसभा को कोई doubt है हमारे legal consultants हैं हम उनसे ओपिनियन लेते हैं। यहां उप-राज्यपाल कहेंगे कि मैं बताऊंगा कि कौन से विषय में आपको ओपिनियन लेनी है और ओपिनियन भी मैं ही दूंगा, कमाल है और इसके चलते संविधान की मूलभूत भावना और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया 2018 में constitution bench का उसकी भावना को तार-तार करती है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया बहुत लम्बा था, ढाई सौ तीन सौ पेज का था उसमें तीन मुख्य बातें कही गईं, मैं जजमेंट नहीं पढ़ रहा। मूल भावना उस आदेश की समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली चीज कही गई 'the power of decision making vests with the Council of Ministers who are the direct representatives of

people of Delhi" यानि कि निर्णय लेने की शक्ति Council of Ministers के पास है वो सुप्रीम हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली जनता द्वारा चुने गए हैं। उपराज्यपाल के पास नहीं है power ये जजमेंट कहता है। दूसरा सबसे बड़ा point, 'the Lt. Governor has no independent authority to take any executive decisions and, if at all and is, at all, bound by the aid and advice of the Council of Ministers' यानि कि उप-राज्यपाल के पास अपनी ओर से कोई भी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है और Council of Ministers की जो aid and advice है उस पर उन्हें हस्ताक्षर करने पड़ेंगे वो bound हैं जैसे अन्य राज्यों के गवर्नर होते हैं अगर उत्तर प्रदेश की कोई सरकार कोई फैसला लेती है तो गवर्नर को चाहें वो उन्हें पसन्द आये फैसला ना पसन्द आये, साइन करना पड़ता है। भारत सरकार कोई फैसला लेती है तो राष्ट्रपति जी हो साइन करना पड़ता है उस फैसले को। उसी हिसाब से उप-राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है फैसला लेने की अगर चुनी हुई सरकार Council of ministers कोई फैसला लेते हैं तो उप-राज्यपाल को उसे स्वीकारना है उस पर अपने हस्ताक्षर करने हैं और सबसे जरूरी प्वाइंट अध्यक्ष जी, 'the Lt. Governor is required to be informed of all decisions of the Council of Ministers. The concurrence of the Lt. Governor is not required in these decisions' यानि कि उप-राज्यपाल को सिर्फ सूचना देनी है सरकार को हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को कि हमने उप-राज्यपाल साहब ये फैसले ले लिये हैं केवल information, for your information FYI यही है केवल उप-राज्यपाल का काम। उप-राज्यपाल की सहमति नहीं चाहिए 'the concurrence of Lt. Govenor is not required in these matters' ...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: एक मिनट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: उठाया उन्होंने Vijender ji आप सुन नहीं रहे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं उन्होंने बताया 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं। आपका ध्यान कहीं और है उन्होंने बोला है। खुद बोला है उन्होंने 2018 का decision है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं बताया है उन्होंने भईया बताया है उन्होंने। रिकार्ड में हैं 2018 का।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आपको पता नहीं क्या परेशानी होती है।

...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: मैं बस समाप्त कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, और मैं जिस जजमेंट की बार-बार जिक्र कर रहा हूँ 2018 का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा वो क्या कहता है। मैं एक-दो पैराग्राफ पढ़कर और मैं एक और चीज बता दूँ ये बार-बार एक्ट के amendment की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के निर्णय को ध्वस्त करने के लिए कोई कानून लाया जाये

क्योंकि ये हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है कि अगर हमने कोई निर्णय दिया और वो सरकार को नहीं पसंद आया तो एक कानून के माध्यम से आप हमारे जजमेंट को overturn नहीं कर सकते। आपको उस कानून, उस जजमेंट का जो basis है उस basis को उस नींव को हिलाना होगा अगर आपने उस नींव को हिला दिया तो शायद हमारा जो निर्णय है जो जजमेंट है वो गिर जाये लेकिन आप एक कानून एक GNCTD amendment act लाकर संवैधानिक पीठ के निर्णय को ध्वस्त नहीं कर सकते, निरस्त नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। यानि की आप संवैधानिक तौर पर amendment लाते हैं वो भी basic structure of the constitution पर बहस होती है, लेकिन एक एक्ट के जरिये संविधान को बदलने की कोशिश की और दिल्ली के दो करोड़ लोगों को शक्ति विहीन करने की कोशिश की और अब मैं अंत में दो-तीन पैराग्राफ पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा अध्यक्ष जी। Chief Justice दीपक मिश्रा साहब हुआ करते थे जो इस संवैधानिक पीठ के सबसे सीनियर जज थे उस समय Chief Justice थे उन्होंने कहा और इनको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए 'The meaning of aid and advice implied in article 239AA has to be construed to mean that the Lt. Governor of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. The Lt. Governor has not been entrusted with any independent decision making power. He has to either act on the aid and advice of the Council of Ministers or he is bound to implement the decisions taken by the President on a reference made to.' यानि की अगर आपको कोई भी दिल्ली सरकार के फैसले से सहमति नहीं है तो आप राष्ट्रपति जी को दे दो लेकिन वो भी rarest of the rare

circumstances में ये नहीं कि रोज हम कहेंगे स्कूल बनायेंगे, उप-राज्यपाल कहेगा स्कूल नहीं बनायेंगे।

माननीय अध्यक्ष: This is not fair.

श्री राघव चड्ढा: उसके आगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आपको ज्यादा समय चाहिए, नहीं मेरे...

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: सदन को गुमराह करना ठीक है?

माननीय अध्यक्ष: क्या गुमराह कर रहे हैं?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको मौका मिला था ना बोलने का, आपको मौका मिला था ना बोलने का, आप बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए आप। बैठ जाइए प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: तो सुप्रीम कोर्ट बेकार है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी क्यों परेशान हो रहे हो आप? आपको क्या परेशानी हो रही है?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए आप, चलिए।

...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: मत बोलिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। ये कोई आज तक में डिबेट नहीं चल रही है, बैठ जाओ, बिधूड़ी जी, बिठाइए आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी ये ठीक नहीं है, बिधूड़ी जी, बिधूड़ी जी मैं रिव्वैस्ट कर रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये तरीका ठीक नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: फिर आपकी बारी आएगी, सब विधायक डिस्टर्ब करेंगे मुझे मत रोकना।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप क्या बात है ये? क्या कह रहे हैं उनको बोलने दिजिए, आप भड़भड़ किए जा रहे हैं बैठे हुए, आप भड़भड़ किए जा रहे

हैं। जैसे चूहा कुतरते रहता है वैसे कुतरे जा रहे हैं आप, बैठ जाइए आप।
चलिए, हाँ राघव जी बोलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आपको समय दिया था आप पढ़ लेते एफआर को। चलिए
राघव जी बोलिए, राघव जी कन्क्लुड करिए प्लीज।

...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: मैं अगला पैरा, अभी इनको थोड़ा सा दर्द हुआ।

माननीय अध्यक्ष: दो मिनट प्लीज। उनका तारतम्य टूट जाता है किसी वक्ता
का वो बिल्कुल, प्लीज।

...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदत से मजबूर है।
अध्यक्ष जी, मैंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटन जजमेंट का एक
छोटा सा पैरा पढ़ा, मैं उसके बाद जो उनके बहुत ही सीनियर जज जस्टिस
चंद्रचूड़ ने जो कहा उस जजमेंट में मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ 'in a cabinet
form of Govt., the substantive power of decision making vests in the
Council of Ministers with the Chief Minister as its head' यानि की सारी
शक्तियाँ एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ government में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के
पास होती हैं जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं 'The aid and advice provision
contained in the substantive part of article 239AA' यानि की दिल्ली के
विषय में 'also recognizes this principle' यानि की दिल्ली को जो एक स्पेशल

स्टेट्स दिया गया विधान सभा बनाई गई, उस प्रोविजन में भी एड एंड एडवाइज पर एल जी बाउंड है और सबसे सुप्रीम मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो फैसला लेंगे वो बाध्य है। वो आगे कहते हैं 'when the Lt. Governor acts on the basis of the aid and advice of the Council of Ministers, this recognizes the real decision making authority in a democratic form of Govt. that vests with the executive' यानि की जब उप-राज्यपाल चुनी हुई सरकार के फैसलों पर अपनी मोहर लगाते हैं वो वास्तव में लोकतंत्र और डेमोक्रेटिव एक्सरसाइज की असली रिफ्लैक्शन है, उसकी मूलभूत भावना है। आगे वो कहते हैं 'the provisions of article 239AA(4) indicate that the Lt. Governor must either act on the basis of aid and advice or where he has reasons to differ, he may refer the matter to the President abide by the decision communicated by the President. There is no independent authority vested in the Lt. Governor to take decisions.'

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी आप बीच में मत टोकिए।

श्री राघव चड्ढा: अब पढ़ दिया मैंने, मैं वही पढ़ रहा हूँ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: एक लाइन छोड़ दी आपने, तमाशा बना रखा आपने, समझते नहीं हो।

श्री राघव चड्ढा: मैं वही पढ़ रहा हूँ जिस पर ये।

...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप उनके तारतम्य को तोड़ रहे हैं बोलने से, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, पिन मार रहे हैं बार-बार।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये गलत प्रैक्टिस है, बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। जब अबकि बार आपकी बारी आएगी बोलने की तब देखना विधायक क्या करते हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आ रही ये बात, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, नहीं-नहीं आपको बोलने दीजिए, मैं बिधूड़ी जी नहीं।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): ये बातें चड्ढा साहब साहब ने पहले क्यों नहीं बताई। हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब को.....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: किसमें?

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: हमें ये तकलीफ है....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है।

श्री राघव चड्ढा: एलओपी साहब, आपका तो मुझसे विशेष स्नेह है, मुझे छोटा भाई मानते हैं, उनको थोड़ी देर शांत करा लीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, नहीं-नहीं इनको बोलिए।

...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: ठीक है सर, ध्यान से सुनिए बैठिए, इनके लिए पानी मंगवाइए। इन्होंने अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: चलिए अब छोड़ दीजिए उनका विषय।

श्री राघव चड्ढा: बस मैं ज्यादा समय नहीं, दो मिनट और लूंगा।

माननीय अध्यक्ष: दो मिनट आप प्लीज बोल लीजिए।

श्री राघव चड्ढा: इन्होंने, देखिए इत्तेफाक है, इन्होंने जिस प्रोविजन की बात की, कि 239एए(4) की बात करो आप, वो क्यों नहीं पढ़ते। मैं सुप्रीम कोर्ट की उसी की interpretation judgement पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है और मैं फिर बोलूंगा, अध्यक्ष जी, मैं फिर पढ़ूंगा, इन्होंने मेरी लय तोड़ दी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये कोई तरीका है।

...व्यवधान...

श्री राघव चड्ढा: मैं आगे पढ़ता हूं, मैं इसको दोहराऊंगा क्योंकि ये प्वाइंट बड़ा जरूरी है इन्होंने एक इशू उठाया The provision और ये सुप्रीम कोर्ट कह

रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है 'The provisions of article 239AA(4) indicate that the Lt. Governor must either act on the basis of the aid and advice of the govt. or where he has reasons to refer the matter to the President, abide by the decision communicated by the President. There is no independent authority vested in the Lt. Governor to take decisions.' यानि की या तो आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला दिया।

माननीय अध्यक्ष: वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिजीजन है वो पढ़ रहे हैं, दिमाग को खोल लीजिए अपने, अपने दिमाग को खोल के बैठिए, दिमाग को खोल के बैठिए आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: वो डिजीजन सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहे हैं, बैठ जाइए नीचे।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी मैं उनसे बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं बैठ जाइए नीचे, आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: दिक्कत नहीं हो सकती।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए, चलिए।

श्री राघव चड्ढा: यानि कि सरल भाषा में, हिन्दी में, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि या तो उप राज्यपाल जो चुनी हुई सरकार ने फैसले लिए उस पर अपनी मोहर लगा दें, हस्ताक्षर कर दें, बिना किसी हस्तक्षेप के या फिर अगर rarest of the rare cases हैं और उन्हें कोई बहुत ही बड़ी आपत्ति है तो आप राष्ट्रपति को वो मसला सौंप सकते हो, उनके विचाराधीन रख सकते हैं। लेकिन आपके पास उप राज्यपाल साहब अपने आप फैसला लेने की ना तो कोई अथॉरिटी है, ना ही कानून आपको कोई ऐसी शक्ति देता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके बाद इस बहस को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए, इस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है, दीपक मिश्रा साहब लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं, 'Thus, the irresistible conclusion is that the council is only required to communicate and inform its various proposals, agendas, decisions to the Lt. Governor, so as to keep him apprised and to enable him to scrutinize the proposals, agendas and decisions in order to exercise his powers as bestowed upon him under blah blah blah...' then they say, 'it has to be clearly stated that requiring prior concurrence of the Lt. Governor would absolutely negate the ideals of representative governance and democracy

conceived for the NCT of Delhi by article 239AA of the Constitution.' यानि कि चुनी हुई सरकार को उप राज्यपाल को सिर्फ अपने काउंसल आफ मिनिस्टर्स द्वारा लिए गए निर्णय बताने है, इन्फॉर्म करना है, सूचित रखना है, अंधेरे में नहीं रखना सूचित रखना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उप राज्यपाल की सहमति ली जाए निर्णयों पर। उप राज्यपाल के पास कनकरेंस देने की, सहमति देने की कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ सूचना देते रहो। जो फैसला लिया उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दो उप राज्यपाल को उन्हें पता लग जाएगा, वाट्सएप का जमाना है, वाट्सएप के माध्यम से भेज दो। लेकिन उप राज्यपाल की सहमति, किसी विषय पर नहीं चाहिए और ये डेमोक्रेसी की Parliamentary form of Democracy की Cabinet System की Federalism की मूलभूत भावना है, जो सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को याद कराते हुए कह रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, इससे ये साबित हो जाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो ये परिकल्पना करता है कि चुनी हुई सरकार फैसले ले। किसी के घर में पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, किसी के इलाके में स्कूल नहीं बनेगा, अस्पताल नहीं बनेगा तो वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएगा या मुख्यमंत्री के पास जाएगा, वो उप राज्यपाल के पास तो नहीं जाएगा। इलैक्टिड लोग चलाएंगे सरकार को कि सिलैक्टिड चलाएंगे सरकार को, ये बुनियादी बहस जो पिछले 5-7 साल से, 2015 से चलती आ रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट के चलते पूरी तरीके से सैटल कर दिया और ये जो कानून लाया गया जिसमें समिति की, इस विधान सभा की, इस सरकार की शक्तियाँ छीनने की कोशिश की गई ये सिर्फ illegal, unconstitutional कानून नहीं है अध्यक्ष जी, ये आजाद भारत के इतिहास में

सबसे ज्यादा unconstitutional बिल है, इससे ज्यादा गैर संवैधानिक कानून कभी भी इस देश में ना लाया गया, ना पास किया गया और ये, ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब आज से लेकर आने वाले कई दशकों तक, हमारी सरकार यानि भाजपा की सरकार कभी भी दिल्ली में नहीं बनेगी, दिल्ली को अगर चलाना है।

माननीय अध्यक्ष: राघव जी कन्कलूड करिए प्लीज।

श्री राघव चड्ढा: उसका एकमात्र जरिया है कि उप-राज्यपाल को बॉस बनाओ और चुनी हुई सरकार को ध्वस्त कर दो। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारा फेसबुक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 2018 का लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो इस सदन में बैठे हर व्यक्ति को पूरी शक्ति देता है, आज इस सदन में बैठे किसी भी विधायक की ताकत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान के विधायकों से कम नहीं है। हम उतने ही शक्तिशाली हैं और हम अपनी शक्ति और अथॉरटी को इस्तेमाल करके लोगों के हित में बहुत काम कर सकते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी थैंक्यू सो मच।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। आतिशी जी।

सुश्री आतिशी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मुझे मौका दिया। आज हम सब लोग विधान सभा के सदन में बैठे हैं, ये विधान सभा बनी तो उसी ईंट पत्थर और लकड़ी से है जिससे कोई भी इमारत बनती है लेकिन ये कोई सामान्य इमारत नहीं है, ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है और हमें ये याद दिलाने के लिए कि ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है हमने वहां पर गांधी जी तस्वीर लगा दी है। हमने वहां पर जवाहरलाल नेहरू

की तस्वीर लगाई, हमने वहां पर सुभाषचंद्र बोस की तस्वीर लगाई है, हम सबको ये याद दिलाने के लिए की जिस लोकतंत्र की वजह से आज हम इस विधान सभा में बैठे हैं ये लोकतंत्र किसी ने हमें थाली पर रखकर नहीं दिया था। इस लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जैसे, सुभाषचंद्र बोस जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे और सैकड़ों-हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी उसके बाद भारत एक लोकतंत्र बना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में भारत को एक लोकतंत्र बनाया। एक लोकतंत्र क्या है, एक लोकतंत्र जनता का शासन है, कि जनता तय करेगी कि क्या निर्णय होंगे, जनता तय करेगी कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन चलाएगा। ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है जहां पर भारत की जनता कुछ भी चाहती, लेकिन सरकार अंग्रेज ही चलाते थे, वायसराय चलाते थे, ब्रिटेन से महारानी चलाती थी सरकार। आज भारत लोकतंत्र है, लेकिन समस्या क्या है कि हालांकि इस सदन में गांधी जी की फोटो भी लगी हुई है, जवाहरलाल नेहरू की, सुभाषचंद्र बोस की भी है। मैं मानती हूं संसद में भी लगी हुई हैं सबकी फोटो, लेकिन हमारे जो भाजपा के साथी हैं कुछ यहां पर बैठे हैं, कुछ संसद में बैठे हैं, इस लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है, ये इनकी समस्या है। इनको लगता है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, हम चुनाव जीत गए तो अच्छा है तो हम सरकार बना लेंगे, हम चुनाव नहीं भी जीते तो हम सीधी तरीके से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो हम उल्टे-सीधे तरीके से सरकार हम बनाएंगे और शासन हम चलाएंगे। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही है, आप भाजपा का टूर्क रिकॉर्ड राज्य-दर-राज्य में देखिए जहां पर ये चुनाव नहीं जीतते। जहाँ पर ये चुनाव नहीं जीतते वहां पर हमने गोवा में देखा, हमने कर्नाटका में देखा, हमने मणिपुर में

देखा, हमने अभी मध्यप्रदेश में देखा कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चुनाव जीतें या ना जीतें। वो चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार बनाते हैं, चुनाव नहीं जीतते तो विधायक खरीद कर सरकार बना लेते हैं। क्योंकि इन सारे राज्यों में भाजपा तो चुनाव जीती नहीं थी, जीती तो ओर पार्टियाँ थी। डेमोक्रेटिक मॅंडेट किसी ओर पार्टी को मिलता है लेकिन जो अभी मनीष जी सुबह कह रहे थे कि देखिए 6 बजे के बाद बिल पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है क्योंकि भाजपा वालों को लगता है कि शाम को तो विधायक खरीदने का समय है। तो भाजपा की समस्या ये है कि इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। अच्छा दिल्ली में क्या हो गया, अब दिल्ली में एक तो बेचारे जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अब तो इनके कुछ सिंगल डिजिट में ही विधायक आते हैं, तो कितने विधायक खरीदेंगे। तो, इन्होंने तो अपनी कोशिश की भी होगी शायद, लेकिन दिल्ली में ये विधायक खरीदने वाला मॉडल अपना नहीं पाए, जो ये बाकी राज्यों में अपनाते हैं। तो इन्होंने सोचा की अब हम क्या करें? अब हम कैसे सरकार चलाएं? तो इन्होंने 2015 में एम.एच.ए. से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक आदेश पारित करा दिया, जिसने चुनी हुई सरकार की पावर छीन ली। जैसा आप जानते हैं, कई सालों तक पहले हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टीयूशनल बेंच में कई सालों तक इस संवैधानिक मुद्दे पर लड़ाई-झगड़ा चलता रहा कि दिल्ली में निर्णय कौन लेगा, चुनी हुई सरकार लेगी कि एल जी लेंगे, जो सिर्फ एक नुमाइंदे हैं, जिनको लोगों ने चुना नहीं है, जो लोकतंत्र के माध्यम से चुन कर नहीं आए हैं। और कई साल के झगड़े के बाद, जैसे अभी राघव जी ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक बहुत स्पष्ट निर्णय दे दिया कि

पावर चुनी हुई सरकार के पास है। अब 2015 से 2018 के बीच में जो ये लड़ाई झगड़ा इसकी वजह से हुआ, इनके एमएचए के ऑर्डर की वजह से हुआ उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ। क्योंकि जो काम इस समय में स्पीड से हो सकते थे वो इस सारे लड़ाई-झगड़े की वजह से रुके रहे और इसलिए जब 2020 में फिर से चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने, भाजपा ने जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर छीनने की कोशिश की थी, चोर दरवाजे से छीनने की कोशिश की थी उसका जवाब भाजपा को दे दिया कि 2020 के चुनाव में भी सिंगल डिजिट में इनके विधायक आए। तो अब उनको लगा कि अब हमें कोई और तरीका ढूँढ़ना पड़ेगा, तो इन्होंने एक और चोर दरवाजा निकाल लिया इस बार कि हम संसद में बिल लेकर आते हैं जिससे यहां दिल्ली सरकार की पावर को छीन लेंगे। इस बार इन्होंने सिर्फ दिल्ली की सरकार की पावर को छीनने की बात नहीं की, इन्होंने दिल्ली के विधान सभा की पावर को भी छीनने की बात की और ये मुझे लगता है कि ऐसा। SS unconstitutional bill भारत के इतिहास में ऐसा असंवैधानिक बिल कभी भी संसद के पटल पर नहीं आया होगा कि आप एक चुनी हुई सरकार की तो छोड़िये आप एक विधान सभा की पावर को भी ले रहे हैं। जो Section 33 का amendment है वो एक बहुत interesting, अभी हमारे एक दो साथियों ने भी पढ़ा लेकिन मैं फिर से पढ़कर सुनना चाहूंगी सैक्शन-33 का amendment कहता है 'provided that the Legislative Assembly shall not make any rule to enable itself or its committees to consider the matters of day-to-day administration of the capital or conduct inquiries in relation to the administrative decisions' मैं आपसे जानना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि अगर ये विधान सभा दिल्ली से जुड़े हुए मामलों को consider

नहीं करेगी, उन पर चर्चा नहीं करेगी, उन पर बहस नहीं करेगी, उन पर इन्क्वायरी नहीं करेगी तो किस मुद्दे पर करेगी। क्या हम इस सदन में आकर ये डिस्कस करेंगे कि मिर्जापुर का अगला सीजन कब आने वाला है? क्या हम इस सदन में आकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष जी आज लंच कराया है, पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी? ये ही मुद्दे रह जायेंगे। क्योंकि जब आप दिल्ली से जुड़े हुए सारे administrative decisions को इस legislative assembly और उसकी कमेटीज की चर्चाओं से उसकी consideration से बाहर निकाल देंगे तो इस विधान सभा को यहां पर बैठने का, कोई भी चर्चा करने का, किसी भी सवाल जवाब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आज मैं हमारे भाजपा के कम ही साथी हैं जैसे तो यहां पर इस हाउस में लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि जब पिछली बार आपने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर को छीनने की कोशिश की थी तो दिल्ली की जनता ने 2020 के चुनाव में सीधे जवाब आपको दे दिया था। अब आप फिर से जैसे कोशिश कर रहे हैं। अब उसी तरह जिस तरह एमएचए के ऑर्डर से आपने कोशिश की, उसी तरह आज आप फिर से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की विधान सभा, उसकी समितियों की पावर का हनन करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं इसका जवाब मुझे लगता है देखिए सुप्रीम कोर्ट तो देगा ही, हम असेम्बली में इस पर बहस कर लें वो भी होगी ही, लेकिन इसका जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी। क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि उसके हक में कौन काम करता है, उसके हक में कौन काम नहीं करता। इस विधान सभा की अगर आप समितियों को देखने जाइए। देखिए हमारा संविधान एक separation of powers की बात करता है कि Executive है Legislature है

और Judiciary है और इस separation of powers के तहत Legislature की जिम्मेदारी होती है कि Executive की accountability को तय करे और ये ही हमारी विधान सभा की समितियां करती आई हैं। हमारे साथी यहां पर सौरभ भारद्वाज जी बैठे हुए हैं। मुझे याद है तीन साल पहले इनकी पैटिशनस कमेटी में पीडब्ल्यूडी ने अपनी फाईलों पर लिखा था कि हमने सारी ड्रेन्स की de-silting कर दी और इनकी कमेटी में कम्पलेंट आई थी। मुझे याद है हर सुबह छः बजे सौरभ जी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ दिल्ली के अलग-अलग नालों का इन्स्पैक्शन कर रहे होते थे कि दिखाओ जो फाइल में लिखा है वो वास्तविक तौर पर हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइये ये दिल्ली की जनता के हक में है कि नहीं है। अफसरों ने हमारे Executives ने Bureaucratic Executives ने फाईल पर लिख दिया कि सारे नालों की de-silting हो गई है। लेकिन ये हर बार जब वहां पर जाते थे तो ये सवाल उठाते थे ये प्लास्टिक कहां से आया, ये कूड़ा कहां से आया। अगर वो विधान सभा की समिति सवाल नहीं उठाएगी तो नुकसान किस का होगा, दिल्ली की जनता का होगा। देखिए, आज सरकार में आम आदमी पार्टी है कल कोई और हो सकता है लेकिन ये लोकतंत्र जिसमें हम रहते हैं एक विधायक जब चुनकर आता है वो जनता की आवाज बनता है। आप लोग भी विधायक हैं। आपके इलाके के लोगों ने वोट देकर आपको चुन कर भेजा है। अगर जो भाजपा ने हमारे साथ किया, जो दिल्ली की सरकार के साथ किया वो ऐसी बात होगी कि इस हाउस में अध्यक्ष महोदय कह दें कि जो आठ विधायक भाजपा के हैं उन्हें बोलना अलाउड नहीं है। बाकी सारे विधायकों को बोलना अलाउड है। बाकी सारे विधायकों को अपने सवाल रखना अलाउड है लेकिन इन आठ

विधायकों को अलाउड नहीं है। तो जिस तरह से देश की हर विधान सभा का, देश की हर संसद का अधिकार है, दिल्ली के विधान सभा के लोकतान्त्रिक अधिकार को हटाना, छीनना ये एक ऐसी गलती है जो भाजपा कर रही है जिसके लिए दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

...व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: भाई साहब समय हो गया अभी तीन प्रस्ताव...। नहीं मैंने समय दिया पूरा। अब कुछ नहीं इसमें प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्ट:- सर मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं मैं आग्रह कर रहा हूँ। मेरे पास जो समय है। देखिए बिधूड़ी जी, मैंने इसमें मेरे पास जो वक्ता थे मैंने नाम लिखा था। सुन लीजिए एक बार बात को। नहीं मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात का मैं जवाब दूँ। नहीं उन्होंने विजेन्द्र जी की बात पर। नहीं मैं नहीं दूँगा कुछ भी। आज इस पर मुझे बड़ी पीड़ा से रोकना पड़ा, समय का अभाव था। सोमनाथ जी को रोकना पड़ा। राखी बिड़ला जी को रोकना पड़ा। ये दोनों नाम मैंने काटे। तीसरा नाम विपक्ष की ओर से आया था वो भी मुझे रोकना पड़ा। मैंने बोला है। मैं बोल रहा हूँ। समय का अभाव है प्लीज। माननीय मंत्री जी खड़े हो गए। एक व्यक्ति आपका ले लिया चार उनके ले लिए। एक व्यक्ति आपका ले लिया चार उनके... नहीं अब नहीं। नहीं अब नहीं प्लीज। जैन साहब। जैन साहब।

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्ष: देखिए आठ-आठ मिनट मैंने तीनों चारों सब्जेक्टों पर रखे हैं आठ-आठ मिनट। आठ-आठ मिनट हो कर 32 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को इससे ज्यादा क्या दूंगा। आठ मिनट से ज्यादा ले गए वो।

माननीय गृह मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्र सरकार ने एनसीटी एक्ट में amendment किये वो बिल्कुल संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल विपरीत हैं। देश का जो संविधान बनाया गया 1950 में जो लागू किया गया बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना था, उसको बिल्कुल दरकिनार करके, बिल्कुल साइड में रखकर ये amendment किये गए हैं। जैसा कि राघव जी ने और हमारे बाकी साथियों ने डिटेल् में बताया कि 239एए जो धारा लगाई गई जिसके आधीन ये असेम्बली बनी और दिल्ली की सरकार बनी, उसके अंदर क्लीयर कहा गया था तीन सब्जेक्ट को छोड़कर स्टेट लिस्ट के अंदर 1, 2 and 18 पुलिस, पब्लिक आर्डर एंड लैंड। इन तीन चीजों को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर Concurrent Subject और State Subject पर इस विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है और सारी Executive Powers उनसे रिलेटिड सारी Executive Powers दिल्ली सरकार के पास है। उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से जैसे एक जमाना था अंग्रेजों के टाइम में भी ये विधान सभा थी ये जब भी चलती थी आप ही ने बताया था। उस टाइम में एक Viceroy हुआ करते थे। कहने को Elected Representative उस टाइम पर भी होते थे पर उनकी चलती नहीं थी, चलती थी Viceroy की। वही रूप फिर से लाना चाहते हैं कि Viceroy की जगह Lt. Governor बनाकर कि चलेगी तो गवर्नर की आप जो मर्जी करते रहो। ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है।

लोकतंत्र की भावना ये होती है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने और उनके माध्यम से सरकार चलायें, अपना राज्य चलायें। उसके बिल्कुल उल्टा ये चलाना चाह रहे हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जो आज ये कर रहे हैं कल इनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। कभी ना कभी उल्टा हो सकता है और जिस तरह से इन्होंने चेंजिज किये हैं सुप्रीम कोर्ट ने 239एए को जब explain किया अपने Constitution Judgement के अंदर साफ-साफ कहा कि एलजी साहब के पास केबिनेट डिसिजन को, मिनिस्टर्स के डिसिजन को भेजने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साफ-साफ लिखा है। उसको इन्होंने एनसीटी एक्ट के अंदर चेंज करके ये लिख दिया कि कोई भी executive decision को लागू करने से पहले, किसी भी executive decision को लागू करने से पहले एलजी साहब के पास उसको भेजा जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट की साफ-साफ अवहेलना है, Constitution Bench के आर्डर की अवहेलना है और संविधान की अवहेलना भी है। मैं एक चीज बता दूँ aid and advice के बारे में मैं क्लीयर देता हूँ कि "aid and advice" is a phrase इसका मतलब ये नहीं होता कि एलजी साहब को ठप्पा लगाना है और साईन करने हैं। aid and advice केन्द्रीय मामले में भी, राज्य सरकार के मामले में, दिल्ली सरकार के मामले में राष्ट्रपति के नाम से काम होता है या गवर्नर के नाम से काम होता है या एलजी के नाम से काम होता है उनके साईन कहीं नहीं चाहिए होते हैं। सरकारें काम करती हैं। aid and advice का मतलब है कि उनको फुल पावर होती है Council of Ministers को, मिनिस्टर को पूरी पावर होती है कि वो डिसिजन ले सकते हैं। सिर्फ जो बिल होते हैं जो असेम्बली से पास होते हैं वो गवर्नर के पास या Lt. Governor के पास या राष्ट्रपति के पास

जाते हैं साईन होने के लिए। डे-टू-डे या executive decisions के लिए उनके किसी भी साईन की जरूरत नहीं होती है aid and advice को बहुत क्लीयरली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर खोल कर लिखा है। कई हमारे साथियों को भी ये भ्रम रहता है कि भई aid and advice का मतलब है कि एलजी साहब को साईन करने है। साईन नहीं करने होते। जो council ने कह दिया जो मिनिस्टर ने कहा वो फाईनल है और वो aid and advice माना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है, हमारी महारानी है उनके नाम से काम चलता है पर उनके पास कोई फाइल-वाइल नहीं जाती। अब इन्होंने amendment करके कहा कि सारी फाईलें executive decision को लागू करने से पहले एलजी साहब के पास जाएंगीं, ये बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और जो हमारे साथी अखिलेशपति त्रिपाठी जी ने मोशन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ता: सर वो तो दिलवा दीजिए रेजोलूशन क्या है।

श्री मोहनसिंह बिष्ट: रेजोलूशन क्या है कम से कम रेजोलूशन की परिभाषा तो होगी। मंत्री को ये तकलीफ है तो मंत्री शिकायत करे तो रेजोलूशन को उसको लेकर करना चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैंने गुप्ता जी बोला। एक सैकेंड रूक जाइए। अल्पकालिक चर्चा है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: हाँ तो।

माननीय अध्यक्ष: कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: जो मर्जी बोल दें।

माननीय अध्यक्ष: कोई प्रस्ताव नहीं है। अब बैठ जाइए। बैठ जाइए। जरा सभ्यता से बात करिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से ये मिसलीड कर रहे हैं ये ठीक परिपाटी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: चलिए-चलिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: अल्पकालिक चर्चा। एक सैकेंड भई मैं संजीव झा की चर्चा को शुरू करवाऊँ, बिधूडी जी ने चेयर को एक बात बोली राघव चड्ढा जी के पास जो उन्होंने तर्क दिये हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन को कोट किया तो कल आपको सदन में मुझे इंगित करते हुए कहा कल आपको सदन में रोने की क्यों जरूरत।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं सुनिए बात को। अब सुन लीजिए प्लीज शान्ति से डिस्टर्ब ना करें। मैं नहीं चाहता कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसे मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एलजी ने एक आदेश दे दिया दो तीन साल पहले। पुलिस पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर, रेवेन्यू पर कोई भी क्वेश्चन विधान सभा में नहीं लगेगा और अधिकारियों को साथ के साथ नोटिस दे दिया कि उस पर उत्तर नहीं देंगे। मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ आप कह रहे हैं नहीं है।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए अब बैठ जाइए। अब बोलिए नहीं ये सत्य है। कॉपी निकाल दीजिए। कॉपी निकाल कर दे दीजिए इनको।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। लाइए कॉपी लाकर दे दीजिए। अभी बैठ जाइए बैठ जाइए। उस आर्डर की कॉपी। आप बैठिए मैं कॉपी दी रहा हूँ आपको। मैं कॉपी दे रहा हूँ आपको। अरे भई मैं उस एलजी के आदेश की कॉपी दे रहा हूँ साहब। आप क्या बात कर रहे हैं आप। मैं बात क्या कर रहा हूँ आप बात क्या कर रहे हैं। सोमनाथ जी बैठिए। मुरुगन जी निकाल कर दे रहे हैं बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ। हाँ आर्डर की कॉपी दे रहा हूँ। आज भी क्वेश्चन लगा था, एलजी के उसी आदेश के तहत डिपार्टमेंट ने उत्तर नहीं दिया और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश हैं कि इनसे सम्बन्धित किसी भी विषय के उत्तर ना दें पिछली बार भी मैं बोल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता जो आपने बिधूड़ी जी कहा मैं सारी चीजें ये पलट सकता हूँ, पलटने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष साथ तो दे एक बात। दूसरी बात मैं नहीं चाहता कि अधिकारी पिसें। ये बार-बार अधिकारियों को बीच में डालकर जो एलजी ने आदेश दिया है कोई भी अधिकारी इनसे सम्बन्धित उत्तर नहीं देगा। ये उचित नहीं है। तीसरी बात ये है कि इन चीजों को डाल दिया गया इसमें रूल आर्टिकल 246 में यूनियन लिस्ट है उन पर विधान सभा में क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ये विजेन्द्र जी मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ आप संविधान की बहुत चर्चा करते हैं। आर्टिकल 246 भारत का संविधान लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट इसमें क्लीयर ये है कि केन्द्र सरकार से सम्बन्धित विषयों पर विधान सभा में चर्चा नहीं होगी। मिलिट्री पर यहां चर्चा नहीं हो सकती, विदेश नीति पर यहां चर्चा नहीं हो सकती, पेट्रोलियम

पर यहां चर्चा नहीं हो सकती, रेलवे पर यहां चर्चा नहीं हो सकती ये लिखा है, दिल्ली पुलिस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस जिसका नाम है। क्या डीडीए पर जिसका नाम Delhi Development Authority उस पर चर्चा नहीं हो सकती। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक हैं और मैं आपको एलजी के ऑर्डर की कॉपी दूंगा जो। मैं इनको करना जानता हूं, कर सकता हूं और आज मैं कह रहा हूं सारे सदन को अब तक मैंने नहीं कहा था आप अधिकारियों को क्वेश्चन उस सम्बन्ध में ना भेजें। आप सीधा 107 में लगाएं, 55 में लगाएं। मैंने आज तक नहीं कहा तीन साल से सहन कर रहा हूं। आज बोल रहा हूं बिधूड़ी जी ने जो बात कही है कि आप लगाइए यहां चर्चा होगी। पुलिस पर भी होगी, रेवेन्यू पर भी होगी सर्विसेज पर भी होगी। सब पर मैं चर्चा करवाऊंगा। आप 107 में लगाइए, 55 में लगाइए सब में चर्चा करवाएंगे और आगे भी डिसिजन होंगे।

अल्पकालिक चर्चा नियम 55 दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों, पार्कों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति दिल्ली में स्वास्थ्य और पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, के सम्बन्ध में संजीव झा की चर्चा प्रारम्भ करें। मैं एक सैकेंड सजीव जी मेरे पास नाम बहुत आए हैं लेकिन समय का बहुत अभाव है पांच बजे सीएम साहब ने भी आना है। मैं जय भगवान जी उपकार से, राजेश ऋषि जी से माफी चाहता हूं उनके नाम नहीं ले पाऊंगा और विपक्ष की ओर से भी दो नाम आए थे। इसमें केवल अनिल बाजपेयी का नाम मैं ले रहा हूं। बाकी तीन नाम रहेंगे संजीव झा जी, कुलदीप कुमार जी, राजेश गुप्ता जी और अनिल बाजपेयी जी। जितना शॉर्ट में बोलेंगे अच्छा रहेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं बैठ जाइए। संजीव जी चालू करिए। मैं सारा समय विपक्ष को नहीं दे सकता। सदन का पूरा समय विपक्ष को नहीं दे...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बाजपेयी जी की जगह ठीक है चलिए।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस मुद्दे पर बोलने का मुझे मौका दिया। सबको पता है कि किस तरह से एमसीडी ने पूरी दिल्ली को कचरे का घर बनाकर रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ चाहे सड़क हो, या नाले हो हर जगह केवल कूड़ा BK और करकट दिखाई देता है। ये जिम्मेदारी एमसीडी की थी कि साफ-सफाई करें। हमें याद है कि जब 2017 में चुनाव लड़ रहे थे तो तत्कालीन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि पूरे दिल्ली को हम साफ करके रखेंगे, पूरा दिल्ली चमका देंगे। अब फिर चुनाव आने वाला है पता नहीं क्या कहेंगे वो? लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल एक कालोनी साफ करके दिखा दो वो संभव नहीं हो पाया था। लगभग पूरे दिल्ली में साढ़े तीन हजार पार्क हैं किसी भी पार्क में जाइए तो सुबह में कोई मॉर्निंग वाक नहीं कर सकते इतनी बदबू आती है पार्कों से। कल हम सब लोगों ने इसी हाउस में एक चर्चा की थी और इस देश के सबसे बड़े पर्यावरणविद् जिनके लिए भारत रत्न की मांग की थी और आज हम सब लोग दिल्ली में कूड़े से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एमसीडी को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही। मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूँ तो हम ये देखते हैं हमारे क्षेत्र में एक पुश्ता है यमुना का सारा एमसीडी का कूड़ा उस

पुश्ते पे जाता है फिर उसमें आग लगा दिया जाता है और रोज वहां देखेंगे कि आग लगी हुई है उससे बदबू फैल रहा है। हमारा 100 फुटा रोड है जो पीडब्ल्यूडी का रोड है। उस रोड पे सारा कूड़ा को फैला दिया था बगल में बहुत सारी कालोनियां हैं। अब बारिश में वो गीला हो गया उससे बदबू फैल रहा है। कई जगह पर हमारे पुश्ते के साथ में ही हम सब लोग वहां से पानी निकाल रहे हैं। अब समझिए कि कूड़ा रखा हुआ है उस कूड़े से poisonous water नीचे जाता है और फिर उसको लोग पीते हैं तो कैंसर के भी केसिज बहुत सारे बढ़ रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है चूंकि एमसीडी साफ-सफाई नहीं कर रही। तो जो काम एमसीडी को करना चाहिए वो तो नहीं कर रही। मेरे क्षेत्र के ही लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं कि विधायक जी अगर एमसीडी वाले को फोन करें कूड़े की सफाई के लिए वो तो नहीं आएगा। अगर एमसीडी के पार्षद को बुलाना हो, इंजीनियर को बुलाना हो तो दो कट्टा सीमेंट और एक कट्टा ईट रख दो अपने आप आ जाएगा पैसा मांगने के लिए। तो पूरी एमसीडी एक उगाही का अड्डा बनकर रह गयी है। मुझे ये लगता है कि आज जहां कहीं भी जाए, मेरे यहां कुछ पार्क हैं जहां मैं जाता हूं, देखता हूं लोगों की एक मात्र शिकायत ये है कि गंदगी फैला हुई है, जी बहुत गंदा है जी, बहुत कूड़ा है जी बहुत दिक्कत है जी। तो मैं ये मानता हूं कि आज इससे न केवल उस इलाके के लोगों को उससे परेशानी हो रही है बल्कि पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। आपने कहा समय की चूंकि थोड़ी कमी है और बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है हमारे बहुत सारे साथी और विस्तार से बात करेंगे। बस मैं इतनी ही उम्मीद करता हूं कि जो जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करें ताकि कूड़े से न केवल उस इलाके की गंदगी

बल्कि पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। तो कम-से-कम दिल्ली के लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जो साफ-सफाई की बेसिक जिम्मेदारी उनकी है उनको करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, झा साहब। आज गलती हो रही है बार-बार।

श्री सौरभ भारद्वाज: आज मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपना समय बाकी साथियों को दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमार: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी बस मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को एमसीडी ने तोहफे में तीन कूड़े के पहाड़ दिए हैं। इन बीस साल के शासनकाल के अन्दर और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इनसे थक चुकी है और दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 2022 के चुनावों में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को ला कर इन कूड़े के तीनों पहाड़ों को खत्म करवाने का काम करेगी। क्योंकि भाजपा के जो भ्रष्टाचार के और कूड़े के ढेर दिल्ली के अन्दर दिल्ली की तीन जगहों पर लगे हुए हैं भलस्वा, गाजीपुर और ओखला दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब इनको खत्म कराना है और खत्म कराना है तो एक ईमानदार सरकार को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2022 के अन्दर लाना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर दिल्ली के अन्दर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को जिनका बकाया वेतन सालों-साल रूका रहता है, महीनों-महीनों रूका रहता है उनके बकाया रूके रहते हैं। उनकी समस्या का समाधान भी जल्द होगा बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। जितेंद्र महाजन जी।

श्री जितेंद्र महाजन: धन्यवाद अध्यक्ष जी दो दिन हो गए सदन चलते हुए मगर वास्तव में मन आज बहुत दुखी है। हर विधायक जब सदन में आता है तो सोचता है पानी की चर्चा करूंगा, परिवहन की चर्चा करूंगा, बिजली की चर्चा करूंगा, शिक्षा की चर्चा करूंगा, स्वास्थ्य की चर्चा करूंगा, हॉस्पिटल की चर्चा करूंगा। मगर बड़ा खेद का विषय है कि दो दिनों में इन मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। जिन मुद्दों से इस हाउस का कोई लेना-देना नहीं है, पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति ऐसी चर्चा हुई और मुझे कल भी निकाला गया। मुझे आज भी सदन से आपके द्वारा निकाला गया। मैंने बाहर जा कर पूछा मुझे क्यों निकाला गया? तो बाहर वालों ने कहा अध्यक्ष जी से जा कर अन्दर पूछो। अन्दर आया तो आपने बोलने से बना कर दिया तो मुझे लगा कि अध्यक्ष जी मुझसे नाराज हैं तो अलग से बात करूंगा। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दे ये है कि दिल्ली नगर निगम को लेकर ये जो बातें कही जा रही हैं तो मेरा इस पर कहना है कि दिल्ली नगर निगम का गला घोटने का काम अगर किसी सरकार ने किया है पूरे देश में तो वो दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने पांचवें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी उनको नहीं मालूम है। निगम को जो उसका पैसा 13 हजार करोड़ रुपये मिलने चाहिए था वो दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है। आज आप देखिए दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। दिल्ली में बिजली की जो स्थिति है, दिल्ली में स्कूल और कॉलेजों की जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। कल भी दिल्ली नगर निगम के ऊपर चर्चा हुई, आज भी दिल्ली नगर निगम के ऊपर चर्चा हुई। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें आज तक दिल्ली सरकार ने मानी नहीं है और निगमों को चलाने के लिए जो

पैसे की आवश्यकता है वो दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगमों को नहीं दे रही है। मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम से आता हूँ। 2012-13 में जब तीनों निगमों का वर्गीकरण हुआ तो ये कहा गया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। इसके चलाने के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा, इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। आप देखिए मंत्री जी ने आज बयान दिया। मंत्री जी ने कहा कि निगम के ऊपर इतने करोड़ रुपये का कर्जा है। ये जो कर्जा है वो 2013 से पहले का है और आप देखिए कि निगम बनी नहीं है उससे पहले का कर्जा है। उसके ऊपर भी दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली नगर निगम से ब्याज ले रही है। ऐसा निकम्मा काम दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली नगर निगम से कर रही है। आप ये देखिए कि जितना पैसा आता है, जितना पैसा आता है उसका 90 प्रतिशत से अधिक पैसा जो है वो कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए निकल जाता है। मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में, इस काल में जब दिल्ली सरकार उसका गला घोटने के लिए तैयार है तब भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है इस प्रकार से अच्छा काम कर रही है और ये जो मंसूबा आम आदमी पार्टी पाल कर बैठी है कि आने वाले निगम चुनावों में वो जीत जाएगी तो दिल्ली की जनता जागरूक है, दिल्ली की जनता को मालूम है कि किस प्रकार तीनों नगर निगमों का गला घोटने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। आप ये देखिए हमारे तीनों मेयर, हमारे पार्षद, हमारी महिला पार्षद कितने दिनों तक मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर धरने पर बैठे रहे। मगर आप ये देखिए कितना अमानवीय पहलू है सरकार का कि माननीय मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, कोई दूसरा दिल्ली सरकार का मंत्री भी उनसे इतने दिनों के लिए मिलने को नहीं आया। आप ये देखिए कि पूर्वी

दिल्ली में सड़कों को बनाने के लिए जो बजट दिया जाता है पिछले साढ़े चार सालों में दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का बजट पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दिया नहीं गया है। पार्कों की हरियाली के लिए, पार्क मेंटेन करने के लिए XL-8 का जो बजट दिया जाता है वो भी किसी भी नगर निगम को अभी तक दिया नहीं गया है। आप ये देखिए कि अगर दिल्ली में पानी नहीं है तो उसके लिए हरियाणा दोषी है, ऑक्सीजन नहीं है उसके लिए केन्द्र दोषी है। पर्यावरण खराब हो रहा है तो पंजाब दोषी है, अरे भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दो। सत्ता हमको सौंप दो मगर।

माननीय अध्यक्ष: कंकलूड करिए अब, कंकलूड करिए जितेंद्र जी।

श्री जितेंद्र महाजन: दिल्ली की जनता तैयार बैठी है आप लोगों को जवाब देने के लिए और दिल्ली सरकार जिस प्रकार स्थानीय निकाय से व्यवहार कर रही है जिस प्रकार उसका वाजिब हक उसको नहीं दे रही है ये पूरी दिल्ली में के लोगों को मालूम है और दिल्ली सरकार का ये सपना है कि आने वाले दिनों में निगम को ऊपर दिल्ली सरकार का कब्जा होगा ये नहीं होने वाला है। एक बार तो।

माननीय अध्यक्ष: कंकलूड करिए महाजन जी अब कंकलूड करिए प्लीज।

श्री जितेंद्र महाजन: अभी तो सात मिनट नहीं हुए अध्यक्ष जी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि पिछले दो दिनों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की विफलता की बात की जा रही है, सीमित साधनों के बीच में भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने यहां पर सभी एलईडी बल्ब बदल दिए हैं और 7 करोड़ की बचत जो है वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम कर रहा है। जिन कूड़े

के पहाड़ों की बात कर रहे हैं आप मुकरबा चौक देखिए, आप गाजीपुर लैंडफील देखिए उन कूड़े के पहाड़ों को जो आपके पैसे न देने के कारण खड़े हुए थे उनको भी कम करने का काम जो है वो नगर निगम कर रहा है और चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको लेकर भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम काम कर रहा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं प्लीज। अजय जी प्लीज। अजय जी। अब वो समय खराब होगा अजय जी मानिए बात को। जितेंद्र जी अब कम्प्लीट करिए।

श्री जितेंद्र महाजन: मेरा।

माननीय अध्यक्ष: कंक्लूड करिए हो गया न।

श्री जितेंद्र महाजन: जो दिल्ली सरकार का दिल्ली नगर निगम के प्रति रवैया है वो पूरी दिल्ली के ध्यान में है और आज दिल्ली सरकार का ये मंसूबा आम आदमी पार्टी का मंसूबा कि किसी प्रकार से स्थानीय निकायों पर कब्जा किया जाए, उनका गला घोटकर कब्जा किया जाए और इसके लिए जो दिल्ली सरकार प्रयास काम कर रही है उसकी मैं निन्दा करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: राजेश गुप्ता जी। संक्षेप में रखिएगा राजेश जी बहुत संक्षेप में।

श्री राजेश गुप्ता: अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा आपने कहा है कि समय कम है माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। मैं सिर्फ 60 सेकंड में ये बात खत्म करना चाहूँगा।

60 सेकंड शुरू हो गए हैं जैसे कि शर्मा जी कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, कल जैसे हमने बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय बहुगुणा जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे भाजपा के साथियों को उससे बहुत दिक्कत हुई। लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूँ कि आज आप दिल्ली में जा कर एक सर्वे करा लीजिए और भारत के अपमान का कोई अगर पुरस्कार मिल सकता है तो वो सिर्फ दिल्ली नगर निगम को ही मिल सकता है। जितनी बदनामी इन्होंने पूरी दुनिया के अन्दर क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है सारी दुनिया से लोग हिन्दुस्तान में आते हैं और देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में आते हैं। जो गंदगी पार्कों के हालात, सड़कों के हालात, नाले भरे हुए, दो-दो घण्टे का जाम ये सब मेहरबानी इनके दिल्ली नगर निगम की है। दरअसल हम बार-बार दिल्ली नगर निगम बोलते हैं। लेकिन अपराध उन कर्मचारियों का नहीं है, अपराध उस भाजपा का है जो 15 साल से कुर्सी-कुर्सी पर बैठी है और जोंक की तरह चिपक कर दिल्ली की जनता का खून चूस रही है। 15 साल में सत्यानाश कर दिया कर्मचारी तो वो ही हैं, जब वो दिल्ली सरकार में होते हैं तो वो बेहतर काम करते हैं लेकिन जब वो दिल्ली नगर में चले जाते हैं या पहले उसमें रहे हैं तो देखिए क्या हालात हो जाते हैं क्योंकि पार्षदों का तो कोई और काम ही नहीं है। बस किसी तरीके से पैसे कमाओ, कोई काम मत करो। ईंट गिनो, सीमेंट के कट्टे गिनो, बदरपुर खा जाओ और कोई काम मत करो। जैसा मैंने कहा था समय कम है एक ही बात कहनी है कि 6 महीने रह गए हैं इन्हें जितना करना है क्योंकि इन लोगों ने सफाई छोड़कर सबकुछ साफ कर दिया। एक मेंडेट है एमसीडी में सफाई, वो उन्होंने की नहीं बाकी सबकुछ साफ कर दिया। लेकिन

अब 6 महीने रह गए हैं अब इनके साफ होने का मौका आ गया है। समय आ गया है आपने बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारी चर्चा थी कि एमसीडी के क्षेत्र में पार्कों की दुर्दशा कैसी है, सड़कों की बुरी हालत है और sanitation सफाई बिल्कुल नहीं होती है। हमारे विपक्ष के साथियों ने पैसा-पैसा, पैसा और पैसा के बारे में बात की। उन्होंने ये तो मान लिया कि दुर्दशा है, बहुत बुरी हालत है। इसके ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। इसको वो 100 परसेंट मान रहे हैं कि एमसीडी के क्षेत्र के अन्दर सड़कों की, नालियों की, पार्कों की, सफाई की दुर्दशा बहुत ज्यादा है, बहुत बुरी हालत है। अभी भी एमसीडी के इलेक्शन होने में 9 महीने का वक्त है, लगभग 8-9 महीने बाकी हैं। अगर ये दो काम कर लें तो शायद थोड़ा बहुत जनता इनके बारे में विचार कर लेगी। पहली चीज कि दिल्ली की सफाई कर दे और दूसरी चीज जेब की सफाई बंद कर दे। 8 महीने बचे हैं, अगर 8 महीने में ये डिक्लेयर कर दें कि आज से रिश्वत बंद, एमसीडी के अन्दर रिश्वत नहीं लेंगे अगर ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दें कि भई एमसीडी से कोई भी काम कराना हो बिना रिश्वत के हो जाएगा तो शायद एमसीडी के अन्दर जनता इनको सोच ले पर वो कहते हैं यार ऐसा क्यों 8 महीने की कमाई कितनी सारी होती है। तो छोड़ेंगे ये नहीं पर फिर भी मैं कहूंगा कि एमसीडी के अन्दर अभी जो पैसे की बात कर रहे थे महाजन जी। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं सुबह ही बताया था कि तीनों एमसीडीज को मिला के 6,837 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने लेना है उनसे, देना कुछ नहीं है। हमने उनको एक पैसा नहीं देना,

पूरा पैसा दिया गया है और 293 करोड़ रुपया अभी एडवांस में अभी भी एक सप्ताह पहले दिए हैं। हम अपना पैसा नहीं ले रहे। नॉर्थ एमसीडी ने 6 साल से अपना एक भी पैसा वापस नहीं किया। पूर्वी दिल्ली ने 4 साल से एक पैसा वापस नहीं किया और साउथ दिल्ली ने 2 साल से एक पैसा वापस नहीं किया है। उसके बावजूद भी मेरा व्यू था कि इनसे लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं ये तो कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, कम-से-कम इनको अभी रिकवरी मत करो, कोई बात नहीं ये चले जाएंगे उसके बाद हम ही देख लेंगे जो भी होगा और इन लोगों ने जो दिल्ली का हाल किया है, एमसीडी ने, बहुत बुरी हालत कर दी है। सफाई की जगह दिल्ली को देश की राजधानी को उन्होंने गंदगी का अम्बार बना दिया है, नरक बना दिया है और एमसीडी ने बहुत बुरी हालत कर दी है जिसके लिए बीजेपी ही दोषी है और बीजेपी इन 15 सालों से वहां पर सरकार है वो अपने आप में दोषी हैं। उनके खिलाफ मुझे लगता है इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और दिल्ली की सफाई करवानी चाहिए धन्यवाद। जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: नियम 107 के अन्तर्गत श्री जरनैल सिंह जी, माननीय सदस्य ने सूचित किया है कि आज नियम 107 के तहत सूचीबद्ध प्रस्ताव, श्री जरनैल सिंह जी। शुरू करिए।

श्री जनरैल सिंह: शुक्रिया अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आपां सारे जाणदे हां केन्द्र सरकार वल्लों देश दे वड्डे पूँजीपतियां दे इशारे ते। तीन्नो कानून खेती वास्ते ले आय गये ने जिदे खिलाफ आठ महीने तो लगातार किसान अपने परिवार दे

नाल छोटे-छोटे बच्चयां ते लैके, बुजुर्गों दे नाल दिल्ली दे बाडरों ते बैठा है। इस दौरान किसानों ने एक डिग्री द सर्दी दा टेम्परेचर भी वेखया। पचास डिग्री द गरमी द टेम्परेचर भी वेखया है। बरसात व्हीच दो-दो फुट पानी व्हीच भी रहे हन। ते हनेरी तूफान वी देख लिया, पर किसान जिन्हे केन्द्र सरकार कहंदी है कि तीन तोहफे दिते हन। तोहफे दा नां रक्ख्या जी फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एण्ड कामर्स बिल 2020। एदे व्हीच ब्रेकेट से लिख्या परमोशन एण्ड फैसिलिटेशन। दूसरा बिल एग्रीमेन्ट ऑन प्राइज एन्श्योरेन्स एण्ड फार्म सर्विसेज बिल 2020 । तीसरा बिल एसेन्सियल कमोडिटी बिल 2020। केन्द्र सरकार ऐनू तोहफा कहंदी ए पर ए दुनिया दे इतिहास विच किसी सरकार वल्लों दित्ता गया लोका नू एदे एवे द तोहफा जिदे खिलाफ लोक अपणी जाण तक दे रहे हन। अध्यक्ष जी, पिछले 6 महीने, 8 महीने दे दौरान किसान जो जमीन नू अपनी मां समझदा है। ते किसान तूसी वेखोगे पंजाब च खासतौर ते जमीन जो पिन्ड दी है उदा नां अपने नां दे अगगे लगान्दा है। ओदे प्यार द एक सबूत है। जमीन दे वास्ते किसान किसी भी हद तक जान नू तैयार है। ते आज हालात ऐ बान गये ने कि पिछले 8 महीने दे दौरान 600 तो वद किसान शहीद हो गये हन। अफसोस दी गल है के केन्द्र दी सरकार साढ़े प्रधानमंत्री साहब जो कि छोटे- छोटे मसलयां ते टवीट कर देंदे ने 600 किसान शहीद होण तो बाद इक शोक संवेदनां दे तौर ते एक भी टवीट तक नहीं प्रधानमंत्री साहब वल्लों कित्ता गया। ए बहुत अफसोस दी गल है। अध्यक्ष जी, किसान जद्दों खेती करदा है ते अपने आप च बहुत उम्दां काम करदा है। आज मैं दसना चाहना हां अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार दी जो नीतियां हैं तीन कानून बन के आये नें। एदे पीछे मंशा ऐही है कि किसानों दी जमीन खो के ते देश दे वड्डे पूंजीपतियां दे हाथ च दे दिती जावे, पर खुश

नसीबी सी किसानों की देश दे कि किसानों के विच ऐदां के लीडर पैदा होए जिन्होंने इस बिलां ते ऐनां कानूनां दे इक नुकसान इक-इक घर विच जा के इक-इक किसान परिवार नू समझाई जिदे खिलाफ आज लगातार आठ महीने तो किसान डटे होए ने। मेन्नु बोलदे बहुत अफसोस हो रहा है अध्यक्ष जी, कि लिख के ऐदां द सुसाईड नोट अध्यक्ष जी मैं तवानुं इक दिखान जा रहा हं मैं चावांगा मैं पढ़ां ऐनू। ए सुसाईड नोट इक बहोत वड्डे संत रामसिंह जी होए ने ओनां द हेगा। ऐदे च ऐनां ने साफ तौर ते लिखया ए कोंडली बार्डर तो ए सुसाईड नोट जारी होया सी। किसानों द दुख वेख्या अपने हक लैन लई सड़कां ते रूल रहे हन, बहुत दिल दुखया है किसानों नू न्याय नहीं मिल रया जुल्म है जुल्म करना भी पाप है जुल्म सहना भी पाप है। किसे ने किसानों के हक विच कुछ कित्ता, किसी ने किसानों के हक विच कुछ कित्ता कईयां ने अपने सम्मान वापिस कित्ते, कई खिलाड़ियां ने अपने पुरस्कार वापिस कित्ते। दास किसानों के हक विच सरकारी जुल्म के रोष विच आत्मदाह करदा है ऐ जुल्म के खिलाफ आवाज है ते कीर्ति किसान के हक विच आवाज है। अध्यक्ष जी, ऐवें के हादसे होन तो बाद केन्द्र सरकार की नींद नहीं खुल रही। अध्यक्ष जी, किसी शायर ने लाईन लिखी है,

अब मैं राशन की किताबों में नजर आता हूँ

अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूँ।

इस लाईन के आधार उते बिल ड्राफ्ट किते गये हन। सारे किसानों तो उन्हां की जमीन खो के, उन्हां नू राशन की लाईन व्हीच लगा दित्ता जावे, पर किसान समझदार निकले, इक-इक कानून दियां खामियां लोकां नू समझाईयां पावें ए

दुहाईयां दे रहे सी बड़ुा सिस्टम दियां साढ़े भाजपा दे साथी पर राज सभा विच किसी तरीके बिल पास होया ते सारी दुनिया नू ते नंगा नाच देखया। राज सभा विच बिल पास नहीं हो सकदा सी सिर्फ ध्वनिमत नाल घट नंबर होन दे बावजूद ओथे ए बिल पास कित्ता। अज्ज अफसोस हुंदा कि ओ किसान जो पूरे देश दा अन्नदाता है ओनू आतंकवादी, गुंडा, वख्खवादी ते हुण चार दिन पेहलां दी गल करिए ते नई दिल्ली तों सांसद जो मीनाक्षी लेखी ने उन्हाने मवाली तक कहा है ऐ डिसाईड क्यों नहीं करदे जो मवाली ने तो कईयाँ दौरां दीयां मीटिंगा किस वास्ते कीतियां ने। कृषि मंत्री वख-वख मंत्रियां ने बैठ के उथ्थें मीटिंगा कीतियां ते मवालियां नाल कोई मीटिंग करदा ए। इक पासे गल नू करो ना। अध्यक्ष जी, अज्ज अंदरो ए मान बैठे ने ऐनां दे मंत्री किसानां नू अनाफिशियली केहदें ने कि सिर्फ इक बंदे दी आकड़ करके सारे दा सारा देश परेशान हो रहा है। अध्यक्ष जी, 600 बंदे शहीद होणा कोई मामूली गल है उथे इक दिन आ के वेखन जिन्हांनू मवाली कहदें ने, इक दिन मवालियां दे नाल रह के वेख लेन, अगले दिन कानून चेंज हो जाणगें। शर्म आंदी है अध्यक्ष जी ऐवें दे सिस्टम, ते शर्म आंदी है ऐवें दी सरकार उते जो अपणे लोकां दे बारे नहीं सोच सकदी। लगातार संसद दा सेशन चल रया है। हर दिन डिसकशन होंदी है। संसद व्हिच डिसकशन नहीं हो पांदी। बाहर किसानां ने आपणी संसद लाई होयी है। वख-वख देश दे intellectual उथ्थे। दो दिन पेहलां मैनू एहे देख के बहुत खुशी होई, देश दी महिलावां ने पहली वार उथ्थे संसद लगाई। केन्द्र सरकार वल्लों उन्हांनू प्रोडक्शन वी दितां गया के चलो तुसी चलाओ दो सौ बंदयां दी परमीशन दीति ऐलाउ करो, पर अध्यक्ष जी, जदो तक ऐदा सिटटा नहीं निकलदा मतलब कदों तक अज्ज देश दा किसान परेशान है। अज्ज देश दा बेरोजगार नौजवान परेशान

है अज्ज मंहगाई नाल हिंदू एवं मुसलमान सब परेशान है। ऐ सरकार कदों डेवलेपमेंट दे मुददे ते गल्ल करना शुरू करेगी। अध्यक्ष जी मैं बार-बार ऐही बेनती करना चाह रया हा कि केन्द्र सरकार नू इस सदन वल्लों ऐ अपील जाणी चाहीदी है अपील जाणी चाहीदी है कि किसानों दे शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो बाद वी केन्द्र सरकार ऐनां दी मंगा वल ध्यान नहीं दे रही किसानों दीया मंगा नू के जो ओथे मौतां होइयां ने उस हकीकत नू समझदे होए ए सदन पुरजोर इस चीज दी सिफारिश करदा है कि केन्द्र सरकार किसान संगठन नाल गल करे ते गल करके ऐनां कानूनां नू रद्द करे। बाकी जो हालात भाजपा दी केन्द्र सरकार ने देश दे बनाते ने। दो लाइनां बोलके अपनी गल्ल खत्म करांगां,

भगवान का सौदा करते हैं

इंसान की कीमत क्या जानें,

जो धान की कीमत दे ना सकें

वो जान की कीमत क्या जानें।

अध्यक्ष जी, बहुत नुकसान हो गया देश दा। बेनती करदें हां कि सदन इस प्रस्ताव दी पुरजोर सिफारिश करे कि केन्द्र सरकार नू ऐ बिल निरस्त करन दी पुरजोर सिफारिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री गुलाब सिंह जी। श्री गुलाब सिंह जी। श्री वीरेंद्र कादियान जी।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान: अध्यक्ष जी, आज जो मेरी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। जून के पहले हफ्ते में जब से ये अधिवेशन आया। ये प्रोक्लेमेशन आया, इसमें धीरे-धीरे करके किसानों को पता चला कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया और छोटे-छोटे रूप में किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। 9 अगस्त, 2020 से पंजाब में, हरियाणा में ये आन्दोलन तेजी पकड़ने लगा और आज करीब-करीब 12 महीने हो गये हैं। 8 महीने से ज्यादा दिल्ली के बार्डरों के ऊपर किसान बैठे हैं और करीब 12 महीने से ये आन्दोलन चल रहा है। इस आन्दोलन में किसान सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बिल है, तीन बिल जो केन्द्र की सरकार लेकर आयी है। ये तीनों के तीनों बिल किसान विरोधी हैं और किसानों को ये बिल नहीं चाहिए। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में किसान अपनी आवाज कैसे उठाये। शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन करके, महापंचायतें कर लीं। बड़ी-बड़ी महापंचायतें भी हो लीं। मेरठ में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जीन्द में माननीय मुख्यमंत्री जी गये और अनेकोनेक महापंचायतें हुईं। पंजाब में हुईं। मुजफ्फरनगर में हुईं। इन महापंचायतों में भी लोगों ने हजारों की मात्रा में इकट्ठा होकर ये कहा कि भई ये तीनों बिल जो है किसानों के विरोध में है। इन तीनों बिलों को आप वापस ले लीजिए। बार्डरों पर बैठे पूरे आठ महीने हो गये। पूरी सर्दियाँ निकाल दी। 2 डिग्री, 3 डिग्री का टेम्परेचर, बारिश भी हुई। इसके बाद आज आप हालात देख लो। सब जगह जलभराव है फिर भी तम्बू लगाकर किसान बैठा है। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि भई हमसे बातचीत कर लो और हमारी सुन लो। परन्तु केन्द्र की सरकार, भाजपा की सरकार इतनी हठधर्मिता पर उतरी हुई है कि किसानों की एक भी बात नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि पार्लियामेन्ट में भी

इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं दे रही है। इस आन्दोलन के चलते 600 के आसपास किसानों की मृत्यु हो चुकी है, वो अपनी जान गवां चुके हैं। जो किसान संगठन है उनके हिसाब से प्रतिदिन तीन किसानों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए आन्दोलन लम्बा खींचता जा रहा है लेकिन किसान उनके जीवन-मरण का सवाल है। वो बैठे हुए हैं और जब तक ये माँगे नहीं मान ली जायेगी, उनकी सुनवाई होगी, वो उठने वाले नहीं हैं। तो मैं विधायक जरनैल सिंह जी की बात को आगे करते हुए यही कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया जाये और केन्द्र की सरकार को ये सुनना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। किसानों की भी सुननी चाहिए। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े-बड़े जो नेता हैं भाजपा के, छोटी-मोटी बातों का भी ट्वीट करते हैं। एक भी बात की संवेदनशीलता इन्होंने जाहिर नहीं की है और एक भी ट्वीट इन्होंने नहीं किया कि भई किसानों के साथ ये क्या हो रहा है और ये किसान, 31 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अभी आपको एक नोट दिखाया। विधायक जी ने कि भई किसान क्यों मर रहे हैं। वो उनके जीवन-मरण का सवाल आ गया है। अगर ये तीनों बिल लागू हो गये और बिल लागू रहे तो किसानों की जमीनें भी जायेंगी। किसानों का मान-सम्मान भी जायेगा और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा हिन्दूस्तान जो है कृषि प्रधान देश है, बेरोजगारी की भी इतनी तादाद हो जायेगी जो पहले ही इतनी भयंकर स्थिति आज बेरोजगारी की है। अगर खेती-बाड़ी पर भी बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े लोगों का अधिकार दे दिया तो किसान के मरने के सिवाय किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर केन्द्र की सरकार संज्ञान ले। किसानों से बातचीत करे। कोई भी बात हो, कितनी बड़ी दुश्मनियाँ भी रही हों, कुछ भी रहा हो लेकिन

बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकलता है, ये तो हमारे ही लोग हैं, 80 करोड़ किसानों की ये माँग है। इसको भी अगर केन्द्र की सरकार नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अन्दर हमने वोट तो दे दिया, उनको जिता भी दिया पर वो इतने गरूर में हो गये कि जिन लोगों ने उनको संसद तक पहुंचाया है उनकी भी आवाज आज वो सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़े दुख की बात है और इस विधान सभा के माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस बात को संज्ञान में लिया जाये और उनसे बातचीत की जाये। इस समस्या का समाधान किया जाये और उनकी सुनकर, उनके फायदे की बात करके जो है इन बिलों को वापस भी लिया जाये। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मान्यवर नेता, प्रतिपक्ष श्री बिधूड़ी जी द्वारा नियम 107 के अन्तर्गत जो दोनों प्रस्ताव हैं उनमें मुझे संशोधन प्राप्त हुए थे लेकिन मैं दोनों संशोधनों को अस्वीकार कर रहा हूँ और, एक सेकेण्ड मैं बात पूरी कर लूँ। अभी चर्चा के दौरान आप या आपके मित्र अपनी बात रख सकते हैं। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी(माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली विधान सभा में माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह कादियान द्वारा आज नियम-107 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है, इसके सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि जब ये तीन कृषि सुधार कानून देश के किसानों के हित में देश की संसद ने पास किये तो एक कृषि सुधार कानून को श्री अरविंद

केजरीवाल जी की सरकार ने अपनी मंजूरी दी। हमारा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जो तीन कृषि सुधार कानून लाये गये हैं इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों के घर में खुशहाली आयेगी और सरकार ने जो ये कमिटमेन्ट किसानों से कि मण्डियों का भी विस्तार होगा और प्रिक्वोरमेन्ट में भी बढ़ोत्तरी होगी। आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है अध्यक्ष जी कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद कृषि उत्पादन डबल हुआ। किसानों की आय डबल हुई और पंजाब और हरियाणा में गेहूँ और धान की रिकार्ड प्रिक्वोरमेन्ट हुई। तो मैं आज जरूर इस हाउस के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जरूर ये माँग करूंगा कि उन्होंने यह पब्लिकली कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा गेहूँ और धान की जो कीमत तय की जायेगी, दिल्ली की सरकार 50 परसेन्ट ज्यादा गेहूँ और धान की कीमत दिल्ली के किसानों को देगी और उसके उपर श्री केजरीवाल जी की सरकार कम से कम 100 करोड़ रूपया अपने खजाने से खर्च करेगी। यह बात कह तो दी गयी कि हमने किसानों को 50 परसेन्ट गेहूँ और धान की कीमत बढ़ाकर दे दी है लेकिन अभी तक वो मिली नहीं हैं। मैं आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी कमिटमेन्ट को पूरा करें। किसान की जमीन एक्वायर की जाती है तो उसका मुआवजा बढ़ाया जाये। किसान की जमीन जब एक्वायर की जाती है अध्यक्ष जी उसको अल्टरनेटिव रेजिडेन्सियल प्लॉट दिया जाता है। उसके उपर रोक लगा दी गयी है। किसान को ढाई सौ गज से लेकर चार सौ गज तक का रेजिडेन्सियल अल्टरनेटिव प्लॉट दिया जाये। अभी एक और नई मुश्किल हमारे लिए खड़ी हो गयी है। देखिए

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है अध्यक्ष जी कि जो गाँवों की, ग्राम सभा की जमीन है उसका उपयोग केवल और केवल गाँव के हित में किया जा सकता है। उस जमीन के उपर गाँवों के लोगों के लिए स्कूल, हास्पिटल, डिस्पेन्सरी, बारात घर, स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स ये बनाये जा सकते हैं। कोई भी सरकार ग्राम सभा की जमीन के उपर इन्डस्ट्रियल, रेजिडेन्सियल, कामर्शियल प्लाट डेवलप करकर व्यापार नहीं कर सकती है। मैं ये माँग इसलिए करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की भावना की हमको कद्र करनी चाहिए और ग्राम सभा की जमीन जो है वो गाँव के लोगों के हित में काम आये और मेरी एक और माँग जरूर है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के हित में जो 6 योजनायें शुरू की है वो दिल्ली में लागू नहीं की गयी हैं। उनको श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लागू करे। ट्यूबवेल्ल्स का कनेक्शन किसानों को मिलना चाहिए। बिजली उन किसानों को मुफ्त दी जाये। यह वायदा भी सरकार की ओर से किया गया था। गाँव का लाल डोरा बढ़ाया जाये। इससे किसानों को बहुत खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और पूरे देश भर में किसान जो अपने कुछ कृषि यन्त्र खरीदता है तो उसके उपर सब्सिडी दी जाती है। तो अध्यक्ष जी तो दिल्ली के अन्दर भी जो कृषि यन्त्र खरीदे जाते हैं उन पर भी सब्सिडी दी जाये। ये मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से माँग करना चाहता हूँ। इससे एक अच्छा सन्देश दिल्ली के किसानों में जायेगा। दिल्ली का जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है उसको कमर्शियल व्हीकल ट्रीट किया जाता है। 28000 रूपया हर साल दिल्ली का किसान ट्रैक्टर के लिए रोड टैक्स नहीं दे सकता है तो किसानों को ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी दी जाये। यह मैं माँग।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: इस प्रस्ताव के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: थैंक यू, थैंक यू। अभी माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जी उत्तर देंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिए बिधूड़ी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए, जैन साहब।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तीनों कृषि कानून के ऊपर बोलने से पहले हमारे विपक्ष के नेता ने जो बात कही है, उसके लिए मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि ग्राम सभा की जितनी भी जमीन है, वो सारी की सारी सिर्फ पब्लिक के हित में यूज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग में नहीं होनी चाहिए। जो ये प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली के अंदर बैठा है बहुत बड़ा, जिसको डीडिए कहते हैं, उसने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की जितनी भी ग्राम सभा की जमीन थी, सारी की सारी डीडिए ने ले ली है। अब उसको औने-पौने दाम में बेचेंगे। मैं बिल्कुल पूरजोर समर्थन करता हूँ इस बात का कि अब वो डीलर को बेचने का मौका न दिया जाए, जनता के हित में वहां पर स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, डिस्पेंसरी बने, पार्क बने और सारे के सारे सदस्य समर्थन करें।

...व्यवधान...

अध्यक्ष जी, जो तीन कृषि कानून बने, उनमें कहा गया है कि वो किसानों के हित में बनाये गये। मैं छोटा सा हल्का सा आपको इसका जिक्र करता हूँ। एक कानून कहता है कि आपकी भंडारण क्षमता की लिमिट को हटा दिया गया, ये तो पहले भी नहीं थी। अगर किसान ने अपनी फसल को भंडारण करना है, उसमें कोई लिमिट कभी लगी नहीं। अगर उसने अपनी फसल पैदा की है, अपनी फसल को वो भंडार कर सकता था, तो वो हटा किसके लिए रहे हैं। किसान के लिए नहीं हटा रहे हैं, वो भंडारण क्षमता की लिमिट जो हटा रहे हैं, वो व्यापारियों के लिए हटा रहे हैं और आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर एक कम्पनी ने कई सौ एकड़ की भंडारण क्षमता इस कानून के आने से पहले तैयार कर ली। उसे पता था कि लिमिट हटने वाली है यानि कानून बनाने में उनका कोई योगदान था कम्पनी वालों का, अब वो भंडारण क्षमता जब अन-लिमिटेड कर दी। आप एग्जाम्पल देखिए न, इस देश के अंदर जब भी फसल होती है, त्रासदी देखियेगा, जब भी फसल का समय होता है, आप टीवी पर देखेंगे नासिक का किसान अपने प्याज को सड़कों पर फेंक रहा होता है। एक रुपए किलो, डेढ़ रुपए किलो, 50 पैसे किलो बिक रहा होता है। आलू को जमीन पर फेंक रहे होते हैं। जो भी फसल का समय होता है, उस समय तो उसका खरीददार नहीं मिलता है तो ये बड़े-बड़े सरमायदार लागत आएंगी पाँच रुपए किलो या 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, एक रुपए किलो में खरीदकर सारे के सारे देश के अंदर 10-15 भंडार बनायेंगे, जिसमें इक्ठ्ठा कर लेंगे सब। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको 2015-16 के अंदर इस देश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। वही कम्पनी जिसने भंडारण क्षमता बढ़ायी, सबको पता है नाम क्या होगा उसका। देश के अंदर दालों की कीमत, जो 40, 50

रुपए होती थी, वो डेढ़ सौ रुपए, दो सौ रुपए चली गयी अचानक। कम्पनी ने क्या किया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा दालें होती है, इस दोनों सरकारों ने खरीददारी नहीं की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीददारी नहीं की, उस कम्पनी ने सारी दालें औने-पौने दामों में किसानों से खरीद ली। सपोर्ट प्राइस लगभग 40 रुपए था, उन्होंने 25 रुपए, 30 रुपए में खरीद ली और सारी खरीद के अपने गोदामों में बंद कर दी और इतने रेट बढ़ाये, इतने रेट बढ़ाये, पांच गुने, छः गुने रेट कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने रेट कर दी है तो ये स्टोरेज का जो कानून है, कई लोग कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है किसानों के लिए है। किसानों के लिए नहीं, सबके लिए है। किसान को तो नुकसान होगा, उसकी फसल के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनता का नुकसान ये होगा कि कुछ लोगों में सारी ताकत आ जाएगी और वो किसान से जो चीज 10 रुपए में लेंगे आपको 100 रुपए में देंगे।

इसी तरह से मंडी व्यवस्था देख लीजिए आप। दूसरा, इस देश के अंदर जो मंडी व्यवस्था है कुछ ही राज्यों के अंदर ठीक से है, जैसे पंजाब उसका अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पर मंडी व्यवस्था चलती है। हमारे देश में कृषि सभी राज्यों में उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में हर जगह होती है। एक बिहार का किसान है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान है, वो भी खेती करता है, उसके पास दो एकड़ जमीन है, तीन एकड़ जमीन है, एक एकड़ जमीन है, परंतु उसको कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। आप दिल्ली के अंदर जितने भी प्रवासी मजदूर है, उनसे पता कर लीजिएगा ज्यादातर अपने गांव के अंदर किसान है, वो अगर धान की खेती कर रहा है, उसका खर्चा 1200, 1400 रुपए आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1900 रुपए है और उसको बेचना पड़ता

है 1100 रुपए के अंदर, उसको लॉस होता है और वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली आता है या कहीं और राज्यों में जाता है तो ये एमएसपी को लगभग खत्म करने जा रहे हैं, सपोर्ट प्राइस को खत्म करने जा रहे हैं, तो किसान फिर बर्बाद हो जाएगा। जो हालात उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में किए हैं वो पूरे देश के अंदर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सभी राज्यों के अंदर ये हालत हो जाएगी कि किसान को अपनी ही फसल उगाने के बाद भीख मांगनी पड़ेगी। मंडी का सिस्टम खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे, किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और केन्द्र सरकार क्या कह रही है, नहीं जी आपको इससे बहुत फायदा होगा, नहीं जी हम आपको ये कानून देंगे। अभी भी आपने देखा हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता। उन्होंने किसी भी बजट, किसी भी कानून के बारे में एक भी तारीफ का शब्द नहीं बोला। क्या बताया, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड जुमले, किसानों की आय डबल हो जाएगी, ये तो जुमला है न। जुमले मारने के अलावा उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे होगी? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने भंडारण क्षमता को अन-लिमिटेड कर दिया तो उससे किसान को क्या मिलने वाला है, किसान को क्या फायदा होगा, ये बता दो? एक कानून है कि पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हो, ठीक है जी। एक किसान है, उसने दो एकड़ के अंदर अपना घिया उगाया या गोभी उगाई या टमाटर उगाया, कहते हैं मद्रास के अंदर न 14 रुपए किलो है ये। अब मद्रास तक लेकर कौन जाएगा ये तो बता दो उसको, बेचकर कैसे आएगा बता दो, होगा कैसे? तो ये सारे के सारे कानून सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं कि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं और बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी क्या है दो या तीन। उन कम्पनियों को ध्यान में रख कर बनाया

गया, जैसे कि अमेरिका में एक समय हुआ था, उन्होंने पूरा सिस्टम इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हवाले कर दिया था। इस देश के अंदर भी पूरी की पूरी कृषि को, हमारे देश की आधी आबादी आज भी कृषि पर आधारित है, सबको ये मजदूर बना देंगे, मालिक से उनको मजदूर में कंवर्ट कर देंगे और इस देश का सत्यानाश होगा।

अभी हमारे साथी जनरैल सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मेरा ये कहना है कि जो तीनों कृषि कानून है, इनको अन-कंडिशनल केन्द्र सरकार को वापस लेना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेकर किसानों की त्रासदी को खत्म करना चाहिए। 600 के करीब बार्डर पर बैठे किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 30 के करीब आत्महत्या भी कर चुके हैं, जोकि बहुत ही दुखद है। केन्द्र सरकार को उस पर सोचना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। अब श्री जनरैल सिंह जी के प्रस्ताव को पारित करना और श्री जनरैल सिंह माननीय सदस्य द्वारा नियम 107 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं नहीं दे रहा हूं प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आपने कमिट किया था।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। कोई कमिटमेंट नहीं। मैं एक सेकेंड नहीं दे रहा हूं, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आपने।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ। भई आठों को बुलवा दूंगा। आठ के आठ सदस्यों को बुलवा दूँ। सत्ता पक्ष के सदस्यों को काट रहा हूँ और आपके आठ के आठ सदस्यों को बुलवा दूँ, कैसे संभव है ये? नहीं बैठिये प्लीज। मैं अब समय नहीं दे रहा हूँ।

श्री विजेंद्र गुप्ता: मंत्री जी के सामने ये बात आए।

माननीय अध्यक्ष: आ गयी है। आपके नेता विपक्ष बोल चुके हैं, सारी बात आ चुकी है। अब इससे ज्यादा।

श्री विजेंद्र गुप्ता: विपक्ष ने बोला है और।

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा बोला, बात खत्म हो गयी।

श्री जितेंद्र महाजन: आप बोलने भी तो दो न।

माननीय अध्यक्ष: अब नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: श्री जनरैल सिंह जी, माननीय सदस्य द्वारा नियम 107 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, ना कहें,

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि ये सदन अनुशंसा करता है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले दिल्ली के डाक्टरों, पैरा-मेडिकल स्टाफ को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना जाए। सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

श्री सौरभ भारद्वाज: जी अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नियम 107 के अंदर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये चर्चा कोरोना महामारी से संबंधित है अध्यक्ष जी और जैसा कि हम सब ने देखा कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी की वजह से हर जगह अफरा-तफरी मची हुई है और भारत भी जो है, इससे अछूता नहीं रहा और अभी अभी जो भारत में अप्रैल-मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें जितना नुकसान देश के अंदर हुआ वो सबके सामने है? मुझे लगता है कि हर राज्य के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोगों को कोरोना हुआ। बहुत सारे लोग कोरोना से मारे गये। मुझे लगता है सदन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों में, उनके जानकारों में जरूर कोई न कोई उनका प्रिय होगा, जिसको उन्होंने इस कोरोना के समय में कोरोना बीमारी के चलते खोया भी होगा और अध्यक्ष जी अप्रैल-मई महीने को अगर हम याद करें तो इतना डरावना समय था हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए। अलग अलग राज्यों के अंदर लॉक डाउन लगे हुए थे, लोग जिसको फोन करते थे, जहां पर किसी रिश्तेदार को फोन करते थे, जानकार को फोन करते थे तो यही पता चलता था कि उसके घर में इतने लोगों को कोरोना

हो रखा है। कुछ लोग अस्पताल के अंदर हैं, कुछ लोग घर के अंदर हैं। हर आदमी किसी न किसी तरीके से कोरोना से जूझ रहा था और अध्यक्ष जी इस समय बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने मानवता के कारण बहुत मदद की लोगों की। लोगों ने अंजान लोगों की मदद की, अंजान लोगों को अस्पतालों में दाखिल कराया, अंजान लोगों को दवाइयां बांटी, आक्सीजन दिया, हर तरीके से लोगों को मदद करने की कोशिश की गयी।

अध्यक्ष जी, इस दूसरी लहर से पहले हमें भी ऐसा लगता था कि कोरोना जो हैं अब कम हो रहा है। मगर ये दूसरी लहर आई, इसमें बहुत अजीज लोगों को हम सब ने खोया है और आज भी यकीन नहीं आता है कि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके साथ बिल्कुल हष्ट-पुष्ट लोग जो हैं इस कोरोना की बीमारी के अंदर मारे गये और एक समय ये था अध्यक्ष जी कि दिल्ली के अस्पतालों के अंदर ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि आस-पास के लोग भी, आस-पास के राज्यों के लोग भी दिल्ली के अस्पतालों के अंदर आते थे और ईलाज कराते थे और हमें खुशी है कि उन लोगों का भी ईलाज करने में दिल्ली के अस्पतालों से मदद हुई, दिल्ली के लोग भी अन्य अस्पतालों में जहां जिसको जगह मिली, उसने वहां पर एडमिशन लिया, उसकी मदद भी ली।

अध्यक्ष जी, मैं खुद इस कोरोना की दूसरी लहर के अंदर कोरोना की चपेट में आया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंधविश्वास था कि हम जवान लोग हैं, हमें अगर कोरोना होगा तो हमारा कोरोना क्या बिगाड़ेगा। हमारा मानना था कि भई हमें कोरोना होगा, दो चार दिन के अंदर जुकाम होगा, खांसी होगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा-बहुत बुखार होगा। ठीक होकर आ जाएंगे।

अध्यक्ष जी, मगर मुझे जब कोरोना हुआ तो बुखार इतना तेज रहा कि ऐसा लगा कि अस्पताल के अंदर एडमिशन लेना जरूरी रहेगा और परिवार वालों ने भी कहा भई एडमिशन ले लो और अध्यक्ष जी, पहली बार अस्पताल के अंदर जाने का मौका मिला, जाना पड़ा और जो माहौल अस्पताल के अंदर अध्यक्ष जी देखा। हमने भगवान को तो कभी साक्षात् नहीं देखा, मगर मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि मैंने भगवान का रूप जो है, उस अस्पताल के अंदर देखा। हमारे डाक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे वार्ड ब्याय यहां तक कि जो अस्पताल के अंदर मुझे सफाई कर्मचारी है, वो जो खाना लेकर आता है वो कर्मचारी, जो आपको स्ट्रेचर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाता है, वो कर्मचारी, हर उस कर्मचारी के अंदर, हर उस डाक्टर के अंदर मुझे भगवान का रूप दिखा।

अध्यक्ष जी, इतना बुरा समय था। मैं उन परिवारों का नाम नहीं लेना चाहता और हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां होंगी। अध्यक्ष जी, ऐसा भी समय था कि मां-बाप को कोरोना है और घर का बेटा भी अपने मां-बाप के पास जाने के लिए तैयार नहीं कि मुझे न हो जाए। वो भी फोन करके ये कह रहा है कि मेरे मां-बाप जो है फलांन जगह रह रहे हैं, आप किसी को भेज कर टेस्ट करा दो। टेस्ट करा दिया तो फिर फोन करके कह रहा है कि भई आप उनको एडमिशन कहीं करा दो। मैंने पूछा था तू क्यों नहीं आ जाता, तू भी तो यहीं पड़ोस में रहता है। कहता है नहीं मेरा घर सील कर रखा है तो ऐसी ऐसी मजबूरियां थी लोगों की कि कोरोना से इस तरीके का डर था लोगों को अध्यक्ष जी कि अपने मां-बाप तक के पास जाने से लोग डर रहे थे। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐसी ऐसी कहानियां सुनी कि आपके घर में

मृत्यु हो गयी है और आप उनकी डेड बॉडी को छूने के लिए तैयार नहीं हैं, आप पुलिस स्टेशन में फोन करके कह रहे हैं कि इनकी बॉडी को आप ले जाकर इनका आप दाह संस्कार कर दीजिए, हममे से कोई टच नहीं करेगा। हमें इन्फेक्शन न हो जाए। घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं और पुलिस कर्मियों ने, आरडब्ल्यू के लोगों ने मिलकर दाह संस्कार किये।

अध्यक्ष जी, ऐसे समय में जब लोग अपने रिश्तेदार के पास जाने से डर रहे थे, अपने मां-बाप के पास जाने से डर रहे थे। मैंने देखा कि अस्पताल के अंदर चाहे सैकड़ों मरीज हैं और सारे मरीज कोरोना के, ऐसे माहौल के अंदर ये सफाई कर्मचारी दिन-रात उन कोरोना के मरीजों के साथ चाहे वो डाक्टर्स हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो कर्मचारी हो, वो दिन भर उन कोरोना के मरीजों के साथ हैं। उनके मन में कोई उनके लिए कोई घृणा नहीं, कोई उनसे डर नहीं।

अध्यक्ष जी, जब मैं खुद अस्पताल के अंदर एडमिट था, आईसीयू के अंदर एडमिट था तो डाक्टर्स ही एक दूसरे को बताते थे और उनकी बातों से पता चलता था कि आईसीयू का एक छोटा सा कमरा होता है, जिसके अंदर 10-15 मरीज होते हैं। एयर कंडिशनड होता है। आप सोचिये कि उस आईसीयू के अंदर 10-15 मरीज जो हैं, वो सारे के सारे सीरियसली बीमार हैं कोरोना से और कोरोना के अलावा भी उनको दस तरीके के इन्फेक्शन है। वो उसी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, खांस रहे हैं, हॉफ रहे हैं, थूक रहे हैं तो आप समझिए, इमेजिन कीजिए की उस आईसीयू के चौम्बर के अंदर कितना हैवी वायरल लोड होगा, कितना ज्यादा उस पूरे के पूरे हवा के अंदर वायरस भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा और ऐसा होगा कि अगर आपको वो बीमारी लग गयी तो कोई डाक्टर

के लिए कोई भगवान ने अलग कोटा नहीं बना रखा है कि तुम नहीं मरोगे, ये मरेंगे। वो अस्पताल में वहीं उस डाक्टर को दाखिल होना पड़ेगा, ऐसी विषम स्थितियों में बुजुर्ग-बुजुर्ग डाक्टर्स अस्पताल के अंदर आते थे। अस्पताल में एक हमारे डाक्टर साहब थे, उनका नाम डाक्टर चक्रवर्ती था। मैंने उनकी शक्ल अभी तक नहीं देखी क्योंकि वो जब भी मेरे से मिलने आते थे तो वो पूरा का पूरा पीपीई कीट पहन रखा होता था, मास्क लगा होता था, ऊपर फेस शील्ड पहन रखी होती थी तो मुझे उनकी शक्ल अभी तक पहचान में नहीं है, मगर वो जिस तरीके से चलते हुए आते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता था कि वो कम से कम 60-65 साल के हैं। बुजुर्ग हैं, धीरे धीरे धीरे चलते हुए आते थे और मेरे पास आते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, पूछते थे कि कैसा लग रहा है, अब कैसा है, सांस कैसा आ रहा है। मुझे लगा हो सकता है मैं विधायक हूं, मेरे से ही पूछते हो, मगर मैंने ध्यान दिया हर मरीज को बराबर तरीके से पूछते थे, उसकी बात सुनते थे, जो बात उस डाक्टर को पहले से पता थी तब भी उस मरीज से दोबारा सुनते थे ताकि उस मरीज का जो है हौसला बढ़े और ऐसी विषम स्थितियों के अंदर आप सोचिये अध्यक्ष जी, कोई आदमी खुद बुजुर्ग हैं या जो जवान है उनके घर में भी बुजुर्ग होते हैं, उनके घर में बच्चे होते हैं ऐसी विषम स्थितियों के अंदर वो अपनी कर्तव्यनिष्ठा के कारण अस्पताल के अंदर मरीजों की देख भाल कर रहे थे।

अध्यक्ष जी, ये भी देखा कि जब मैं स्वस्थ था तो रात को दो दो बजे भी हम डाक्टरों को अगर फोन करते थे किसी मरीज के बारे में तो डाक्टर फोन उठाते थे। हमें शर्मिंदगी होती थी कि हम फोन करके कह रहे हैं कि डाक्टर साहब ये फलांन मरीज हैं, इसकी ये रिपोर्ट आ गयी क्या कर रहे हैं

इसके लिए, क्या इसको एडमिशन कराएं, न कराएं, ये दवाई दें, ना दें। स्टोराॅयड शुरू कर दें, ना दें मतलब हम खुद आधे डाक्टर बन गये थे मगर फिर भी डाक्टर से पूछना जरूरी है कि भई ये दवाई दें या ना दें इसको और डाक्टर्स पूरा काम व्हॉटशेप्स पर करने के लिए तैयार थे सरकारी डाक्टर्स। मतलब वो डाक्टर्स, जिनके बारे में हम कुछ अलग कल्पना करते थे, वो डाक्टर ऐसे थे कि मैं उनको रिपोर्ट भेजता था कि जी फलांना आदमी की रिपोर्ट है, इसको कौन सी दवाई दे दें। डाक्टर 10 मिनट के अंदर व्हॉटसऐप पर दवाईयां लिख कर देता था कि ये दवाईयां दे दें। तो अध्यक्ष जी जो रुप हमने उस वक्त देखा डाक्टर्स का, नर्सस का इस पूरे पैरामेडिक्स स्टाफ का। मुझे ऐसा लगता है कि हम कितना भी धन्यवाद इन लोगों का कर दें, हमारा समाज इन लोगों का अहसान नहीं उतार सकता। बीएम इनका जो अहसान आज हमारे ऊपर है वो बहुत बड़ा है और मैं तो मानता हूं कि भगवान को मैंने इन डॉक्टर्स और नर्सिज के अंदर देखा है और साक्षात देखा। तो आज मैं सदन के अंदर एक तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, जब ये हमने लगाया था तो हमारा मानना था कि जितने भी पद्म अवार्ड हैं, पुरस्कार है उनकी अनुशंसा जो है सरकार करते वक्त कहे कि भई ये सारे अवार्ड्स इस साल तो जो है सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ को दें और मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनाउंसमेंट कर ही दी। एक अध्यक्ष जी, अगर पूरे हाउस की अनुमति हो और अपोजिशन वाले हमारे मित्रों की अनुमति हो तो मैं एक चीज इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा कि इस बार जो भारत रत्न है वो सामूहिक तौर पर हमारे देश के डॉक्टरों के प्रति हमारे सम्मान की तरह देना चाहिए, तो ये पूरे विश्व के अंदर हमारे डॉक्टर्स का नाम होगा, उनका सम्मान बढ़ेगा और हमारे देश के डॉक्टर्स पूरे विश्व में

जाने जाते हैं, माने जाते हैं। सामूहिक तौर पर भारतीय डॉक्टर्स के नाम पर एक भारत रत्न जो है हमारे देश को समर्पित करना चाहिए और मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आज बहुत सारी सदन के अंदर चर्चाएं हुई, कई चर्चाओं पर हमारी और विपक्ष वालों की नहीं बनी। मगर मेरी उन लोगों से विनती रहेगी हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि ये विषय ऐसा है जिसके ऊपर उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, ये पूरी दिल्ली की तरफ से जो ये मैसेज है पूरे देश और विश्व में जाना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: रोहित मैहरोलिया जी।

श्री रोहित कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अभी सौरभ भाई ने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार से डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को अस्पताल के वार्ड बॉय, नर्सिज, सफाई कर्मचारियों को भी इन्होंने भगवान के रूप में देखा। तो निश्चित रूप से हम हमेशा डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है और इसमें भी सच्चाई है कि यदि डॉक्टर्स भगवान हैं तो हमारा जितना पैरामेडिकल स्टाफ है नर्स है, वार्ड बॉय है, सिक्नोरिटी गार्ड्स हैं हॉस्पिटल्स के सफाई कर्मचारी हैं, वो भी देवता से कम नहीं है। अध्यक्ष जी, बहुत ही विकट स्थिति हम सबने और पूरे विश्व ने और खासतौर से हमारे देश ने इस दूसरी लहर में देखी। इस दौरान बहुत सारे डॉक्टरों ने न केवल मानव सेवा की एक नई गाथा लिखी बल्कि मैं समझता हूं एक अदम्य साहस का परिचय भी दिया कि अपनी जान को हथेली पर रखकर जिस सेवा भाव के साथ में, जिस निडरता के साथ में उन्होंने लोगों की सेवा की कि जहां अपने खुद के परिजन भी खुद के बच्चे भी अपने किसी परिचित को हाथ लगाते

हुए डर रहे थे वहां इन्होंने बड़े ही साहस के साथ में लोगों की सेवा की। तो समाज सदा इनका ऋणी रहेगा इसमें कोई दोराय नहीं है।

आदरणीय महोदय जी, जब पहली लहर आई थी पिछले साल उस समय लगभग देशभर के अंदर 748 डॉक्टर्स ने अपनी शहादत दी, देशवासियों की सेवा करते हुए, उनके प्राणों की रक्षा करते हुए। दूसरी लहर में देशभर के अंदर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई लोगों की सेवा करते हुए और अगर दिल्ली की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा 103 डॉक्टर्स जो शहीद हुए वो दिल्ली के अंदर हुए। पूरे देश में जो 500 का आंकड़ा रहा उसमें 103 डॉक्टर्स केवल दिल्ली के रहे। उन डॉक्टर्स की बात करें तो उसमें प्रमुखता से जो नाम आते हैं एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर के.के. अग्रवाल की जिन्होंने अपने अनुभव को अन्य डॉक्टर्स के साथ में सांझा किया। लोगों का हौंसला बढ़ाने के लिए कई वीडियो बनाए, उनको हमने देखा। आखिर में वो खुद संक्रमित हुए, उस समय भी उन्होंने हौंसला नहीं छोड़ा। उस समय भी उन्होंने लोगों के हौंसला बढ़ाने के लिए कई वीडियो बनाएं और आखिर में जो उनके शब्द थे अलग तरह की जो उनकी एक पहचान बनी कि उन्होंने कहा जो आखिरी वीडियो उनका जो आया था कि 'I have Covid which is progressive but even then remember Raj Kapoor's words' राज कपूर साहब का उल्लेख किया उन्होंने कि 'The show must go on.' ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बाद में इस कोरोना महामारी ने उन्हें भी लील लिया। हमारी दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक डॉक्टर है, डॉक्टर अजीत। अजीत जैन जी, वो 6 महीने तक अपने घर नहीं गए, लोगों की दिन-रात उन्होंने सेवा की जबकि मात्र 14 किलोमीटर दूरी पर उनका घर था। उसके बाद

भी 6 महीने तक वे लोगों की सेवा करते रहे। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रेरणा वह भी डॉक्टर थी मौहल्ला क्लीनिक की, उन्होंने भी बहुत साहस के साथ में लोगों की सेवा की, सेवाभाव के साथ में, वह हमारे मौहल्ला क्लीनिक की डॉक्टर थी और आखिरकार वह भी संक्रमित हुई और कोरोना की वजह से उनकी भी मृत्यु हुई। डॉक्टर अमित सिंह, 39 वर्ष की उम्र थी बहुत अल्पायु में वो दुनिया को अलविदा कह गए कोरोना की वजह से, बड़ी सेवा करी संत परमानंद अस्पताल के डॉक्टर थे। तीन साल का बेटा उनका छोटा कि वो अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देख भी नहीं पाएं। डॉक्टर ए.के.रावत, सरोज अस्पताल के डॉक्टर थे, वहां पर सबसे ज्यादा 80 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हुए थे। अध्यक्ष जी, तो देखिए कितनी भयानक स्थिति रही और उस बीच हमारे डॉक्टर्स ने किस सेवाभाव के साथ में काम किया और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार को कि उन सभी डॉक्टर्स के साथ में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में उन सभी कोरोना योद्धाओं के साथ में उनके परिवार के साथ में खड़े रहे और उनके जाने के बाद में उनके परिवारों को उनके सम्मान में एक-एक करोड़ की राशि दिल्ली सरकार की ओर से दी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस परिवार से आता हूं, हमारे परदादा जी के समय से सब हॉस्पिटल में ही काम करते थे। मेरे दादा जी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर ओ.टी. टैक्नीशियन रहे। मेरे फादर साहब ई.एस.आई. हॉस्पिटल से प्लास्टर टैक्नीशियन के पद से रिटायर हुए, मेरी मदर मेरी मां अभी भी वर्किंग है ई.एस.आई. अस्पताल में। इस दौरान मैंने देखा है नजदीक से कि कितनी मुश्किल भरी जिंदगी हो जाती है कि जब घर का कोई डॉक्टर या नर्स या कोई कर्मचारी

जब अपने अस्पताल से लौटता है घर पर वापस तो वो अपने बच्चों के पास भी नहीं जा पाता। मेरी मां जब सामान्य दिन थे, मेरे बेटे को छोटे बेटे को गोद में लेकर खिलाया करती थी। लेकिन जैसे कोरोना फैला, ड्यूटी भी करती रही लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी मेरी मां की कि मेरे बेटे को गोद में ले। इस डर से कि कहीं मेरे पोते को संक्रमण न हो जाए, मैं अस्पताल से काम करके लौट रही हूँ। तो इस तरह की चीजें उन्हें झेलनी पड़ी होंगी तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और सभी जितने भी अस्पताल के कर्मी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी क्यों न हो। सभी लोगों को मैं यहीं कहूंगा कि आप हमारे कोरोना वारियर्स हैं और हम लोग आपके साथ में खड़े हैं और जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति भी है, हम सब उनके साथ हैं, पूरा समाज, हम सभी लोग दलगत राजनीति से उठकर मैं बस यहीं कहूंगा अपने साथियों से भी कि हम सब उनके साथ में खड़े हैं और मैं आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये ही कहूंगा अपने कुछ शब्द मैंने लिखे थे अपने डॉक्टर्स के सम्मान में कि,

यू हीं नहीं चर्चे हर ओर अब हमारे

यू हीं नहीं चर्चे हर ओर अब हमारे

कुछ तो किया है हमने अहले वतन के खातिर

तो मैं आखिर में भाई सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव आज लगाया है कि जितने हमारे कोरोना वारियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी को जो हमारे केन्द्र सरकार द्वारा हमारी भारत सरकार द्वारा पद्म अवार्ड

दिए जाते हैं, उनसे उन्हें नवाजा जाए ताकि देश के सभी नागरिकों का भी मान-सम्मान बढ़े और ये ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, सौरभ भारद्वाज जी ने जो ये प्रस्ताव रखा है और कोरोना के बारे में उन्होंने बताया। पहले कोरोना काल में तो मैं भी संक्रमित हुआ था, मुझे भी 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। वाकई ये बड़ी विकट और गंभीर महामारी के रूप में हमारे बीच में आई और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि कोरोना को राजनीति से अलग रखेंगे हालांकि रखी नहीं गई। लेकिन जो ये प्रस्ताव है इसकी मूल भावना को देखते हुए हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें हमारा सुझाव है, सुझाव ये हैं कि ये बगैर भेदभाव के किया जाए डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो एमसीडी का हो, केन्द्र सरकार का हो, दिल्ली सरकार का हो। जो कोरोना फ्रंट वारियर्स योद्धा हैं, वो योद्धा है, तो बगैर किसी भेदभाव के हो। कोरोना फ्रंट वारियर्स और डॉक्टर्स को सम्मान के लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी सबसे पहले कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, 109 डॉक्टर्स लिस्टिड हैं उनको एक करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई थी, बगैर भेदभाव के दें। जब पहली राशि देने के लिए गए थे तो उसमें लगा कि राजनीतिकरण हो गया और धर्म के आधार पर रेखांकित करके चले गए, उससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि समभाव के साथ, सर्व समावेश के साथ, सबको साथ लेकर बगैर भेदभाव के इसको किया जाए और एक और सबमिशन है

इसमें कि भारत रत्न के लिए हमने कह दिया, अच्छी बात है। कल भी हमने भारत रत्न के लिए सुंदर लाल बहुगुणा जी के लिए समर्थन किया, हमारी विपक्ष की पार्टी ने। लेकिन इसमें दिल्ली एक कदम आगे बढ़ सकती है दिल्ली रत्न के रूप में आप नया एक यहां पर रख सकते हैं और ऐसे कोरोना फ्रंट वारियर के लिए भी शुरूआत कर सकते हैं दिल्ली रत्न की। इसके लिए भी मेरा आपको सुझाव है मैं इन सब सुझावों के साथ प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। जून साहब।

श्री बी.एस.जून: अध्यक्ष जी, हम हर साल फर्स्ट जुलाई को 'डॉक्टर्स डे' सेलिब्रेट करते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि फर्स्ट जुलाई को ही क्यों चुना गया। एक बहुत ग्रेट डॉक्टर हुए थे, महान डॉक्टर हुए थे डॉक्टर बिधान चन्द्रा रॉय जो वेस्ट बंगाल से थे। एक महान डॉक्टर होने के साथ-साथ वो वेस्ट बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी रहे। इसी वजह से हम फर्स्ट जुलाई को 'डॉक्टर्स डे' मनाते हैं। इस साल जो 'डॉक्टर्स डे' सेलिब्रेट हुआ उसमें लोगों की भावना डॉक्टर्स के प्रति और बढ़ी हुई थी, सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, कृतज्ञता की नजर से लोग देख रहे थे डॉक्टर्स को कि जो रोल डॉक्टर्स ने इस पेंडेमिक, वार लाइक सिचुएशन में प्ले किया। यही कारण था कि डॉक्टर्स के प्रति लोगों की श्रद्धा, लोगों का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। जब इस देश को बल्कि इस दुनिया को कोविड ने हिट किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज थे, वर्क फोर्स की कमी थी, वैक्सिन थी नहीं और दूसरी चीजें नहीं थी इवन पीपीई किट भी नहीं थे। मास्क भी कम मिल रहे थे, सैनिटाइजर्स की भी कमी थी। लेकिन डॉक्टर्स ने रात-दिन एक कर दिया लोगों की जान बचाने के लिए और जान बचाते-बचाते बहुत से लोग बहुत से डॉक्टर्स खुद इन्फैक्ट हो गए। अभी जैसे

रोहित जी ने बताया कि 103 डॉक्टर्स दिल्ली में ही इंफैक्ट हुए और उनकी डेथ हो गई कुछ एक की। आईएमए की रिपोर्ट को हम देखें तो 1500 डॉक्टर्स देश में संक्रमित हुए और उनकी जान चली गई। लेकिन फिर भी इनका एक resilience था, एक "never say die" का attitude था जिसकी वजह से ये रात-दिन मेहनत करते रहे, लोगों की जान बचाते रहे और उसका कारण था कि देश में mortality रेट जो है 1.5 के आसपास रही, ज्यादा नहीं गई। हालांकि जो सेकेंड वेव आई वो बहुत डेडली वेव थी और उसने बहुत से लोगों का नुकसान किया। पर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और दूसरा जो स्टाफ था हॉस्पिटल्स में उन्होंने रात-दिन एक कर दिया, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो। घर-घर गए लोगों के टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो उनको अवेयरनेस की बात हो, सब कुछ उनको समझाया। आज के दिन भी डॉक्टर्स जो है वैक्सिनेशन की बात कर रहे हैं, घर-घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप वैक्सिन लीजिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। एक डॉक्टर के.के.अग्रवाल जोकि पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत से लोगों की जान बचाई और बेचारे खुद भी इंफैक्ट हो गए, वो दुनिया से चले गए। लेकिन जितनी वीडियो उनकी आई इस कोरोना महामारी में, शायद किसी और डॉक्टर की नहीं आई होगी। उन्होंने लोगों को सिखाया आपको क्या डाइट लेनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, कौन सी-कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। लेकिन घर में इलाज करते हुए कोरोना पेशेंट्स का और उनको बाहर ऑनलाइन एडवाइस देते हुए वो खुद शहीद हो गए और एक मिसाल बनकर छोड़ गए कि मानवता की सेवा के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं, ऐसी महामारी के दौर में एक सेल्फनेस के साथ भी काम करना

चाहिए। जितना भी डॉक्टर्स ने किया, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके लिए, उनके सम्मान में कुछ न कुछ करें। दिल्ली सरकार ने एक करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया और डॉक्टर्स को दिया, बहुत बड़ा स्टेप था, सराहनीय स्टेप था और मानवता के आधार पर था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई जो दूसरे लोगों की जान चली गई जो नॉन मेडिकल स्टाफ से थे कि उनको कंपनसेशन देंगे जिसको भारत सरकार ने रोक दिया। क्या कारण थे, राजनीतिक कारण थे या जो भी कारण थे, एक अच्छा स्टेप भारत सरकार की तरफ से नहीं था। लेकिन दिल्ली सरकार आज भी तैयार है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए कि जो लोग बेघर हो गए या छोटे बच्चे अनाथ हो गए या जिन घरों में कमाने वाला कोई नहीं रहा। तो दिल्ली सरकार चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे दूसरे लोग हों, सबके साथ खड़ी हुई है और एक बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जैसे भारद्वाज जी ने कहा कि भई डॉक्टर्स को एक सामूहिक रूप से भारत रत्न दे दिया जाए इससे बढ़िया सुझाव हो नहीं सकता और हम सबको इसके साथ एग्री करना चाहिए सुझाव के साथ और डॉक्टर्स को जो है जितना भी हम सम्मान दें कम हैं। पद्म अवार्ड मिले उनको जो एक्सीलेंस थी जिनकी सर्विस में, उनको पद्म अवार्ड दिया जाए। सामूहिक तौर पर एक भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए तो हम कुछ अहसान जो डॉक्टर्स ने इस मानवता पर, मानव जाति पर किया है उसका कुछ भार हम उतार सकते हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रपोजल पर फेवरेब्ली कंसिडर किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब चर्चा का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा अमेंडमेंट है आप उसको चाहे स्वीकार करें, रिजेक्ट करे वो आपकी इच्छा है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं मैंने अनाउंस किया है आपके अमेंडमेंट को लेकर, ठीक है मैंने अनाउंस किया है आपके अमेंडमेंट को आपका ध्यान नहीं रहा शायद। मैंने कहा कि...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: जो मेरी पहली प्रेयर थी उसको आपने स्वीकार नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष: मैंने दो अमेंडमेंट के लिए बोला है कि दोनों अमेंडमेंट बिधूड़ी जी के आए थे वो उन दोनों अमेंडमेंट को विपक्ष की ओर से रखा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये हाउस उसको स्वीकार करे न करे।

माननीय अध्यक्ष: मैं अमेंडमेंट दे चुका हूं

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये आपकी इच्छा है, हाउस की इच्छा है।

माननीय अध्यक्ष: मैं अमेंडमेंट दे चुका हूं प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): मैंने अमेंडमेंट दिया था.., अपनी बात कहने का अधिकार तो मिलना चाहिए अध्यक्ष जी, अगर एक लीडर ऑफ अपोजिशन वो तो कांस्टिट्यूशनल पोस्ट पर है और सभी राज्यों की

जब आप बात करते हैं कि अन्य राज्यों में विधान सभाओं के पास क्या अधिकार है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए आदरणीय अध्यक्ष जी, कि अन्य राज्यों में जो विधान सभाएं हैं वहां लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके लिए कोई समय की सीमा नहीं है। लेकिन आप यहां समय सीमा की बात छोड़िए, समय सीमा तय कर दी है मेरे लिए। मैंने नियम के तहत अमेंडमेंट दिया है आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इससे ज्यादा प्रजातंत्र में एक लीडर ऑफ अपोजिशन का आप क्या गला घोटेंगे। पालीवाल क्या प्रोसीजर है से आप गला घोटेंगे? आप कैसे अधिकारों की मांग रखते हैं और एलओपी को यहां आप बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, ये न्याय नहीं कर रहे हैं आप।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी अब मेरी बात सुनेंगे शांति से। आपसे जो नाम मांगे थे इस विषय पर आपने केवल अजय महावर जी का नाम दिया

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: सर, मैंने अमेंडमेंट दी है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने अमेंडमेंट को रूलिंग दी है। मैंने आपके अमेंडमेंट का सम्मान करते हुए रूलिंग दी है, अब नहीं प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैंने अमेंडमेंट दी है मैं अपना पक्ष रखूंगा। आज ये हाउस उसको स्वीकार करे न करे, आप उसको चाहे रिजेक्ट करे।

माननीय अध्यक्ष: मैंने अमेंडमेंट पर रूलिंग दी है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: इस हाउस की इच्छा है लेकिन आप मैंने नियम के तहत यदि आपको मैंने अमेंडमेंट दी है तो आप मुझे सुनेंगे और उसके बाद चाहे आप रिजेक्ट कर दें। आप संयम से, जब आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, जज का काम कर रहे हैं

माननीय अध्यक्ष: मैंने नियम पर रूलिंग दे दिया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप मेरी बात सुनेंगे, चाहे आप मेरे केस को मैं जो कुछ आग्र्युमेंट कर रहा हूं चाहे आप उसको स्वीकार न करें, न करें आप रिजेक्ट कर दें वो आपकी इच्छा पर है लेकिन मेरी बात तो सुनेंगे न।

माननीय अध्यक्ष: नहीं मैंने अमेंडमेंट में रूलिंग दे दी है कहां है वो।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: कैसे आप इसको रिजेक्ट करेंगे?

माननीय अध्यक्ष: मैंने रूलिंग दे दी है इस पर और शांतिपूर्वक रूलिंग दी है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं ये कह रहा हूं आप मुझे सुनने के बाद रूलिंग देंगे न।

माननीय अध्यक्ष: नहीं आपने लिखित में अमेंडमेंट दिया उस पर रूलिंग दे दी है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैंने नियम के तहत ठीक साढ़े दस बजे मैंने अपनी अमेंडमेंट मूव की है, मुझे उस पर बोलने का अवसर आपको देना चाहिए मेरा यह आपसे आग्रह है। आप एक एलओपी को जिसको आपने मान्यता दी है उसको इस तरह से इस सदन में अपमानित करना मैं समझता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं दोबारा रूलिंग पढ़कर सुना देता हूं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: श्री भारद्वाज जी बड़े सीनियर एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि हम तो कम से कम कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां मिलजुल कर

हमको आगे बढ़ना होगा। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना पड़ेगा। आप हमें बात करने का भी अधिकार नहीं दे रहे।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी एक सेकेंड अब बात सुनेंगे, एक सेकेंड के लिए। बहुत प्यार से इज्जत से बोल रहा हूँ अमेंडमेंट आपने दी है अमेंडमेंट की रूलिंग के अंतर्गत मैंने निर्णय दिया है फिर मैं पढ़कर सुना देता हूँ। मैंने पढ़कर सुनाया था, मैं विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 259(6), बुक देख लीजिए की अनुपालना में इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैंने कहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष इन प्रस्तावों पर चर्चा चाहते हैं तो अपने सदस्यों के साथ तालमेल करके इनको वो इस चर्चा में उठा लें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: हां तो हम उठाना चाहते हैं उसको।

माननीय अध्यक्ष: तो आपने अपना नाम नहीं दिया इस पर बोलने के लिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: भेजा हुआ है मैंने तो।

माननीय अध्यक्ष: जो आपने नाम दिया आपकी ओर से नाम आए थे। चलिए आप बोलिए 5 मिनट में बोलिए, 5 मिनट में पूरा करिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली विधानसभा में माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा आज नियम 107 के अंतर्गत यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, “यह सदन अनुशंसा करता है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले दिल्ली के डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ को पद्म पुरस्कार दिये जाएं, भारत रत्न दिया जाए” उसकी चर्चा की है। हमारी पार्टी की ओर से हमारे चीफ व्हिप श्री अजय महावर जी

ने श्री सौरभ भारद्वाज जी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं केवल केवल इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों को आपकी सरकार ने जो लोग कोरोना से पीड़ित थे अपने घर में रहकर इलाज करा रहे थे, उनका जो कूड़ा है उसके उठाने की जिम्मेवारी दिल्ली नगर निगमों के तीनों जो हमारे नगर निगम हैं उनके सफाई कर्मचारियों की थी। कोरोना पीड़ितों का वो कूड़ा उठाते थे और ऐसे बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं जो कोरोना पीड़ितों का कूड़ा उठाते-उठाते कोरोना से पीड़ित हो गये और वो शहीद हो गये। मैं जरूर आग्रह करूंगा कि यदि डॉक्टर्स को, पैरा-मेडिकल स्टाफ को पदम पुरस्कार या भारत रत्न हम देने की बात कर रहे हैं तो उस सफाई कर्मचारी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जो घर से कोरोना पीड़ितों का कूड़ा उठाता था उठाते-उठाते वो कोरोना से पीड़ित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई तो हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है जो लिफ्ट ऑपरेटर कोरोना पीड़ितों को लिफ्ट में उनको उनके रूम तक पहुंचाता था, कोरोना पीड़ितों की सेवा करते करते उस लिफ्ट ऑपरेटर को भी कोरोना हो गया उनकी मृत्यु हो गई और ऐसी दर्दनाक मृत्यु हुई कि उनको दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इलाज करने का भी बेचारों को उनको कहीं अवसर नहीं मिला, बाहर जाकर उन्होंने इलाज कराया तो कम से कम हमें इसके साथ-साथ चाहे हमारे सफाईकर्मी हैं, चाहे हमारे शिक्षक हैं, चाहे हमारे आपके पुलिसकर्मी हैं जिनको भी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना योद्धा माना है उन सभी को ये पुरस्कार मिले। उन सभी को हम इस प्रस्ताव में सम्मिलित करें और इसके साथ-साथ मेरा ये उनसे आग्रह

रहेगा क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम कोरोना योद्धाओं को चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरा-मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो हमारे सफाईकर्मी हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक हैं, चाहे हमारे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स हैं जिनकी इस महामारी के दौरान कोरोना से मृत्यु हो गई है उन सभी को एक-एक करोड़ रुपया धनराशि देकर उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। कम से कम इनकी संख्या 500 के आसपास है। अभी तक मुश्किल से 2 डॉक्टर्स को मिला है। जैसे हमारे रूलिंग पार्टी के एमएलएज ने कहा है कि मरने वाले डॉक्टर्स की संख्या जो है वो 103 है, किसी ने कहा 104 है, तो इन सभी को जो कोरोना योद्धा थे जो एक-एक करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपनी कमिटमेंट को पूरा करके इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। उसका एक अच्छा संदेश जाएगा। हम अपोजीशन में होते हुए यदि ये कार्य मुख्यमंत्री जी करेंगे उनको एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि देंगे तो हम सरकार के इस कदम का हम स्वागत करेंगे यही आग्रह मैं दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट को थोड़ा सा और ज्यादा, इसमें और जो छूट गये हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए यही मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने ये देखा पिछले डेढ़ साल से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया

कोरोना की महामारी से जूझ रही है और इस दौरान हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने अपनी जान दांव पर लगाकर हम लोगों की सेवा की, लोगों की सेवा की। अभी मेरे से पहले सौरभ जी, रोहित जी सब लोग जून साहब, हमारे अपोजीशन के भी वक्ता इस बारे में कई उदाहरण भी दे चुके हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स ने कोई 6-6 महीने तक अपने घर नहीं गया। कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी परवाह किये बिना, अपने परिवार की परवाह किये बिना, अपनी जिंदगी की परवाह किये बिना दूसरों की लगातार सेवा करते रहे ऐसे वक्त में जब अपने परिवार के लोग कोरोना के मरीज को छूने को तैयार नहीं थे डॉक्टर्स ने उनकी लगातार सेवा की। ऐसे में पूरे समाज का और पूरे देश का फर्ज बनता है कि हम अपने डॉक्टर्स को और नर्सों को, पैरामेडिक स्टाफ को उनका धन्यवाद करें और उनको उचित सम्मान दें। दिल्ली सरकार ने समय-समय पर जितना हो सका दो कदम आगे बढ़कर डॉक्टर्स का साथ दिया। जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी उस वक्त ये था कि 15 दिन डॉक्टर काम करेंगे उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा फिर वो अपने घर जा सकते हैं। वो फाइव स्टार होटल में हम लोगों ने उनका इंतजाम किया था डॉक्टर्स के रहने का और शायद दिल्ली सरकार अकेली सरकार थी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जिसने डॉक्टर्स के रहने का फाइव स्टार होटल में इंतजाम किया था। उसके बाद कई जगह से ऐसी खबरें आईं कुछ जगहों से देशभर से कि पता चला कि कुछ मेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना के इलाज में कोरोना का इलाज करने से सरकार के अलग-अलग आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सरकारों ने वो आदेश जो है वो बिना medical fraternity के साथ सलाह किये बिना इस तरह के आदेश पारित किये थे। दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया कि

अगर हम कोई भी आदेश पारित करेंगे, ऐसा कोई भी आदेश वो नहीं होगा जो की डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ से सलाह किये बिना उनकी मर्जी के बिना नहीं पारित किया जाएगा। जितने आदेश जारी किये गये वो हास्पिटल्स के साथ, सरकारी हास्पिटल्स के साथ, प्राइवेट हास्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, medical fraternity के साथ सलाह करके हर आदेश पारित किया गया और ये एक अच्छी चीज है कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं था दिल्ली सरकार का जिसका किसी ने भी विरोध किया हो। हमें इस पूरी महामारी के दौरान सभी प्राइवेट अस्पतालों से, डॉक्टर्स से, सरकारी अस्पतालों से पूरी medical fraternity से पूरा सहयोग मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने उसका विरोध किया। जब हमने इस बात की घोषणा की कि अगर किसी भी डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर की कोरोना पर काम करते हुए, कोरोना में ड्यूटी करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उसकी उसकी वजह से शहादत हो जाती है तो उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ये एक ऐसा ऐलान था जो कि केवल दिल्ली सरकार ने और अकेले दिल्ली सरकार ने पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद अकेली दिल्ली सरकार है जिसने ये ऐसा आदेश पारित किया था। इससे हमारे सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिक स्टाफ का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ा। उन्हें ये लगा कि ये ऐसी सरकार है जो हमारे साथ खड़ी है। कल को अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सरकार हमारे परिवार का ख्याल रखेगी, उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया। दिल्ली के डॉक्टर्स ने खासकर बहुत लगन के साथ काम किया और एक-एक फ्रंटलाइन वर्कर जिनके भी केसेज आए हमने एक नहीं कई केसेज में एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि दी है और मैंने खुद जाकर

उनके घर पर जाकर हर एक के घर पर जाकर मैं उनके परिवार के लोगों को वो धनराशि देकर आया। अब दिल्ली सरकार ने एक और निर्णय लिया है। हर वर्ष हमारा देश चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर और उसके लिए केन्द्र सरकार अलग-अलग राज्य सरकारों से नॉमीनेशंस इनवाइट करती है कि आप अपने नॉमीनेशंस भेजिये तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमंड करेंगे। हमें ये 15 सितंबर तक नाम भेजने हैं केन्द्र सरकार को। अभी 3 दिन पहले मैंने ये ऐलान किया था इसमें कोई अपने आप को सेल्फ नॉमीनेट भी कर सकता है और कोई दूसरे को भी रिकमंड कर सकता है। मान लीजिए आप पेशेंट थे और आपने देखा कि वहां पर बहुत अच्छा कर रहे थे कोई डॉक्टर तो आप उनका नाम रिकमंड भी कर सकते हैं। तीन दिन पहले हम लोगों ने ईमेल एड्रेस जारी किया था और आज इस सदन को बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि तीन दिन के अंदर आलरेडी हमारे पास 2100 के करीब नॉमीनेशन आ चुके हैं डॉक्टर्स के। हम ये सारे नाम केन्द्र सरकार को भेजेंगे तो एक तो ये कि जो रेजोल्यूशन है, जो ये प्रस्ताव है कि 'this House recommends that doctors and paramedical staff of Delhi who have served during the corona pandemic be selected for Padma Award' हम हाउस की तरफ से केन्द्र सरकार से निवेदन करते हैं कि जिन डॉक्टर्स के नाम भेजे जाएं उन डॉक्टर्स को सबको पद्म अवार्ड जिन-जिन डॉक्टर्स के नाम आए, केवल मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा पूरे देशभर से जिन-जिन डॉक्टर्स के नाम इस बार आए उन सब लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाए। दूसरी चीज जो सौरभ जी ने इसमें एड किया कि ये

सदन अनुशंसा करता है कि भारतीय डॉक्टर्स को सामूहिक रूप से भारत रत्न दिया जाए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। इसमें जब हम भारतीय डॉक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें देशभर के सारे डॉक्टर, देशभर के सारा पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिंग, वार्डब्वायज इसमें सब आते हैं। हम सब लोग ये पूरा देश उन सबको सम्मानित करना चाहता है, उन सबको धन्यवाद करना चाहता है। जितने लोग शहीद हो गये उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है। उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं उनका सम्मान करते हैं ये संदेश हमारा देश देना चाहता है। अगर ऐसा होता है कि भारतीय डॉक्टर को भारत रत्न से नवाजा जाता है तो पूरा देश इसके साथ है पूरा देश ऐसा चाहता है और इसमें हमारे पूरे देश को इससे संतुष्टि होगी और हमारी पूरी medical fraternity का हौसला बढ़ेगा कि हमारे देश ने हमारा सम्मान किया तो मैं ये जो प्रस्ताव है और इसमें जो अमेंडमेंट है दोनों का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अब क्या रह गया बिधूड़ी जी देखो अब तो हो गया सब।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: श्री ओमप्रकाश शर्मा जी को आपने पूरे साल के लिए सदन से निकाल दिया। आखिर क्या ऐसा उन्होंने कसूर किया है। अगर उन्होंने कोई सवाल आपके सामने ये उठाया है कि साहब मुझे भी मेरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए किन्हीं कारणों से आप नहीं दे पाए और उन्होंने रिएक्ट किया तो पूरे साल के लिए ऑनरेबल मेंबर को सदन से निकाला जाएगा मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा इस पर आप पुनर्विचार करें और क्योंकि आज के

लिए उनको आपने निकाला है बाकी आगे के लिए जो आपने निकालने का फैसला किया है उस अपने फैसले पर पुर्नविचार करें और उनको जब भी अगली बार सदन की बैठक हो उस बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति दें ये मैं भाजपा विधायक दल की ओर से आपसे आग्रह करना चाहता हूं आप मेरे आग्रह को जरूर स्वीकार करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी देखिये एक तो कल ओमप्रकाश जी ने जो बात रखी थी वो प्रश्न की नहीं थी। उनका उत्तर प्रदेश में आखिर क्या हुआ है पहले तो एक माननीय सदस्य जितेंद्र महाजन जी ने बोला था और उसी का रिपीटेशन 5 मिनट बाद उन्होंने बोला था। इस विषय को लेकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आपके आग्रह को मैं स्वीकार करते हुए श्री ओमप्रकाश जी के संबंध में दिये गये अपने निर्देश को वापस लेता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वे भविष्य में अध्यक्ष पद और इस सदन की गरिमा का सम्मान करेंगे और इस सदन में मर्यादित आचरण करेंगे। थोड़ा उनको आप बहुत समझा कर रखिये मेरी आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य द्वारा नियम 107 के अंतर्गत संशोधित प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, स्वीकार हुआ।

सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों, सुरक्षा एजेंसियों, दिल्ली पुलिस तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

माननीय अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है सभी का धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।
